

प्रकाशक :

ला० गोपीनाथ गुप्ता

प्रोग्राइटर

जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी

मेरठ ।

त्रितीय हिन्दौ संस्करण

१६५३

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक :

पीयूष चन्द्र,

व्यवस्थापक

सरम्बनी प्रेस, मेरठ ।

प्राक्कथन

हिन्दी के राजभाषा तथा शिक्षा का माध्यम बन जाने के कारण अब उसमें आधुनिक विषयों पर पुस्तकों का अभाव खटकने लगा है। संविधान के विविध विषयों पर हमारी कुछ परीक्षोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। विश्वविद्यालयों ने वी. ए. के विद्यार्थियों को हिन्दी माध्यम लेने की सुविधा प्रदान कर दी है, इसी कारण मैंने अपनी पुस्तक, “गवर्नेमेन्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन” का जो कि मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी अनुवाद कराना उचित समझा। इसके लिये मैंने अपने मित्र श्री मदन मोहन गुप्त, वी. ए., एल. एल. वी., से प्रार्थना की थी। उन्होंने बड़ा कष्ट उठाकर इस कार्य को सम्पन्न किया है। इसके लिये वे मेरी ओर से तथा विद्यार्थीवर्ग की ओर से भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इसको तैयार करने में प्रधानतः परीक्षार्थियों की ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, अतः उन सब विस्तार की वातों को छोड़ दिया गया है जो उनके लिये उपयोगी नहीं हैं, और कई विषयों की, जिनका ज्ञान उनके लिये अपेक्षित है, अपेक्षाकृत अधिक व्याख्या की गई है।

इसकी रचना में ऑंग, मनरो, जेनिंग्स, लास्की, रैम्जे, स्यौर तथा लो आदि विद्वानों की प्रसिद्ध कृतियों से सहायता ली गई है। स्थान स्थान पर उनके उद्धरण दिये गये हैं तथा फुटनोटों में कृनज्ञता-ज्ञापन भी कर दिया गया है। साथ ही इस विषय की छोटी सी पुस्तक-सूची अगले पृष्ठ पर दी जा रही है। आशा है कि विद्यार्थी उनमें से कुछ को अवश्य पढ़ेंगे।

अन्त में श्री नेमिशरण मित्तल को धन्यवाद देना भी हमारा कंत्रैव्य है जिन्होंने गांडुलिपि को दोहराने तथा प्रूफ आदि देखने की कृपा की है। आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थी वर्ग के लिये लाभदायक सिद्ध होगी।

विजय मंदिर,
सिविल लाइन्स, मेरठ।
अगस्त १९५१

ज्योति प्रसाद सूद
मेरठ कॉलेज।

SELECT BIBLIOGRAPHY

- Amos* : The English Constitution.
Buell : Democratic Governments in Europe.
Brown : Everyman's Guide to Parliament.
Greaves : The British Constitution.
Jennings : The British Constitution.
Low : Governance of England.
Marriot : British Institutions.
Munro : Governments of Europe.
Muir : How Great Britain is Governed.
Ogg : European Governments and Politics.
Stewart : The British Approach to Politics.

More Advanced

- Jennings* : Cabinet Government.
Jennings : Parliament.
Keith : The Constitution of England from Queen Victoria to George VI.
Laski : Parliamentary Government in England.
Ogg : English Government and Politics.

Finer's *Theory and Practice of Modern Governments* and Marriot's *Mechanism of Government* also contain an excellent account of the various British institutions and practices. Lowell's two volumes dealing with the British constitution are also good, though they are somewhat out of date.

विषय-सूची

[१]

ब्रिटिश संविधान को मुख्य विशेषताएँ

१

विषय प्रवेश : १ ; मुख्य विशेषताएँ : २ ; ब्रिटिश संविधान के अंग : १२ ;
विधानिक अभिसमय : १३ ।

[२]

ब्रिटिश संविधान का विकास

१७

विषय प्रवेश : १७ ; आंग्ल-सेक्सन काल : १७ ; नॉरमन काल : १७ ;
श्री परिषद् आदि का विकास : १६ ; संसद् का विकास : १६ ; सन् १८८८ के
चात् सांविधानिक विकास : २४ ; अन्य सांविधानिक विकास : २६ ; शासन तंत्र
विभिन्न अंग : २७ ।

[३]

औपचारिक कार्यपालिका : क्राउन, राजा और प्रिंसी परिषद्

३०

राजा और क्राउन में अन्तर : ३० , क्राउन के कार्य : ३१ , राजा का पद—
का औचित्य और लाभ : ३२ ; ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में राजा का
न : ३६ ; प्रिंसी परिषद् : ४१ ।

[४]

मंत्रिमंडल और केविनेट

४३

केविनेट की केन्द्रीय स्थिति : ४३ ; मंत्रिमंडल : ४४ ; केविनेट : ४५ ; केविनेट
गठन : ४७ ; प्रधान मंत्री की नियुक्ति : ५० ; केविनेट व्यवस्था की मूलभूत

विशेषताएँ : ५१ , केविनेट के कार्य : ५६ , केविनेट की बैठकें तथा समितियाँ : ५६, प्रधान मंत्री की शक्तियाँ तथा कार्य : ६० , क्राउन तथा केविनेट : ६३ , केविनेट तथा संसद : ६४ ।

[५]

स्थायी कार्यपालिका : सिविल सर्विस तथा प्रशासकीय विभाग ६६

विषय प्रवेश : ६६ , ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ : ६६ , सिविल सर्विस : ६६ , सिविल सर्विस के कार्य : ७० , प्रशासकीय विभाग : ७३ ।

[६]

विधान-मंडल : लोकसभा

७५

विषय प्रवेश : ७५ , संसद : ७६ , सभा की रचना : ७७ , निर्वाचन-सम्बन्धी समस्यायें : ७८ , आनुपातिक प्रतिनिधित्व : ८६ , सदन का संघटन : ८२ , अध्यक्ष : ८३ , सत्र कैसे आरम्भ होता है : ८५ , लोक-सभा की समितियाँ : ८६ , लोकसभा का कार्य : ८६ , विधि-निर्माण की प्रक्रिया : १०३ , संसद अधिनियम : १०७ , असार्वजनिक विधेयक : १०६ , अस्थायी आदेश स्थायीकरण विधेयक : ११० , विधि-निर्माण मै केविनेट का भाग : १११ , वित्त पर संसद का नियंत्रण : ११२ , वित्तीय व्यवस्था की विशेषताएँ : ११८ , धन के व्यय पर संसदीय नियंत्रण : १२० , सभा वाद-विवाद का स्थान है : १२० , सभा परीक्षण-केन्द्र : १२२ , प्रशासनात्मक विधान : १२३ ।

[७]

विधान-मंडल : लार्ड सभा

१२४

विषय प्रवेश : १२४ , रचना : १२५ , सभा का संगठन : १२७ , सभा की शक्तियाँ तथा कार्य : १२७ , सदस्यों के विशेषाधिकार तथा कर्तव्य : १३० , दोनों सभाओं के सम्बन्ध : १३० , १६११ के संसद अधिनियम का महत्त्व : १३२ , लार्ड-सभा के विरोध के कारण : १३३ , सुधार के सुझाव : १३४ ।

सात

[८]

संसद् और सरकार

१३७

विषय प्रवेश : १३७ ; संसद् की सैद्धान्तिक प्रमुता : १३७ ; व्यवहार में संसद् का प्राधिकार : १३८ ; संसद् पर केविनेट के आधिपत्य से लाभ तथा हानियाँ : १४१ ; इस परिवर्तन के कारण : १४२ ; विरोधी दल का कार्य : १४२ ।

[९]

राजनैतिक दल तथा दलीय व्यवस्था

१४५

विषय प्रवेश : १४५ , दलीय प्रणाली का प्रभाव : १४६ , १८३२ से पूर्व राजनैतिक दल : १४६ , ब्रिटिश राजनैतिक दल : १४६ ; रुढ़िवादि दल : १५० , उदार दल : १५२ ; श्रम-दल : १५३ ; अन्य दल १५५ , दलों की वर्तमान व्यवस्था : १५६ ; दलीय सगठन : १५७ , एट ब्रिटेन में लोकनव्र : १५८ ।

[१०]

न्यायपालिका

१६०

विषय प्रवेश : १६० ; विधि के प्रकार : १६१ ; विधि-न्यायालय : १६३ ; न्याय का उच्चतम न्यायालय : १६६ , न्यायपालिका का अन्य अङ्गों से सम्बन्ध : १६८ ; ब्रिटिश न्याय का उच्च स्तर १६६ ।

[११]

स्थानीय शासन तथा प्रशासन

१७०

विषय प्रवेश : १७० : उसका इतिहास : १७० ; काउन्टी : १७२ , ग्राम्य जिले : १७४ ; नगर जिला परिपद्व : १७५ , पैरिश : १७५ , वॉरो : १७६ , स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण : १७८ , लंदन का शासन : १८२ , स्थानीय शासन की ब्रिटिश तथा भारतीय पद्धतियों की तुलना : १८४ ।



ग्रेट ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था

अध्याय १

ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएँ

चिपय-प्रवेश— ब्रिटिश शासन-व्यवस्था संसार की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशील प्रणालियों में से है। इसे मानव-जाति की अमूल्य राजनैतिक निधि कहा गया है। ब्रिटिश राजनैतिक संस्थाओं (Institutions) का प्रभाव इतना व्यापक है कि वे विश्व में सर्वत्र प्रचलित हैं; इसीलिये ग्रेट ब्रिटेन की व्यवस्था को राजनैति की महाननद पद्धति कहना उपयुक्त होगा। स्वभावत् राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी उनमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बहुत से विद्वान उनका अध्ययन तथा मनन करते हैं। हम भारतीयों के लिये उनका विरोध महत्त्व है; क्योंकि हमारी शासन-व्यवस्था तथा राजनैतिक संस्थाएँ बहुत हद् तक उन के ही नमूने पर बनी हैं। अंग्रेज शासक स्वभावत् अपनी पद्धतियों को अपने साथ लाये थे; ब्रिटिश संसद् (Parliament) ने भी चिविध अधिनियम (Acts) पारित करके इस देश में संसदीय संस्थाओं की स्थापना की थी। १८३५ के भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) द्वारा स्थापित विभान-मंडलों (Legislatures) का गठन, रचना, शक्तियों तथा कार्य बहुत हद् तक ब्रिटिश संसद् के नमूने पर ही निश्चित किये गये थे। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना भी अधिकतर विभिन्न भारत शासन अधिनियमों के आधार पर हुई है। उसमें शामन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जिससे हम अंग्रेजी राज्य में काफी परिचित हो गये थे। भारत गणराज्य का राष्ट्रपति अमरीकी राष्ट्रपति के समान न होकर ब्रिटिश बादशाह के समान है, उसी के समान वह नाममात्र के लिये राज्य का प्रधान है, नाममात्र के लिये ही मुख्य कार्यपालिका है और वास्तविक शासक नहीं है। ब्रिटिश विधान-मंडल का अनुसरण करते हुए हमारे ग्रामीय विधान-मंडल (Legislature) को भी संसद् (Parliament) कहते हैं तथा उसकी शक्तियों और कार्य बहुत शुछ ब्रिटिश संसद् के समान ही हैं। यही बान ज्यों के विधान-मंडलों पर भी लागू होती है। हमारी स्थानीय संस्थाएँ भी ब्रिटिश

पद्धति के अनुसार ही वर्ती हैं। इसलिये ब्रिटिश संस्थाओं के ज्ञान के बिना हम अपनी राजनैतिक और प्रशासकीय व्यवस्था को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। यही प्रधान कारण है कि हमारे विश्वविद्यालय ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अध्ययन को हमारे विद्यार्थियों के लिये पाठ्य-क्रम में रखते हैं।

ब्रिटिश संस्थाओं को हमारे देश ने ही नहीं अन्य राष्ट्रों ने भी अपनाया है, किसी ने कम और किसी ने ज्यादा। हम पर तो हमारी राजनैतिक दासता के कारण ही वे थोपी गई थों, किन्तु अन्य राष्ट्रों ने उनकी उपयोगिता तथा अच्छाई के कारण उन्हें पसंद किया है। ब्रिटिश संसद को 'संसदों की जननी' (Mother of Parliaments) कहा जाता है, वह ठीक ही है। उसका वंश एक ओर कनाडा में तो दूसरी ओर आस्ट्रेलिया में, एक ओर स्वीडन में तो दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका तक के दूरस्थ देशों में फैल गया है। ब्रिटिश पद्धति के ही आधार पर संसार के लगभग प्रत्येक सभ्य राष्ट्र ने दो सदन प्रणाली को अपनाया है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संसद तथा मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ था जिसके फलस्वरूप वहाँ निरंकुश राजतंत्र (Despotic Monarchy) के स्थान पर सांविधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन तथा विधि-शासन (Rule of Law) का आरम्भ भी इंग्लिस्तान से ही हुआ। अनेक देशों ने अपनी स्थानीय स्वशासन की पद्धतियों को, जानवृत्त कर या अनजाने में ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया है। इस प्रकार शासन-कला में ग्रेट ब्रिटेन की बहुत बड़ी देन है तथा उसके विविध रूप हैं।^{१३} ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति का प्रभाव बहुत व्यापक है। इसी कारण ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति का अध्ययन अन्य किसी आधुनिक राज्य की पद्धति से पहले किया जाना चाहिये। स्वभावन: संविधान के लेखकों ने, चाहे वे ब्रिटिश हों अथवा विदेशी, ब्रिटिश-पद्धति की सराहना की है।

(c) **मुख्य विशेषताएँ**—ब्रिटिश संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। पहली वात तो यह है कि वह सारे आधुनिक संविधानों में सबसे प्राचीन है। महाद्वीप यूरोप में सन् १८०० से पहले का शायद ही कोई संविधान हो; १८५० से पहले के भी थोड़े से ही संविधान हैं, और वहन से देशों के संविधान तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही बने हैं। यही वात संसार के अन्य भागों के संविधानों पर भी लागू होनी है।

* मनरो की पुस्तक 'Governments of Europe' (यूरोप की सरकारें) के निम्न उद्दरण से यह वात स्पष्ट हो जायेगी: 'अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों में सभ्य संसार के पुक बहुत बड़े भाग का लोकतंत्रीकरण, जो अधिकांश में अप्रेज़ी भाषा बोलने वाली जानियों के नेतृत्व में हुआ है, समस्त संसार के अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों में से है।'

चीन तथा जापान जैसे प्राचीन देशों के मौजूदा संविधान तो हाल ही में बने हैं, संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान को बने भी दो शास्त्रियों से अधिक समय नहीं हुआ। ब्रिटिश संविधान की प्राचीनता ही स्वयं कोई महत्व की वात नहीं है। उसका महत्व इस कारण है कि गत तेरह चौदह सौ वर्षों से उसका अनवरत और लगातार विकास होता गया, इसे उसकी दूसरी विशेषता कह सकते हैं। संविधानों के विद्यार्थी को विश्व में किसी और देश में ऐसा राजनैतिक विकास नहीं मिलेगा जो इतने लम्हे समय तक चलता रहा हो और किरभी वह उग्र क्रांतियों से इतना मुक्त रहा हो तथा कहीं भी उसका प्राचीन काल से पूर्ण विच्छेद न हुआ हो। इस शृङ्खलावद्ध और लगातार विकास में वेवल एक ही वार वाधा पड़ी थी जब क्रामवेल ने गणराज्य-व्यवस्था स्थापित की थी, किन्तु वह प्रयोग भी १२ वर्ष से अधिक नहीं चल सका। इगलिस्तान में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई जिसकी तुलना १७८८ की फ्रांसीसी क्रांति या १८१७ की रसी क्रांति से की जा सके। ब्रिटिश संविधानिक विकास के लगभग अदृष्ट शृङ्खलावद्ध होने के मुख्य कारण ये हैं ब्रिटिश प्रेट ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप से भौगोलिक रूप में अलग हैं और वहां के निवासियों की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि वे क्रांतियों के बजाय सुधारों को ही अधिक पसंद करते हैं और वे सदा यह आवश्यक नहीं समझते कि शासन कार्य तक या सिद्धान्त द्वारा ही किया जाये। इसी वात को अंग्रेज लेखक प्रोफेसर फ्रीमेन ने निम्न शब्दों में वर्णपूर्वक कहा है 'हमारी जाति का राष्ट्रीय जीवन विदेशी विजेताओं तथा आंतरिक क्रान्तियों के बाजूद भी चौदह सौ वर्षों से अदृष्ट चला आ रहा है। हमारे इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आया जब वर्तमान और अतीत का संबन्ध पूर्णतः विच्छेद हो गया हो या जब कि अंग्रेज लोग किसी सुन्दर सिद्धान्त से प्रभावित होकर सर्वथा नया संविधान बनाने के लिये इकट्ठे हुए हो। हमने प्रत्येक कदम किसी पिछले कदम के फलस्वरूप ही उठाया; हमारी विधि और संविधान में जो भी परिवर्तन किया गया वह कोई सर्वथा नई वस्तु नहीं था वरन् किसी पुरानी परिपाटी का विकास ही था। कभी हमारी प्रगति तेज रही, कभी धीमी, कभी हम स्के से प्रतीत होते थे, कभी कभी पीछे हटते से, किन्तु राजनैतिक विकास की महान प्रगति कभी पूर्णतः स्की नहीं, जब से दृश्योटन विजेताओं ने आकर ब्रिटेन को इंगलैंड का रूप देना आरम्भ किया, तब से वह प्रगति स्थायी रूप से कभी नहीं रुकी।'

यह एक आधारभूत वात है कि ब्रिटिश संविधान का विकास लम्हे काल में अदृष्ट शृङ्खला के रूप में हुआ है। इसी कारण उसमें कई विशेषताएं हैं। पहली वात तो यह है कि इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संविधान स्वयं एक विकसित विधान है, रचना नहीं (It is a growth and not a make) दूसरी वात, इससे यह

(३) लचकदार वन गया है। तीसरी बान, इसी कारण यह अधिकांश में अलिखित है, और अंततः इसी कारण उसके सिद्धान्त और व्यवहार में विचित्र विरोध है। अब हम इन सब विशेषताओं के विषय में कुछ शब्द कहेंगे।

वैसे तो यह कहा जा सकता है कि प्रयोक संविधान ही जीवित और विकासमय होता है, परन्तु ब्रिटिश संविधान के विषय में विकास शब्द का एक विशेष अर्थ है जो कि अन्य संविधानों पर लागू नहीं होता। सिद्धनी लो का यह कथन सत्य ही है कि अन्य संविधानों की तो रचना हुई है, पर ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है तथा वह शनैः शनैः परिस्थितियों के अनुरूप ढलता गया है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में भी परम्पराओं तथा प्रथाओं द्वारा और उच्चमन्त्र न्यायालय (Supreme Court) के निर्णयों द्वारा परिवर्तन होता रहा है जिससे कि वह उस परिवर्तनशील देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनता गया है, तथापि एक निश्चिन तारीख है जब फिलडेलिफिया में एकत्रित प्रतिनिधियों ने उसकी रचना की थी। इसी प्रकार एक निश्चिन तारीख को ही वे तीन आधारभूत विधियां बनाई गई थीं जिन पर उनीय फ्रांसीसी गणराज्य का संविधान आधारित था। इससे अधिक उद्धारण देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसी कोई नारीख नहीं बताई जा सकती जब ब्रिटिश संविधान की रचना हुई हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उसके निर्माता होने का श्रेय दिया जा सके। जैसा कि ब्रॉफेसर प्रीमेन ने उपरोक्त उद्धरण में कहा है, अमरीकियों, फ्रांसीसीयों, स्विसजनों, रूमियां आदि के समान कभी अंग्रेजों के प्रतिनिधि एक नवा संविधान बनाने के लिये इकट्ठे नहीं हुए। यही कारण है कि हमें अमरीकी, फ्रांसीसी या स्विस संविधान की प्रति उपलब्ध हो सकती है, किन्तु ब्रिटिश संविधान की प्रति का मिलना असम्भव है। ब्रिटिश संविधान किसी एक लेख्य (Document) में उल्लिखित नहीं है और इसका कोई एक स्वोत नहीं है, अपितु यह राजान्नाओं (Charters) तथा विधानों, परिषाटियों तथा परम्पराओं, कामन विधि तथा न्यायिक विनिश्चयों (Judicial decisions) का विचित्र सम्मिश्रण अथवा संग्रह है। इसके उपर्यन्थों को संहिता (Code) रूप देने का कभी प्रयास नहीं किया गया और सम्भवन ऐसा कभी होगा भी नहीं। एक मुख्यत्वात् फ्रांसीसी लेखक ने कहा है कि 'अंग्रेजों के संविधान के विभिन्न भाग वैसे ही हैं जैसा कि इतिहास की घटनाओं ने उन्हें बना दिया, अंग्रेजों ने उन्हें कभी एकत्र करने का, उनका श्रेणी विभाजन करने का या उन्हें पूर्ण बनाने का अथवा एक संगत तथा संकलित रूप देने का प्रयत्न नहीं किया।'

व्योक्ति ब्रिटिश संविधान का विकास शनैः शनैः हुआ है जिसमें कुछ परिवर्तन

क्षुद्र-२६ पर मेरियट द्वारा बोटमी (Boutmy) का उद्धरण।

जानवूफ़ कर किये गये हैं तथा अन्य परिवर्तन अवसर के अनुकूल हो गये हैं, इस कारण वह अधिकांश में अलिखित है। कभी कभी इस बात पर आवश्यकता से अधिक जोर दे दिया जाता है। अलिखित तथा लिखित संविधानों का अन्तर कोई महत्त्व की बात नहीं है, स्ट्रांग जैसे कुछ लेखकों ने तो उस अन्तर को गलत ही बताया है। कोई संविधान पूर्णतः लिखित या पूर्णतः अलिखित नहीं हो सकता, प्रत्येक संविधान में दोनों प्रकार के तत्त्व होना अनिवार्य है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में, जिसे लिखित संविधानों का मुन्द्र उदाहरण समझा जाता है, कई सांविधानिक परिपाटियां हैं जो अलिखित हैं। यहाँ तक कि पिछले भारतीय संविधान में भी, जो विकास-शक्ति से हीन था, कुछ अलिखित तत्त्व आ गये थे। त्रिटिश संविधान को अलिखित बताने का केवल यही आशय है कि इसके समस्त उपबन्धों को ग्रन्थवद्ध या कोटीफाई नहीं किया गया है। यह कार्य असंभव सा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी परिपाटियां तथा अभिममय बहुत विस्तृत तो हैं हो, उनमें से कई इतने अनिश्चित भी हैं कि उन्हें लिखित रूप में रखा नहीं जा सकता। यह ध्यान रखना होगा कि त्रिटिश संविधान में अलिखित अंश का अनुपान (proportion) अन्य संविधानों से अधिक है। यह भी एक कारण हो सकता है कि अन्य संविधानों की तुलना में इसे मुख्यतः अलिखित बताया जाता है। त्रिटिश संविधान के प्रमुख लिखित तथा अलिखित अंशों का वर्णन अन्य प्रसंग में किया जायेगा।^{५८}

ऊपर बताई गई विशेषता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि त्रिटिश संविधान लचकदार (flexible) है। उसकी जीवन-शक्ति और वल का स्रोत यह लचकीलापन ही है, अलिखित रूप नहीं। लचकदार होने के कारण ही प्रधानतः हम उसे जीवित तथा विकासशील संविधान कह सकते हैं। लचकदार होने के कारण ही वह अवस्थानुसार समय समय पर जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नथा अनुकूल बनाया जा सका तथा उसमें सुधार किये जा सके और किये जा सकें। लचकीलेपन का सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि विगत महायुद्ध में अमरीकी लोगों को दो बार राष्ट्रपति का निर्वाचन करना पड़ा, जिससे उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, किन्तु त्रिटिश संसद ने अपनी ५ वर्ष की निर्धारित अवधि को सुगमना से बढ़ा दिया और इस प्रकार राष्ट्र को उस संकट काल में साधारण निर्वाचन के फँकट से बचा लिया। त्रिटिश जनता ने देखा कि १९३६ में उनका प्रधान मंत्री जर्मनी के विस्तृद्ध युद्ध करने के लिये योग्य नहीं था, अतः वे उसे सुगमता से हटा कर नया प्रधान मंत्री नियुक्त कर सके, क्योंकि उनका संविधान लचकदार है। यदि अमरीकी लोग

क्यह इस अर्थ में अलिखित है कि यह किसी तिथि विशेष को बन कर स्वीकार नहीं हुआ।

ब्रेट विटेन की शासन-व्यवस्था

यह अनुभव करें कि उनके अधिकारी अकुशल हैं तो उन्हें वे मध्यधार में बदल भर्दी सकते।

ब्रिटिश संविधान को लचकीला इस कारण कहा जाता है क्योंकि उसमें संविधान-निर्मात्री सत्ता (Constituent Authority) और सामान्य विधि-निर्मात्री सत्ता (Ordinary Law-making Authority) में कोई अन्तर नहीं है। ब्रिटिश संसद् सामान्य विधि बनाने के लिये जिस प्रक्रिया का प्रयोग करती है उसी प्रक्रिया द्वारा वह संविधान में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। ब्रेट विटेन में सांविधानिक परिवर्तन करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और सांविधानिक विधि तथा साधारण विधि में ऐसा कोई अन्तर नहीं है जैसा संयुक्त राज्य में है। अतएव ब्रिटिश संविधान में केवल परिपाठी तथा परम्पराओं द्वारा ही परिवर्तन नहीं होता, वरन् संसद् द्वारा बनाये गये अधिनियमों से भी हो सकता है। आजकल सांविधानिक परिवर्तन करने का सबसे प्रभावी तरीका संसद् की विधियां ही हैं। किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि ब्रिटिश संविधान सबसे ही है। अधिक लचकदार है और उसे आसानी से बदला जा सकता है फिर भी वहां के लोग रुद्धी-प्रेरी होने के कारण उसे आसानी से नहीं बदलते।

ब्रिटिश संविधान के लचकीलेपन से सबन्धित एक और विशेषता यह है कि वहाँ संसद् की सम्मूर्ख वैधानिक प्रभुता (Legal Sovereignty) है। उपर आप देख चुके हैं कि वह सब प्रकार की सांविधानिक क्रियाओं को बदल सकती है और उनमें संशोधन कर सकती है, और उसे उस प्रयोजन के लिये कोई विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी विधान-निर्माण की क्षमता (Legislative competence) पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है। वैधानिक रूप में, उसे किसी राजाज्ञा को, विधि या समझौते को बदलने या उनको रद्द करने की शक्ति है; वह किसी परिपाठी को समाप्त कर सकती है और कोम्मन लॉ के किसी नियम को उलट सकती है। वह ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है कि किसी न्यायालय के विनिश्चय पर अमल न किया जाये। उससे कैची कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो उसके अधिनियमों पर अपना निर्णय दे सके और उन्हें इस आधार पर असांविधानिक घोषित कर सके कि वे देश की विधि से असंगत हैं। ब्रिटिश संसद् की किसी भी विधि को इस प्रकार असांविधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि अमरीकी कांग्रेस के अधिनियम को वहां का उच्चनम न्यायालय असांविधानिक घोषित कर सकता है। संसद् की प्रभुता ब्रिटिश सांविधानिक पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। किन्तु यह वैवानिक स्थिति हो है; वास्तव में संसद् को नैतिक तथा व्यावहारिक बन्धनों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। शनैः शनैः यह दिनांक जो प्रकृता जा रहा है कि शासन पद्धति में कोई वड़ा परिवर्तन संसद् द्वारा

तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि मतदाताओं को उस पर अपना निर्णय देने का अवसर न मिल जाये। किन्तु यह सिद्धान्त अभी तक अच्छी तरह स्थापित नहीं हो सका है।

किन्तु एक अर्थ में ब्रिटिश संसद् की किसी विधि को भी असांविधानिक कहा जा सकता है। यदि कोई विधि ब्रिटिश परम्पराओं के विपरीत हो और अन-ब्रिटिश समझी जाये तो ब्रिटिश जनता उसे असांविधानिक घोषा सकती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के बिना कारागृह में निरोधित करना या जूरी (पंचो) द्वारा मुकदमे की प्रथा को समाप्त करना ब्रिटिश जनता सहन नहीं करेगी।

ब्रिटिश संविधान की सबसे अनन्य और निराली विशेषता यह नहीं है कि वह लचकदार है या संसद् को अवाध वैधानिक ज्ञानता प्राप्त है, क्योंकि ये दोनों बातें अन्य राजाओं के संविधानों में भी पाई जाती हैं। इटली या जर्मनी जैसे समष्टिवादी राज्य का संविधान (विगत युद्ध में उनकी पराजय से पूर्वी) ग्रेट ब्रिटेन के समान ही लचकदार हो सकता था, और न्यूजीलैंड की संसद् को वैसी ही सर्वोच्चता प्राप्त है जैसी ग्रेट ब्रिटेन की संसद् को है। ब्रिटिश संविधान का निराला गुण है उसकी अवास्तविकता, उसके शासन के सिद्धान्त और आचरण में महान अंतर। एक लेखक ने सुन्दर शब्दों में कहा है कि ग्रेट-ब्रिटेन में कोई वात 'जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है, या जैसी है वैसी कभी दिखाई नहीं देती'। इस समय विद्यमान शताब्दी में शासन का जो चित्र कार्य रूप में दिखाई देता है वह उससे बहुत भिन्न होगा जो उसके लिखित अभिलेखों (Records) और प्रपत्रों (Forms) से अथवा उसकी कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के आधार पर बनाया जाये। ब्रिटिश संविधान की वास्तविक (Actual) और औपचारिक (Formal) स्थिति में विचित्र विरोध है। यदि हम उस भाषा को देखे जो ब्रिटिश संसद् के अधिनियमों में प्रयुक्त होती है तो यह अनुमान किया जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि अधिनियमों में लिखा होना है कि उनका निर्माण बादशाह ने लार्डों (सामंतों) और लोक-प्रतिनिधियों की सहमति और मंत्रणा से किया। सरकार के सब अधिकारों राजा के नाम से नियुक्त होते हैं। सेना, नौसेना, नभवल (Air Force), ढाकघर, न्यायालय और यहाँ तक कि विरोधी दल भी राजा महोदय का ही होता है। राजकीय लेख्यों की भाषा से आसानी से यह पता नहीं लगेगा कि देश में जनता की सरकार है। सिद्धान्त के अनुसार तो संसद् ही प्रमुखता है; वही मन्त्रिमंडलों को बनाती या विगाड़नी है, और सरकार की विधायिनी (Legislative) तथा वित्तीय कार्यवाहियों (Financial Activities) पर उसका पूरा नियंत्रण है; पर वास्तव में वह मंत्रिमंडल को दाम बन गई है; विधान तथा वित्त के विषय में वास्तविक अधिकार और नियंत्रण ममद के हाथ से निकलकर मंत्रिमंडल के हाथ में चला गया है। असल में यह चान्दियना

की अवहेलना ही है कि मंत्रिमंडल को केवल कार्यपालिका (Executive) कहा जाता है जबकि वह विधान-मंडल का भी कार्य करता है। इस बात का दूसरा उदाहरण यह है कि सिद्धान्त के अनुसार तो राजा ही अपने मंत्रियों को चुनता है और वे 'राजा महोदय के सेवक' कहलाते हैं, किन्तु सब जानते हैं कि वे प्रधान मंत्री की पसंद के व्यक्ति होते हैं और जनता के सेवक होते हैं।

सिद्धान्त तथा आचरण में इस अन्तर का एक कारण तो यह है कि ब्रिटिश संविधान का विकास एक विशेष प्रकार से हुआ है और दूसरा कारण लोगों की आदतें और उनका स्वभाव है। प्रेट ब्रिटेन में आरम्भ में निरंकुश राजतंत्र था। इसलिये वहाँ उसी के अनुरूप राजसी प्रथायें तथा अभिव्यक्तियाँ (Forms of expressions) प्रचलित हो गईं। निरंकुश राजा से जनता को शक्ति का हस्तांतरण एकदम क्रांति द्वारा न होकर धीरे धीरे हुआ था इस कारण शासन की रचना तथा उसके अङ्गों के अपचारिक अधिकारों को अधिकांश में न घट्ल कर केवल उनके संतुलन में परिवर्तन कर दिया गया। राजा अब भी शक्ति का प्रतीक है यद्यपि वास्तविक शक्ति उसके हाथ से विलुप्त निकल चुकी है।

ब्रिटिश लोगों ने दाईं शानादियों से कोई कानित नहीं की; अन: उन्हें अतीत को मिटाने की अरेका नहीं हुई जैसी कि महाकान्ति के पश्चात् फ्रांसीसी लोगों को हुई थी। उन्होंने तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था करके संतोष कर लिया तथा अपने साविवान को मंहिना रूप नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि संविधान में ऐसी प्राचीन वाते अब भी चल रही हैं जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है; सिद्धान्त और आचरण का अन्तर स्थायी हो गया है। अंग्रेज लोग व्यावहारिक हैं और तर्क अथवा संगति की जरा भी चिन्ता नहीं करते।

अब ब्रिटिश संविवान के एक और महत्वपूर्ण गुण की ओर ध्यान आकृष्ट करना है, वह है विधि-शासन (Rule of Law)। यह वहुन महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेज इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वहुमूल्य रक्षकबन्ध समझते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वाधीनताओं को संविधान में अधिकार-पत्र के रूप में रख दिया जाता है, जिनका उल्लंघन अथवा अवहेलना कोई सरकार नहीं कर सकती। प्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार किसी एक लेख्य या विधि में एकत्र या परिभापित नहीं हैं; उनमें से कई का तो उल्लेख किसी भी अधिनियम में नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों के अधिकार तथा स्वतंत्रताएँ अमरीकियों की अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। प्रेट ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता संसार के किसी भाग से कम सुरक्षित नहीं है। यह सुविल्प्यात् विधि-शासन का ही प्रभाव है जिससे कि वह कार्य पूरा हो जाता है। इस वहुमूल्य सिद्धान्त को भी कभी अधिनियम का रूप नहीं दिया गया; किन्तु वह वहुन से समझीय विधानों तथा

न्यायिक विनियोगों में सन्निहित है, और इसी कारण वह सामान्य विधि (Common Law) का निश्चित भाग बन गया है। डायसी (Dicey) का अनुसरण करके हम विधि-शासन को निम्नांकित तीन सिद्धान्तों में विभाजित कर सकते हैं :—

१. ‘कि जब तक सामान्य वैधानिक प्रणाली से देश के सामान्य न्यायालयों में कानून का स्पष्ट उल्लंघन सिद्ध न हो जाये, तब तक कोई व्यक्ति दंड के योग्य न होगा और उसके शरीर या संपत्ति को विधिपूर्वक ज्ञाति नहीं पहुंचाई जायेगी।’

२. ‘कि केवल यही वात नहीं है कि कोई व्यक्ति विधि से परे नहीं है, वल्कि (यह भिन्न वात है) यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है तथा साधारण न्यायालय के ज्ञेत्राधिकार (Jurisdiction) के अन्तर्गत है।’

३. ‘कि व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत अन्य देशों में संविधान होता है, किन्तु हमारे यहाँ उन अधिकारों को न्यायालयों ने परिभाषित तथा लागू किया है और संविधान उनका स्रोत न होकर परिणाम है।’^{क्ष}

पहले सिद्धान्त का अर्थ सीधा और स्पष्ट है कि सरकार किसी व्यक्ति को पकड़ नहीं सकती और उसे हवालात में नज़रबन्द नहीं कर सकती, उसकी संपत्ति का हरण या उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कम नहीं कर सकती, जब तक कि सरकार किसी ऐसे कानून का आश्रय न ले जिसको न्यायालय स्वीकार और लागू करते हों। नकारात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार, सरकार के हाथ से निरंकुश शक्ति नहीं होनी चाहिये। इससे सरकार की निरंकुश कार्यवाही से व्यक्तिगत नागरिक की रक्षा होती है। दूसरे शब्दों में इससे विधि को सर्वोच्चता की रक्षा होती है। किसी को जब तक तक कह दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि न्यायालय को सनोप न हो जाये कि उसने विधि का उल्लंघन किया है। इसका अर्थ भली भांति समझने के लिये हम उसकी भारत से तुलना कर सकते हैं जहाँ कुछ वर्ष कोई विधि-शासन (Rule of Law) नहीं था। ब्रिटिश भारतीय प्रान्त की कार्यपालिका किसी व्यक्ति को १८१८ के विनियम ३ के अधीन गिरफ्तार करके नज़रबन्द कर सकती थी, वह किसी व्यक्ति को संदेह पर ही गिरफ्तार करके अपने न्यायिक पदाधिकारिया द्वारा उस पर बंद करारे में मुकदमा चला सकती थी। भारतीय राज्यों में हालत और भोखारा थी। राज्य के अधिकारी किसी प्रजाजन को राज्य से निकाल सकते थे और उसके विरुद्ध कोई जुर्म सिद्ध किये विना उसको सम्पत्ति को जब्त कर सकते थे। इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध में जो कुछ हुआ था वह विधि-शासन के सर्वथा विरुद्ध था।

दूसरे सिद्धान्त का यह अर्थ है कि सारे नागरिक, चाहे वे साधारण हों चाहे सरकारी अफसर हों, देश की साधारण विधि के अधीन हैं और साधारण न्यायालयों के ज्ञेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति या जनवर्ग को कोई

विशेष अधिकार या स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। वहां ऐसी बात नहीं है कि साधारण नागरिकों के बीच के विवादों का निर्णय करने के लिये एक प्रकार की विधि तथा न्यायालय हों और सरकारी सेवकों के विरुद्ध उनके राजकीय कार्यों से हुई हानि या दाति के लिये नागरिकों द्वारा चलाये गये मुकदमों का केसला करने के लिये दूसरी प्रकार की विधि तथा न्यायालय हों। ऐसी व्यवस्था फ्रांस में तथा भारतीय यूरोप के अन्य देशों में है। इस पद्धति को प्रशासकीय विधि और न्यायालय (Administrative Law and Law Courts) कहते हैं और इस पर आगे चलकर विलार में विचार किया जायेगा।

तीसरा सिद्धान्त पहले दो सिद्धान्तों के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें केवल इसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि सांविधानिक विधि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रत्याभूति नहीं है, वरन् वह विधि स्वयं इस प्रकार बनी है कि न्यायालयों ने निरंकुश राजाओं के भनमाने तथा अत्याचारपूर्ण कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने का प्रयत्न किया था। इसमें भी वही बात निहित है जो पहले कही जा चुकी है कि ब्रिटिश संविधान शनै. शनै. शृङ्खलावद्ध घटनाओं का परिणाम है जिनसे ब्रिटिश राजाओं की शक्ति सारांश में छिन गई और उसके केवल बाह्य चिह्न ही शेष रह गये।

कुछ प्रसिद्ध लेखकों के विचार में इंगलिस्तान में हाल में विधि-शासन (Rule of Law) का सम्मान कम हो गया है। प्रथम और द्विनाय विश्व युद्धों में राज्य प्रतिरक्षा अधिनियम (Defence of Realm Act) जैसी विधियां पारित की गईं थीं जिनसे कार्यपालिका को शक्ति दे दी गई थी कि वह जन सुरक्षा के हित के लिये किसी व्यक्ति को बन्दी बनाने का आदेश दे सकती है। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि युद्धकाल में इंगलिस्तान ये जो उपय किये गये उनसे व्यक्तिगत स्वनन्दनों के सिद्धान्त को डटनी चाहती नहीं पहुँची जिन्होंने कि हमारे देश में फ्रांस में पहुँची थी। यह भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक विधि-शासन के अनुमार साधारण विधि और प्रशासकीय विधि (Administrative Law) में भेद नहीं किया जा सकता, वहाँ तक अब्रेज लोग विधि-शासन को सर्वोच्चता का डटना गर्व नहीं कर सकते जिनना पहले कर सकते थे। कारण यह है कि वहाँ प्रशासकीय अवश्य कार्य-पालिका विधानों का परिमाण बढ़ना ही जाता है। । किन्तु जहाँ तक नीनों सिद्धान्तों में से पहले का संघर्ष है, यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वनन्दनों का उल्लंघन ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध है तथा जब तक कि राष्ट्रीय आपात में डसकी जास्त न हो नव तक ब्रिटिश जनता उसे सहन नहीं करेगी।

*Marriot, op. cit., pp. 35-36 (मेरियट, पृष्ठ ३५-३६)

† See Marriot. op. cit., XLI—ii.

ब्रिटिश प्रणाली की कुछ और विशेषताओं पर भी ध्यान देना चाहिये। यह संघीय न हो कर एकात्मक है। वहाँ केन्द्रीय और स्थानीय अथवा प्रादेशिक सरकारों के मध्य विधिरूप में कोई वैधानिक शक्ति विभाजन नहीं है; शासन की शक्तियाँ समष्टि रूप में एक सरकार में केन्द्रित हैं और उनका प्रयोग एक केन्द्र से होना है। हाँ, वहाँ काउन्टी, बोरो और अन्य स्थानीय क्षेत्र हैं, जिन्हें स्थानीय भागों के प्रबन्ध के विषय में बहुत सी शक्ति और प्राधिकार प्राप्त हैं, किन्तु वे सब शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की हुई हैं और देने वाली सत्ता अपनी इच्छानुसार उन्हें कम कर सकती है या वापस ले सकती है। स्थानीय निकाय (Local bodies) तो केन्द्र के अधीन होते ही हैं और केवल प्रदत्त (delegated) शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पद्धति में शक्तियों का पार्थक्य (Separation of Powers) और उत्तरदायित्व का सकेन्द्रण (Centralisation of responsibilities) ये दोनों सिद्धान्त समाविष्ट हैं यद्यपि दोनों परस्पर असंगत से हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार उसमें तीन विभिन्न अङ्ग हैं— कार्यपालिका (Executive), विधान-मंडल (Legislature) तथा न्यायपालिका (Judiciary)— और उनके क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। कार्यपालिका तथा प्रशासन पर विधान-मंडल (Legislature) का नियन्त्रण इनना नहीं है जितना फ्रांस और संयुक्त-राज्य अमरीका में है, न्यायपालिका (Judiciary) विधान-मंडल (Legislature) तथा कार्यपालिका (Executive) पर अपनी न्याय-समीक्षा (Judicial review) द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकती। किन्तु शक्तियों का यह पार्थक्य दिखावटी है तथा संविधान का सिद्धान्त चाहे कुछ भी हो, पर समस्त शक्ति तथा सत्ता का सकेन्द्रण वहाँ मन्त्रि-मण्डल में है जैसा किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता। शासन में मन्त्रि-मण्डल का नेतृत्व तथा आधिपत्य, जो कई आलोचकों की दृष्टि में डिक्टेटरशाही ही है, ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। अन्ततः यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह एक मिश्रित संविधान है, उसमें राजतंत्रीय (monarchic), कुलीनतंत्रीय (aristocratic) अथवा आभिजात-तंत्रीय (oligarchic) और लोकतंत्रीय (democratic) सब प्रकार के सिद्धान्त समाविष्ट हैं। राजा, जिसे अंग्रेज़ प्रायः 'हमारा सर्वोच्च प्रभु, राजा' कहते हैं, वही इस संविधेन का राजतंत्रीय अङ्ग है, हाउस आफ लार्ड्स उसका कुलीनतंत्रीय अङ्ग है और हाउस आफ कामन्स (लोकसभा) उसका लोकतंत्रीय अङ्ग है। इन तीनों में लोकतंत्रीय अङ्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, और लोकसभा की केन्द्रीय स्थिति होने के कारण ब्रिटिश व्यवस्था को लोकतंत्रीय कहा जा सकता है। हम उसे लोकतंत्रीय इसलिये कह सकते हैं कि वहाँ शासन जनता के नाम से चलता है और साधारण निर्वाचन में जनता स्वतंत्रता से जो भत्त प्रकट करती है उन्हीं के अनुसार चलना है। निर्वाचन स्वतन्त्र होते हैं और विरोधी दल को कुचलने या दबाने

का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। वहां वाक्-स्वातन्त्र्य है और सभा संस्था बनाने की पूरी स्वतंत्रता है जो लोकतन्त्र में आवश्यक है। वहाँ पूँजीवाद और साम्राज्यवाद होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक अङ्गरेज लोगों का सम्बन्ध है, उनकी प्रणाली लोकतन्त्रीय है। निर्वाचनों में विजय पाकर श्रमदल की सरकार बन जाना इस बात को सिद्ध करता है।

ब्रिटिश संविधान के अङ्ग— ऊपर बनाया जा चुका है कि ब्रिटिश संविधान एक लेख्य में सन्निहित नहीं है, यह विभिन्न तत्त्वों के मेल से बना है। ये तत्त्व दो मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, (१) संविधान की विधियां, और (२) उसकी परिपाटियां (Customs) या अभिसमय (Conventions)। यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों भागों में यही अन्तर है कि एक लिखित है तो दूसरा अलिखित है, क्योंकि सांविधानिक विधि का भी बहुत सा भाग अभी तक लिखित रूप में नहीं आया है। उनमें अन्तर यह है कि न्यायालय केवल सांविधानिक विधि को मान्यता देंगे तथा लागू करेंगे, वे सांविधानिक अभिसमयों (Conventions) को नहीं मानेंगे तथा लागू नहीं करेंगे, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो और कितने ही समय से क्यों न चले आ रहे हों।^१ जब किसी सांविधानिक परिपाठी को न्यायालय स्वीकार कर लेते हैं तब वह सांविधानिक विधि का अङ्ग बन जाती है।

संविधान की विधि में भी चार विभिन्न वर्ग हैं। पहले वर्ग में मेगना कार्टा तथा अधिकार-पत्र (Bill of Rights)† आदि ऐतिहासिक लेख्य हैं, जिनमें वे समझौते हैं जो सङ्कट काल में राजा तथा उसकी प्रजा में हुए थे। दूसरे वर्ग में संसदीय विधियां हैं जैसे १६७९ का बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (Habeas Corpus Act of 1679), १७०१ का समझौता अधिनियम (Act of Settlement), १८३२, १८६७, और १८८४ के सुधार अधिनियम (Reforms Acts), १८१८ का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (People's Representation Act), वे विविध अधिनियम जिन से स्थानीय स्वशासन का सुधार किया गया है, तथा १८११ का संसद अधिनियम (Parliament Act) हैं। उनमें से कुछ में राजा की शक्तियां परिभाप्ति हैं, और कुछ में भताधिकार का विनियमन है, और शंप में जनता के नागरिक अधिकार प्रत्याभूत हैं। सांविधानिक विधि का उत्तीर्ण महत्वपूर्ण तत्त्व वे न्यायिक विनिश्चय हैं जिन से चार्टरों और संसदीय विधियों के अर्थ निश्चित किये गये हैं तथा उनकी सीमाओं को परिभाप्ति किया है। ये तीनों वर्ग लिखित रूप में हैं। चतुर्थ वर्ग में कॉमन लॉ (Common Law) के सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार सरकार के कृत्यों, शक्तियों, तरीकों और सम्बन्धों का विनियम होता है।

* इस अन्तर का सविस्तार वर्णन अगले पृष्ठों पर देखिये।

† मेगना कार्टा तथा अधिकार-पत्र के जिन शरणों आगाम नेशनों

जैसे वाक्-स्वातन्त्र्य तथा सभा संसद्या बनाने के अधिकार, राजा के परमाधिकार (Prerogatives), जूरी द्वारा सुकर्दमे का अधिकार आदि हैं। इन सिद्धान्तों को संसद् ने कभी नहीं बनाया, बरन् ये परिपाठी तथा परम्परा के आधार पर बने हैं। किन्तु विधि-न्यायालय उन्हे मान्यता देते हैं। वे सिद्धान्त तथा संविधान की परिपाठियां अथवा अभिसमय ब्रिटिश संविधान के लिखित भाग में आते हैं जिनका नीचे वर्णन करना है, किन्तु संविधान की विधि के प्रथम तीन तत्त्व उसके लिखित भाग में शामिल हैं। ज्यों ज्यों भमय बीतता जाता है, लिखित भाग बढ़ता जाता है।

Conventions

सांविधानिक अभिसमय— चार्टर, विधियां, न्यायिक विनिश्चय और कॉमन लॉ के सिद्धान्त, जिनका ऊपर निर्देश किया गया है, ब्रिटिश संविधान के एक भाग में ही समाविष्ट हैं। दूसरे भाग के अन्तर्गत, जो अब अधिक बड़ा है, सांविधानिक अभिसमय आते हैं। सांविधानिक अभिसमयों में वे सब समझौते, रीतियां तथा आचरण शामिल हैं, जो लिखित विधि-मे बाहर हैं तथा उसके द्वारा मान्य भी नहीं हैं, तो भी उनका प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक अधिकारियों की कार्यवाहियों तथा संवन्धों का भी निर्धारण उनके द्वारा होता है। उनसे ही यह निश्चय होता है कि संविधान का कानूनी ढांचा कैसे चलेगा; उन्हीं के कारण वह ढांचा जनता की परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप चलता है। यह कहा जा सकता है कि अभिसमयों से संविधान के अस्थिरियों मे रक्तमांस का आवश्यण चढ़ता है, अथवा वे संविधान-यत्र के लिये तेल के समान होते हैं। उन्हीं के कारण ब्रिटिश संविधान का विकास हो सका है और वह समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनता चला गया है। ब्रिटिश संविधान के सारे अभिसमयों की सूची बनाना असम्भव है, किन्तु उनके उदाहरण स्वरूप कुछ सिद्धान्तों का उद्धरण दिया जा सकता है, जिन्हे राजनीतिज्ञों ने मान्यता दी है तथा उन पर आचरण किया है। उनमे से मुख्य निम्नलिखित हैं :

१. संसद् प्रतिवर्ष एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिये।
२. जो मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वासपत्र न रहे उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये, जब तक कि वह उस सभा का विघटन (Dissolution) न करवा सके।
३. राजा प्रायः मन्त्रिमंडल की मन्त्रणा पर सभा का विघटन कर देता है, यदि हाल ही में उसका विघटन न हुआ हो।
४. यदि मतदाताओं का निर्णय मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो तो उसे पदत्याग करके उस दल के लिये स्थान छोड़ देना चाहिये जिसे बहुमत प्राप्त हो गया हो।
५. राजा सरकार का निर्माण करने के लिये बहुसंख्यक दल के नेता को ही बुलाये।
६. मन्त्रिमण्डल राजा को जो भी मन्त्रणा दे उसके विपय मे वह सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी है।
७. जब तक संसद् के प्रति उत्तरदायी मन्त्री राजा को कोई मन्त्रणा न दे तब तक राजा कुछ नहीं कर सकता।
८. जब तक राजा सिफारिश

न करे तब तक धन-व्यय सम्बन्धी या कोई करारोपण सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर लोकसभा विचार नहीं कर सकती। ८०. संसद द्वारा पारित विधेयक पर राजा को अपनी अनुमति देनी होती है। १०. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) को दलवन्दी से दूर रहना चाहिये। ११. मिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, जब तक वह चाहे, उसके निर्वाचन-क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर अध्यक्ष बना दिया जाता है। १२. लॉलार्डों के अतिरिक्त अन्य पीयर (Peer) लार्डसभा के न्यायिक (Judicial) कार्य में भाग नहीं लेते।

उपर्युक्त सूची से पता लगेगा कि ब्रिटेन की सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल-प्रणाली सांविधानिक अभिसमयों पर ही निर्भर है। इस संबन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि मंत्रिमण्डल-प्रणाली ब्रिटिश संविधान-यंत्र का मूलभूत आधार है जिसके बिना उसका विद्यमान रूप बना नहीं रह सकता। अतएव चाहे वे अभिसमय किसी विधि-प्रन्थ में नहीं हैं और देश की विधि के अन्तर्गत नहीं हैं, फिर भी वे क्रान्तीनों के समान ही ब्रिटिश संविधान के आवश्यक अङ्ग हैं। कोई भी विद्यार्थी उनकी अवहेलना करके ब्रिटिश संविधान को समझने की सम्भवतया आशा नहीं कर सकता।

इंगलिस्तान तो अभिसमयों का प्रमुख स्थान है ही, किन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि वे केवल ब्रिटिश संविधान में ही पाए जाते हैं। संसार में ऐसा कोई संविधान नहीं हो सकता जिसमें कालक्रम से अभिसमय न बन जाते हों। वे तो मन राजनैतिक व्यवस्थाओं में पाये जाते हैं। किन्तु ब्रिटेन के संविधान-यंत्र में प्रथाओं और अभिसमयों का महत्व जितना है उतना अन्यत्र नहीं। जिन मामलों के लिये अन्य देशों के संविधानों में लिखित विधियां बन गई हैं, उनका भी विनियमन अभी तक प्रेट ब्रिटेन में अभिसमयों तथा रीतिरिवाजों द्वारा होता है। इसका कारण एक तो यह है कि ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति का विकास एक विशेष प्रकार से हुआ है तथा दूसरा कारण अंग्रेजों का राष्ट्रीय स्वभाव है। अधिकांश अभिसमय राजा तथा जनता के लम्बे संघर्ष में बने थे; राजा से लोकसभा को शांतिपूर्वक तथा शनैः शनैः शक्ति हस्तांतरण में उनसे सहायता मिली थी।

सांविधानिक अभिसमयों के विषय में कई प्रश्न उठते हैं। निम्नलिखित दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं; सांविधानिक विधियों और उनमें क्या अन्तर है? उनका पालन क्यों किया जाता है? आगे आने वाले पैराग्राफों में इनका उत्तर देने का प्रयत्न किया जायेगा।

प्रथम प्रश्न के विषय में हम कह सकते हैं कि सांविधानिक विधियों और सांविधानिक अभिसमयों का अन्तर बाल्क भी मूलभूत नहीं है; शास्त्रियों के लिये भले ही उनमें अन्तर हो, किन्तु जनसाधारण के लिये तो कोई अन्तर नहीं है चाहे किसी

क्षे यह लोकसभा का स्थायी आदेश सं० ६६ है। यहाँ राजा का अर्थ केबिनेट है।

विद्वान लोग उनमें तीन प्रकार का भेद कर सकते हैं। सर्वप्रथम वे कह सकते हैं कि विधियों अधिक पवित्र हैं; उनका उल्लंघन करने की समावना कम होती है। सविधान की विधि का पालन एक मुख्य कर्तव्य होता है, अभिसमय का पालन उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। निस्संदेह यह सत्य है किन्तु यह मामला अधिकांश में मनोवैज्ञानिक है। विधि के नियम का पालन उसके रूप के कारण नहीं, उसके आशय के कारण होता है। कोई अभिसमय विधि के समान ही महत्वपूर्ण तथा आधारभूत हो सकता है, और उस अवस्था में उसका उल्लंघन करना इतना ही कठिन होगा जितना कि किसी विधि को तोड़ना। कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई मंत्रिमंडल लोकसभा में पराजित होने के पश्चात् त्यागपत्र भी न दे तथा देश से अपील भी न करे, यह भी कल्पना करना उतना ही कठिन है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राजा अनुमति देने से इनकार करदे। कम महत्वपूर्ण अभिसमयों का अतिक्रमण कुछ न कुछ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी अभिसमय के उल्लंघन का निर्णय करने का कोई औपचारिक तरीका नहीं है। विधि न्यायालय विधियों के उल्लंघन पर ध्यान देते हैं, अभिसमयों के अतिक्रमण पर नहीं। दूसरे शब्दों में सविधान की विधि को न्यायालय लागू करेंगे, परन्तु अभिसमय को नहीं।

यह तो सत्य है ही पर इसका कारण यह है कि अधिकांश मामलों में अभिसमयों का उल्लंघन इतना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता जितना स्पष्ट विधि का उल्लंघन हो जाता है, और वह 'गलतफहमी की धून्य में भी आसानी से छुप सकना है'।^{१६} अन्ततः विधियों की भाषा ठीक ठीक होती है, अभिसमयों की नहीं। वे व्यवहार से उत्पन्न होते हैं और उनका उचित रूप या भाषा कोई निश्चित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिये, व्यवहार में यह नियम है कि किसी पीयर (Peer) को प्रधान मंत्री नहीं बनाया जायेगा किन्तु यह इतना स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में नहीं है जितना कि यह अभिसमय है कि राजा किसी उत्तरदायी मंत्री की मंत्रणा के बिना कोई सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकता। किन्तु कुछ अभिसमय वहन सुनिश्चित और ठीक हैं।

जब यह प्रश्न उठता है कि अभिसमयों पर इतनी ढटता से आचरण क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पूर्णतः सतोपजनक उत्तर नहीं हो सकता। युद्ध समय तक लागू रहने के पश्चात् किसी सविधान में लो परिपाटियाँ तथा प्रथाएँ आजाती हैं उन्हें 'अभिसमय' नाम देने वाले प्रथम लेखक, प्रोफेसर डायसी. ने यह है कि महत्वपूर्ण अभिसमयों का पालन इस कारण होता है कि सांविधानिक विधियों के साथ उनका इतना गहन सम्बन्ध होता है कि उनका उल्लंघन विधियों का नी उल्लंघन होगा। उन्होंने इसका यह उदाहरण दिया है यदि संसद को उचित समय

पर आहूत न किया जावे और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वार्षिक सेना अधिनियम (Army Act) तथा वार्षिक विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) पारित न किये जायें, तो सेना पर भरकार का आनुशासनिक प्राधिकार समाप्त हो जायेगा और समूचा शासन-न्यंत्र विगड़ जायेगा। इस प्रकार इस अभिसमय के पालन न करने का अर्थ स्वयं संविधान का उल्लंघन ही हो जायेगा। इस युक्ति में बल है; सांविधानिक अभिसमयों का पालन न करने से जो बुपरिणाम होंगे उनके कारण हम उनका उल्लंघन नहीं करते। किन्तु यह पूर्ण उत्तर नहीं है। सारे अभिसमयों का इस प्रकार विधियों के पालन से सम्बन्ध नहीं होता; बुछ अभिसमय कम महत्त्वपूर्ण हैं और इस प्रकार कि उनकी अवहेलना करने से सांविधानिक विधि का कोई अतिक्रमण नहीं होता। दूसरी बात यह है कि संसद् चाहे तो संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है कि वार्षिक विनियोग और वार्षिक सेना अधिनियम ही की अपेक्षा न रहे। आयव्ययक (बजट) को द्विवार्षिक वा त्रिवार्षिक बनाया जा सकता है, जिससे कि प्रति वर्ष संसद् का सत्र या सेशन बुलाना संविधान के अनुसार आवश्यक न रहे। इस कलिप्त बात से ही सिद्ध हो जाता है कि दायसी का उत्तर असंतोषजनक है। लॉवेल (Lowell) ने इस प्रश्न का अधिक संतोषजनक उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि अभिसमयों पर आचरण इसलिये होता है कि वे हमारे लिये मान-मर्यादा बन गये हैं। “वे हमारे नियम हैं और जिस वर्ग के हाथ में अंग्रेजी सार्वजनिक लीबन की बागदोर रही है वह वर्ग इस प्रकार के दायित्वों पर विशेषतः ढढ़ है। इसके अतिरिक्त, वह एक वर्ग समस्त राष्ट्र की इच्छा से उसके विश्वासपात्र के रूप में शासन करता है, अतः वह वर्ग बहुत ध्यान रखता है कि वे समझौते भंग न हो जिन पर उसका विश्वास निर्भर है!”^{३४} संक्षेप में, लॉवेल का मत है कि जनमत ही ऐसा बल है जिसके आधार पर संविधान के अभिसमय निर्भर हैं। जनता यह आशा करती है कि संसद् को प्रति वर्ष बुलाया जायेगा और जो रारकार किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर लोकसभा में पराजित हो जाये उसे पद्धत्याग करना होगा। यदि ऐसी बातें नहीं होंगी तो निश्चय ही जनता में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न हो जायेगा, और जनता की अप्रसन्नता नथा क्षोभ के ही भय से विभिन्न दल इन अभिसमयों का पालन करते हैं।

संविधान की विधियों के समान वे भी जनता की स्वीकृति पर निर्भर हैं। जब तक प्रचलित विचारों तथा सिद्धान्त के अनुसार किसी विधि की या अभिसमय की आवश्यकता होगी तब तक उसका पालन होगा; जब वह समाज की आवश्यकताओं से असंगत होकर समाज में विरोध का कारण बनेगा तब उसे हटा दिया जायेगा। इससे भी यही सिद्ध होता है कि संविधान की विधियों और अभिसमयों में कोई आवारमूत अन्तर नहीं है।

³⁴ Lowell : ‘The Government of England’. Vol. 1, pages 12-13.

त्रिटिश संविधान का विकास

विषय प्रवेश— आज त्रिटेन की वहुत सी राजनैतिक संस्थाएँ अनीन मे इतनी सम्बद्ध हैं कि जब तक हम उनके इतिहास को न जाने तब तक हम उनके रूप को और उनके कार्यों को भी नहीं समझ सकते। अतः इसके अध्ययन के लिये त्रिटिश इतिहास की एक भाँकी अत्यावश्यक है।

आंग्ल-सेक्सन काल— सेक्सन आक्रमण के पूर्व इंगलिस्तान मे सेलटिक आदिमजातियाँ निवास करती थीं और वह रोमन साम्राज्य का अंग था। रोमन लोगों के चले जाने पर वहाँ की जनता के पास रक्षा का कोई साधन न रहा तथा डेन लोग, ऐंग्ल लोग और सेक्सन लोग वहुत संख्या में इंगलिस्तान पर चढ़ आये तथा सेल्ट लोगों को पश्चिम की ओर धकेल कर वहाँ सात छोटे छोटे राजतन्त्र (Kingdoms) स्थापित किये जिनमे से प्रत्येक का एक मुखिया होना था। समय धीरे से वीतते सातों मे से एक मुखिया ने अन्य सबको पराजित कर दिया तथा वह इंगलिस्तान का राजा बन गया। इस प्रकार आंग्ल-सेक्सनों के समय मे ही 'राजा' अथवा 'वादशाह' का पद स्थापित हुआ। किन्तु सेक्सनों के समय मे राजाशाही कभी शक्ति-शाली नहीं बन सकी और इंगलिस्तान कबीले (Tribal) राज्यों का एक ढीला संगठन मात्र ही रहा। विजेता विलियम के समय मे जाकर देश मे हड़ केन्द्रीय शासन स्थापित हुआ। विलियम ने वहुत चतुरता, बुद्धिमानी तथा दूरदर्शिता से समस्त देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया जैसा कि कोई पूर्ववर्ती सेक्सन राजा न कर सका था। ऐंग्ल-सेक्सनों ने इंगलिस्तान मे एक और पद्धति स्थापित की। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चालू की जिसने समस्त राज्य मे काफी एकरूपता ग्रहण करली थी और जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म दिया। प्रत्येक ग्राम मे अपना स्थानीय स्वशासन था। वहुत से गांवों को मिला कर जिले या 'हण्डेह्स' (Hundreds) बना दिये गये जिनमे स्थानीय सभा (Assembly) होती थी। 'हण्डेह्स' को मिला कर 'शायर' (Shires) बना दिये गये—जिनसे आजकल की 'कार्डियाँ' बनी हैं। अपने गांवों, हण्डेह्स' तथा 'शायर्स' मे अंग्रेजों ने स्वशासन का पहला सबक सीखा और प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली का विकास किया। सेक्सनों द्वारा स्थापित स्थानीय संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित राजाशाही से अधिक हड़ थीं।

नॉरमन काल— १०६६ मे जब इंगलिस्तान पर नारमंटी के विलियम (William of Normandy) ने अधिकार कर लिया तब वहाँ नॉरमन काल आरंभ हुआ जो त्रिटिश राजनैतिक संस्थाओं के विकास के लिये वहुत महत्वपूर्ण था। जैसा

उपर कहा जा चुका है विजेता विलियम ने वहां शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित कर दिया था। किन्तु वह भी जनता की सद्भावना प्राप्त करना चाहता था। अतः उसने उनकी प्राचीन प्रथाओं, संस्थाओं और विधियों को अछूता ही रहने दिया, केवल ऐसी सीमा तक ही उनमें परिवर्तन किया जहां तक कि ऐसा करना उसकी राजकीय शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक था। इस प्रकार सेक्सन और नॉरमन राजनैतिक आदर्शों का सम्मिश्रण हो गया जो इंगलिस्तान के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ। देश में एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन बन गया और शक्तिशाली स्थानीय संस्थाओं का लाभ भी उसे मिला, यद्यपि विलियम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने कई उपायों से उन्हें अपने अधीन बना लिया।

नॉरमन राजाओं ने दो नई संस्थाओं का विकास भी किया। उनमें से ही कालान्तर में ब्रिटिश संसद, प्रिवी परिपद (Privy Council), एक्सचेकर तथा विधि-न्यायालय आदि विकसित हुए। वे संस्थाये थीं 'मेगनम कॉन्सीलियम' अर्थात् महा परिषद् और 'क्यूरिया रेजिस' अर्थात् लघु परिपद। मेगनम कॉन्सीलियम नो सेक्सन राजाओं की पुरानी 'विटन' (Witan) का ही नया नाम था। उसमें विशप, राजपरिवार के पदाधिकारी, मुख्य जर्मींदार, और ऐसे अन्य उच्च अधिकारी होते थे जिन्हें राजा प्रशासन के कार्य की देखभाल में, राज्य की नीतियों के विनिश्चय में विधियों के निर्माण में तथा न्याय के प्रशासन में मंत्रणा के लिये बुलाता था। उसमें कोई निर्वाचित व्यक्ति नहीं होते थे और उसकी वैठक राजा के बुलाने पर वर्प में तीन चार बार होती थी। चाहे इसका काम विटन के समान ही था, किन्तु यह उससे निश्चय ही कम शक्तिशाली तथा प्रभावशाली थी, क्योंकि एक बात तो यह है कि राजा की शक्ति बड़ गई थी और दूसरी बात, उसके सदस्य भी राजा के हाथ की कठपुतलियां थे। फिर भी वह एक परामर्श देने वाली संस्था थी और राजा विधि-निर्माण तथा राज्य-कर के लागू करने में उसकी मंत्रणा लेता था। वही उसका विधि-न्यायालय था। किन्तु राजा उसकी मंत्रणा को मानने के लिये वाध्य नहीं था।

महा परिपद बहुत अधिक समवेत नहीं होती थी; और जब बुलाई जाती थी तो एक बार में कुछ दिनों तक ही उसका सत्र (Session) रहता था किन्तु सदा कुछ न कुछ काम तो रहता ही था। अतः 'क्यूरिया रेजिस' अर्थात् लघु परिपद की स्थापना हुई। उसमें राजा के थोड़े से अधिकारी—उसका चेम्बरलेन, चान्सलर, स्टयूर्ड आदि—होते थे। वे सदा उसके साथ ही रहा रहते थे। अतएव आवश्यकना पड़ने पर वह उनसे परामर्श लेना था। इन दोनों निकायों (Bodies) के चेत्राधिकार भी भिन्न भिन्न नहीं थे। राजा चाहता तो महा परिपद की वैठक बुला लेता था अन्यथा अपनी सुविधा या इच्छामुसार लघु परिपद से ही परामर्श कर लेता था। यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों

परिपदों की सलाह मानना राजा के लिए कहर्ता तक ज़रूरी था। किन्तु यही बान महत्वपूर्ण है कि नारमन राजा राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाकर राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर उनकी मंत्रणा अवश्य लेते थे। यही बात रुढ़ि बन गई और बाद में उसने एक सांविधानिक सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। 'महा परिपद' के अधिवेशनों से ही ब्रिटिश संसद का विकास हो गया, क्यूरिया में से प्रिवी परिपद, एक्सचेकर, तथा उच्च न्यायालयों का जन्म हो गया। अतएव इंग्लिस्लान में बीमर्डी शताब्दी में शासन का जो ढाँचा है वह इस प्राचीन परिपद से ही बना है जिसके बड़े और छोटे सब्र होते थे।^{५७}

प्रिवी परिपद आदि का विकास— क्यूरिया से प्रिवी परिपद, एक्सचेकर तथा न्यायालयों का विकास किस प्रकार हुआ, इस विषय पर अधिक लिखने की अवश्यकता नहीं है। इतना ही स्मरण रखना चाहिये कि विजेता विलियम के समय में क्यूरिया भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती थी। वह प्रशासनीय मामलों को भी देखती थी और न्यायिक मामलों को भी देखती थी। जब उसका कार्य बढ़ने लगा तो उसकी दो शाखायें बन गईं। एक शाखा जो प्रशासनीय मामलों को संभालनी थी उसका नाम प्रिवी परिपद पड़ गया। दूसरी शाखा से आगे चलकर एक्सचेकर तथा न्यायालयों का विकास हुआ। ध्यान रहे यह विभाजन अथवा पृथक्करण शनैः शनैः हुआ और इसके लिये जान-बूझ कर न कोई कार्यवाही ही की गई और न कोई योजना ही बनाई गई।

संसद का विकास— महा परिपद (Great Council) से ब्रिटिश मंसद के विकास का इतिहास अधिक सचिकर है और उसका ज्यादा विस्तृन वर्णन किया जायेगा। पहले राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को, अर्थात् बड़े जमीदारों को ही महा परिपद में बुलाया जाता था। किन्तु राजा जोन को धन की आवश्यकता थी और वह छोटी बड़ी सब जमीन जागीरों पर कर लगाना चाहता था। वह चाहता था नये करों को एक बड़ी और अधिक प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकार कराया जाये, इसलिये उसने शेरिफों को निर्देश दिया कि वे आक्सफोर्ड में होने वाले महा परिपद के सब्र में प्रत्येक काउन्टी से चार नाइट्स (Knights) अर्थात् उपाधि-प्राप्त व्यक्तियों वो भेजें। इस प्रकार महा परिपद में सदस्य बढ़ने आरम्भ हुए। इससे एक सुविस्त्रात मिद्दान की भी नींव जम गई कि 'प्रतिनिधित्व के विना कारारोपण नहीं होना चाहिये।' राजा का उद्देश्य तो केवल यही था कि छोटे व्यक्तियों की सदायता से सुगमनापूर्वक धन उगाहा जाये और उसे सिद्धान्त से कोई भलतव नहीं था। किन्तु उसके इन दार्य के फलस्वरूप ही बाद में चलकर उस सुविस्त्रात सिद्धान्त का विकास हो गया।

इसके बाद बड़ा कार्य यह हुआ कि राजा ने मेगना कार्टा अर्थात् महान् चार्टर पर हस्ताक्षर करके महा परिपद् को अधिक अधिकार दे दिये। इससे महा परिपद् का संगठन अधिक सुनिश्चित हो गया तथा उसकी शक्तियां बढ़ गईं। जब राजा जोन ने मूर्खताएं तथा अत्याचार करने आरम्भ किये तब उसके देरन (सामंत) लोग तथा क्लर्जी (पंडे) लोग विप्लव की धमकियां ढेरे लगे, जिनके फलस्वरूप उसे १५ जून १२१५ को मेगना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पड़े। उसमें मुख्य शर्त यह थी कि राजा परिपद् की स्वीकृति के बिना कुछ विशेष प्रकार के कर नहीं लगा सकेगा और उसकी बैठकों में वह सब बड़े देरन लोगों को तथा शायरों के नाइटों (जपाधि-प्राप्त लोगों) को शेरिफों के द्वारा बुलायेगा। यथापि महान् चार्टर में जनसाधारण को कोई अधिकार नहीं मिले थे और कोई प्रतिनिधि सरकार बनाने का उपयन्ध नहीं था तथा बैरल वैरनों को ही कुछ अधिकार मिले थे, किन्तु फिर भी इस चार्टर का विद्यश सांविधानिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उससे राजा के लिये यह क्रान्तीनी कर्तव्य बन गया कि उसे कुछ मामलों में परिपद् की राय लेनी ही होगी। इससे पहले यह उसकी इच्छा पर ही निर्भर था कि वह परिपद् से सलाह करता या न करता। अब वैरन लोग यह ध्यान भी रखने लगे कि राजा अपने समझौते को पूरा करता है या नहीं। अब यह बात निश्चित हो गई कि राजा सुनिश्चित सिद्धान्तों के अनुसार देश पर शासन करेगा तथा मनमानी नहीं करेगा; इस प्रकार सांविधानिक शासन की नींव ढाल दी गई। यह बहुत बड़ी बात थी और बाद में जाकर वे ही अधिकार, जो इस चार्टर में बैरन और क्लर्जी लोगों को दिये गये थे, अन्य लोगों को भी प्राप्त हो गये। यही कारण है कि अड्डरेज इस चार्टर को अपनी स्वतंत्रता का घोपणा-पत्र समझते हैं। बाद के राजाओं तथा संसदों ने इस चार्टर का बार बार समर्थन किया है।

संसद् के विकास क्रम में अगला कदम यह था कि महा परिपद् में नगरों तथा वॉरोज (Boroughs) के प्रतिनिधियों को भी ले लिया गया, जिससे कि वह प्रतिनिधि संस्था बन गई। यह बात ऐसे हुई कि एक दूसरे राजा हेनरी लृतीय को धन की आवश्यकता पड़ी। राजा जोन के समान उसने भी परिपद् की बैठक बुलाई किन्तु उसमें वैरन लोगों ने प्रत्यावित करों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जिसके फलस्वरूप सशस्त्र युद्ध हुआ। उसमें राजा पराल हो गया तथा वैरनों के नेता सायमन डी मांटफोर्ड (Simon De Montford) राज्य का वास्तविक नानाशाह जैसा बन गया। उसे भी धन की आवश्यकता पड़ी तब उसने परिपद् की बैठक बुलाई जिसमें विशेषों (पाइरिस्यो), वैरनों तथा शायरों के नाइटों (Knights of the Shires) के अतिरिक्त उन २१ नगरों के, जो उसके पक्ष में थे, दो दो प्रनिनिधि भी बुलाये गये। इस बार भी परिपद् के बुलाये जाने के पीछे लोक-

प्रतिनिधित्व के जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के प्रति भक्ति की भावना न थी, वरन् यही उद्देश्य था कि अपने पक्ष वाले लोगों का समर्थन प्राप्त करके काम निकाल लिया जावे। मांटफोर्ड की मृत्यु के पश्चात् नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाने की प्रथा समाप्त होगई किन्तु १८६५ में उसका फिर से आरम्भ हुआ। एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिये धन की आवश्यकता हुई तो उसने भी १८६५ में वेरनो, क्लर्जी लोगों, नाइटों तथा नगरों के प्रतिनिधियों की एक वैठक बुलाई जिसमें ४०० व्यक्तियों से अधिक थे। इनमें शहरों तथा 'वॉरोज़' के १७२ प्रतिनिधि थे, अतः वह सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि संसद् थी और उसे 'वास्तविक संसद्' कह सकते हैं। वेरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्र होकर सुना किन्तु वाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिये अलग चला गया तथा सभी वर्गों ने अलग अलग राजा के पास वापस आकर धन की मांग पर अपने अपने मन दिये। यदि यही व्यवस्था स्थायी हो जाती तो आज ब्रेट ब्रिटेन में तीन सदनों का विधान-मंडल होता। किन्तु वेरन और क्लर्जी लोगों के हित सामान्य थे अतः उनका एक संगठन बन गया जिससे वाद में हाउस आफ लार्ड्स बना; इसी प्रकार शायर के नाइटों तथा नगर जनों ने एक दूसरी सभा में संगठित होकर लोकसभा (House of Commons) के लिये आधार स्थापित कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश संसद् (Parliament) में जो दो सभाएं हैं वे घटनावश ही बन गईं; उनकी योजना जान वूम् कर नहीं बनाई गई। दो सभा प्रणाली अगले सौ वर्षों में स्थायी हो गई तथा इंगलिस्तान से संसार के दूर दूर के देशों में फैल गई, जिसमें हमारा देश भी शामिल है।

नारमन राजाओं के समय में जो मेगनम कॉन्सीलियम थी उसने कहीं नीन भी वर्षों से भी अधिक समय में दो सभा वाली ब्रिटिश संसद् का रूप धारण किया। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चौदहवीं शताब्दी की संसद् आज की संसद् से विलुप्त भिन्न प्रकार की थी। उस समय वह कानून नहीं बनाती थी। कानून तो राजा अपने परामर्शदाताओं (Councillors) की स्वीकृति से बनाता था। लोकसभा के सदस्य (Commoners) तो राजा को केवल प्रार्थनायत्र (Petitions) ही पेश कर सकते थे। वित्तीय मामलों (Financial matters) में लोकसभा से सदस्यों को बोर्ड सत्रा प्राप्त नहीं थी और उनकी वात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता था: उनका काम नो केवल यही था कि राजा जिन करों का प्रस्ताव रखें वह उन पर अपनी सहमति प्रस्त कर दें। किसी को संसद् में बुलाया जाता तो वह उसे भार समझना और टालने का प्रयत्न करता था, और कोई उसमें सम्मान समझ कर यह प्रयत्न नहीं करता था कि उसे भी बुलाया जाये, नगर जनों के विषय में विशेषतः यही स्थिति थी। उस समय इंगलिस्तान से लोक सभा का सदस्य बनने से न कोई लाभ होना था और न बोर्ड सत्रा (Authority) प्राप्त होती थी।

किन्तु शनैः शनैः लोकसभा के सदस्य अपना महत्व समझने लगे। उन्होंने देख लिया कि उनकी सहायता और स्वीकृति के बिना राजा नये कर नहीं लगा सकता था; उसे संसदीय अनुदानों (Parliamentary grants) की आवश्यकता थी। इसी बात को लेकर उन्होंने धन संबन्धी मामलों में सत्ता प्राप्त कर ली। १८०७ में हेनरी चतुर्थ ने लोकसभा को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में सब धन-अनुदानों पर पहले लोकसभा विचार करके स्वीकृति देगी, तब वह लार्ड सभा में जायेगे। इस प्रकार लोकसभा को धन संबन्धी सत्ता प्राप्त हो गई। प्रार्थना-पत्र पेश करने के अधिकार को आधार बना कर विधि-निर्माण के कार्य में लोकसभा का अधिकार प्राप्त किया गया। सर्वप्रथम छोटी छोटी प्रार्थनाओं को मिलाकर एक बड़ा प्रार्थना-पत्र तैयार किया जाता था जो समूचे सदन की ओर से राजा को पेश किया जाता था। उस प्रार्थनापत्र का नाम 'राजा के प्रति सम्बोधन' पड़ गया। बाद में इसी सम्बोधन को कानून का रूप दिया जाने लगा और इस प्रकार लोकसभा को विधि-निर्माण में भाग लेने का अधिकार मिल गया। चौदहवीं शताब्दी के कानूनों में लिखा होता था 'राजा ने लोकसभा की प्रार्थना पर (तथा लाडों की अनुमति से) यह विधि बनाई है', परन्तु हव्वीं शताब्दी के कानूनों की भाषा यह वन गई 'राजा ने लोकसभा और लाडों की मंत्रणा पर यह विधि बनाई'। लोकसभा को यह शक्ति इस कारण प्राप्त हो गई कि वह राजा को धन संबन्धी स्वीकृति देने का अधिकार रखती थी जिसकी कि राजाओं को शासन चलाने तथा युद्धों के लिये आवश्यकता थी।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि सोलहवीं शताब्दी में विधि-निर्माण (Law-making) की तथा वित्तीय (Financial) शक्तियाँ मिल जाने से संसद् सर्व-शक्तिमान बन गई थी। अब भी वास्तविक शक्ति राजा के हाथ में ही थी और वही असली कार्यपालिका था। लोकसभा से वह जो चाहता करता सकता था और उसे द्वारा धमका कर अपनी आज्ञा पर चला सकता था। ऐसा कठा जाना है कि रानी एलिजाबेथ ने लोकसभा के द्वारा सदस्यों को, अपनी डच्छा के विशद् एक योजना का समर्थन करने पर, देल भिजवा दिया था। यदि सभा राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती थी तो जब राजा चाहता उसका विघटन किया जा सकता था; और राजा की डच्छानुसार चलने वाली लोकसभा को कुई वर्षों तक रहने दिया जा सकता था, क्योंकि निर्वाचन सम्बन्धी कोई नियम नहीं थे। राजा जिन 'बॉरोज' को अपने असुकूल समझना उन्हीं के प्रतिनिधियों को बुलाता था। संसद् को पिछली कुछ सदियों में चाहे किनी ही शक्ति क्यों न मिली हो, फिर भी सोलहवीं शताब्दी में टूटूंटर राजा लगभग निरंकुश ही थे। किन्तु वे इनने चतुर थे कि संसद् से परामर्श करके अपनी निरंकुशता को छिपा लिया करते थे। किन्तु उनके उत्तराधिकारी मृद्ग्रन्थ राजा ऐसे नीतिज्ञ नहीं थे। पहले ही स्टर्ट

राजा जेम्स प्रथम ने राज्य करने के अपने दैविक अधिकार की दुहाड़ दी और संसद् से उसका संघर्ष शुरू हो गया। सौभाग्य से उसके राज्यकाल में कोई नुला भगड़ा नहीं हुआ। किन्तु उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी चाल्स प्रथम कम नीतिज्ञ था और उसने ग्यारह वर्षों तक तो विना संसद् के ही शासन किया किंतु उसके बाद अपने विरोधियों से सशस्त्र संघर्ष कर बैठा, जिसके फलस्वरूप १६४९ में उसके लीबन को समाप्त कर दिया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात् वहाँ गणराज्य की घोषणा कर दी गई तथा राजपद और लार्डसभा को समाप्त कर दिया गया। ओलीवर क्रोमवेल इंग्लिस्तान का 'रक्त' नियुक्त हुआ। किन्तु लोकसभा के साथ उसकी भी नहीं पटी। दस बारह वर्ष तक गणराज्य रहने के पश्चात् इंग्लिस्तान १६६० में उन: एक राजनन्त्र बन गया तथा एक दूसरे स्ट्रार्ट राजा चाल्स द्वितीय को गही पर बैठाया गया। उसने संसद् के साथ निर्वाह कर लिया, किन्तु उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने जो कि उसका भाई था, और दूसरे मिजाज का था, संसद् की एक विधि को रह करके अपने सिर पर आफत बुलाली। जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया तो वह फ्रांस भाग गया और संसद् ने विलियम, प्रिंस आफ आरेंज, को उसकी पत्नी 'मेरी' सहित जो कि जेम्स की ज़ब से वड़ी पुत्री थी १६८८ में संयुक्त शासक बना दिया।

किन्तु क्रांति से लाभ उठाने तथा आगे के लिये सहृप्त के कारणों को हटाने की इच्छा से १६८८ में ही संसद् ने एक अधिकार-पत्र पारित किया जो इंग्लैण्ड के सांविधानिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण लेख्यों (Documents) में मे है। उसमें उस रक्तहीन क्रान्ति के परिणामों का तथा उस समय तक के समन्वय सांविधानिक विकास का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख कर दिया गया। तत्पश्चात् उन अधिकार-पत्र में यह घोषणा की गई कि राजा संसद् के समर्थन के बिना किसी विधि (Law) का निलम्बन (suspend) नहीं कर सकता, कोई कर नहीं लगा सकता और शान्ति-काल में सेना नहीं रख सकता। उसमें यह भी उल्लिखित था कि संसद् के सदस्यों को बाद-विवाद और बकरता की स्वतन्त्रता होगी, नागरिकों को राजा से प्रार्थना करने का अधिकार होगा तथा प्राटेस्टेण्ट धर्मावलम्बी प्रजा को अपनी रक्षार्थ शस्त्र धारण करने का अधिकार होगा। उसमें यह भी लिखा था कि संसद् के सत्र अधिक बार होने चाहियें और उसके चुनाव स्वतन्त्र स्प से होने चाहियें। यह कहा जा सकता है कि अधिकार पत्र की ही बड़ौलत राजाओं का दैविक अधिकार सदा के लिये समाप्त हो गया और वहाँ राजतन्त्र सीमित घन गया। ब्रिटिश संविधान के आधारभूत सिद्धान्त, विधि-शासन (Rule of law) तथा संसद् की वैधानिक प्रमुखता, सुन्दर बन गये और भविष्य में उनकी वैधानिकता पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता था।

सन् १६८९ के पश्चात् सांविधानिक विकास— सन् १६८९ से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में जो सांविधानिक परिवर्तन हुए थे वे आधारभूत थे, किन्तु उसके बाद में जो परिवर्तन हुए वे अधिकांश में आधारभूत न होकर विस्तार-सम्बन्धी थे। उस समय तक संविधान की रूपरेखा (Outline) तो लगभग निश्चित हो ही चुकी थी, अब केवल विस्तार की बातें शेष रह गई थीं, और यही कार्य बाद के वर्षों में पूरा हुआ। इस काल में केविनेट (अंतरंग परिपद्) का विकास हुआ और राजनीतिक दलों का जन्म हुआ, जिनसे राजनीतिक ढांचा पूर्ण होकर उसमें मांसचर्म का आवरण चढ़ गया। यद्यपि ये दोनों बातें परस्पर सम्बन्धित हैं और एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ा था, किन्तु हम पहले केविनेट के विकास का ही विवेचन करेंगे तथा राजनीतिक दलों के विषय पर बाद में विचार करेंगे।

सन् १६८८-८९ की घटनाओं से यह बात निस्संदेह निश्चित हो गई कि संसद राजा से अधिक शक्तिशाली है और ब्रिटिश राजा राजनीतिक रूप में लोकसभा पर आश्रित हो गया। किन्तु एक बड़ी भारी कमी थी, वह यह थी कि : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि संसद दिन प्रतिदिन के कार्यों के विषय में राजा पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सके। राजा के पास अब भी बहुत से विशेषाधिकार थे और सार्वजनिक कार्यों तथा नीनियों पर उसका बहुत नियंत्रण था, वह नाम भाव का राजा नहीं था, जैसा कि वह अब है। जब तक राजसी विशेषाधिकारों (Royal Prerogatives) का प्रयोग संसद की इच्छानुसार नहीं होने लगता और जब तक राज्य के मामलों के प्रशासन में राजा की शक्ति कम नहीं हो जानी तब तक संसद की प्रभुता पूर्ण नहीं कही जा सकती थी। शासन-न्यंत्र के आधार केविनेट के विकास से यह बात भी पूरी हो गई।

यह विकास भी सादा नहीं था और किसी योजना के अनुसार नहीं हुआ था, यह एक घटना थी। यह विकास परिस्थितियों के बश हुआ था, स्वनन्दना की भावना की वृद्धि के कारण नहीं। इसके दो पहलू थे : (१) राजा की शक्तियों में कमी होना, और (२) केविनेट की शक्तियों का विकास तथा लोकसभा के प्रति उसका उत्तर-दायित्व। दोनों के विषय में नीचे कुछ शब्द कहने आवश्यक हैं।

(क) राजा की शक्तियों का न्यूनन— यह बात याद रखनी चाहिये कि विलियम आफ आरेंज और उमकी पत्नी मेरी, और उनके बाद रानी एन नामभाव के लिये ही राज्य के प्रधान नहीं थे जैसे कि उनके बीसवीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राजा हैं। अधिकार-पत्र (Bill of Rights) तथा समझौता अधिनियम (Act of Settlement) के होते हुए भी वे राज्य की नीतियों और प्रशासन पर बहुत नियंत्रण रखते थे। किन्तु उनके पश्चान् जो 'जार्न' नामक राजा बने, वे लगभग

विदेशी ही थे। वे अंग्रेजी वहुत कम जानते थे, और शायद उन्हें ब्रिटिश मामलों में दिलचस्पी भी अधिक नहीं थी। अतः उनके हाथों से शर्ने, शर्ने वह सब शक्तियों जिन्हे उनके पूर्ववर्ती राजाओं ने प्रयोग किया था, निकलती गईं और मन्त्रियों के हाथों में चली गईं। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परिस्थितियों के बश वे घस्तुनः नामामात्र के राजा रह गये। उनके उत्तराधिकारियों ने उन खोड़े हुए शक्तियों को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे असफल रहे। किन्तु ब्रिटिश राजनन्द पूर्णतः सांविधानिक तो रानी विक्टोरिया के ही काल में बना जब कि आधुनिक शक्ति 'केविनेट' को मिल गई।

(ख) केविनेट का विकास — जैसे कि आधुनिक संसद् नामन राजाओं की मद्दा परिषद् में से बनी और उसका विकास शर्नैः शर्नैः कई शताब्दियों में हुआ, उसी प्रकार आधुनिक केविनेट भी कई शताब्दियों में शर्नैः शर्नैः प्रियी परिषद् में मै विकसित हुई। इसके विकास का इतिहास संक्षेप में निम्नलिखित है :—

१- आरम्भ में राजा प्रियी परिषद् के वहुत से सदस्यों में से कुछ थोड़े मै लोगों को अपनी इच्छासुसार चुन लेता था जिनसे वह परामर्श लिया करता था। वही छोटा सा, अनौपचारिक, अनियमित वर्ग केविनेट का प्रारंभिक स्वरूप था। वे लोग राजा को परामर्श देते थे किन्तु प्रियी परिषद् की अनुमति विना राज्य की नीति पर वे कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते थे और कोई शासन-सबन्धों कार्य नहीं कर सकते थे। उस समय उसे केविनेट नहीं कहते थे। वह बात चार्ल्स द्वितीय से पूर्व की है। इसकी आवश्यकता केवल इसी लिये पड़ी थी कि प्रियी परिषद् का आकार वहुत बड़ा था।

२. विकास का दूसरा कदम चार्ल्स द्वितीय के शासन-काल मै लिया गया। उसने देखा कि प्रियी परिषद् इतनी बड़ी थी कि कोई कार्य शीघ्रता तथा गुप्तता से नहीं कर सकती थी। अतः वह थोड़े से मन्त्रियों की मंत्रणा लिया करता था। उन मन्त्रियों की टोली को 'कबल' (Cabal) कहा करते थे। किन्तु उसकी यह स्थिति विधिवन् मान्य नहीं थी और प्रियी परिषद् को ही राजा के परामर्शदाताओं की सभा माना जाता था, 'कबल' उसका स्थान नहीं ले सका था। 'कबल' के कारण कुछ लोगों मै ईर्झा और अविश्वास पैदा हो जाने से कुछ समय के लिए इसे बन्द करना पड़ा। चार्ल्स द्वितीय को अपने शासन के अन्त के दिनों मै एक नवनिर्भिन्न प्रियी परिषद् से काम चलाना पड़ा।

३. केविनेट के विकास मै तीसरा कदम विलियम रुटीय ने सन् १६४५ मै उठाया। उसने देखा कि लोकसभा मै दो वर्ग बन गये थे और उन दोनों वर्गों मै से लिये गये मन्त्रियों की सहायता से ठीक तरह काम नहीं चल सकता। अनग्न उसने यह तरीका निकाला कि राज्य के घड़े घड़े पढ़ो पर केवल उसी दल के सदस्यों जै

रखा जाये जिसका सदृश मे वहुमत हो। इस प्रकार उसका मन्त्रिमण्डल कुछ कुछ आधुनिक प्रकार का था। प्रिंसी परिपद की महत्ता घट गई और केविनेट ही अनन्य सर्वोच्च प्रामर्शदात्री और राज्य मे वास्तविक कार्यपालिका बन गई। किन्तु उस समय तक कोई प्रधान मन्त्री नहीं था जो केविनेट के राजनैतिक मुखिया के रूप मे कार्य कर सकता। राजा ही अपने मन्त्रियों की वैठको मे सभापतित्व करता; मन्त्री उसके 'सेवक' थे जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने मे उसकी सहायता करते थे।

४. विकास का चौथा क्रम जार्ज राजाओं के समय मे पूरा हुआ। वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। अतएव उन्होंने अपने केविनेटों की वैठको मे सभापतित्व करना बन्द कर दिया, और अपने राज्य के प्रशासन को मन्त्रियों पर छोड़ दिया। आधुनिक अर्थ मे पहले प्रधान मन्त्री सर रॉबर्ट वालपोल थे जो वहुसंख्यक दल के नेता थे और जिन्होंने अपने राजनैतिक विचारों तथा धारणाओं के अनुसार प्रशासन चलाया था। १७४२ मे लोकसभा ने जब उनके विरुद्ध मत दिया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जो वाद मे संसदीय शासन प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धान्त बन गया। उससे पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जो मन्त्री लोकसभा की इच्छानुसार नहीं चलते थे उनको महाभियोग (Impeachment) लगा कर ही हटाया जा सकता था।

५. गत शताब्दी मे प्रधान मन्त्री की शक्ति बढ़ती गई तथा केविनेट प्रणाली की अन्य विशेषताएँ स्थिर हो गईं और वे ब्रिटिश संविधान के ढाँचे का अन्न बन गईं।

इससे पता चलेगा कि कई शताब्दियों के लम्बे विकास के पश्चात् केविनेट का ऐसा स्वरूप बना कि (१) उसमे विधान-मण्डल के ही सदस्य हों, (२) वह लोकसभा मे वहुमत प्राप्त दल मे से ही हो, (३) एक स्थिर नीति पर चले, (४) लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करे, और (५) एक राजनैतिक नेता की अधीनता स्वीकार करे। यहुत समय तक नो यह व्यवस्था केवल रुढ़ि के आधार पर किसी लिखित विधि के अंतर्यामी नहीं चलनी रही। किन्तु हाल ही मे सांविधानिक विधि द्वारा उसे मान्यता प्रदान कर दी गई है और वह सांविधानिक अभिसमय (Convention) मात्र नहीं रही है।

अन्य सांविधानिक विकास— केविनेट प्रणाली नया राजनैतिक दलों के विकास के अतिरिक्त १८८८ के पश्चात् कुछ अन्य सांविधानिक परिवर्तन भी हुए। उनमे सब से महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों मे से एक परिवर्तन लोकसभा का लोकतन्त्रीकरण (Democratisation) है। यह परिवर्तन १८३२ के 'मुदार-अधिनियम' (Reform Act) से आरम्भ हुआ था तथा १८१८ और १८२६ के 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों' (Peoples' Representation Acts) के पारित होने पर पूरा

हुआ। दूसरा परिवर्तन यह था कि लार्डसभा का पढ़ और उस की शक्तियां शने-शने: कम होनी गईं और अन्त में १६११ और १६४६ के 'संसद-अधिनियम' पारित हुए। उन से यह परिवर्तन पूरा हुआ। उधर १६३५ और १६२६ के बीच में स्थानीय स्वशासन का पुनर्संष्ठान तथा लोकनंत्रीकरण हुआ, और १६७० के बाद के दस वर्षों में न्याय-न्यवस्था का भी कायाकल्प कर दिया गया। वर्तमान शताब्दी की सबमें मुख्य बान यह है कि केविनेट का आधिपत्य इतना बढ़ गया कि लोकसभा भी उसके अधीन बन गई है। इसके अनिरिक्त सरकार के कार्य भी अब बहुत बढ़ गये हैं। १७०७ में इंगलिस्तान तथा वेल्स का स्काटलैंड के साथ तथा १८०० में उनका आयरलैंड से संघटन, १८२१-२२ में आयर के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना, दूर-दूर तक त्रिटिश साम्राज्य का विकास तथा उसके कुछ सदस्य देशों को अधिराज्य-पद (Dominion Status) की प्राप्ति, ये सब अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। किन्तु हम उनका वर्णन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि स्वयं ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक ढाँचे के विकास पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

शामन तंत्र के विभिन्न अङ्ग— त्रिटिश संविधान के विकास की इस संक्षिप्त समीक्षा को समाप्त करने से पहले हम उन विभिन्न अंगों का वर्णन करेंगे जिनसे आजकल के शासनतंत्र की रचना हुई है। आगे के अध्यायों में हम इनमें से प्रत्येक अङ्ग पर मानविकास विचार करेंगे।

जैसा पहले बताया जा चुका है ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक (Unitary) शामन व्यवस्था है, संघीय (Federal) नहीं। इस बात में वह फ्रांस के समान है किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका से विलुप्त भिन्न है। इसका अर्थ यह है कि समस्त देश में एक ही विधान-मंडल है, एक ही कार्यपालिका है और एक ही सर्वोच्च-न्यायपालिका है। आजकल शासन के तीनों कार्यों के करने के लिये तीन अंग हैं। वे ये हैं:—
(१) संसद-संहित-राजा विधियां बनाता है। (२) केविनेट, सिविल-सर्विस तथा बहुत से विभाग राज्य के कार्यों को करते हैं तथा प्रशासन चलाते हैं; और (३) न्यायालयों की एक बड़ी संख्या न्याय-न्यवस्था चलाती है। किन्तु पुराने समय में वे सेक्मन, नारमन तथा द्व्य द्वारा राजा उस देश पर लगभग निरंकुश शासन करते थे नव तीनों अंगों में कोई अन्तर नहीं था। राजा विधियों को बनाता था और उन्हे कार्यान्वित करता था और अपनी प्रजा को न्यायदान करता था। आज तीनों में जो अन्तर है वह भी सांविधानिक विकास का ही परिणाम है। अब विधान सम्बन्धी (Legislative) तथा न्याय सम्बन्धी (Judicial) कार्य राजा के हाथ ने लेकर अन्य निकायों (Organs) को सौंप दिये गये हैं। क्राउन के पास केवल कार्यपालिका (Executive) सम्बन्धी कार्य चला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में शक्तियों के पार्श्वक्षय (Separation of Powers) के प्रसिद्ध

सिद्धान्त पर पूरी तरह अमल किया गया है। किन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि वास्तव में केविनेट अर्थात् संसदीय शासन-व्यवस्था के विकास से इस सिद्धान्त का प्रभाव बहुत कम हो गया है और कार्यपालिका तथा विधायिका में निकट सहयोग स्थापित हो गया है। यहाँ तक कि राज्य के मामलों में केविनेट की स्थिति ऐसी है कि यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान की क्रियात्मक विशेषता शक्तियों का पार्थक्य नहीं है अपितु केविनेट में उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण (Concentration of responsibility) है। ऐसा शक्ति या उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण संयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस के संविधान में विलकुल नहीं पाया जाता।^{३४}

शासन के तीन मुख्य अंगों में से, विधान-मंडल में राजा और संसद, दोनों शामिल हैं। जिनमें से संसद में दो सदन हैं—लोकसभा तथा लार्डसभा। राजा दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, किन्तु वह विधान-निर्माण की व्यवस्था का अभिन्न अंग है क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक (Bill) तब तक विधि नहीं बन सकता और न्यायालय तब तक उस पर अमल नहीं कर सकते जब तक कि राजा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। हम लोकसभा और लार्डसभा के गठन, शक्तियों और कार्यों का विवरण भिन्न-भिन्न अध्यायों में करेंगे।

राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता क्राउन (Crown) में निहित है। नये पाठक 'क्राउन' का अर्थ शायद आसानी से नहीं समझ पायेंगे। शायद वे क्राउन (Crown) का अर्थ राजा समझे जिससे वह वैधानिक सिद्धान्त में या सांविधानिक व्यवहार में विलकुल अलग नहीं की जा सकती। प्रेट ब्रिटेन की कार्यपालिका के वास्तविक स्थरूप को समझने का सरलतम तरीका यह है कि औपचारिक (Formal) और वास्तविक (Real) कार्यपालिका में फर्क समझ लिया जाये। राजा औपचारिक कार्यपालिका है और केविनेट वास्तविक अथवा राजनैतिक कार्यपालिका है। समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राजा के नाम से की जाती है, उसके द्वारा नहीं। राजा या क्राउन (Crown) के नाम से लगातार ऐसी शासकीय कार्यवाहियां होती रहती हैं तथा कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य होते रहते हैं जिनके विषय में राजा को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कम अथवा कुछ भी पता नहीं होता और जिनके बह व्यक्तिगत रूप से कभी विस्त्र भी हो सकता है। इस सबका कारण यह है कि प्रेट ब्रिटेन में औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका में अन्तर है। यहाँ एक स्थायी कार्यपालिका भी है जिसे सिविल-सर्विस (Civil Service) कहते हैं, जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भाग लेती है। कार्यपालिका के वर्णन में उसके इन तीनों अंगों का निर्देश अवश्य होना चाहिये। यदि आरम्भ में ही ब्रिटिश पद्धति के इन दो आधारमूल

^{३४} पिछले पृष्ठ १०, ११ को देखिये।

निलानो को भमभ लिया जायेगा नो आगे की घाँटे आसानी से समझ मे आ जायेगी। वे दोनों निम्नांकित हैं :—

(१) राजा केवल अपनी मर्जी से किसी सार्वजनिक कार्य को नहीं कर सकता जब उस कि कोई उच्चरदायी मंत्रो उसे पेसा करते की मंत्रणा न दे और उसके प्रभाग-न्यूरूप हमाक्षर न करे; और (२) ऐसे सब कार्यों के लिये जो मंत्रियों के द्वारा किये जाने हैं या जो वह स्वयं करते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप मे तथा सामूहिक रूप मे भवन्द के प्रति उच्चरदायी होते हैं।

‘राजा दोष गलनी नहीं कर सकता’ इसका अभिप्राय यह है कि उसके नाम से जो सार्वजनिक कार्य किये जाये उसके लिये उसे उच्चरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नव उच्चरदायित्व मंत्रियों का होना है, उसका नहीं।^३

नंवार ने नीन विधि-प्रणालियों प्रचलित हैं, उनमे से एक ब्रिटिश प्रणाली है, जो प्रेरणा रोमनेन्स (Romanesque) नथा मुस्लिम प्रणालियों हैं। उसमे कुछ महत्वपूर्ण विशेषनायें हैं जिनके कारण उसका विशेष अध्ययन होना चाहिये।

आजकल राजनीतिक दल प्रत्येक राज्य मे शासन के महत्वपूर्ण अंग हो गये हैं, जांते वे विधि द्वारा मान्य हों या न हों। थ्रेट ब्रिटेन मे नीन राजनीतिक दल हैं जिनका निर्णय भरना आवश्यक है। काउन्टी और वॉरो परिषदें आठि स्थानीय स्वशासन मंशायें (Local Self-Government Institutions) भी शासन-न्यंत्र के अभिन्न अंग हैं अनः उनका भी विशेष विवरण अपेक्षित है। स्थानीय स्वशासन की ब्रिटिश व्यवस्था के लिये एक आव्याय रखता जायेगा। हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन मे आवश्यक हो या किसी अन्य अधिराज्य की शासन-व्यवस्था का वर्णन नहीं करेंगे।

अब हम भवप्रथम कार्यपालिका को लेंगे जो ऐतिहासिक रूप मे प्राचीनतम है; और ब्रिटिश मंविधान की महत्वपूर्ण विशेषनायें और सिद्धान्त उसमे निहित हैं।

३ ‘राजा कोइ गलनी नहों कर सकता’ हम उक्ति का एक और भी अर्थ है जो अगले अध्याय ३ मे वर्मकाया जायेगा।

आौपचारिक कार्यपालिका (Formal Executive)

क्राउन, राजा और प्रिवी परिषद्

राजा और क्राउन में अन्तर — इंग्लिस्तान में सब से पहले निरंकुश राजतन्त्र था। उसके आरम्भिक नरेश सेक्सन, नारमन, द्यूट्टर आदि राजा भी थे, शासक भी। पहले राजा और क्राउन में कोई अन्तर नहीं था; राजा भी क्राउन के सब अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। आज परिस्थिति बदल गई है। एक बार ग्लेड्स्टन ने कहा था कि 'राजा और क्राउन का अन्तर त्रिटिश संविधान में तथा उसको समझने के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।' इस अन्तर को न समझने पर छात्र त्रिटिश राजा को ऐसी शक्तियों से सम्पन्न समझ सकता है जो उसके पास हैं ही नहीं। उदाहरण के लिये जब हम कहते हैं कि क्राउन मंत्रियों को नियुक्त और पदच्युत करता है, संसद को आहूत (Summon) या विघटित (Dissolve) करता है, युद्ध की घोषणा या शांति-संधि करता है, और अपराधियों को दंड देता है, तब यह नहीं समझना चाहिये कि इंग्लिस्तान का नरेश ही इन सब या इनमें से किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करता है। पुराने जामाने में वह इन सब कामों को करता होगा जब वह राजा भी था, शासक भी, किन्तु निस्संदेह वह आजकल ये सब कार्य नहीं करता, क्योंकि अब वह राजा तो है, पर शासक नहीं। हमें सबसे पहले यह सर्वप्रधान विभेद समझ लेना चाहिये।

संकेप में, राजा और क्राउन में यह अन्तर है कि राजा तो व्यक्तिगत रूप में नरेश को ही कहते हैं और क्राउन का अर्थ राजतन्त्र की संस्था से है। राजतन्त्र को जब एक सांविधानिक संस्था का स्वरूप दे देते हैं तो उसे क्राउन कहते हैं। इन दोनों का अन्तर समझने के लिये हमें याद रखना चाहिये कि व्यक्तिगत रूप में राजा का जन्म होता है, अभिषेक होता है, और आखिर में मृत्यु हो जाती है; वह गद्दी से उतारा भी जा सकता है और स्वयं भी गद्दी का परित्याग कर सकता है। संस्था के रूप में क्राउन कभी पैदा नहीं होता और मरता नहीं, न उसे गद्दी से उतारा जा सकता है और न वह गद्दी त्याग ही सकता है। राजा की मृत्यु से उसके अधिकारों और कार्यों का निलम्बन भी नहीं होता और उनमें वाधा भी नहीं पड़ती। क्योंकि क्राउन तो अदृश्य संज्ञा (Abstraction) है जिसका अर्थ जनता की इच्छा भी लिया जा सकता है। यह विभेद इस कारण उत्पन्न हो गया है कि अंग्रेज लोगों ने राजा के साथ लग्ने संघर्ष के बाद उसकी शक्ति को विचित्र उपायों द्वारा कम किया। उन्होंने राज्य के प्रधान के रूप में राजा की शक्ति और सत्ता को समाप्त नहीं किया किन्तु उनके प्रयोग के नियम बना कर उसे ऐसा वाध्य कर दिया कि यदि वह उन

नियमों पर चले तो उसके लिये मनमानी करना असम्भव हो जाये, विधि की सर्वोच्च सत्ता निश्चिन हो जाये तथा अन्ततः जनता की प्रमुखता स्थापित हो जाये। इन उद्देश्यों में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। आजकल ब्रेट निटेन का राजा निरंकुश नहीं है, अपितु नंभंडीय लोकनन्दन का वंशगत और सांविधानिक प्रधान है। वह मुकुट (क्राउन) धारण करना है और उसका घुत सम्मान होता है किन्तु उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। पहले जिन शक्तियों का प्रयोग वह करता था वे अब क्राउन को उत्तान्तरित कर दी गई हैं। इन्तु यहि कानूनों और उद्घोपणाओं में, परिपद-प्रांतों में और नमस्त आपचारिक लेखों में राजा के स्थान पर 'क्राउन' शब्द रखना जाना, अर्पण वैयानिक शब्दावली में राजा और क्राउन के अन्तर का ध्यान रखना जाना तो उन अन्तर को नमस्तने में कठिनाई नहीं होती। कानूनी सिद्धान्त में एवं भी नमस्त सत्ता का न्यौत राजा ही है। नंविधान की विधियों में या अभिसमयों में कहीं भी व्याप्तिक राजा और क्राउन के 'प्रधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई अन्तर नहीं' लिया जाता है।

नव्यपि क्राउन ही ब्रिटिश व्यवस्था की बेन्टीय और संयोजनात्मक शक्ति है, जिन्हें यह बनाना प्रानाम नहीं है कि वह क्या है। क्राउन की परिभाषा नहीं हो सकती उन्हें निटनों लों ने उमरी तुलना ईथर (Ether) से की है जिस पर वैज्ञानिकों के छह निष्ठान निर्यातिन हैं। ईथर के समान क्राउन भी वोधगम्य नहीं है और उसे जलना का आधार बनाकर कई काम निकाल लिये जाते हैं। क्राउन क्या है, यह नमस्तने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम उसके कार्यों को समझ लें।

क्राउन के कार्यः— पहली बात यह है कि क्राउन ब्रेट निटेन की सर्वोच्च कार्यपालिका मना है। अनावृ वह सब राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है, लगभग नभी इच्छ कार्यपालिका संबंधी तथा प्रशासनीय पदों पर नियुक्तियां करता है; स्थल, दल नथा यायु सेना के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, देश के विदेशी मामलों यों चलाना है, उपनिषेंगो (Colonies) और अधीनस्थ प्रदेशों का प्रबन्ध करता तथा अधिराज्यों (Dominions) में सम्बन्ध रखता है, ज्ञाम की शक्ति का प्रयोग करता है, और प्रशानन के लिये निर्देश देना है। क्राउन ही राजदूतों और वाणिज्यदूतों को नियुक्त करता है तथा उन्हें विदेशी राज्यों को भेजता है व अनुदेश देता है। वह विदेशी शक्तियों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का अपने देश में स्वागत करता है। यह अन्य राज्यों के तात्पर्य धार्ता करके उनमे संधियां और समझौते करना है। केवल क्राउन ही युद्ध तथा शान्ति कर सकता है। किन्तु कुछ संधियां तब तक प्रभावशाली नहीं होतीं जब तक कि भग्न उनका समर्थन न करदे। जहां तक डस कार्यपालिका-नंबंधीय कार्य सो भग्ना मंत्रिमंडल अथवा व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री करता है वहां तक हम कह सकते हैं कि वे क्राउन के अंग हैं।

क्राउन औपचारिक रूप से कोई विधि नहीं बनाता ; विधान-निर्माण संसद-सहित-राजा का कार्य है। किन्तु नयी लोक-सभा की रचना के लिये व्यवस्था करना, संसद को बुलाना, समाप्त करना और विघटन करना भी क्राउन का अधिकार है और इन कार्यों के द्वारा कुछ हद तक वह विधान-निर्माण के कार्य में भी भाग लेता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक (Bill) तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि उस पर राजा की स्वीकृति प्राप्त न हो जाये। क्योंकि अभी तक राजा का वैधानिक रूप से तथा वास्तव में क्राउन से सम्बन्ध है अतः विधान-निर्माण में क्राउन का भाग अनिवार्य है। उसका भाग तब तो और भी अधिक दिखाई देगा जब हम यह ध्यान देंगे कि क्राउन के मंत्री ही यह निश्चय करते हैं कि संसद में कौन से विधेयक (Bill) पेश होंगे और वे ही उन्हें वहां पारित करवाते हैं। क्राउन का विधान निर्माण से एक और रूप में भी संबंध है, कि सपरिषद् राजा बहुत से परिपद-आदेश निकालना है जो संसद द्वारा पारित विधियों के समान ही प्रभावशाली होते हैं। परिपद आदेश निकालना भी क्राउन का ही काम है। राजा संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देता है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन का अनुसर्मर्थन करता है, संसद को बुलाता है, उसका सत्रावसान (Prorogue) करता है और उसे विघटित करता है, इस हद तक वह क्राउन का ही अभिन्न अंग है, चाहे वह ये सब कार्य राज्य के मुख्य मंत्री की मंत्रणा से तथा सहमति से ही करता है।

क्राउन 'सम्मान का स्रोत' (Fountain of Honour) भी है। इस पद का अर्थ यह है कि सब सार्वजनिक सम्मानों को राजा ही प्रदान करता है। प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राजा ही नये 'पीयर' बनाता है तथा व्यक्तियों को नाइट (Knight) पद तथा अन्य उपाधियां प्रदान करता है। इस मामले में भी राजा की अपनी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है, जब तक कि उसके किसी सुभाव को स्वीकार करके प्रधान मंत्री किसी नाम को सूची में घटा बढ़ा न दे।

एक प्राचीन परम्परा के अनुसार जिसका अव कोई महत्त्व नहीं रहा है, परन्तु जो अभी तक मौजूद है, क्राउन को न्याय का स्रोत (Fountain of Justice) भी कहते हैं। इस परम्परा का अव कोई अर्थ नहीं रहा क्योंकि राजा के कोई न्याय-पालिका सम्बन्धी कार्य नहीं हैं, सिवाय इसके कि वह प्रिवी परिषद् की न्यायिक समिति (Judicial Committee) की मंत्रणा के अनुसार उपनिवेशों के न्यायालयों की अपीले सुनता है। १६४७ से पहले क्राउन भारत के उच्च न्यायालयों से भी अपीलें सुनता था ; पर १६५० में भारत के गणराज्य घोषित होने पर यह प्रथा बन्द हो गई। वह ब्रिटिश न्यायालयों की रचना नहीं कर सकता और उनकी प्रक्रिया का नियमन नहीं कर सकता। वह केवल यहीं कर सकता है कि अपराधियों को जमा कर दे, किन्तु वह कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य है, न्यायपालिका सम्बन्धी नहीं।

क्राउन ही इंगलिस्तान के गिरजे का प्रधान भी है। इस हैसियत से वह आर्क-विशेषों और विशेषों को नियुक्त बरता है तथा केन्टरवरी और थार्क के कन्वेन्शनों (Conventions) द्वारा निर्मित नियमों विनियमों पर अपनी स्वीकृति देता है।

यह भी उल्लेख कर देना चाहिये कि मुकुट की शक्तियों में परिवर्तन भी होता रहता है। समय समय पर वे घटती और घटती रही हैं। मेगना कार्टी तथा अधिकार-पत्र (Bill of Rights) से वह काफी मात्रा में कम हो गई थीं। दूसरी ओर प्रेट ब्रिटेन (तथा अन्य देशों में भी) राज्य को कार्यवाहियां बहुत बढ़ जाने से उसकी शक्तियां भी बहुत बढ़ गई हैं। नये कामों के लिये नये विभागों की स्थापना का अर्थ क्राउन की शक्तियों का विकास ही है। इससे ही हम इस विरोधाभास (Paradox) को समझ सकते हैं कि प्रेट ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास के साथ साथ क्राउन की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं।

अब तक के विवरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि क्राउन की शक्तियों का प्रयोग विधिव्य स्पौं में होता है। उसमें से कुछ शक्तियों का प्रयोग तो समूची केविनेट करती है, कुछ का प्रधान मंत्री, कुछ का दूसरे मंत्री, कुछ का प्रिंसी परिपद और उसकी विधिव्य समितियां करती हैं तथा कुछ शक्तियों का प्रयोग केविनेट अथवा प्रधान-मंत्री की मन्त्रणा पर राजा करता है। किन्तु कभी भी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर नहीं करता, सिवाय एक विषय में, जबकि वह प्रधान-मंत्री को नियुक्त करता है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि राजा का क्राउन ने कोई ममन्य नहीं है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वह सिद्धान्त में या व्यवहार में उसमें अलग भी कदापि नहीं है।

इन सब वातों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सत्ता के रूप में क्राउन वास्तव में, राजा, प्रिंसी परिपद, केविनेट, तथा किसी हड़ तक संसद, इन सबका समन्वय अथवा सम्मिश्रण है।

राजा का पद : उमका औचित्य और लाभ—ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रेट ब्रिटेन में राजा देश के शासन का निर्देशक नहीं है। वह राष्ट्रीय नीति निश्चित नहीं कर सकना तथा सार्वजनिक मामलों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यद्यपि वह क्राउन (मुकुट) का धारण करने वाला है तथा उसमें ओपचारिक रूप में उसकी समस्त शक्तियों निहित हैं तो भी वह उसमें किसी का भी प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजा के नाम से निकलने वाले सब राजकीय आदेशों पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये और वही उनके लिये उत्तरदायी होता है। इन परिस्थितियों में स्वभावनः यह प्रश्न उठता है कि राजा के पद को रखा ही क्यों जाये? उसे समाप्त

करके, प्रधान मंत्री को राष्ट्र का कार्यपालिका प्रधान क्यों न बना दिया जाये, जो वह वास्तव में है ही, और इस प्रकार ४,१०,००० पाउण्ड प्रति वर्ष क्यों न बचा लिया जाये जो राजा पर खर्च होता है ?^५

ब्रेट ब्रिटेन में राजतंत्र को बनाये रखने के कई कारण बनाये जाते हैं। ब्रिटिश स्वभाव का भी इससे सम्बन्ध है। अंग्रेज़ बहुत रुद्धिवादी हैं, और कभी कोई वात क्रांतिकारी तरीके से नहीं करते; उन्होंने राजा के पद को उस समय भी समाप्त नहीं किया जाविए ऐसा करना सरल था, उदाहरणार्थ, जब जेम्स द्वितीय को संसद से लड़ कर फ्रांस भागना पड़ा। तब भी अंग्रेजों ने विलियम ऑफ़ ऑरेज और उसकी पत्नी मेरी को खाली गही पर बैठा दिया। सच्ची वात यह है कि उन्हे गणराज्यवाद के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है। जनसाधारण की भावना जितनी राजतंत्र के पक्ष में है उतनी उसके विरुद्ध नहीं। हाँ, एक समय ऐसा आया था, जब राजपद का सम्मान बहुत कम रह गया था, किन्तु गत सत्तर वर्षों में उनमें बहुत बढ़ा गया है और अब राजा के प्रति स्नेह भावना और सम्मान पहले से कहीं अधिक है। साम्यवादियों के अतिरिक्त जनता का कोई भी वर्ग राजपद के विरुद्ध नहीं है, यहाँ तक श्रम दल (Labour party) भी, जो कि कुलीनतंत्रीय लार्डसभा की जोरों से आलोचना करता है, राजपद के विरुद्ध नहीं है।

किन्तु यदि इस राजपद की संस्था से कुछ विरोप लाभ नहीं होते तो ब्रिटिश रुद्धिवादी स्वभाव भी उसे समाप्त होने से नहीं बचा सकता था। यह कहना सर्वथा गलत है कि अब राजपद से कोई भी लाभ नहीं रहा है; इसके विपरीत, यह उपनिवेशों, अधीनस्थ प्रदेशों, और अधिराज्यों की निष्ठा (Loyalty) का ऐसा बहुमूल्य आधार बन गया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जानवृक्ष कर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राजपद का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वह साम्राज्य की एकता का प्रतीक और उसे जोड़ने वाली कड़ी है। क्राउन के प्रति निष्ठा के कारण ही दूर तक विस्तृत साम्राज्य के सदस्य प्रगाढ़ सम्बन्धों से धंधे रहते हैं। इस कड़ी को तोड़ते ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (Commonwealth) के स्वशासन प्राप्त सब अंग छिन्न भिन्न हो जायेंगे। यह विश्वास करना कठिन है कि यदि ब्रिटेन गणराज्य बन जायेगा तो उसके निर्वाचित राष्ट्रपति का भी कनाढा, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य अधिराज्यों में वही सम्मान होगा जो अब वंशगत मुकुटधारी नरेश का होता है। राजा का तो राष्ट्रमंडल (Commonwealth of

^५ एडवर्ड सप्तम तथा बार्बर्चन्स को प्रति वर्ष ४,७०,००० पाउण्ड दिया जाता था। इसे सिविल लिस्ट कहा जाता है, और प्रत्येक राजा के अभिषेक के समय संसद इस राशि को निर्धारित करती है।

Nations) से भी सम्पर्क है जिसका भारत भी एक सदस्य है।^{१५}

राजा में प्रताप, प्रद्वयुत आकर्षण तथा प्रभाव होता है जो निर्वाचित राष्ट्रपति में नहीं आ सकता। विटिश राजनीतिज्ञों ने राजा से घरेलू मामलों में जितना लाभ ढागा है उन्होंने ही साम्राज्य सम्बन्धी मामलों में भी उठाया है। उन्होंने राजपरिवार का मेसे मामलों से भी सम्बन्ध जोड़ दिया है जो श्रमिक वर्गों को प्रिय है। इस प्रकार राजा लोकतंत्र का भी प्रतीक बन गया है। शासन को शक्तिशाली बनाने के लिये राजा धर्म के समान बलवान सिद्ध हुआ है। उससे भावनाओं पर प्रभाव पड़ना है जो प्रायः बहुत शक्तिशाली होती हैं। राजा का सम्मान बढ़ने का एक कारण उसकी यह 'राजनीतिक उपादेयन' है।

साम्राज्य की एकता का प्रतीक तथा साम्राज्य को जोड़ने वाली अतिम कड़ी होने के अनिरिक्त प्रेट ब्रिटेन में राजा के अन्य राजनीतिक उपयोग भी हैं। प्रेट ब्रिटेन में केविनेट-शासन-प्रणाली है; राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में मुख्य राजनीतिक कार्यपालिका के अतिरिक्त राज्य का एक नाममात्र का प्रधान भी होना चाहिये। यदि अंग्रेज राजतंत्र को समाप्त करदें परन्तु संसदीय लोकतंत्र को रखना चाहें तो उन्हें राजा के स्थान पर कोई और प्रधान रखना होगा। यह एक निर्वाचित राष्ट्रपति ही हो सकता है जिसकी पदाधिक निश्चित हो जैसे फ्रांस में होता है। किन्तु इस परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि राज्य के आपचारिक-प्रबुद्ध पद के लिये वंशगत राजा निर्वाचित राष्ट्रपति से कहीं अच्छा रहना है। केविनेट-शासन-प्रणाली का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि राज्य के 'आपचारिक प्रबुद्ध' को दलवंदी में भाग नहीं लेना चाहिये और राजनीतिक विवाद में नहीं फँसना चाहिये। सांविधानिक राजा किसी निर्वाचित राष्ट्रपति की तुलना में दलवंदी में कहीं अधिक दूर रह सकता है तथा उस पर अधिक भरोसा किया जा सकता है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।^{१६} राष्ट्रपति के समान राजा का किसी दल में लंबवंद नहीं होना तथा किसी दल के प्रति उसे निपुण नहीं होती। उसका प्रशिक्षण विशेष प्रकार का होता है तथा उसका राज्यकाल स्थायी होता है अतः वह

* २७ अप्रैल, १९४६ को कामनवंद्य के प्रधान मन्त्रियों ने यह घोषणा की कि 'विटिश न्यूट्राट् कामनवंद्य के स्वतंत्र सदस्य-राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रतोक है और इस नाते वह कामनवंद्य का प्रधान है।'

† 'सांविधानिक राजा ने यह लाभ है कि राज्य का प्रधान दलवंदी से स्वतंत्र रहता है: एक राजनीतिज्ञ, जो राष्ट्रपति बनेगा, अपने विगत को भूल नहीं सकता; यदि वह भूल भी जाये तो दूसरे नहीं भूल सकते।' (जिनिंग्स : केविनेट सरकार, पृष्ठ २१०)। यह आशय नहीं है कि वंशगत राजा में कोई त्रुटियाँ नहीं होतीं। हानियाँ भी हैं पर लाभ अधिक हैं।

अधिक अच्छी तरह देख सकता है कि समस्त राजनैतिक दल नियमानुसार अपना राजनैतिक खेल खेले। इस प्रकार अंग्रेजों को राजा पर जितना धन व्यय करना पड़ता है वह उससे प्राप्त होने वाले राजनैतिक लाभ के मुकाबले में कुछ ज्यादा नहीं है।

ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में राजा का स्थान— ब्रिटिश राजा के बल

नाम मात्र का प्रधान ही नहीं है जैसा कि उसे कभी कभी समझा जाता है। ठीक है कि वह देश पर शासन नहीं करता; न वह सार्वजनिक मामलों का नियन्त्रण और निर्देशन करता है और न राष्ट्रीय नीति को ही निश्चित करता है, उसे अपने मंत्रियों के नियन्त्रणों को स्वीकार करना पड़ता है; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह महान पद समस्त शक्ति से रिक्त होकर शून्य ही बन गया है। उस पद के स्वरूप और शक्तियों में जो परिवर्तन हुआ है उसके विषय में कहा जा सकता है कि शक्ति का स्थान प्रभाव ने ले लिया है। ब्रिटिश राजा के पास अब शक्ति नहीं है किन्तु एक विशाल क्षेत्र में वह अपने प्रभाव का प्रयोग करता है जो राजा के व्यक्तित्व पर, परिस्थितियों पर, उसकी योग्यता तथा ज्ञान पर निर्भर रहता है। जेनिंग्स ने कहा है कि “क्राउन का प्रभाव उसके पहनने वाले पर निर्भर रहता है, मुकुट से सम्मान वह जाता है किन्तु योग्यता नहीं बढ़ती।” रानी विक्टोरिया का प्रभाव बहुत था, उसके राज्यकाल के ब्रिटिश राजनैतिक इतिहास के प्रत्येक स्थल पर उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। उसके उत्तराधिकारी, एवं वर्द्ध सप्तम और जार्ज पंचम आदि भी राज्य के मामलों में सक्रिय दिलचस्पी लेते थे।

कई राजनैतिक कार्य ऐसे हैं जो अब भी राजा करता है, किन्तु उनमें से केवल दो कार्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि जब नयी लोकसभा का निर्माण होता है, अथवा एक सरकार त्यागपत्र देती है तथा नई सरकार बननी होती है, तब यह राजा का ही कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दे। प्रायः उसकी पसन्द का क्षेत्र सीमित होता है; उसे वहुसंख्यक दल के नेता को ही बुलाकर मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार देना होता है। वहुधा लोकसभा में किसी न किसी दल का पूर्ण व्युत्पत्ति होता है और उसका अपना मान्य नेता भी होता है। दूसरे शब्दों में, प्रायः राजनैतिक स्थिति से ही संकेत मिल जाता है कि प्रधान मंत्री कौन बनेगा। किन्तु जब तीन राजनैतिक दल हो और उनमें से किसी का भी पूर्ण व्युत्पत्ति न हो, या किसी कारण से वहुसंख्यक दल का कोई औपचारिक रूप से मान्य नेता न हो, तब राजा अपने प्रधान मंत्री को सचमुच स्वयं पसन्द कर सकता है, जैसे कि १९२४ में उसने श्री रैमज़ो मैकड़ोनेल्ड से मंत्रिमंडल बनाने के लिये कहा था, यद्यपि उनका सदन में व्युत्पत्ति नहीं था। ऐसे अवसरों से उसे सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव ढालने का भौका भिलता है। कौन जानता है कि १९३१ में रैमज़ो मैकड़ोनेल्ड को तथा मई १९४० में श्री चर्चिल को प्रधान मंत्री नियुक्त करने में राजा का किनारा हाथ था।

त्रिटिश राजा का दूसरा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक कार्य यह है कि संसद् के विघटन के प्रलाप पर वह अपनी स्वीकृति देकर साधारण चुनाव का आदेश दे सकता है। जब कोई सरकार लोकसभा में पराजित हो जाये और केविनेट देश से अपील करना चाहे, नव, सिद्धान्त के अनुसार, राजा अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है यदि उसके विचार में दूसरी सरकार बनना संभव है। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि गत सौ वर्षों में विघटन को भी राजा ने कभी नहीं रोका है और कदाचित् भविष्य में भी न रोके। राजा के लिये उस प्रार्थना को भी अस्वीकार करना कठिन है; उसका यह अधिकार भी काम न आने से व्यर्थ हो गया है। यह कार्य भी औपचारिक ही बन गया है।

तीमरी बात यह है कि एक प्रधान मंत्री के ल्यागपत्र देने के पश्चात् तथा दूसरे व्यक्ति के प्रधान मंत्री बनने तक के अंतरिम काल में, सब राजनैतिक सत्ता तथा कार्यपालिका शक्ति राजा में निहित होती है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि उसका सार्वजनिक मामलों पर नियंत्रण होता है। यह भी बास्तव में औपचारिक बात ही है।

राजा ही विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, यद्यपि यह भी औपचारिक बात ही है, क्योंकि उसका कोई न कोई मंत्री उस समय उपस्थित रहता है। वह लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन पर अपनी स्वीकृति देता है तथा 'सिंहासन की बकरूता' को पढ़ना है, यद्यपि उसकी ओर भी कोई अन्य भी उस बकरूता को पढ़ सकता है। राजा मंसद् द्वारा पारिन अधिनियमों पर अपनी स्वीकृति देता है; उसके विना वे कानून लागू नहीं हो सकते। किन्तु अब यह स्वीकृति देना रस्म अदायगी सी हो गया है; वह उससे इन्कार नहीं कर सकता, चाहे व्यक्तिगत रूप में राजा किसी अधिनियम के किनाना भी विश्वदृ क्यों न हो। यद्यपि यह स्वीकृति सर्वथा आवश्यक चस्तु है, किन्तु अब यह केवल रूप के रूप में रह गई है। इसके अतिरिक्त जब प्रिवी परिपद से परिषद्-आदेश निकाले जाते हैं और जब महत्त्वपूर्ण प्रशासनीय विधान पारित होते हैं तब राजा प्रिवी परिपद की बैठकों में भाग लेता है।

वे नव कार्य लगभग थोड़े से समय के लिये किये जाते हैं। किन्तु सार्वजनिक मामलों में राजा के प्रभाव के दृष्टिकोण से वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उन सब बातों से अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'राजा प्रति दिन समालोचक, परामर्शदाता, और मित्र के रूप में कार्य करना है।' यह सच है कि वह अब केविनेट की बैठकों में भाग नहीं लेना, और उसके दृश्योदार पूर्वज ढालते थे; किन्तु प्रधान मंत्री उसे राज्य के मामलों की पूरी मूल्यना देना रहता है। महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिये केविनेट की बैठक होने से पूर्व प्रधान मंत्री उन सब पर राजा के साथ विचार-विमर्श

कर लेता है, अपने विचारों को और अपने केविनेट के साथियों के विचारों को उसे समझाता है तथा उसके विचारों को समझने का प्रयत्न करता है। यह आवश्यक नहीं है कि केविनेट सदैव राजा की सम्मति को स्वीकार ही करे; वह उसे सर्वथा अस्वीकार कर सकती है और उसके विस्त्र भी काम कर सकती है। किन्तु उसे राजा की मंत्रणा पर विचार अवश्य करना पड़ता है। राजा की मंत्रणा का मूल्य एक तो इसलिये वहुत होता है कि वह वहुत उच्च व्यक्ति होता है और दूसरी बात उसे सामान्यता। वहुत अनुभव होता है, अतएव उसकी मंत्रणा की केविनेट आसानी से अवहेलना नहीं कर सकती। प्रधान मंत्री केविनेट की बैठकों से पहले राजा से सब विषयों पर बातचीत कर लेता है, और केविनेट में जो भी फैसले होते हैं उन्हें क्रियान्वित करने से पहले इस 'प्रतिप्रावान, आधिकार-युक्त, सर्वोच्च प्रभावशाली आलोचक' के समक्ष रखा जाता है। एक बार रानी विक्टोरिया ने एक पत्र की भाषा को, जो विदेश विभाग ने अमरीका को लिखा था, नरम बना दिया जिससे उस देश के साथ संघर्ष होता होता रुक गया। परामर्शदाता और आलोचक के रूप में राजा का कार्य विदेशी सम्बन्धों के लेवर में विशेषतः महत्वपूर्ण है।

एक बार बेजहॉट (Bagehot) ने कहा था कि राजा को तीन अधिकार हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार, और चेतावनी देने का अधिकार। और उसने आगे कहा है कि बुद्धिमान और विवेकशील राजा इससे अधिक किसी अधिकार की मांग भी नहीं करेगा। मंत्रणा देने के अधिकार का यह मतलब है कि उसे राज्य के प्रत्येक मामले की पूरी सूचना दी जाये, और केविनेट के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके विचारार्थ पैशा किया जाना चाहिये। इस बात को पहले ही समझाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उसके लिये कर्मचारी गण होते हैं जो उसे राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना देते रहते हैं। प्रोत्साहन देने के अधिकार का अर्थ यह है कि राजा किसी नीति को पसंद करता है और वह मन्त्रियों से उसे पूरा करने के लिये कहता है। चेतावनी देने के अधिकार का अर्थ यह है कि राजा अनुभव करता है कि उसके समक्ष जो प्रस्थापना रखी गई है वह युरी है, और उसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। वह अपने विचारों के पक्ष में युक्तियां देता है और उन्हें उपाय भी बताता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मन्त्रियों का विरोध कर सकता है। यदि राजा की मंत्रणा पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मंत्री यह अनुभव करते हैं कि उनका तरीका ही ठीक है तो राजा उनका समर्थन करेगा। सिडनी लो ने राजा से निम्नलिखित कल्पित शब्द कहलाये हैं जिनसे राजा और मन्त्रियों के सम्बन्ध स्पष्ट हो जायेंगे। राजा अपने मंत्री से कहता है: 'इन कार्यों का उत्तरदायित्व आप पर है। आप जो भी उपाय ठीक समझेंगे वही किया जायेगा। आप जो भी ठीक समझेंगे भैं उसका पूरा समर्थन

करूँगा। किन्तु आप देखेंगे कि अमुक अमुक कारण से आपकी प्रस्थापना दुरी है, और दूसरी प्रस्थापना अच्छी है। मैं विरोध नहीं करता, विरोध करना मेरे कर्तव्य नहीं है, किन्तु देखिये, मैं चेतावनी दिये देता हूँ।^{५४} इन्हीं अधिकारों के प्रयोग से ब्रिटिश राजा को ऐसे अवसर भिलते हैं कि वह सार्वजनिक मामलों में प्रभाव ढाल सके तथा घटनाओं को बढ़ाव सके और इसी में वह प्रतिमा मात्र बनने से बच जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है उसकी मंत्रणा का बहुत प्रभाव होता है। एक तो उसकी उच्च स्थिति के कारण और दूसरी वात, यदि वह दस बारह वर्ष के लगभग गही पर रह चुका है तो उसे सार्वजनिक मामलों का अपने कई मंत्रियों में अधिक अनुभव होगा, और तीसरी वात, वह दलबंदियों से परे होने के कारण किसी भी मामले पर निष्पक्ष होकर ठड़े डिमाग से सोच सकता है; इन सब कारणों में उसकी मंत्रणा का बहुत प्रभाव हो सकता है, चाहे उसका अपना निजी मूल्य कम ही क्यों न हो। शीशा भी हीरा बन सकता है। राजा के आदेशों की यूँ ही अवहेलना नहीं की जा सकती; किन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि वे उसके मंत्रियों पर धार्यकारी नहीं हो सकते; हो सकता है कि वे उन पर आचरण न करें।

रानी विक्टोरिया के बाद के राजाओं के विषय में एक वात समझ लेनी चाहिये कि वह वे अपने पूर्वजों के भास्तव्यनन्दन नहीं करते थे, किन्तु वे अपने शक्तिशाली मंत्रियों के हाथ में कठपुतलियां भी नहीं थे। रानी विक्टोरिया के पत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि वह शासन के कार्य में बहुत सक्रिय और छढ़ थीं। वह अपने मंत्रियों को चुनने में बहुत भाग लेती थीं और उन्होंने कुछ अपनी पसन्द के मंत्रियों को नियुक्त करवाया भी तथा कुछ को नियुक्त होने से रोका भी। वह गिरजे सम्बन्धी नियुक्तियों में भी हस्तांत्रिक करनी थीं। उनके पुत्र एडवर्ड सप्तम का प्रभाव उनसे भी अधिक था। 'वह नियुक्तियों पर प्रभाव ढालने में बहुत शक्तिशाली थे। सेना और नौसेना नम्बन्धी मुद्यारों के विषय में उनका नियन्त्रण बहुत था। भारत के शासन के विषय में उनके विचारों का मंत्रिमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा था।'^{५५} इसी प्रकार विश्वास किया जाना है कि जार्ज पंचम ने १८११-१४ के आयर सम्बन्धी संकट में बहुत भाग लिया था। यहां यह भी कह देना असंगत न होगा कि एडवर्ड सप्तम और जार्ज पंचम न ब्रेटन और अन्य देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध ढालने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया था। एडवर्ड सप्तम ने कई देशों का भ्रमण किया था जिसके फलस्वरूप फ्रांस, पुर्तगाल तथा इटली से भित्रता स्थापित हो गई थी तथा जर्मनी से मंदर्प टल गया था।

ब्रिटेन में राजा का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; वह राष्ट्रीय

^{५४} 'दा गवर्नेन्स ऑफ इंग्लैण्ड', पृष्ठ २६४

^{५५} Laski : 'Parliamentary Government in England', page 398

जीवन की अन्य शाखाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय राजाओं, महाराजाओं और प्राचीन सम्राटों के समान ब्रिटिश राजा भी कला, साहित्य और विज्ञान में दिलचस्पी लेता है।

वह ब्रिटिश समाज का नेता भी होता है तथा शिष्टाचार और सदाचार के आदर्श उपस्थित करता है। राजा और रानी तथा राजसी परिवार के अन्य व्यक्तियों के कथन और कार्य वहाँ के धनी मानी लोगों के लिये एक प्रकार के नैतिक नियम से बन जाते हैं और उनके बाद वे अन्य लोगों में पहुँच जाते हैं। जनसाधारण की दशा सुधारने के लिये जो आनंदोलन आरम्भ किये जाते हैं उनमें राजपरिवार से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। दान-धर्म के कार्यों में राजा राष्ट्र का निर्देशक होता है, जैसे मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा, सेवा सदन, आदि कार्यों में वह भाग लेता है।

ग्रेट ब्रिटेन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में राजा के स्थान का विवरण समाप्त करने से पहले यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कुछ व्यक्तिगत विमुक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता है और कुछ निर्योग्यताओं के अधीन भी है। राजा भूमि और अन्य सम्पत्ति का स्वामी हो सकता है और उसका प्रबन्ध भी कर सकता है तथा सब प्रकार से उसे बेच या खरीद सकता है। किन्तु ऐसे किसी कार्य के विषय में उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसके किसी व्यक्तिगत आचरण के लिये किसी न्यायालय में उससे जबाब नहीं मांगा जा सकता, चाहे वह असाधारणी से या जानवृक्ष कर किसी नागरिक को उसके जीवन या सम्पत्ति से वंचित ही क्यों न कर दे। वह विधि से परे हैं, वह कोई गलती नहीं कर सकता।^{५३} दूसरी बात यह है कि राष्ट्र उसे राजकोप में से उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा राजसी ठाटवाट को बनाये रखने के लिये काफी राशि देता है। यह सिविल लिस्ट कहलाती है और प्रत्येक राजा के राज्यकाल के आरम्भ में संसद द्वारा निश्चित की जाती है। तथा राजा के जीवनकाल में उस राशि को घटला नहीं जाता। उसकी मुख्य निर्योग्यता यह है कि वह प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य भत का अनुयायी नहीं हो सकता। तथा ऐसी किसी महिला से विवाह नहीं कर सकता जो प्रोटेस्टेण्ट न हो। यदि अभियेक के पश्चात् राजा अपना भत परिवर्तन कर ले और रोमन केथोलिक या हिन्दू वन जाये, या ग्रेर प्रोटेस्टेण्ट महिला

^{५३} पिछले अध्याय में यही बात कहा गई थी पर वहाँ उसका आशय दूसरा था। वहाँ ‘राजा कोई गलती नहीं कर सकता’ इसका आशय यह लिया गया था कि उसके नाम से जो कार्य किये जायें उनके लिये वह उत्तरदायी नहीं है। यहाँ इस उक्ति का दूसरा अर्थ है। इसका आशय है कि वह विधि से परे है, वह न्यायालयों के अधिकार से मुक्त है। इस कथन की पूर्ण व्याख्या के लिये दोनों अर्थों को समझना चाहिये; कोई भी एक अर्थ दूसरे के बिना अधूरा ही रहेगा।

से विवाह कर ले तो उसकी प्रजा उसके प्रति निष्ठा से मुक्त हो जायेगी। एडवर्ड अष्टम को अग्री प्रेमिका से विवाह नहीं करने दिया गया था; और उससे विवाह करने के निमित्त उसे सिंहासन-न्याय करना पड़ा था। राजपरिवार, में सिंहासन का अधिकार सर्वप्रथम डेप्ट पुत्र को मिलता है; यदि वह जीवित न हो तो उसके डेप्ट पुत्र को, अथवा, उसके न होने पर डेप्ट पुत्री को मिलता है।

प्रिंसी परिपद— क्राउन के अधिकांश ओपचारिक कार्य प्रिंसी परिपद के द्वारा होते हैं, अतएव ब्रिटेन को ओपचारिक कार्यपालिका का विवरण समाप्त करने से पहले इस संस्था के विषय में भी कुछ शब्द कह देना चांछित प्रतीत होता है। यद्यपि यह संस्था बहुत कुछ विस्मृत सी है। हम पहले बता ही चुके हैं कि इसका जन्म किस प्रकार 'क्यूरिया रेजिस' में से हुआ था। यहां हम उसकी वर्तमान रचना तथा कार्यों का ही उल्लेख करना चाहते हैं।

उसकी सदस्य-संस्था निश्चित नहीं है; वह समय समय पर बदलती रहती है। इस समय उसमें लगभग ३८० व्यक्ति हैं जिनमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं; पेन्ट्रवरी न्याय वार्क के आर्कविशेष और लन्डन का विशेष, बहुत से पीयर जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो देश में और उसके अधीनस्थ देशों तथा उपनिवेशों में उच्च प्रशासन-पदों पर रह चुके हैं, बहुत से उच्च न्यायाधीश तथा निरुत्त (Retired) न्यायाधीश, कुछ ओपनिवेशिक राजनीतिज्ञ, समस्त वर्तमान और भूतपूर्व केविनेट मन्त्री, और वे सब व्यक्ति जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला, या राज्य की सैनिक या राजनीतिक सेवा में व्याप्ति प्राप्त करने पर राजा (अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर) प्रिंसी परिपद की सदस्यता सम्मान के रूप में प्रदान करना चाहता है। हमारे भी कुछ देशवासी उनके सदस्य थे, उनमें मुख्य के नाम ये हैं: स्वर्गीय सर्वश्री तेजवहादुर सप्तर्षि, श्रीनिवास शास्त्री तथा शादीलाल। प्रिंसी परिपद की सदस्यता जीवन-काल के लिये ठीकी है। 'एक बार प्रिंसी परिपद घन कर सदा प्रिंसी परिपद ही रहता है' ऐसी उनकी प्रमिणी है। प्रिंसी परिपद को इस प्रकार सम्बोधित करते हैं 'राइट आनरेवल'। प्रिंसी परिपद के काम में केवल केविनेट-मन्त्री ढी भाग ले सकते हैं जो कि इसके पदेन (Ex-officio) पारिपद ढोते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे पारिपदों से जिन्हे कि सम्बन्धस्वरूप यह प्रदिया जाना है कोई सलाइ नहीं ली जाती और उन्हे राज्य के कोई भैंड भी नहीं बताये जाते।

यद्यपि प्रिंसी परिपद क्यूरिया रेजिस की वंशज है और किसी समय वह महत्वपूर्ण भूमि थी किन्तु अब उसके पास राज्य के गढ़े प्रदेशों पर विचार और निश्चय का कोई काम नहीं है; उसका कार्य केवल ओपचारिक है। सिवाय उस समय के जबकि नये राजा का अभियेक होता है अथवा कोई ऐसी रस्म होती है, समूची परिपद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। कार्य के लिये प्रायः केविनेट के चार पांच

मुख्य सदस्यों को ही बुलाने की प्रथा है। वे प्रायः वक्तव्यम-ग्रामाद् में समवेत होते हैं तथा समूची परिपद् के नाम से कार्य करते हैं। प्रायः ऐसी बैठकों में, जो वर्ष भर में लगभग बीस बार होती है, राजा भी शामिल होता है, किन्तु उसकी उपस्थिति अपेक्षित नहीं है। परिपद् का लाई प्रधान, जो केविनेट का सदस्य होता है, और परिपद् का कलर्क सदा बैठक से उपस्थित होते हैं। तीन सदस्यों से गणपूर्ति (Quorum) हो जाती है। परिपद् का कार्य सपरिपद्-राजा के नाम से होता है।

परिपद् प्रायः निम्नलिखित कार्यों के लिये समवेत होती है: आज्ञातियों (Decrees) तथा अध्यादेशों (Ordinances) को जारी करना, जिन्हे प्रायः परिपद्-आदेश अथवा आईस-डन-काउनिसेन कहते हैं (इस शब्द को बाइ. में समझाया जायेगा); जब कोई नई सरकार बनती है तब मन्त्रियों को उनके पद की शपथ दिलाना, 'शेरिफों' की नियुक्ति; विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं तथा अन्य निकायों को चार्टर देना; अनुज्ञातियों (Licences) को मञ्जूरी तथा जुर्माने की माफी। परिपद् में ही नये नियुक्त विशेष राजा का अभिवादन करते हैं और परिपद् में ही मन्त्री राजा से पद की मुद्रा प्राप्त करते हैं। किन्तु सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य परिपद्-आदेशों का जारी करना है। यह समक्ता आवश्यक है कि वे क्या होते हैं।

अगले अध्याय में यह दिखाया जायेगा कि प्रेट ब्रिटेन में असली कार्यपालिका केविनेट है। वही सब भाग्यों पर विचार तथा विनिश्चय करती है। किन्तु छुछ सभय पहले तक सविधान की विधि में उसका नाम भी नहीं था; और वह केवल सांविधानिक अभिसमय (Convention) के रूप में ही अपना अस्तित्व बनाये रखती थी तथा सब काम चलाती थी। वह स्वयं कोई कार्यपालिका सम्बन्धी आदेश जारी नहीं कर सकती थी। यदि किसी विषय पर ससदीय मञ्जूरी की आवश्यकता होती थी तो केविनेट का विनिश्चय (decision) अनुसमर्थन (ratification) तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु लोकसभा में भेज दिया जाता था। यदि संसदीय अनुमोदन (approval) की आवश्यकता नहीं होनी थी तो उस भाग्यों को कार्यवाही के हेतु सपरिपद्-राजा (King-in-Council) के पास भेज दिया जाता था। यह व्यवस्था अब भी जारी है। केविनेट निश्चय करती है कि ऐसा ऐसा आदेश पारित किया जायेगा या किसी विशेष कार्य के करने के लिये राजा को मन्त्रणा दी जायेगी। वह स्वयं आदेश जारी नहीं करती और न क्राउन को स्वयं मन्त्रणा ही देती है; वह तो केवल प्रियी परिपद् को अनुदेश दे देती है कि वह उस आदेश पर अमल करे या क्राउन के नाम से उस पर कार्यवाही करे। और परिपद् केविनेट के विनिश्चय को परिपद्-आदेश के रूप में जारी कर देती है। निम्नलिखित आदेश परिपद्-आदेशों (Orders-in-Council) के रूप में जारी किये जाते हैं: उद्घोषणाएँ; संसद् को बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधटन करने के लेख, नगरपालिकाओं तथा

अन्य स्थानीय सभाओं को चार्टर देने के आदेश ; स्थायी सिविल सर्विस सम्बन्धी आदेश ; उपनिवेशों तथा अधीनस्थ देशों के शासन सम्बन्धी आदेश ; युद्ध सम्बन्धी आदेश जैसे तटस्थ व्यापार और तटावरोध (Blockade)। प्रति वर्ष ऐसे लगभग ६०० आदेश निकलते हैं। यह सख्त बढ़नी जाती है। संकेत में हम कह सकते हैं कि प्रिवी परिपद् केविनेट के विनिश्चयों को अपनी आजमियों तथा अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें परिपद्-आदेश कहते हैं, वैधानिक रूप देती है।

प्रिवी परिपद् अपना अधिकांश कार्य अपनी अनेकों समितियों के द्वारा करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 'न्यायिक समिति' (Judicial Committee) है। 'वैज्ञानिक और अौद्योगिक अनुसंधान विभाग' तथा 'भूतत्वीय परिमाप विभाग' और 'राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला' उसी के अधीन हैं। 'व्यापार मंडली' और 'शिक्षा मंडली' भी पहले उसी के अधीन थीं, किन्तु अब उन्हे अलग कर दिया गया है। कई वृत्ति संबंधी निकायों यथा 'चिकित्सा महापरिषद्' और 'चिकित्सा अनुसंधान परिषद्' आदि पर भी प्रिवी परिपद् का ही नियन्त्रण है।

अध्याय ५

मंत्रिमंडल और केविनेट

केविनेट की केन्द्रीय स्थिति :— ब्रिटिश सांविधानिक विकास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा रोचक विशेषता यह है कि राजा की रिथनि में शानैः शानैः परिवर्तन हो गया है और वह शामक न रहकर केवल राजा ही रह गया है; उसकी शक्ति मिट गई है परन्तु प्रभाव जोप रह गया है। इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण हाथ केविनेट का है। जो शक्ति पहले राजा के हाथ में थी वह अब केविनेट के हाथ में चली गई है। यद्यपि राजा का प्रत्येक कार्य अब भी राजा के नाम से ही होता है किन्तु मव जानते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका-सत्ता केविनेट ही है। फिर क्या आश्चर्य है यदि केविनेट को वह धुरा समझा जाता है जिसके चारों ओर सारा शासन-चक्र घूमता है, या रैमज़े-म्योर के शब्दों में 'केविनेट राज्य के जहाज़ का परिचालक चक्र (Steering wheel)' है। निससंदेह यह समस्त शासन यंत्र का सर्वोधिक महत्वपूर्ण पुर्जा और समस्त ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं में मुख्य है। ग्लेडस्टन के शब्दों में केविनेट 'आयुनिक काल के राजनीतिक जगत में सब से विचित्र वस्तु है। अपनी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, अपितु अपनी चतुरना, लचकीलेपन तथा बहुमुखी शक्तिसंपत्तता के कारण।'

हम इसके मूल स्रोत तथा विकास पर पहिले विचार कर चुके हैं और उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। १९५ अब हमें उसकी परिभाषा करनी है, उसके गठन और कार्यों का वर्णन करना है, राजा और संसद् के साथ उसके संबन्धों को निर्धारित करना है तथा उसके कार्यसिद्धान्तों को बताना है। केविनेट की परिभाषा करने से पूर्व, मंत्रिमण्डल (Ministry) से उसकी भिन्नता प्रकट कर देना आवश्यक सा प्रतीत होता है।

मंत्रिमण्डल (Ministry) : - मोटे तौर पर, आधुनिक सभ्य राज्य में शासन के कार्यपालिका-आंग के दो भाग होते हैं। एक भाग में राजनीतिज्ञ होते हैं, दूसरे में स्थायी नागरिक सेवा (Civil Service) के सदस्य। पहिले भाग के राजनीतिज्ञ विधान-मण्डल से लिये जाते हैं, जिन्हें 'नई सरकार' बनाते समय प्रधान-मंत्री विविध कार्यालयों का भार सौंपता है। मोटे तौर पर प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्त इन अधिकारियों का कार्य नीति का निर्माण तथा कार्यों का निदेशन होता है। उन सद्वको मिलाकर मंत्रिमण्डल कहते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की सदस्य-संख्या निश्चित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व उसमें पचास साठ सदस्य होते थे। युद्धकाल में उनकी संख्या घट कर ६० हो गई, और युद्ध के पश्चात् उसे फिर घटा कर ६५ के लगभग कर दिया गया। कार्यपालिका के दूसरे भाग में स्थायी नागरिक सेवा (Civil Service) के सदस्य होते हैं। सिद्धान्त के अनुसार उन्हें नीति का निर्माण नहीं करना पड़ता, उनका कार्य मन्त्रियों के आदेशों को क्रियान्वित करना ही होता है क्योंकि मंत्री ही विविध प्रशासकीय विभागों के प्रधान होते हैं। वे संसद् के सदस्य नहीं होते; वास्तव में संसद् की सदस्यता और सिविल सर्विस का पद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। निर्वाचनों में या लोकसभा में किसी दल की जय पराजय से उनकी पदाधिग्नि पर कोई 'प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, उनका पद राजनैतिक नहीं है। इसके विपरीत, मंत्रिमण्डल के सदस्य तभी तक पद पर रहते हैं जब तक कि संसद् में उनके दल का घटुमत रहता है; एक बार किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में उनके विरुद्ध सत्रान्त हो जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वे सब सामूहिक रूप से पदत्याग कर देते हैं।

अतएव हम यह परिभाषा कर सकते हैं कि मंत्रिमण्डल संसद् के उन सब सदस्यों की टोली है जिन्हें प्रत्येक नया प्रधान मंत्री, छोटे या बड़े, विविध पदों पर नियुक्त करता है, जबकि साधारण निर्वाचन में विजय के फलमूलरूप या पिछली सरकार के पदत्याग पर राजा उसे नई सरकार बनाने का आदेश देता है। ये सब व्यक्ति एक साथ पद ग्रहण करते हैं तथा एक साथ पद त्याग करते हैं। उनमें अधिकांश सदस्य ग्रायः लोकसभा से लिये जाते हैं। उनमें और क्राउन के अन्य पदाधिकारियों में, जिन्हें सिविल सर्विस कहते हैं, यह अन्तर है कि मंत्री लोग लोकसभा के प्रति उत्तर-दायी होते हैं, अर्थात् उनका पद राजनैतिक होता है। उनकी कोई निश्चित पदाधिग्नि नहीं

* देखिये, पीछे अध्याय २ में।

होती, वे तभी तक अपने पढ़ो पर रहते हैं जब तक कि संसद् केविनेट को पढ़ पर रखती है। केविनेट के त्याग-पत्र का अर्थ मंत्रिमंडल का त्याग-पत्र होता है। यह बात याद रखनी चाहिये कि मंत्रिमंडल का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता; उसके सारे सदस्य कार्यवश एक साथ समवेत भी कभी नहीं होते। उनमें से प्रत्येक का अलग अलग कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व केवल केविनेट के ही होते हैं तथा वह हो एक साथ समवेत होता है और समुदाय के रूप में कार्य करती है।

आधुनिक मंत्रिमंडल में हमें चार पाँच भिन्न भ्रेशियों के व्यक्ति दिखाई देने हैं। सब्रप्रथम उनमें प्रधान प्रशासकीय विभागों के प्रमुख होते हैं, जैसे नौ सेना का प्रधम लार्ड (First Lord of Admiralty), चान्सलर ऑफ एक्सचेकर, शिक्षा मंडली का अध्यक्ष, गृह विपक्ष का मामलों का राज्य सचिव। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो सरकारी विभागों के प्रमुख नहीं होते किन्तु कुछ उच्च पदों पर आसीन होते हैं, यथा परिपद् का लार्ड प्रेसीडेंट, और लार्ड चांसलर। तीसरी श्रेणी में संसदीय सचिव तथा उपसचिव होते हैं। किन्तु विभिन्न विभागों के स्थानी उपसचिव मंत्रिमंडल में नहीं होते, क्योंकि उनके पढ़ राजनीतिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल में लोकतंत्र के सरकारी सचेतक (Whips) होते हैं। कुछ राजकीय प्रासाद् के पदाधिकारी, जैसे कोपाध्यक्ष और उप-चेम्बरलेन भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का काम नीति का निर्माण या प्रशासन का निदेशन नहीं होता। छोटे मंत्रियों तथा संसदीय उपसचिवों का नीति के निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं होता, और सचेतकों का भी कोई प्रशासनीय कार्य नहीं होता।

केविनेट : मंत्रिमंडल के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वह राज्य का मुख्य मंचालक नहीं होता। एक दूसरी छोटी टोली होनी है जो केविनेट कहलाती है, वही 'नरकार' होनी है और सब सार्वजनिक कार्यों का निदेशन और नियंत्रण करती है। यद्यपि केविनेट और मंत्रिमंडल भिन्न हैं, किन्तु वे असम्बद्ध नहीं हैं, कुछ व्यक्ति दोनों के सदस्य होते हैं। केविनेट के सब सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं किन्तु मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य केविनेट का सदस्य नहीं होता। यदि आधुनिक निटिश मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य को मंत्री कह दिया जाये तो हमें मंत्री और केविनेट मंत्री में अन्नर रखना पड़ेगा। प्रवान मंत्रों संसद् के दोनों सदनों में से जिस सदस्य को राजनीतिक पढ़ पर नियुक्त करता है, वही मंत्री कहला सकता है; किन्तु वह केविनेट मंत्री केवल तभी कहलाना है जब कि वह उस अन्तररंग और चुने हुए सदस्यों की मंडली में होना है जिससे प्रवान मंत्री सहज ही उच्च नीति के सब मामलों में परामर्श लेना है। और जो प्रवान मंत्री सहित, राज्य को सर्वोच्च शासक होना है। इस

अंतरंग चुनी हुई मठली के सदस्यों को स्वयं प्रधान मंत्री चुनता है। इस दृष्टिकोण से केविनेट की यह परिभाषा हुई कि वह मन्त्रिमंडल के उन अत्यन्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्यों की टोली है जिन्हें प्रधान मंत्री अंतरंग मंडली में आमन्त्रित करता है। यह नहीं समझता चाहिये कि प्रधान मंत्री को पूर्ण स्वतंत्रता है कि किसको केविनेट में ले और किसे न ले। एक दर्जन से अधिक ऐसे पद हैं जिनके धारण करने वालों को अनिवार्यतः केविनेट में लेना हो पड़ता है, उनमें सुख्य पद ये हैं; परिपद् का लार्ड प्रेसीडेंट, लार्ड प्रिंसी सील, नौसेना का प्रथम लार्ड, चान्सलर आफ ऐक्सचेकर, और विदेश कार्यालय, युद्ध कार्यालय, गृह कार्यालय, अधिराज्य (Dominions) कार्यालय, उपनिवेश कार्यालय, स्काटलैंड सम्बन्धी कार्यालय 'आदि के प्रमुख, वायु सेना का मंत्री, और स्वास्थ्य तथा अम विभागों के मंत्री आदि। भारत सम्बन्धी राज्यसचिव भी सदा केविनेट का सदस्य होता था, किन्तु अब वह पद समाप्त हो गया है। पोस्ट मास्टर जनरल, कृपि तथा मञ्चलीन्हेंड्रों के बोर्ड का अध्यक्ष, 'फर्स्ट कमिशनर आफ वक्स' और आयरलैंड संवंधी लार्ड चान्सलर आदि पदों के धारण करने वालों को कभी केविनेट में ले लिया जाता है और कभी छोड़ दिया जाता है।

मन्त्रिमंडल के समान ही केविनेट की सदस्य संख्या भी निश्चित नहीं है; यह शनैः शनैः वढ़ती जाती है। अठारहवीं शताब्दी में केविनेट में ७ से ६ तक सदस्य होते थे, उन्हींसवीं शताब्दी में यह संख्या १२ और १५ के बीच में रही, तथा प्रथम महायुद्ध से पूर्व २० हो गई थी। एक बार यह संख्या २२ तक भी पहुँच गई थी, किन्तु सामान्यतः बीस ही रहती है। केविनेट की सदस्य संख्या वढ़ने का कारण यह है कि सामाजिक और आर्थिक मामलों संबंधी महत्वपूर्ण मन्त्रालयों की संख्या वढ़ गई है। किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के समय इस बड़ी संख्या के कारण शीघ्रता से विनिश्चय न हो पाते थे। अतः जब १९१६ में श्रो लायड जार्ज प्रवान मंत्री बने तब उन्होंने ५ व्यक्तियों का एक नया युद्ध केविनेट बनाया, जिसे बाद में छठा सदस्य जोड़ कर मजबूत बनाया गया था। यह बात किसी को पसन्द न आई किन्तु युद्ध काल में उसे सहन कर लिया गया। १९१६ में शांति होने पर उसकी संख्या युद्ध पूर्व के समान २० तक पहुँच गई, यद्यपि लॉयड जार्ज उसे १२ तक सीमित रखना चाहते थे। यद्यपि कई ब्रिटिश और विदेशी प्रेसकों का ख्याल है कि केविनेट वहुत बड़ी हो गई है जिससे कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं होता किन्तु यह संख्या की वृद्धि अनिवार्य सी है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इस वृद्धि को आवश्यकता का एक कारण यह भी है कि महत्वपूर्ण कार्यों संबंधी विभागों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है।

केविनेट के गठन और कार्यों पर विचार करने से पूर्व केविनेट और मन्त्रिमंडल के एक और अन्तर पर ध्यान देना चाहिये। मन्त्रिमंडल का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता और वह कार्य के लिये कभी निकाय (Body) के रूप में सम्बन्ध

नहीं होता, किन्तु केविनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और उसके सदस्य राज्य की नीतियों पर विचार करने और विनिश्चय करने के लिये समवेत होते हैं। अथवा यों कहिये कि केविनेट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करके विनिश्चय करती है। किन्तु वह उनको आदेश नहीं देती और उन्हें कियान्वित नहीं करती, यह प्रिवी परिपद् का काम है कि उनको क्रियान्वित करने की आज्ञामि जारी करे और उन्हें क्रियान्वित करना व्यक्तिगत मत्रियों का कार्य है। मंत्रिमंडल न विचार ही करना है, न आज्ञामि ही देता है और न उसे क्रियान्वित ही करता है। उसका निगमात्मक (corporate) अस्तित्व नहीं है। यह मुख्य अन्तर है। इसका अर्थ यह हुआ कि केविनेट त्रिटिश सांविधानिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है और उसकी सर्वोच्च निदेशक सत्ता है। केविनेट ही विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाली विविधरूप सत्ताओं के समुदाय को जोड़ कर एक बनाये रखती है।

यद्यपि प्रिवी परिपद, मंत्रिमंडल और केविनेट तीनों भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं, जिनके भिन्न भिन्न कार्य हैं, किन्तु २० व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तीनों के सदस्य होते हैं। केविनेट-मंत्री प्रिवी पारिपद भी होना है तथा मंत्रिमंडल का सदस्य भी। केविनेट-मंत्री के स्प में वह विचार करता है, प्रिवी पारिपद के रूप में वह आदेश देता है, और मंत्री के स्प में वह उसे क्रियान्वित करता है।

केविनेट का गठन:— केविनेट में (और मंत्रिमंडल में भी) प्रधान मंत्री प्रमुख व्यक्ति होता है। उसका गठन भी वही करता है क्योंकि वही अपने केविनेट की रचना, नट्स्य नग्न्या और उसके सदस्यों में विभाग वितरण का निर्धारण करता है। वही निश्चय करता है कि उसमें किनने सदस्य होंगे और कौन किस पद को ग्रहण करेगा। १६५८ में केविनेट के १७ सदस्य थे, और १५ अन्य मंत्री थे जो केविनेट-पद के तुल्य थे और जब भी कार्यावली के अनुसार उनका भाग लेना अभीष्ट होता था तब उन्हें साम्राज्यिक केविनेट घैटकों में बुला लिया जाना था। कुछ विभागों के प्रधान तौ अनिवार्यन: केविनेट में लिये ही जाते हैं, किन्तु शेष के विषय में वह निर्णय करता है कि उन्हें लेना चाहिये या नहीं। कई अपने साथियों को चुनने में और उनके पद निश्चित करने में उसे सिद्धान्तत स्वतंत्रता होती है; संसद प्रत्यक्ष रीति से उसके कार्यों पर

* केविनेट में निम्नलिखित मर्दव समाविष्ट होते हैं:— प्रधान मंत्री, परिपद का लार्ड प्रेस्टेन्ट, लार्ड चान्मलर, लार्ड प्रिवी सोल, चासलर आफ एक्सचेफर, गृह विभाग, विदेश विभाग, अविराज्य (अब राष्ट्रमण्डल), स्कार्टलैंड (पहले भारत भी था) आदि विभागों के राज्यमन्त्रिव, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, व्यापार मण्डली का अध्यक्ष शिक्षा मण्डली का प्रयोग, श्रम मंत्री, कृषि नथा मीनचेत्र मंत्री। इनके अतिरिक्त कुछ और मंत्री भी लिये जाते हैं।

नियंत्रण नहीं करती, और उसे विश्वास होता है कि वह जो भी सूची राजा को पेश करेगा उस पर वह स्वीकृति दे देगा; वह स्वीकृति औपचारिक रूप में अनिवार्य है। किन्तु वास्तव में प्रधान मंत्री को कई कठिनाइयों और धंधनों के अधीन कार्य करना पड़ता है। यह याद रखना चाहिये कि प्रधान मंत्री अपने दल का नेता होने के नाते ही प्रधान मंत्री बनता है, और प्रधान मंत्री के रूप में वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे दल के सम्बन्ध को ध्यान में रखना पड़ता है। उसे अपने कुछ ऐसे साथियों को तो चुनना ही पड़ता है जिनको सरकार में रखना दल आवश्यक समझता हो, वरन् कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी इच्छानुसार पढ़ भो मांगते हैं। वह उनकी भी उपेक्षा नहीं कर सकता जो पहले केविनेट में थे और अब भी दल में हैं, और उन नवयुवकों को भी नाराज नहीं कर सकता जो प्रसिद्धि प्राप्त कर गये हैं। उसे दल के विभिन्न तर्फों को संतुष्ट करना पड़ता है और मंत्रिपदों का ऐसा वितरण करना पड़ता है कि कोई भौगोलिक क्षेत्र वालर न रह जाये। उसे जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार प्रधान मंत्री को ऐसी टोली चुननी पड़ती है जिससे दल के नेता सतुष्ट हों और कार्य ठीक चले, इसलिये वह अपनो इच्छानुसार ही सब कुछ नहीं कर सकता, अपितु 'दल' के अपने अन्य साथियों से उसे परामर्श लेना पड़ता है तथा समझौता करके मध्यमार्ग अपनाना पड़ता है। फिर भी मत्रियों के चुनने में उसकी इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर है और अनेक अनुयायियों पर जितना उसका प्रभाव होगा उतनी ही उसकी मर्जी अधिक चलेगी। यह भी याद रखना चाहिये कि उसे समस्त मंत्री संसद में से ही लेने होते हैं,^{३४} और केविनेट में कुछ लार्डसभा के सदस्यों को भी शामिल करना होता है। इस समय विधि यह है कि कम से कम तीन विभाग-प्रमुख पीयर होने चाहियें, लार्ड चांसलर इनके अतिरिक्त है। लार्ड सभा में सरकार के प्रवक्ता होने चाहियें जो उसकी नीति का स्पष्टीकरण कर सके तथा उसके निश्चयों पर सफाई पेश कर सके। अतएव मंत्रिमंडल बनाने का कार्य बहुत नाजुक है और उत्तरदायित्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो किसी को नाराज़ किये विना इस कार्य को पूरा कर लेता है।

अब हमें जरा विपर्यान्तर करके यह देखना है कि कैसा व्यक्ति कैविनेट मंत्री बनना है। क्या मंत्री बनाने से पूर्व प्रधान मंत्री उस व्यक्ति में किसी विशेष योग्यता को देखता है? इस प्रश्न का कोई पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऊपर

* विशेष दशा में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य न हो। किन्तु यदि छह मास में ही वह संदर्भ में स्थान प्राप्त न कर सके तो उसे अपना पढ़ त्यागना पड़ता है। उसे स्थान देने के लिये या तो 'पीयर' बना दिया जाता है या दल के किसी अन्य सदस्य को मना कर उसे त्यागपत्र दिला दिया जाता है और उसके स्थान पर उपचुनाव में वे मंत्री महोदर्य खड़े हो जाते हैं।

वतागा ही जा चुका है कि प्रधान मंत्री अपने साथियों को चुनने में विभिन्न घातों पर विचार करता है। किन्तु एक घात कही जा सकती है। केविनेट की सदस्यता संसद् में सेवा का पुरस्कार है; यह उपरकार बहुत समय तक राजनीति में कार्य करने के पश्चात् ही मिल पाता है। उस उच्च पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो बहुत उच्च गुणों से युक्त हो। उन गुणों में भृत्यज्ञ, स्वभाव तथा आचार-विचार की उच्चता आ जाती है। अपने साथियों पर प्रभाव दालने के लिये तथा उनसे सम्मान प्राप्त करने के लिये उस व्यक्ति को बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करनी चाहिये, विस्तृत सामान्य ज्ञान, समझदारी, और निर्णयशक्ति, प्रयोजन की सचाई तथा किसी समस्या की तह तक पहुँच कर शीघ्रता से निश्चय करने की योग्यता। तथा इदं नैतिक आचार, ये सब गुण प्रदर्शित करने होते हैं। भाषण की योग्यता भी सहायक होती है, किन्तु केवल तभी तक जब कि अन्य गुण भी हों अन्यथा केवल भाषण की योग्यता से उसे अधिक लाभ नहों हो सकता। तर्क करने की शक्ति, उत्तर देने की क्षमता और आपात का सामना करने की योग्यता भी बहुत सहायक होती है। केविनेट के सारे सदस्यों में चाहे इतनी योग्यताएँ न हों किन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति केविनेट में अवश्य होने चाहियें अन्यथा वह केविनेट अधिक समय तक नहीं चलेगी। केविनेट मंत्री में तो गुण चाहियें वे प्रधान मंत्री में तो और भी अधिक आवश्यक हैं। उसे मानवीय स्वभाव का ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि वह अपने साथियों और सहायकों को चुन सके तथा उन पर भरोसा कर सके। बहुत से त्रिटिश प्रधान मंत्री बहुत सुविव्यता व्यक्ति हुए हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा तैयार की हुई मन्त्रि-सूचि को राजा स्वीकार करता है। राजा को प्रस्थापित नियुक्तियों पर विचार करने का अधिकार है; वह कुछ नामों के रखने पर आपत्ति कर सकता है और उनके स्थान पर अन्य नामों का सुभाव दे सकता है। कहा जाना है कि रानी विक्टोरिया ने कुछ पदों पर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति को स्क्रिब दिया था; उदाहरण के लिये उसने लॉर्ड रिपन को भारत का राजसचिव नहीं बनने दिया था। किन्तु यदि प्रधान मंत्री इदं व्यक्ति है और अपनी सिफारियों पर अड़ जाना है तो राजा को अपना विरोध वापिस लेना पड़ता है और सूची को स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु राजा की राय मूल्यहीन नहीं होती। कुछ भी हो, मंत्रियों की नियुक्तियों पर विचार करने का अधिकार आधारभूत है; इससे राजा को अधिकार मिल जाता है कि वह पदों के वितरण पर प्रभाव डाल सके।

केविनेट के निर्माण में तो मुख्य हाथ प्रधान मंत्री का होता ही है, उसके कार्य में भी उसी का मुख्य हाथ होता है। प्रत्येक केविनेट के रंग ढंग पर प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व का, उसके कार्यों का और उसकी कार्य-निदेशन-प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। प्रधान मंत्री की स्थिति और शक्तियों के वर्णन में यह घात स्पष्ट हो जायेगी।

केविनेट के अंत का भी मुख्य कारण प्रधान मंत्री ही होता है। उसके त्यागपत्र का अर्थ केविनेट का त्यागपत्र तथा समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। लार्ड मोरले ने ठीक ही कहा है कि प्रधान मंत्री 'केविनेट रूपी भवन की आधारशिला' है। हाल ही की घटनाओं से उसकी शक्ति और स्थिति बढ़ती जाती है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति : हम यह देख चुके हैं कि प्रधान मंत्री केविनेट के निर्माण तथा कार्य में केन्द्रीय व्यक्ति है, और केविनेट राज्य की सर्वोच्च शासक सत्ता है, अतएव उस प्रणाली का निर्देश करना अभीष्ट है जिससे यह सर्वाधिक शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण अधिकारी वास्तव में चुना जाता है। नियमों के अनुसार तो प्रधान मंत्री को चुनना राजा का कार्य है। एक समय ऐसा था जब राजा लोग स्वयं अपने प्रधान मंत्रियों को चुना करते थे; अब भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अनेक सम्भावित उम्मीदवारों में से सचमुच अपनी पसन्द का व्यक्ति ले सके। किन्तु साधारणतः हम कह सकते हैं कि राजा को चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राजनैतिक स्थिति से स्वतः आभास हो जाता है कि किसे प्रधान मंत्री बनाया जाये। उसे लोकसभा में निर्वाचित वहुसरल्यक राजनैतिक दल के नेता को बुलाना पड़ता है, और यदि सरकार सभा में हार चुकी है तो विरोधी दल के नेता को बुलाना पड़ता है। क्योंकि मतदाता ही एक दल को शक्ति प्रदान करते हैं अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्रधान मंत्री मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होता है; साधारण निर्वाचन वास्तव में प्रधान मंत्री का ही निर्वाचन है; किन्तु कभी कभी लोकसभा में दल के सदस्य ही अपने सदसदीय नेता को चुनते हैं।^{४४} उस हद तक यह भी कहा जा सकता है कि प्रधान मंत्री को चुनने में उनका भी हाथ होता है। मतदाता उस दल को चुनते हैं जिससे वे अपना शासन करवाना चाहते हैं; दल उस व्यक्ति को चुनता है जिसे वह यह सम्मान देना चाहता है, कई बार उसका पहले ही कोई नेता होता है जिसने उस दल का निर्वाचन में नेतृत्व वरके उसे विजय दिलाई हो; फिर देश द्वारा और दल द्वारा चुने गये व्यक्ति को सरकार बनाने का निमंत्रण देकर राजा उस नेता के निर्वाचन का अनुमोदन कर देता है। इससे पता चलता है कि प्रधान मंत्री को चुनने में राजा की अपनी मर्जी कुछ अधिक काम नहीं करती; अधिकांश मामलों में वह प्रधान मंत्री को नियुक्त ही करता है चुनना नहीं। वह केवल तभी चुनता है जबकि किसी दल का पूर्ण वहुमत नहीं होता, जैसा कि

^{४४} श्रम दल कहता है कि संसद के श्रम सदस्यों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, किन्तु रूदिवादी दल इस पर आचरण नहीं करता। वह प्रायः प्रधान मन्त्री को ही अपना नेता चुन लेता है। 'श्री बाल्डविन १६२३ में नेता बना, श्री चेम्बरलेन १६३७ में, और श्री चर्चिल १६४० में नेता बना, क्योंकि वे प्रधान मन्त्री थे।' (जैनिंस : ग्रिटिश संविधान, पृष्ठ १०५)

१६३४ में हुआ था, या जबकि वहुसंख्यक दल का कोई नेता नहीं होता।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति के संबंध में एक दो वातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। अब यह लगभग नियमित सांविधानिक अभिसमय बन गया है कि प्रधान मंत्री लोकसभा का ही सदस्य होगा। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होनी है, लोर्डसभा के प्रति नहीं, उसी सदन में जनमत प्रतिविम्बित होता है और वहीं संसदीय विरोधी दल भी होता है। तब आवश्यक है कि विरोधी दल की आलोचना और चुनौती का उत्तर देने के लिये प्रधान मंत्री को लोकसभा में उपस्थित होना चाहिये। १६३३ में जब बोनर लॉने ने त्यागपत्र दिया था तब राजा को दो व्यक्तियों में से प्रधान मन्त्री चुनना था, एक तो लार्ड कर्जन था जो लोर्डसभा का सदस्य था और दूसरा श्री वाल्डविन था जो लोकसभा में रुढ़िवादियों में सर्वाधिक लोकप्रिय था। उन दोनों में से लार्ड कर्जन अधिक अनुभवी था किन्तु राजा को मंत्रणा दी गई थी कि वह श्री वाल्डविन को ही चुलाये क्योंकि श्रमदल का, जो मुख्य विरोधी दल था, द्वितीय सभा में लगभग कोई प्रतिनिधि नहीं था। दूसरी बात यह भी याद रखनी चाहिये कि राजा प्रायः निवृत्त होने वाले प्रधान मंत्री से भी सुझाव मांगता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन हो, किन्तु वह ऐसा करने के लिये वाध्य नहीं है। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब कि राजा ने निवृत्त होने वाले प्रधान मंत्री से परामर्श नहीं किया। राजा अन्य लोगों से बातचीत करके स्वयं रिति का अनुमान लगा लेता है, यदि राजनैतिक स्थिति से स्पष्ट पता न लगे कि प्रधान मंत्री कौन हो।

केविनेट व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएँ:—यह समझने के लिये कि केविनेट देश का शासन कैसे करती है, उन सिद्धान्तों का ज्ञान सर्वथा आवश्यक है जिनके अनुमार केविनेट कार्य करती है। उनसे पाठक केविनेट क्या है? इस बात को भी स्पष्ट सभम जायेंगे। उनमें से कौन सा सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, इस विषय पर विद्वानों में वहुन मतभेद हो सकता है।

केविनेट की सबसे प्रधान और आधारभूत विशेषताओं में एक यह है कि वह ११ दल के आधार पर बनती है। इसके कई आशय हैं। इसका अर्थ यह है कि केविनेट का, वरन् मन्त्रिमंडल का, प्रत्येक सदस्य साधारणतः एक ही दल में से लिया जाता है। (मिथ्रित केविनेटों की बात और है।) अनुभव से पता चलता है कि यदि केविनेट में विरोधी राजनैतिक विचारों के व्यक्ति हों तो सुगमता से कार्य नहीं चलता। एक ही दल में से बनी हुई केविनेट सबसे अच्छी रहती है क्योंकि उन सबका उद्देश्य एक ही होता है। इसका यह भी आशय है कि केविनेट देश का शासन उस दल के नाम से चलानी है जिसके कारण उसे लोकसभा में वहुमत प्राप्त होता है। इसी कारण हम प्रायः कहते हैं कि रुढ़िवादी दल का शासन है या उदार दल का या समाजवादी दल का। इसका यह भी आशय है कि केविनेट उस दलीय कार्यक्रम को पूरा करने

का प्रयत्न करेगी जो निर्वाचनों के समय देश के समक्ष रखा गया था। जब तक वह दल के विनिश्चयों और नीतियों को क्रियान्वित करती रहती है तब तक उसके अनुयायी उसका समर्थन करेंगे और उसे शक्ति आरूढ़ बनाये रखेंगे। ज्योही वह दल की नीति से दूर हटती है, उसे बहुमत खो देने और इस प्रकार शक्ति ही खो देने का भय रहता है। इसी कारण कई बार कहा जाता है कि 'केविनेट लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की एक समिति है जिसे देश का शासन चलाने के लिये एक व्यक्ति चुनता है।' जहाँ मिश्रित केविनेट होगी वहाँ वह कई दलों की समिति कहलायेगी।

केविनेट की एकरूपता तथा एकता का कारण भी यही है कि वह दलीय आधार पर बनती है। स्पष्ट है कि जब केविनेट के सारे सदस्य एक ही राजनैतिक दल से लिये जायेंगे तो वे अपनी राजनैतिक भावनाओं और विचारों में बहुन साम्य प्रदर्शित करेंगे और वे अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक टोली के समान कार्य करेंगे। यदि केविनेट के सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों के होंगे तो केविनेट पद्धति की वास्तविकता नहीं रहेगी। मिश्रित केविनेट वास्तव में केविनेट नहीं होती। १९३७ में भारतीय-राष्ट्रीय-सभा (Indian National Congress) ने प्रान्तों में मिश्रित केविनेट बनाने से इन्कार करने में यह दिखा दिया था कि वह केविनेट की शासन पद्धति के सिद्धान्तों को भली भांति समझती है।

केविनेट की एकता का केवल यही अर्थ नहीं है कि वह टोली के समान कार्य करती है। उसका यह भी अर्थ है कि किसी प्रश्न पर चाहे सदस्यों में कुछ भी मतभेद क्यों न हो, वे मतभेद बाह्य जगत, राजा, लोकसभा तथा देश के समक्ष नहीं खोले जायेंगे। एक बार पर्याप्त विचार करके कोई विनिश्चय कर लिया जाता है तो सब सदस्यों को उसका समर्थन करना होता है, कोई भी सभा में, पत्रों से या मंच पर उसकी आलोचना या विरोध नहीं कर सकता। केविनेट पद्धति को यह मुख्य विशेषता है।

केविनेट के दलीय आधार का निकट सम्बन्ध इस बात से है कि उसमें प्रधान मंत्री की प्रमुखता और उसका नेतृत्व होता है। पहले यह बताया जा चुका है कि प्रधान मंत्री उसका मुखिया होता है, उसके निर्माण, जीवन तथा मृत्यु में उसका भाग महत्वपूर्ण होता है। वही दूसरे मंत्रियों को चुनता है और उन्हें अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित करता है। वही उनके कार्य की सामान्य देखभाल करता है और उनकी कार्य-वाहियों को विनियमित करता है। वह प्रत्येक मंत्री से परामर्श करता है, आवश्यकता-नुसार उसे प्रोत्साहन, मंत्रणा या ढाट फटकार देता है। यदि मंत्रियों में मतभेद हो जाये तो वह उसे निवटाने का प्रयत्न करता है। यदि कोई मंत्री उसके अनुदेशों का पालन करने से इन्कार कर दे तो वह उससे त्यागपत्र मांग सकता है या काउन से

कह कर उसे पद्धत्युत करवा सकता है। यदि किसी महत्त्वपूर्ण वात पर बहुत से केविनेट मंत्री उससे भिन्न विचार रखते हो तो वह कह सकता है कि या तो वे सब उसके विचारों को स्वीकार करें या, विकल्प में, वह त्यागपत्र देगा या वे सब देंगे। उसे हटाना बहुत कठिन होता है क्योंकि वह दल का नेता होना है। वह केविनेट की कार्यावली पर नियंत्रण रखता है। वही केविनेट और राजा के मध्य एकमात्र सचार का माध्यम (Channel of communication) होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है वही केविनेट में किसी महत्त्वपूर्ण मामले पर विचार करने से पहले राजा के साथ उस पर वातचीत कर लेता है और वाद में केविनेट का विनिश्चय उसे सुना देता है। वही समस्त महत्त्वपूर्ण मामलों पर केविनेट का प्रबन्ध है। भरकारी नीति की अधिकृत घोषणाओं तथा वक्तव्यों के लिये संसद् तथा राष्ट्र उसी की ओर देखते हैं। उसी से आशा की जाती है कि वह संसद् के समेत अधिक महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर बोले और सरकार की ओर से वाइ-विवाद को संभाले। वही अकेला यह निर्णय करता है कि संसद् को विधायित किया जाये या नहीं, और किया जाये तो कब। इन, और अन्य शक्तियों और कार्यों के कारण उसका केविनेट में आधिकार्य होता है। केविनेट में उसकी केन्द्रीय और प्रधान स्थिति होने के कारण यह कहना गलत है कि वह 'समकक्षियों में प्रथम' (*Primus inter pares*) है। वास्तव में दूसरों को किसी अर्थ में उसके समान नहीं माना जा सकता। वह राज्य का कार्यवाहक प्रधान है, और उसकी ऐसी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा होती है जहाँ तक केविनेट का कोई अन्य सदस्य पहुंच भी नहीं सकता, उसकी वरावरी करना तो दूर रहा।

किन्तु त्रिटिश प्रधान मंत्री उस अर्थ में अपने केविनेट का स्वामी नहीं है जिस अर्थ में कि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने केविनेट का स्वामी होता है। दोनों की स्थिति समान नहीं हो सकती। यद्यपि त्रिटिश प्रधान मंत्री अपने मन्त्रियों को चुनता है और पढ़ों पर आसीन करना है, फिर भी वे उसके सेवक नहीं होते, वे उसके प्रति उत्तरदायी न होकर संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनके साथ वह निरंकुशता का व्यवहार नहीं कर सकता, वरन् उसे उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि केविनेट में आधे सदस्य तो ऐसे होते हैं जो प्रधान मंत्री के अनुग्रह या कृपा के कारण वहाँ नहीं होते, वरन् दल में अपनी प्रतिष्ठा के बल पर होते हैं। अमरीकी केविनेट के सदस्यों के विषय में यह वात नहीं है। त्रिटिश प्रधान मंत्री की अपेक्षाकृति-निर्वलना का एक और भी कारण है। उसकी 'सत्ता का आधार दल में उसका प्रभाव होता है और कोई परिभाषित शक्तियों नहीं होती जो विधि द्वारा प्रदत्त हो।' किंतु इस प्रकार वह अपने साथियों को वाध्य नहीं कर सकता, अपितु उन्हें समझा दुमाकर अपने विचारों के अनुकूल चलने के लिये राजी करना पड़ता

है। प्रधान मंत्री की शक्तियों के विषय में आगे भी कुछ लिखा जायेगा।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रांस में केविनेट पद्धति विल्कुल भिन्न प्रकार से कार्य करती रही है और उसके परिणाम भी भिन्न हुए हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री केविनेट का उसी प्रकार नेतृत्व नहीं करता जैसे कि ब्रिटेन में प्रधान मंत्री करता है और फ्रांस में केविनेट एकरूप नहीं होते।

केविनेट पद्धति की तीसरी प्रमुख विशेषता मन्त्रियों का उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व दो प्रकार का है, वरन् तीन ही प्रकार का है—वैधानिक, राजनैतिक और अंतःकेविनेट उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि क्राउन के नाम से जारी होने वाले कार्यपालिका संबन्धी आदेश या आज्ञामि पर जो मन्त्री हस्ताक्षर करता है वह उसके लिये उत्तरदायी है और यदि उसे अवैध (illegal) सिद्ध कर दिया जाये तो उसके कुपरिणामों के लिये उस पर न्यायालय में दावा हो सकता है। राजनैतिक उत्तरदायित्व, जो शासन-विज्ञान और कला में ब्रिटेन की मुख्य देन है, उससे सर्वथा भिन्न है। |इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री को अपने सार्वजनिक कामों के लिये लोकसभा के समक्ष उत्तर देना होगा, चाहे वह मंत्री केविनेट का सदस्य हो या न हो। यह उत्तरदायित्व सुशासन के लिये उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मन्त्रियों की कार्यकुशलता और ईमानदारी।| इसका केवल यही अर्थ है कि यदि विधान-मंटल की लोकसभा किसी मंत्री के सार्वजनिक कार्य की निन्दा करती है तो उसे पढ़-त्याग करना होता है। कोई मंत्री राज्य के मामलों का प्रशासन तभी तक कर सकता है जब तक कि उसके कार्यों और नीति का अनुमोदन संसद कर दे। ज्योही वह उसके विश्वास को खो देता है, त्योही उसे पढ़त्याग करना पड़ता है। किसी मंत्री की नीतियों को अस्वीकर करने के लिये संसद के पास कई तरीके हैं। वह उसमें अविश्वास का सीधा प्रस्ताव ही पारित कर सकता है, या उसके किसी विशेष कार्य की आलोचना और निन्दा कर सकती है, या उसके द्वारा पेश किये हुए किसी विधेयक को पारित करने से इनकार कर सकती है या उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो उसे स्वीकार न हों। संक्षेप में, राजनैतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि अप्रेसब्र लोकसभा किसी मंत्री को या समूचे केविनेट को ही पढ़त्याग करने के लिये विवश कर सकती है। अन्तःकेविनेट उत्तरदायित्व को सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं। राजनैतिक उत्तरदायित्व के समान यह भी केविनेट पद्धति का विशेष गुण है। इसका अर्थ यह है कि केविनेट का प्रत्येक सदस्य समूचे केविनेट के विनिश्चयों के लिये उत्तरदायी है और उससे बोध्य है। “केविनेट में जो कुछ होता है उसके लिये उसका प्रत्येक सदस्य, जो त्यागपत्र नहीं दे देता, सर्वथा उत्तरदायी होता है, और उसे बाद में यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह समझौते के लिए किसी बात पर सहमत हो गया था या किसी और बात

पर अपने साथियों द्वारा फुसला लिया गया था।” यह बात १८७८ में लार्ड सेलिस्टरी ने कही थी। केविनेट एक इकाई के रूप में काम करती है, राजा के सम्बन्ध में वह एक इकाई है और संसद तथा देश के सम्बन्ध में भी वह एक इकाई है। वह राजा को एक होकर मन्त्रणा देती है और संसद के समझ अपने विचारों को एक होकर ही पेश करती है। केविनेट के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं होता कि वह उसके किसी विनिश्चय की आलोचना या विरोध कर सके। यदि उसका केविनेट से मतभेद हो जाये तो उसके लिये यही विकल्प है कि वह पद्त्याग करदे। एक मंत्री के विस्तृद्व निन्दा-प्रस्ताव समूचे मंत्रिमंडल के विस्तृद्व मिन्ड-प्रस्ताव समझा जाता है। वे एक साथ ही तैरते या छूटते हैं। केविनेट पद्धति का सिद्धान्त यह है ‘प्रत्येक सब के लिये है और सब प्रत्येक के लिये हैं।’ यहां तक कि जब कोई मंत्री केविनेट में किसी बात पर विचार किये विना अकेला ही अपने विभाग में किसी प्रश्न पर विनिश्चय कर लेता है तब भी समूची केविनेट उसके लिये उत्तरदायी हो जाती है। किन्तु ऐसे मामलों में केविनेट को यह अधिकार है कि वह उस मंत्री के विनिश्चय को न अपनाये; और फिर सम्बद्ध मंत्री ही त्यागपत्र देता है। सर सेम्युअल झोर ने एवीसीनिया के विषय में लॉबल से जो संधि की थी उसे केविनेट ने नहीं अपनाया था जिसका परिणाम यह हुआ था कि जब संसद ने उसको अस्वीकार कर दिया तब केवल सर सेम्युअल को ही विदेश सचिव के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त त्रिटिश पद्धति का मूलाधार है और शासन की यही कला और विज्ञान ब्रेट ब्रिटेन की सबसे सहत्वपूर्ण देन है। किन्तु फ्रांस या अन्य देशों के समान वह ब्रिटेन की सांविधानिक विधि का अज्ञ नहीं है, बल्कि पूरे नीर पर प्रथा या अभिसमय (Convention) पर आवारित है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मूल अन्ततोगत्वा इस बात में है कि केविनेट ‘दल के आधार’ पर बनती है। केविनेट पद्धति को ठीक प्रकार से चलाने के लिये यह अनिवार्य है क्योंकि नीतियों के निर्माण में इसी से पारस्परिक विश्वास तथा सहिष्णुता उत्पन्न होती हैं जिनके बिना भन की एकता असम्भव है।

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के साथ यह बात भी है कि केविनेट एक गुप्त समिति होती है। केविनेट अपना विचार-विमर्श गुप्त रूप में करती है और उस पर परदा ढाल देनी है। प्रत्येक केविनेट मंत्री को प्रियी परिपद के समझ शपथ लेनी पड़ती है कि वह केविनेट के भेद किसी को नहीं बतायेगा। उसके लिये ‘शासन-भेद-अधिनियम’ (Official Secrets Act) भी है। किन्तु शायद इस नियम का पालन अधिकांश में उसकी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण किया जाता है। केविनेट पद्धति तभी सुचारू रूप में काम कर सकती है जब कि उसके सदस्यों के मतभेदों का

संसार में न खोला जाये। केविनेट एक और तो राजा के समक्ष तथा दूसरी ओर संसद् में, तभी संयुक्त मोर्चा बना सकती है; और तभी सामूहिक उच्चरदायित्व बना रह सकता है जब कि पर्दे के पीछे होने वाली बातों को संसार के समक्ष न खोला जाये। यदि किसी मंत्री का प्रत्येक कथन जनता को ज्ञात हो जाये तो कभी स्वतन्त्र रूप से वादः-विवाद नहीं हो सकता। किन्तु गुप्तता का नियम पूर्णतः कठोर नहीं है। जब कोई मंत्री अपने साथियों के साथ या प्रधान मंत्री के साथ गम्भीर मतभेद होने के कारण त्यागपत्र देता है, और सभा में स्पष्टीकरण देना चाहता है तो कुछ केविनेट के भेद अवश्यमेव खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब केविनेट की कार्यवाहियाँ इतिहास का अङ्ग बन जाती हैं तब इस नियम पर जोर नहीं दिया जाता।

इसी नियम के कारण सदस्यों को केविनेट की कार्यवाही लिखने की मनाही है। केवल प्रधान मंत्री को, और अब केविनेट के सरकारी सचिव को भी, उस कार्यवाही का विवरण लिखने का अधिकार है। प्रधान मंत्री समाचारपत्रों को केविनेट के महत्वपूर्ण विनिश्चयों का संक्षिप्त विवरण दे सकता है। इस पद्धति की एक अन्य विशेषता भी है। केविनेट विधान-मंडल (Legislature) से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, अपितु उसका 'अभिन्न और सजीव अङ्ग' समझा जा सकता है। ब्रिटिश संसद् ही केविनेट को जीवन प्रदान करती है और उसके समर्थन वापस ले लेने पर केविनेट को पदत्याग करना पड़ता है। ब्रिटिश और अमरीकी पद्धतियों में यही मूल अंतर है।

उपरोक्त विवरण को संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ब्रेट ब्रिटेन में केविनेट पद्धति की निम्न मुख्य विशेषताएँ हैं:— प्रधान मंत्री का नेतृत्व; केविनेट का दलीय आधार, और उसमें एकलूप्ता संगठन और एकता का होना; उसका सामूहिक उच्चरदायित्व और लोकसभा के प्रति उसकी जवाबदेही; अंततः उसकी कार्यवाही का गुप्त रहना। ये सब विशेषताएँ फ्रांस और अन्य देशों में, जिन्होने इस पद्धति को अपनाया है, नहीं पाई जातीं; क्योंकि ब्रिटेन में जो परिस्थितियाँ हैं वे अन्य देशों में नहीं पाई जातीं।

केविनेट के कार्यः— केविनेट के कार्यों का वर्णन संक्षेप में करना आसान नहीं है; वे इतने विविध हैं जितने कि किसी देश की सरकार के कार्य हो सकते हैं। केविनेट राष्ट्र की उच्चतम कार्यपालिका (executive) होती है, वह राष्ट्रीय नीति का निदेशन तथा निर्माण करती है और शासन के विभिन्न प्रशासन-विभागों से उस पर अमल करवाती है। शासन के कार्य में जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उसके विषय में उसका निर्णय अन्तिम होता है। केविनेट की स्वीकृति के बिना किसी महत्वपूर्ण नीति का निर्धारण या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लास्की के शब्दों में कहा जा

सकता है कि उसका वारतविक कार्य 'उस दल के या उन दलों के नाम से देश पर शासन करना है जिनके कारण उसे लोकसभा में वहुमत प्राप्त है'।^{*}

शासन-चंत्र समिति (Machinery of Government Committee) की रिपोर्ट के अनुसार, केविनेट के तीन मुख्य कार्य हैं। वह ये हैं: (१) संसद में पेश की जाने वाली नीति का अन्तिम निर्धारण, (२) संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, और (३) राज्य के विभिन्न विभागों के प्राधिकारों (authorities) का निम्नतर परिसीमन करना तथा उन्हें संबन्धित करना। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन में केविनेट के केवल ये ही कार्य नहीं हैं। वह और भी कई कार्य करने लगी है जो इतने ही महत्वपूर्ण हैं। रैमजे म्यूर (Ramsay Muir) ने निम्नाङ्कित कार्यों का उल्लेख किया है: (४) केविनेट ही सब विधि-निर्माण के लिये उत्तरदायी है, और संसद में पेश होने वाले लगभग सभी विधान-विधेयकों को विस्तार से तैयार करने का उत्तरदायित्व भी उसी का है। वास्तव में विधि-निर्माण में उसका भाग इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम कह सकते हैं कि आजकल केविनेट ही संसद की सहमति से यह करती है। (५) क्रियात्मक रूप में वही यह भी निर्धारित करती है कि क्या राजरव (Revenue) उगाहा जायेगा, किस प्रकार उगाहा जायेगा और उसे कैसे व्यव किया जायेगा। बजट (Budget) को संसद में पेश करने से पूर्व सदा केविनेट में रखा जाता है तथा वहां उस पर विचार होता है। (६) वही काफी हद तक यह भी चिन्हचय करती है कि संसद में क्या कार्य पेश होगा और विविध कार्यों पर विचारार्थ किनना किनना समय दिया जायेगा। (७) अन्ततोगता, ग्रेट ब्रिटेन में तथा बाहर लगभग समस्त महान राज्य-पदों पर नियुक्तियां भी केविनेट ही करती हैं।[†]

पहले तीन कार्यों पर तो टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। वे तो केविनेट के कार्य हैं ही, क्योंकि केविनेट राज्य में सर्वोच्च नीति-निर्मात्री तथा सामान्य-नियन्त्रक निकाय होनी है। वही राष्ट्रीय नीति के आधार को निर्धारित करती है तथा वही निश्चय करती है कि विविध राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाये। जब वह नीति का निर्धारण करके प्रत्येक सामयिक समस्या का हल निकाल लेती है तब यदि उस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होनी है तो उसे उसमें पेश कर दिया जाता है अन्यथा उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये समुचित विभाग को सौंप दिया जाता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं केविनेट राज्य-कार्यों का प्रशासन नहीं करती और न किसी नीति को ही क्रियान्वित करती है। यह काम तो विविध विभागों का

* Laski. op cit page 221.

† जेनिरस कहता है कि नियुक्तियों को तब तक अस्थायी माना जाता है जब तक संसद उनका समर्थन न करदे।

है जिन पर केविनेट के विविध सदस्य प्रधान होते हैं। केविनेट का कार्य तो केवल नीति का निर्धारण करना तथा विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करना है। केविनेट के अतिरिक्त इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यों को करने वाला कोई निकाय नहीं है। केविनेट किसी विभाग के कार्य की वारीकियों पर विचार नहीं करती और जिस प्रश्न का कोई राजनैतिक महत्त्व न हो उसका विनिश्चय मन्त्री पर छोड़ दिया जाता के। मन्त्री अपने विवेक से ही यह निर्णय करता है कि उसके विभाग के किन मामलों को केविनेट में प्रस्तुत किया जाये; यदि उसे किसी विषय में सन्देह हो तो वह प्रधान मन्त्री से परामर्श कर सकता है। यदि किसी विषय का दो तीन विभागों से सम्बन्ध हो तथा उनमें उसके विषय में मतभेद हो जाये तो उसे अवश्यमेव केविनेट में ही विनिश्चय के लिये भेज दिया जाता है। जब संसद का सत्र चालू होता है तब केविनेट प्रायः एक बार प्रति सप्ताह कार्य करने के लिये समवेत होती है तथा संसद के विश्रामकाल में वह कम बार समवेत होती है। उसकी विशेष घैटकें रात्रि या दिन में कभी भी हो सकती हैं और उनके लिये अलगकालिक सूचना ही पर्याप्त है।

नीति-निर्माण तथा विविध विभागों के कार्य का निरीक्षण तो प्रत्येक देश में केविनेट करती ही है, किन्तु ब्रेट ब्रिटेन में वह जिस रूप में संसद के कार्य का निदेशन तथा नियन्त्रण करती है वैसा यूरोप के अन्य देशों में, जिन्होंने केविनेट-पद्धति को अपनाया है, कहीं नहीं होता। ब्रेट ब्रिटेन में केविनेट प्रत्येक संसद-सत्र के आरम्भ में विधान कार्यक्रम पेश करती है; उसके सदस्य सब विषय के विधान-विधेयों को लोकसभा में पेश करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं तथा उन्हें उसमें पारित करवाते हैं। केविनेट को जिन मामलों में रुचि होती है उनके विचारार्थ वह लोकसभा का अधिकांश समय ले लेती है। दूसरे स्थान पर बताया जायेगा कि वह राज्य की वित्त-नीतियों (financial policies) पर भी लगभग पूरा नियन्त्रण रखती है। केविनेट लोकसभा पर जो नियन्त्रण रखती हैं उसी के आधार पर रैमज़े म्योर ने उसे सर्वशक्तिमान तथा डिक्टेटर बताया है।

केविनेट का एक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए बेजहॉट (Bagehot) ने कहा है कि 'केविनेट कार्यपालिका' तथा विधान सम्बन्धी विभागों को जोड़ने वाली कड़ी है, उनको साथ रखने वाला कब्जा है।' केविनेट राजा और संसद के बीच में पुल है, और कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल का प्रगाढ़ समर्पक करती है, जो 'राष्ट्रपति-पद्धति' की शासन व्यवस्था (Presidential system of Government) में सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त केविनेट संसद का नेतृत्व भी करती है। केविनेट व्यवस्था में यह निश्चय रहता है कि शासन के कार्यों को वे ही लोग चलाते हैं जिनके विचार लोकसभा में

वहुमत के विचारों से मेल खाते हैं और वे लोग राष्ट्र के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं; लास्टो के शब्दों में 'केविनेट सभ्य के सर्वोच्च अङ्ग का समर्थन प्राप्त करके सब कार्यों के लिये एक दृष्टिकोण की धारा वहा देती है' (It pushes a stream of tendency through affairs by obtaining for its course the approval of the sovereign organ of the state)

केविनेट को वैठकें तथा समितियाँ— केविनेट की बैठकें प्रायः प्रधान मंत्री के सभापतित्व में तथा उसके सरकारी निवासस्थान पर अर्थात् १०, डाउनिंग स्ट्रीट मे होती हैं। उसमे कार्यवाही के नियम नहीं होते तथा निश्चित गणपूर्ति (Quorum) भी नहीं होती, और वाइ-विवाद भी प्रायः अनौपचारिक तथा वातचीत जैसा होता है। सिवाय उस अवस्था के जब मतभेद आधारभूत हो जाये, प्रायः विनिश्चय वहुमत के आधार पर नहीं होते। प्रायः पारस्परिक आदान-प्रदान के द्वारा लगभग एकमत होकर समझौते करने का प्रयत्न किया जाता है। एक लेखक ने कहा है कि समझौता ही प्रथम तथा अन्तिम नियम है। इस प्रकार केविनेट मंत्री किसी विषय पर तब तक वातचीत करते रहते हैं जब तब कि कोई मध्य मार्ग न निकल आये।

वैठकों को कार्य-सूची प्रधान मंत्री ही तैयार करता है। किन्तु ध्यान रहे, वाह्य परिस्थितियों से अधिकांश में निर्वारित हो जाता है कि प्रधान मंत्री केविनेट के समन्वय क्या क्या बातें रखेगा। लोकसभा किसी विषये पर पर्याप्त आलोचना करके उस पर विचार करने के लिये केविनेट को वाध्य कर सकती है, दूसरी ओर लोकसभा भी उसे ऐसे ही वाध्य कर देता है। किसी विदेशी शक्ति की किसी कार्यवाही से भी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सुन्हेय में, देश में तथा बाहर की घटनाओं के कारण केविनेट के विचारार्थ प्रश्न स्वयंसेव उठ खड़े होते हैं।

अन्य निकायों के समान केविनेट को भी समितियों का प्रयोग करना आवश्यक प्रतीत हुआ है। समिति द्वारा ही सारांश में मतभेद मिटाकर मध्यमार्ग ढूँढ़ लिया जाना है और समितियाँ ही विभागों द्वारा विस्तार से उन विनिश्चयों को क्रियान्वित करवानी हैं जिन्हें सिद्धान्त रूप में केविनेट स्वीकार कर चुकी हो। किन्तु कोई नियमित तथा नियत समितियों की व्यवस्था नहीं है; जैसी आवश्यकता होती है, वैसी ही विशिष्ट समितियाँ बना दी जानी हैं। गृह विभाग तथा वित्त विषयों सम्बन्धी दो समितियाँ स्थायी होती हैं। साम्राज्य रक्षा समिति (Committee of Imperial Defence) केविनेट समिति न होते हुए भी उस रूप में कार्य करती है। उसका सभापति प्रधान मंत्री होता है। कभी कभी उसमें अधिराज्यों (Dominions) के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है।

सन् १९१७ तक केविनेट की कार्यवाही तथा विनिश्चयों का कोई सरकारी अभिलेख (Record) नहीं रखा जाता था। प्रधान मंत्री के अतिरिक्त कोई भी

सदस्य किसी कार्यवाही को लिख नहीं सकता था, और प्रधान मन्त्री भी केवल राजा को सूचना देने के लिये या अपने प्रयोजनार्थ ही लिखा करता था। प्रथम विश्व युद्ध में लॉयड जार्ज ने इस परम्परा को तोड़ कर एक केविनेट सचिव (Secretary) उसके विनियोगों का अभिलेख रखने के लिये नियुक्त कर दिया। यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हुई तथा अब एक नियमित केविनेट सचिवालय (Secretariat) है। अब एक नई चीज़ भी बन गई है जिसे प्रायः 'अंतरङ्ग केविनेट' (Inner Cabinet) भी कहते हैं। इसके निर्माण के कई कारण तो यह हैं कि केविनेट बहुत बड़ी हो गयी है; किसी विभाग में कार्य को अविलम्ब सम्पन्न करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर भी मन्त्री केवल प्रधान मन्त्री से ही परामर्श कर लेता है और उस मामले को केविनेट में नहीं भेजता चाहे वह महत्वपूर्ण ही क्यों न हो। किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रत्येक केविनेट में प्रायः चार पाँच व्यक्ति बहुत योग्यता, अनुभव तथा महान् व्यक्तित्व वाले होते हैं जिनसे प्रधान मन्त्री प्रायः महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। ये ही व्यक्ति अंतरंग परिपद में होते हैं जो समूचे मंत्रिमंडल की नीति का निदेशन करती है। दोनों विश्व युद्धों में जो युद्ध केविनेट वनी थीं वे भी युद्ध सम्बन्धों अंतरंग केविनेट के समान ही थीं।

प्रधान मन्त्री की शक्तियां तथा कायः:- हम केविनेट के कार्यों का वर्णन कर चुके हैं जो ऐसी धुरी होता है जिसके चारों ओर शासन का समस्त यत्र धूमस्ता है। अब हम पुनः प्रधान मन्त्री के विषय को लेते हैं जिसे एक बार ग्लैड्सटन ने 'केविनेट रूपी भवन की मुख्य आधार-शिला' घोषया था। वह इससे भी अधिक है; विधि के अनुसार चाहे उसकी स्थिति ऐसी न हो फिर भी वास्तव में वह इंगलैंड का राजनैतिक शासक होता है, राज्य के प्रशासन का प्रधान होता है। यद्यपि विधि-रूप में उसकी शक्ति की कहीं भी परिभाषा नहीं की गई है, फिर भी 'उसे इतनी शक्ति प्राप्त है जितनी संसार में किसी भी सांविधानिक शासन को प्राप्त नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं। जब तक उसके दल का लोकसभा में बहुमत है, तब तक वह ऐसे काम कर सकता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता; वह बचन दे सकता है कि अमुक प्रकार की संधि की जायेगी तथा स्वीकृत हो जायेगी, अमुक विधि पारित की जायेगी, या अमुक अमुक धन राशि संसद् द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी।'

हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रधान मन्त्री को केविनेट का नेता होने के नाते कितनी शक्तियां प्राप्त हैं। राजा की सहमति से वह मंत्रियों को नियुक्त करता तथा हटाना है और उनमें विभागों का वैटवारा करता है। वहीं विभागों के आपसी मतभेदों को निवारता है और मंत्रियों के बीच उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर

* Ramsay Muir 'How Britain is Governed', page 83.

करता है। मन्त्री अपने विभागों की प्रमुख समस्याओं के विषय में उसी से परामर्श करते हैं और वह मौँग भी कर सकता है कि उससे इस प्रकार परामर्श किया जाये। किन्तु उसके लिये प्रत्येक विभाग के कार्य से सम्पर्क बनाये रखना असंभव है; क्योंकि सरकार के कार्य बहुत अधिक घड़ गये हैं। वह केवल इसी बात का ध्यान रखने की आशा कर सकता है कि मंत्री सरकार की नीति पर निष्ठापूर्वक अमल करे, और अपने विभागों की नीति निर्धारित करने में स्वच्छन्दता न वरते। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में, जो क्राउन द्वारा की जाती हैं, जैसे कि १९४७ से पूर्व भारत के गवर्नर जनरलों, तथा अब भी उपनिवेशों (Colonies) के गवर्नरों आदि की नियुक्तियों में आखिरी फैसला उसकी ही राय पर निर्भर होता है और इस प्रकार वह बहुत लोगों को लाभ पहुँचा सकता है; वह सब विभागों पर आंख रखता है तथा देखता है कि वे केविनेट के फैसलों पर अमल करें। केविनेट के मन्त्रियों को यदि कोई सूचना सम्राट् तक पहुँचानी होती है अथवा सम्राट् किसी विषय पर केविनेट मन्त्रियों से सम्बन्ध कायम करना चाहता है तो वह प्रधान मन्त्री के द्वारा ही होता है। और ब्रिटिश सरकार व होमीनियनों के प्रधान मन्त्रियों के बीच सम्बन्ध भी प्रधान मन्त्री के द्वारा ही स्थापित होता है। अर्थात् वह केविनेट और राजा के मध्य 'संचार का माध्यम' (Channel of Communication) है, और अधिराज्यों (Dominions) के प्रधान मन्त्रियों से उसका सीधा संचार होता है। वह साम्राज्य-रक्षा-समिति तथा आर्थिक-मन्त्रणा-परिषद् जैसे तिकायों का निर्माण करता है और उपरोक्त समिति की तथा साम्राज्य सम्मेलनों (Imperial Conferences) की बैठकों में सभापतित्व करता है। वह कई बार विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है तथा अतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह लोकसभा का नेता होता है तथा उससे सब महत्वपूर्ण मामलों और समस्याओं पर सरकार की ओर से बोलने की आशा की जाती है। वह लोकसभा में सामान्य व्यापक-नीति के विषय में प्रश्नों का उत्तर देता है। विदेश नीति का निर्माण करने में भी उसका बहुत बड़ा भाग होता है। वह अपने दल का नेता होता है और उस रूप में वह दल को केन्द्रीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है तथा राजनीतिक प्रचार में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है।

प्रधान मन्त्री की बहुमुखी शक्तियों को याद रखने तथा समझने के लिये यह ध्यान रखना चाहिये कि (१) वह केविनेट-भवन की मुख्य आधार-शिला है। सबोच्च और पूरा पूरा नियंत्रण करने वालों सत्ता अर्थात् केविनेट में वह केन्द्र है। प्रधान मन्त्री ही केविनेट को बनाना है, जब तक वह रहता है तभी तक उसकी केविनेट भी रहनी है; केविनेट को खत्म करना भी उसी पर निर्भर है। (२) लोकसभा का नेता है, (३) विशेष रूप में क्राउन का विश्वस्त सलाहकार है तथा बादशाह और केविनेट के मध्य कड़ी है, और (४) अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं का नामजद व्यक्ति है। ब्रिटिश

संविधान में उसकी स्थिति सबसे ज्यादा महत्व की होती है, तथा उसे हम सूर्य के समान समझ सकते हैं जिसके चारों ओर सांविधानिक ढाँचे के बहुत से नक्त्र चक्रकर लगाते हैं। हाल की घटनाओं के फलस्वरूप उसका प्राधिकार और भी बढ़ गया है। किन्तु इस संवंध में दो बातें याद रखनी चाहियें। प्रधान मंत्री का पद 'जैसा उसका अधिकारी उसे बनाना चाहे और जैसा उसे अन्य मंत्री बनाने दें वैसा ही बन सकता है।'^४ दूसरे शब्दों में उसकी शक्ति और प्राधिकार बहुत हद तक उसके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा और अपने सहयोगियों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर हैं। डिसरायली, ग्लेड्स्टन, पील और चर्चिल जैसे महान व्यक्ति शक्तिशाली प्रधान मंत्री होते हैं, जिनके प्राधिकार को बहुत कम सहयोगी चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने दल की व्यवस्था के अनुसार ही कर सकता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण ही उसे समस्त शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त होते हैं। यदि उसके दल का बहुमत समाप्त हो जाये या वह दल उसके नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दे तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसका आशय यह है कि चाहे उसको शक्ति कितनी भी महान हो, फिर भी उसे उस शक्ति के प्रयोग में अपने साथियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। वह निरंकुश शासक के समान व्यवहार नहीं कर सकता। इस विषय में वह सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को तुलना में कम शक्तिशाली ठहरता है।

अंत में हमें ब्रिटेन की अन्य विसंगतियों (anomalies) के समान यहां भी एक विसंगति दिखाई देती है। यद्यपि प्रधान मंत्री तथा केविनेट ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्था में वास्तविक नियंत्रक तत्व हैं, तथापि दोनों का ही कुछ समय पूर्व तक संविधान-विधि में कोई स्थान नहीं था। संविधान की दृष्टि में, केविनेट क्राउन के कुछ मंत्रियों का अनौपचारिक संगठन ही था जिसके विनिश्चयों का तब तक कोई वैध प्रभाव नहीं था जब तक कि संसद उन्हे स्वीकार न करते या प्रियी परिषद उनका अनुसर्थन न कर दे। प्रधान मंत्री अपना वेतन प्रधान मंत्री होने के नाते नहीं पाना था, अपितु ट्रेजरी का प्रथम लार्ड (First Lord of the Treasury) होने के नाते या अन्य किसी रूप में पाता था। प्रधान मंत्री के रूप में उसके कोई वैधानिक कर्तव्य भी नहीं थे, और उसका नाम संसद के अधिनियमों (Acts) में नहीं आता था १६०५ तक उसकी स्थिति को सामाजिक प्राथमिकताओं की तालिका (Table of Social Precedence) में भी मान्यता नहीं दी गई थी। जब प्रधान मंत्री १८६३ में क्लाइड (Clyde) गये थे तब एक जहाज का कप्तान उनका सम्मान करने के लिये तोपों की सलामी देना चाहता था, किन्तु जलसेना के नियमों में प्रधान मंत्री को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। कप्तान ने उनका सम्मान लार्ड वार्डन ऑफ दी

* Jennings · 'The British Constitution', page 159

सिंक पोर्ट्स (Lord Warden of the cinque ports) के रूप में करके इस कठिनाई को हल किया। ग्लेडॉटन ने ठीक ही कहा है कि इस विस्तृत विश्व में 'कहीं भी इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोटी छाया नहीं होती; कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें इतनी महान् शक्ति निहित हो, किन्तु औपचारिक उपाधि के रूप में दिखावे के लिये कुछ न हो।' १६३७ के क्राउन के मंत्री अधिनियम (Ministers of the Crown Act) से स्थिति कुछ बदल गई है।

क्राउन तथा केविनेट— जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ग्रेट विकेन में जिस प्रकार की संसदीय पद्धति लागू है उसमें औपचारिक कार्यपालिका (Formal executive) तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद करना होता है। क्राउन औपचारिक कार्यपालिका है; उसका साकार प्रतीक राजा है। केविनेट वास्तविक अथवा राजनीतिक कार्यपालिका है, वह वास्तव में देश पर शासन करती है। हम पिछले पृष्ठों में क्राउन तथा केविनेट को शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कर चुके हैं; अब दोनों के बीच संबन्ध निर्धारित करना शेष है।

त्रिटीश संविधान का यह मूल सिद्धान्त है कि राजा ठीक अथवा गलत कुछ नहीं कर सकता। क्राउन के नाम से जो भी सार्वजनिक कार्य किये जाते हैं उनका उच्चर-दायित्व मंत्रियों पर होता है, राजा पर नहीं। इसका अर्थ यह कि प्रत्येक सामयिक समस्या पर नीति निर्माण करना, विनिश्चय करना केविनेट का ही काम है, और राजा को उस नीति तथा उन विनिश्चयों पर चलना पड़ता है। हाँ यह ठीक है कि यदि राजा किसी नीति को पसन्द न करे तो उसे खागने के लिये अपने मंत्रियों को समझाने का प्रयत्न कर सकता है, किन्तु यदि मंत्री अपनी वात पर ढढ हो तथा राजकीय मंत्रणा को सानने से इनकार करदे तो राजा को झुकाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में राजा सांविधानिक रूप में धार्य है कि अपने मंत्रियों की मंत्रणा पर चले। फिर भी बुद्धिमान तथा उद्योगी राजा राज्य की नीतियों का निर्धारण में काफी प्रभाव ढाल सकता है। उसका प्रधान मंत्री से लगातार सम्पर्क रहता है और नीति के महत्वपूर्ण अंगों के विषय में वह सूचना प्राप्त करता रहता है। वह अन्य मंत्रियों से भी मिल सकता है तथा उसके पास सूचना प्राप्त करने के अन्य साधन भी होते हैं। वह यह मांग कर सकता है कि उसे सूचना दिये विना किसी विभाग में किसी नई नीति को न अपनाया जाये और केविनेट में जिन प्रश्नों पर विचार होना हो उन पर विनिश्चय होने में पूर्व वे उसके पास भेजे जाये। वह कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है जो, उसके विचार में, केविनेट में पेश होना चाहिये। इन उपर्यों से वह घटनाक्रम पर कुछ प्रभाव ढाल सकता है। उसके प्रभाव की सफलता एक तो इस वात पर निर्भर है कि उसकी आलोचना और सुझाव किस प्रकार के हैं, और अंशतः इस वात पर निर्भर है कि वे सत्तारूढ़ दल (Party-in-power) की राजनीतिक विचारधारा तथा नीति

से किस हद तक मेल खाते हैं। प्रकाशित आलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश वादशाह राज्य की नीतियों के निर्धारण में नगण्य तो कदापि नहीं है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजा की उच्च स्थिति, व्यक्तियों और वस्तुओं के विषय में उसके लम्बे अनुभव तथा ज्ञान, और इन सबके साथ उसकी निष्पक्षता के कारण उसकी मंत्रणा का ऐसा मूल्य हो जाता है कि उसकी यूँही उपेक्षा नहीं की जा सकती। केविनेट के संबन्ध में उसकी शक्ति काफी वास्तविक होती है।

केविनेट तथा संसद— केविनेट का मुख्य से ही नहीं अपितु संसद से भी बहुत गहरा संबन्ध है। संसद से उसका सम्बन्ध इस बात का एक अत्यन्त मनोरंजक उदाहरण है कि ब्रिटिश संविधान पद्धति में सिद्धान्त (Theory) तथा आचरण (Practice) में कितना महान अन्तर होता है। संसदीय शासन-व्यवस्था के वैधानिक सिद्धान्त के अनुसार, संसद, जिसका अर्थ व्यवहार में 'लोकसभा' ही है, सर्वोच्च होती है। मंत्री जो भी कार्य करते हैं, वे क्राउन को जो भी मंत्रणा देते हैं, उसके लिये वे वैयक्तिक रूप में तथा सामूहिक रूप में, लोकसभा के प्रति उत्तराधारी हैं। केविनेट देश पर शासन करती है, किन्तु संसद के नियंत्रण तथा निरीक्षण में रहते हुए। वह संसद की स्पष्ट स्वीकृति तथा अनुमोदन के बिना कर के रूप में एक आना भी नहीं ले सकती तथा किसी चीज पर एक पाई भी व्यय नहीं कर सकती। वह संसदीय अनुमोदन के बिना युद्ध या शांति नहीं कर सकती। केविनेट का अस्तित्व ही लोकसभा की इच्छा पर निर्भार है। अप्रसन्न या सराय-शील सभा मन्त्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है। यदि सदन किसी केविनेट की निन्दा करदे या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करदे तो वह केविनेट पदारूढ़ नहीं रह सकती। केविनेट देश पर तभी तक शासन कर सकता है जब तक कि लोकसभा उसके कार्यों तथा नीतियों का अनुमोदन करती रहे। संसद की सर्वोच्च तथा प्राधिकारयुक्त अवस्था को सिद्ध करने के लिये और कुछ कहना अपेक्षित नहीं है। ग्लेड्स्टन के समान जो लोग कहते हैं कि लोकसभा 'सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य नक्त धूमते हैं' वे वैयाक्तिक सिद्धान्त के आधार पर बिल्कुल ठीक कहते हैं।

किन्तु वास्तविक व्यवहार में सब बाते कुछ उल्टी ही हैं। केविनेट लोकसभा की आज्ञाकारिणी सेविका होने की वजाय, जो कि उसकी छोटी छोटी इच्छाओं के सामने भुक्ती रहे, लोकसभा की स्वामित्वी बत गयी है और उस पर इतना नियन्त्रण रखती है जितना यूरोप के किसी भी देश में, जहाँ ऐसो शासन-पद्धति है, नहीं पाया जाता। लोकसभा पर केविनेट का बड़ता हुआ आधिपत्य गत साठ वर्षों में ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण सांविधानिक विकास कहा जा सकता है। अब लोकसभा मंत्रिमंडलों को बनाने या विगाड़ने वाली नहीं होती; गत साठ सत्तर वर्षों में उसने किसी केविनेट को पदच्युत नहीं किया। जिस सरकार को उसमें सज्जा बहुमन प्राप्त हो वह

आशा कर सकती है कि जब तक वह ससद् रहेगी तब तक वह पदारुद्ध रह सकेगी। वस्तुतः ससद् में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं वल्कि स्वयं निर्वाचकगण ही यह निर्णय करते हैं कि राजन्कार्यों को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व श्रमदल को सौंपा जाय या रुढ़िवादी दल को। केविनेट अपनी नीतियों के अनुमोदन के लिये निर्वाचकगण का मुँह ताकनी है, ससद् तो निर्वाचकों के विनिश्चय को पक्का करने वाली रवड़ मुद्रा ही वन गई है।

केविनेट पर ससद् का नियंत्रण कम होने तथा केविनेट की शक्ति बढ़ने का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि मंत्री उस बात पर चलते हैं जो लोकसभा के अनुकूल दिखाई देती है तथा भद्रस्यों द्वारा लोकसभा के प्रांगण में की गई आलोचना की उपेक्षा अथवा बहुत कम चिन्ता करते हैं।

और भी कई प्रकार से लोकसभा की शक्ति केविनेट को प्राप्त हो गई है। विधान-कार्य में केविनेट का भाग इतना महत्त्वपूर्ण बन गया है कि एक लेखक ने तो यह कह दिया कि आज केविनेट ही लोकसभा के अनुमोदन से विधि-निर्माण करती है। इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देती। विधि-निर्माण पर केविनेट ने पूर्ण नियन्त्रण कर लिया है। संसद् में पेश होने वाला प्रत्येक महत्त्व पूर्ण विधेयक केविनेट की अनुमति से ही आता है और पेश होने से पूर्व उस पर प्रायः केविनेट विचार कर लेती है। जिस बात के केविनेट विरुद्ध हो वह सभा में पारित नहीं कराई जा सकती। यही बात वित्त (Finance) के क्षेत्र में है जहाँ केविनेट का नियन्त्रण लगभग पूर्ण बन गया है। जैसा कि आगे चलकर सिद्ध किया जायेगा संसद् किसी नये व्यव की प्रस्थापना (Proposal) नहीं कर सकती तथा सरकार द्वारा मांगी गई राशि को बढ़ा नहीं सकती; वह किसी नये कर की प्रस्थापना भी नहीं कर सकती और सरकार द्वारा प्रस्थापित (Proposed) राशि को बढ़ा नहीं सकती। यद्यपि सिद्धान्त में यह ठीक है कि सरकार संसद् की स्वीकृति के बिना पाई भी स्वर्च नहीं कर सकती, किन्तु वास्तव में व्यव पर लोकसभा का नियन्त्रण लगभग शून्य पर ही पहुंच गया है और वह करोड़ों रुपये की स्वीकृति बिना बादविवाद के ही दे देती है। करो पर भतदान के विषय में सभा उसी हद तक नियन्त्रण कर सकती है जहाँ तक कि केविनेट अनुमति दे दे। इसी प्रकार प्रशासन पर सभा का नियन्त्रण प्रभाव-रहित हो गया है। इन बातों को आगे किसी अध्याय में स्पष्ट किया जायेगा। उपरोक्त विवरण यह दिखलाने के लिए पर्याप्त है कि लोकसभा अब केविनेट की स्वामिनी नहीं रही है बरन् दास वन गई है। इस महान परिवर्तन के कारणों पर अन्यत्र विचार किया जायेगा।

स्थायी कार्यपालिका

सिविल सर्विस तथा प्रशासकीय-विभाग

(Civil Service and Administrative Departments)

विषय प्रकेशः— सर्वोच्च कार्यपालिका में चाहे असाधारण योग्यता तथा ज्ञान वाले व्यक्ति हों, फिर भी वह प्रशिक्षित तथा अनुभवी सिविल सर्विस की सहायता तथा सहयोग के बिना प्रशासन नहीं चला सकती। देश के प्रशासन को उसकी केविनेट के सदस्य नहीं चलाते, वरन् अनेक विभाग चलाते हैं जिनमें सिविल सर्विस के सदस्य होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में देश की विधियों को दिन प्रतिदिन क्रियान्वित करने का निदेश वडे वडे प्रशासकीय विभाग करते हैं, यथा कोप (Treasury), गृह कार्यालय (Home Office), विदेश कार्यालय (Foreign Office), व्यापार, कृषि तथा शिक्षा के बोर्ड। पिछले दो अध्यायों में राजनैतिक तथा औपचारिक कार्यपालिका का वर्णन करने के बाद अब पूरक रूप में ब्रिटिश सिविल सर्विस तथा विभागों का उल्लेख करना लाभदायक होगा।

ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ:- सिविल सर्विस का वर्णन करने तथा मुख्य विभागों को लिखने से पहले ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था की विशेषताओं का निर्देश करना अभीष्ट प्रतीत होता है। प्रायः कहा जाता है कि ब्रिटिश विभागों में वहुत विविधरूपता है जब कि अमेरिकन तथा फ्रांसीसी व्यवस्थाओं में एकरूपता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दस नियमित कार्यपालिका-विभागों की एक सी स्थिति होती है; वे कांग्रेस (अमेरिका की संसद) के अधिनियमों के आधार पर वने हैं, यद्यपि वे अलग अलग समयों पर बनाये गये थे; उन सबके मुख्य अधिकारी एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हें सचिव (Secretary) कहते हैं (केवल दो विभागों ढाकघर तथा न्याय विभाग में दूसरी व्यवस्था है) राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सवन्ध में उन सबकी स्थिति समान है। पर ब्रिटिश विभागों में, जिन के अधिकारी केविनेट के सदस्य होते हैं, एकरूपता नहीं है; उन्हें अलग अलग प्रकार के नामों से पुकारा जाता है; उन्हें अलग अलग प्रकार से बनाया गया था, और उन सबकी स्थिति एक सी नहीं है। किसी के मुख्याधिकारी को राज्य सचिव (Secretary of State) कहते हैं तो दूसरे के मुख्याधिकारी को मंत्री कहते हैं। कई विभाग बोर्डों के रूप में हैं, यथा व्यापार

बोर्ड (Board of Trade)। कुछ पुराने समय के कार्यालय अब तक चले आ रहे हैं यथा कोप (Treasury); कुछ प्रिवी परिपद् की सभितियों में से निकले हैं यथा शिक्षा बोर्ड; और कुछ का निर्माण संसद् के अधिनियमों से हुआ है। इस प्रकार ब्रिटिश विभाग विविध रूप के हैं, कोई सामान्य विवरण उन पर लागू नहीं हो सकता। उन सब की स्थिति भी एक नहीं हैं; ट्रेजरी विभाग अन्य विभागों पर काफी नियंत्रण रखता है। फिर विभागों का मान भी भिन्न है: कुछ विभागों के राजनैतिक प्रमुख सदा केविनेट के सदस्य होते हैं, दूसरों के प्रायः नहीं होते। ट्रेजरी, युद्ध कार्यालय, जल विभाग (Admiralty), और भारत कार्यालय (जब वह था) प्रथम कोटि के उदाहरण हैं: पेन्रान विभाग तथा विधि अधिकारी [Law Officers (Solicitor General and Attorney General)] दूसरी कोटि के उदाहरण हैं।

किन्तु एकरूपता तथा समता का न होना ब्रिटिश पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण या मूल विशेषता नहीं है, इससे शासन के सिद्धान्तों या व्यवहार में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता। वहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण वात विशेषज्ञ तथा सामान्य व्यक्ति (Expert and layman) का संबंध होता है, अर्थात् स्थायी अफसरों और राजनैतिक अथवा संसदीय प्रमुख (मन्त्री आदि) का सम्बन्ध। प्रेजीडेण्ट लावेल का कहना है कि ब्रिटेन की सर्वोच्चम राजनैतिक परम्पराओं में से एक वह है जिसके अनुसार विशेषज्ञ तथा सामान्य व्यक्ति के सम्बन्ध निश्चित होते हैं। यह सम्बन्ध क्या है इसे समझना आवश्यक है।

प्रत्येक विभाग में एक राजनैतिक प्रमुख अथवा प्रधान होता है और उसके सहायक के रूप में एक राजनैतिक उपसचिव (Under Secretary) होता है। वे ही दोनों सामान्य व्यक्ति या नौसिखिये होते हैं। वे मंत्रिमंडल के भाग हैं। उनके अतिरिक्त दो तीन (कभी कभी इससे भी अधिक) स्थायी उपसचिव होते हैं, तथा अनेक सचिव (Secretary), परामर्शदाता, प्रमुख तथा सहायक (Assistant), वैधानिक परामर्शदाता और बहुत से कलर्क होते हैं। वे विशेषज्ञ होते हैं तथा स्थायी सिविल सर्विस के सदस्य होते हैं। दोनों अगों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। मंत्री शासन की नीनि निर्धारित करता है और उसके उद्देश्य निश्चित करता है—जब महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तब वह केविनेट से परामर्श करता है। स्थायी उपसचिवों (Under-Secretaries), प्रमुखों (Chiefs) तथा सहायकों (Assistants) और विभाग के अन्य सिविल सर्विस के सदस्यों का यह कार्य है कि वे विशेषज्ञ-मंत्रणा (Expert advice) दें कि सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने तथा नीति को अमल में लाने का सर्वोच्चम उपाय क्या है। सिद्धान्त के अनुसार तो नीति-निर्माण करना अथवा उसका नियंत्रण करना उनका काम नहीं है; उनका कार्य यही है कि राजनैतिक प्रधान जो भी

नीति निश्चित कर दे उसे कार्य रूप में परिणत करें। क्षेवं वे अपने प्रधान को बहुत बाल और अनुभव भी प्रदान करते हैं जिसके विना केविनेट तथा संसद् के लिये बुद्धिमत्ता-पूर्वक नीति तथा विवान का निर्माण करना लगभग असम्भव होगा। इस प्रका स्थायी सिविल सर्विस द्वारा सरकार कार्यकुशल बन जाती है। उधर संसद् के प्रति उत्तरदायी राजनैतिक प्रधान के होने से वह लोकन्नात्मक बन जाती है। ब्रिटिश पद्धति का सार यह है की प्रशासन एकदम कार्यकुशल और लोकन्नात्मक बना रहे।

सिविल सर्विस के विषय में नियुक्त राजकीय-आयोग (Royal Commission) ने सिविल सर्विस तथा मंत्रियों के बीच सम्बन्ध के सिद्धान्त को संक्षेप में इन प्रकार लिखा है।

‘नीति का निर्धारण मंत्रियों का कार्य है, और एक बार नीति निर्धारित हो चुकी के पश्चात् सिविल सर्विस के सदस्य का यह निश्चित कार्य है कि वह उस नीति के उत्तरी ही सद्भावना से पूरा करने का प्रयत्न करे चाहे उससे सहमत हो या न हो। वह नीति तो आधार बन जाती है और उस पर कभी वाड़-विवाड़ नहीं हो सकता। साथ ही जब नीति निर्णय हो रही हो तब सिविल सर्विस के सदस्यों का यह परम्पराग कर्तव्य (Traditional duty) है कि वे अपने राजनैतिक प्रधानों के समक्ष अपने सब सूचनाएं तथा अनुभव पेश करें, और यह कार्य वे निर्भय तथा पक्षपातही होकर करते हैं चाहे यह मन्त्रणा मन्त्री के प्राथमिक विचार के अनुकूल हो या न हो। मन्त्री के सामने प्रासारिक तथ्यों (Relevant facts) को पेश करने सिविल सर्विस के सदस्य को बहुत सावधानी बरतनी होती है। और उन तथ्यों से खोजने तथा एकत्रित करने में प्रायः समस्त विभाग को कार्य करना पड़ता है। तथा से निष्कर्प (Inferences) निकालने में भी उसे पूर्ण विवेक तथा निष्पक्षता से करना होता है। सिविल सर्विस का सदस्य मन्त्री को मन्त्रणा देकर तथा उसके समक्ष अपने विचार पेश करके नीति पर प्रभाव डालता है।’

यह समझना बहुत आसान है कि सिविल सर्विस से मंत्रियों को विशेषज्ञ-ज्ञान तथा प्रशिक्षित अनुभव कैसे प्राप्त होता है; सिविल-सर्विस से प्रब्रेरा के लिये प्रतियोगि (Competitive) परीक्षाएँ होती हैं जिनमें ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के योग्यता-व्यक्ति बैठते हैं। पदोन्नति (Promotion) प्राथमिकता (Seniority) तथा योग्यता के आधार पर होती है; बुद्धिमान तथा परिश्रमी व्यक्ति उच्चतम पद तक सुगम से पहुँच सकता है अर्थात् स्थायी उप-सचिव (Under Secretary) बन सकता है; एक ही विभाग में सेवा तथा अनुभव से वह विशेषज्ञ बन जाता है; उसके विच

६ किन्तु वे परोक्ष रूप से नीति-निर्माण में सहायता देते हैं। रेंज़े न्योर के कुसार नौकरशाही की शक्तियों का विकास ब्रिटिश राजनैतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है।

तथा सुभावों पर मंत्री को विचार करना पड़ता है क्योंकि मंत्री प्रायः अपने विभाग के कार्य के लिये नया ही होता है। किन्तु विभाग के राजनैतिक प्रधान को नौसिखिया या सामान्य व्यक्ति कहने से क्या अभिप्राय है? वह नौसिखिया (Amateur) इस अर्थ में होता है कि किसी विभाग में उसकी नियुक्ति उस विभाग सबधी किसी विशेष ज्ञान या विशिष्ट योग्यता पर आधारित नहीं होती, वह ऐसे कारणों के आधार पर नियुक्त किया जाता है जो प्रायः उस विभाग के विशेष कार्य से सम्बन्धित नहीं होते। नौसेना का प्रथम लार्ड नियुक्त होने के लिये नौसेना का अनुभव आवश्यक नहीं है, इसके विपरीत वह एक निर्योग्यता (Disqualification) होगी। कृषि-मंत्री के लिये कृषक के रूप में अनुभव होना जरूरी नहीं समझा जाता, उद्योग का मन्त्री एक वकील हो सकता है तथा युद्ध-मन्त्री शान्तिप्रिय व्यक्ति हो सकता है। इन सब वातों का कारण यह है कि 'केविनेट-मन्त्री' का कार्य अपने विभाग को चलाना नहीं है; उसका कार्य तो यह देखना है कि वह समुचित रूप से चले। ऐसा करने के लिये वह सामान्य नीतियों को निश्चित करता है (यह काम केविनेट के नियत्रण में होता है) और देखता है कि विभाग में नियुक्त स्थायी कर्मचारी उन नीतियों पर अमल करे। उसे यह भी देखना होना है कि कर्मचारी कोई ऐसी वातन करे जिन्हे जनता सहन न कर सके। तथा विभाग का प्रशासन जनमत के विरुद्ध न हो। अत. एक मन्त्री से यह आशा नहीं की जाती कि उसे वारीकियों का ज्ञान हो अथवा उस विषय में विशेष दक्षता प्राप्त हो, उसमें तो विशाल दृष्टिकोण तथा सहानुभूति रूप से विचार होने चाहिये, जिससे वह समूचे विभाग को समझिए से देख सके तथा अन्य विभागों और लोकप्रन से उसके सम्बन्ध को समझ सके। उसमें सामान्य बुद्धि चतुराई तथा मूल्यांकन की भावना होनी चाहिये, तथा वह अपने अवीनस्थ कर्मचारियों से निष्ठा प्राप्त करने तथा आज्ञापालन करवाने में समर्थ होना चाहिये। वह अच्छी सूफ़वूफ़ तथा विवेक वाला व्यक्ति होना चाहिये। उसको पहली योग्यता सूफ़वूफ़ है, दूसरी व्यक्तियों के मूल्यांकन की कला। उसे आदेश देना तथा उनका पालन करवाना दोनों वाते आनी चाहिये।[†]

सिविल सर्विस (Civil Service) :— जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है स्थायी सिविल सर्विस का प्रशासन (administration) में बड़ा भाग है। यही एक आवश्यक वंत है जिसके द्वारा सरकार की नीतियों को अमल में लाया जाता है तथा देश की विधियों पर अमल कराया जाता है। इसके बिना सरकार केवल नियमों का भंदार मात्र ही होगी जिनका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिविल सर्विस ही सगत तथ्यों आदि को एकत्रित करती है जिस पर मंत्री अपने विनिश्चयों तथा नीतियों को आधारित करता है। अत' वे ही सरकार के हाथ, और और कान हैं। जिस उद्देश्य के लिए सरकार बनती है उसकी प्राप्ति के लिए एक

[†] Laski op cit. page 289

अच्छी और कार्यकुशल सिविल सर्विस की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि विवेकी तथा देशभक्त नीतिनिर्मात्री सर्वोच्च कार्यपालिका की।

किन्तु सिविल सर्विस तभी अपने कार्य को अच्छी तरह पूरा कर सकती है जब कि उसमें उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति आकर्पित होकर आये लिनमें योग्यता, विवेक तथा चरित्र हो। उसमें प्रवेश योग्यता के आधार पर हो; पक्षपात, कुलपोषण (nepotism) तथा भ्रष्टाचार का प्रभाव उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर नहीं पड़ने देना चाहिये। उसमें प्रवेश करने वालों को पदावधि (tenure) की सुरक्षितता (security) प्राप्त होनी चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि सदस्य किसी दल से सम्बन्धित न हों; उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिये और जो भी दल सत्तारूढ़ हो उसी के प्रति निष्प्रवान होकर समानतरपेण सुसेवा करनी चाहिये। ब्रेट ब्रिटेन में ये आवश्यकताएँ कभी कभी पूरी नहीं भी हुई हैं। अठारहवीं शताब्दी में बहुत से सिविल सर्विस के पदों को मंत्रियों के संबन्धियों, आश्रितों तथा मित्रों द्वारा भरा जाता था। सार्वजनिक कार्य अकुशल लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता था और सरकार के बदलने पर ग्राम. विविध विभागों में परिवर्तन हुआ करता था। किन्तु आज स्थिति विल्दुल बदल गई है। सिविल सर्विस की विविध श्रेणियों में लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा प्रवेश करते हैं, और एक बार वहां प्रवेश करने के पश्चात्, आजीवन वे उसी में रहते हैं। पदोन्नति (promotions) प्राथमिकता (seniority) तथा योग्यता के आधार पर होनी है। स्थायी सेवाओं के व्यक्तियों को किसी निर्वाचन में खड़ा होने की या राजनैतिक कार्यवाहियों अथवा वाद-विवादों में सक्रिय या खुला भाग लेने की अनुमति नहीं होती। यह इसलिये किया जाना है कि उनका दृष्टिकोण किसी दल से संबन्धित न रहे। ब्रेट ब्रिटेन में यह परम्परा वन गई है कि सिविल सर्विस श्रम दल सरकार की सेवा भी ऐसी ही कुशलतागूर्वक तथा इच्छागूर्वक करती है जैसे कि रुढ़ि दल या उदार दल सरकार की। सरकार के बदलने से उसके सदस्यों के भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; उनकी सेवा अराजनैतिक (non-political) है। राजनीति से दूर रहना वहां स्थायी सेवा की शर्तों में है।

सिविल सर्विस के कार्य— विभाग के राजनैतिक प्रवान तथा स्थायी सिविल कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों का जो विवरण ऊपर दिया है, उससे ठीक ठीक और पूरा पूरा पता नहीं लगता कि ब्रिटिश व्यवस्था में वृत्तिक-प्रशासक (Professional Administrator) का क्या वास्तविक भाग है। निस्सदैह यह सच है कि जब तक किसी विभाग का स्थायी कर्मचारी वर्ग (Staff) मंत्री द्वारा दिये गये कार्य को पूरा करता रहता है, तब तक उस काम के परिणामों के लिये उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। सब कार्यों के लिये निन्दा या श्रेय राजनीति जूँ को मिलता है, वृत्तिक-प्रशासक को नहीं। किन्तु इससे यह परिणाम निकालता गलत।

होगा कि वृत्तिक-प्रशासक का सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बास्तव में सिविल सर्विस का प्रशासन पर ही नहीं, विधान-कार्य तथा वित्त विषयों में भी बहुत प्रभाव होता है, किन्तु जनता उसे मान्यता नहीं देती क्योंकि उत्तरदायित्व मंत्रियों का ही होता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि सिविल कर्मचारी का काम यही नहीं है कि उसे जो कुछ कहा जाये वह वही करे, उसे यह अधिकार है तथा उसका यह कर्त्तव्य है कि वह मंत्री के सामने अपने सारे ज्ञान और अनुभव को पेश करे, चाहे वह मंत्री के विचारों के अनुकूल हो या न हो। मंत्री अपने अधीन व्यक्तियों द्वारा उसके सामने रखी गई सब घातों पर विचार करने के लिये वाध्य है और घाद में ही वह उन्हें अन्तिम आदेश देता है। इस प्रकार सगत सूचनाएँ पेश करके ही सिविल कर्मचारी नीति पर प्रभाव ढालता है। जहाँ तक इस शक्ति के प्रयोग पर केविनेट या संसद का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता, उस हट तक यह कहा जा सकता है कि नियंत्रित व्यवस्था में नौकरशाही (Bureaucratic) शासन का प्रभाव है। नौकरशाही के प्रभाव की स्थापना का इतिहास मनोरंजक है।

नियंत्रित सिविल सर्विस में पदावधि सुरक्षित होने के कारण तथा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरती होने के कारण, उसमें नियंत्रित विश्वविद्यालयों के सर्वोत्तम तथा योग्यतम व्यक्ति आते हैं, और सदा योग्य व्यक्ति को ही शक्ति प्राप्त होती है। मन्त्री राजनीतिक देव भूमि सफलताओं के आधार पर अपना पठ प्राप्त करता है; उसे किसी विभाग की समस्याओं या कार्य का विशेष ज्ञान होने के कारण वह विभाग नहीं सौंपा जाता। विभाग का जितना ज्ञान उसे होता है उससे कहीं अधिक गहन तथा विस्तृत ज्ञान उसके अधीन काम करने वाले स्थायी सचिवों (Secretaries), उप-सचिवों, वैधानिक परामर्शदाताओं, सहायकों (Assistants) आदि को होता है। मन्त्री इस बात को खूब जानना है; अत. उसके लिये यह कठिन हो जाता है कि उनके विचारों को तथा उन विचारों के समर्थन में पेश किये गये तर्कों को ठुकरा दे जब तक कि वह असाधारण योग्यता, साहस तथा सूझबूझ वाला व्यक्ति न हो या अपने विषय में ग़लत धारणाएँ रखने वाला मूर्ख न हो। परिणाम यह है कि अधिकांश मामलों में मन्त्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विचारों को स्वीकार कर लेता है तथा 'नियत स्थान' पर हस्ताक्षर कर देता है। "कुल भिला कर 'कार्यालय' की नीति लगभग सदा ही चलती है। जब तक कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली न हो उसके लिये कार्यालय की मौन हठ तथा मौन वादा ढालने की शक्तियों और इसके पास सब तथ्यों के ज्ञान की शक्ति का विरोध करना सम्भव नहीं होता।"^५ कई नेक नीयत वाले मन्त्रियों की उदार इच्छाओं को कर्मचारी वर्ग समाप्त कर देता है। भारत कार्यालय, विंडेश कार्यालय तथा युद्ध कार्यालय इसके उदाहरण कहे जा

* Ramsay Muir 'How Britain is Governed', page 56.

सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्थायी अधिकारियों का प्रभाव सदा नकारात्मक ही होता है, और वे नई प्रस्थापनाओं को बदलने या समाप्त करने में ही रहते हैं, वे कई रचनात्मक कार्य भी करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त फैक्ट्री इन्स्पेक्टरों के प्रतिवेदनों (Reports) में महत्वपूर्ण बातें थीं जिसके आधार पर फैक्ट्रीयों के लिये पहले से अधिक सुधरा हुआ विधान बनाया जा सका। यह बात समझने की है कि 'समूचे केन्द्रीय में प्रशासन स्थायी सिविल सर्विस का प्रभाव प्रवान वस्तु है' । †

सिविल सर्विस का प्रभाव विधान क्षेत्र में भी होता है। संसद् में सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले विधायी (Legislative) मामले दो प्रकार के होते हैं। कुछ विधानों का उद्देश्य उन वचनों को पूरा करना होता है जो निर्वाचन के समय मतदाताओं को दिये गये थे। ऐसे विधानों के लिये सरकार पहल करती है तथा विचारों का सूत्रपाल करती है। सिविल सर्विस का काम उन विचारों को विवेयक के मसविदे के रूप में प्रस्तुत कर देना ही है, और ऐसा करते समय वह कभी कभी आमूल परिवर्तन भी कर देती है। दूसरी प्रकार के विवेयक वे हैं जिन्हे सरकार स्थायी पदाधिकारियों के सुझाव पर पेश करती है, जनता के जीवन पर इनका अन्य विवेयकों से भी अधिक प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि उन्हें पारित करने का श्रेय सरकार को मिलता है तथापि उनका वास्तविक उत्तराधिकार स्थायी अधिकारियों पर होता है। एक और प्रकार का विधान-कार्य भी होता है जिसको लगभग पूर्णतः स्थायी पदाधिकारी ही तैयार करते हैं। इसे 'प्रशासकीय-विधान' (Administrative-legislation) कहते हैं और आधुनिक काल में वह बहुत बढ़ गया है। संसद् द्वारा पारित बहुत से सार्वजनिक अधिनियमों में एक खण्ड होता है जिससे मन्त्री को ऐसे आदेश निकालने की शक्ति दी दी जाती है जो विधि के समान लागू होते हैं। वास्तव में वे आदेश स्थायी पदाधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं। कभी कभी उन्हें 'मेज पर रख दिया जाता है' और कभी कभी उन पर तत्काल अमल करना आरम्भ हो जाता है। चाहे वे 'मेज पर ही पड़े रहें' संसद् कभी कभी ही उन पर वाद-विवाद करती है, उन्हें संसद् में नाममात्र के लिये ही पेश किया जाता है। कृषि, उद्योग, दीन-साहायता, लोक-स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तृत क्षेत्रों में इस नियम-निर्माण-शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक होता है। यदि गत बीस वर्षों में पारित किये गये आदेशों, नियमों, उपनियमों (Regulations) को एकत्र किया जाये तो कई बृहद् ग्रन्थ तैयार हो जायेंगे। एक बार एक मन्त्री को इतनी शक्ति दी गई थी कि वह निश्चित प्रयोजन के लिये कुछ भी कर सकता था जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, चाहे उसके आदेश का प्रभाव उस अधिनियम के उपबन्धों (provisions) को परिवर्तित करना ही हो।

† Ramsay Muir · 'How Britain is Governed', page 58.

वित्त (finance) के चेत्र मे भी यही बात है। कई बार चांसलर ऑफ ऐक्सचेकर छटनी करना चाहते थे किन्तु स्थायी अधिकारियों के दबाव के कारण उनके लिये ऐसा करना असम्भव हो गया। श्रम दल ने जब १९२४ में सरकार बनाई थी तब वह सेना के व्यय मे भारी कमी करने के लिये वचनबद्ध था, किन्तु छटनी करने के स्थान पर वास्तव में करोड़ों रुपये व्यय बढ़ गया। ट्रेजरी (Treasury) के प्रभाव से कभी कभी नये विचारों वाले चांसलर ऑफ ऐक्सचेकर परम्परावादी सिद्धान्तों के भक्त घन गये। इसका एक उदाहरण फिलिप स्नोडन है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रेट ब्रिटेन में सिविल सर्विस सरकारी व्यवस्था की वात्तविक प्रभावकारी अङ्ग घन गयी है। इसका कार्य केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं कहा जा सकता कि वह मन्त्री द्वारा निश्चित नीतियों पर अमल करती है। उसे घृहत अधिकार प्राप्त हो गया है। किन्तु उसका अधिकार प्रभाव के रूप में है, शक्ति के रूप में नहीं। उसका प्रभाव इसलिये है कि केवल वही तथ्यों का ज्ञान आदि प्रस्तुत कर सकती है जिसके आधार पर ठीक विनिश्चय किये जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्हिस्तान मे नौकरशाही शासन घन गया है जैसा कि ब्रिटिश काल में भारत में था। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि सिविल सर्विस की शक्ति का घड़ा अभीष्ट है या नहीं; यह कुछ परिवर्तनों कर परिणाम है जो ब्रेट ब्रिटेन मे हुए हैं।

पशासकीय विभाग—इस पुस्तक मे यह आवश्यक नहीं है कि उन सब विभागों का, या उनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण विभागों का ही, वर्णन किया जाये जिनके द्वारा ब्रिटिश सरकार उन विविध कार्यों को करती है जो प्रायः सब सभ्य सरकारों कि करने होते हैं। उन सब के नाम लिखना भी अपेक्षित नहीं है। हम सरकार के विविध कार्यों का केवल वर्गीकरण करके उनसे सम्बद्ध विभागों के नाम ही लिखेंगे।

विधि तथा व्यवस्था (Law and order) को बनाये रखना, विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्धों को चलाना, देश की प्रतिरक्षा (Defence), करों का संग्रह करना तथा विभिन्न विभागों मे घन का वितरण, ये ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक सरकार को करने पड़ते हैं। हम उन्हें राजनैतिक कार्य तथा उनसे सम्बद्ध विभागों को राजनैतिक विभाग कह सकते हैं। ब्रेट ब्रिटेन मे उनके नाम गृह कार्यालय, विदेश कार्यालय, नौसेना विभाग (Admiralty), युद्ध कार्यालय, नभ-मंत्रालय (Air Ministry) और ट्रेजरी (Treasury) हैं। अधिराज्य कार्यालय (Dominion Office), उपनिवेश कार्यालय (Colonial Office) और भारत कार्यालय (जो अब दूट गया है) भी राजनैतिक समझे जा सकते हैं। यद्यपि ट्रेजरी को ऊपर राजनैतिक कार्यालयों की श्रेणी मे रखा गया है तथापि वह दूसरों से भिन्न है और इस कोटि में नहीं आता क्योंकि वह एक प्रकार से अन्य विभागों की कार्यवाहियों का निरीक्षण करता

तथा उन पर नियंत्रण रखता है। पेन्शन मंत्रालय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो १९१६ में बनाया गया था। वह विभाग सैनिक और नौसैनिक पेन्शनों की ही व्यवस्था करता है; बुढ़ापे की पेन्शनों तथा नागरिक पेन्शनों को दूसरे अधिकारी देखते हैं।

आजकल कोई सरकार सम्भवतः ऊपर लिखे हुये राजनैतिक कामों तक ही अपनी कार्यवाहियों को सीमित नहीं रख सकती, वह समय चला गया जबकि 'हस्तक्षेप न करने की नीति' (Laissez-faire) का ग्रन्थ था। श्रम सरकार के आने से पहले भी जबकि इङ्लिस्तान पूरी तरह पूँजीवादी था तथा गैर-सरकारी व्यापार नीति में विश्वास करता था, उस समय भी विटिश सरकार को समाज के आर्थिक काम का विनियमन करनेकी तथा कई बार उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी। अतः ऐसे विभागों की रचना हो गई जिन्हें आर्थिक विभाग कहते हैं। उनमें से मुख्य विभाग व्यापार-मंडली (Board of Trade), यातायात मंत्रालय (Ministry of Transport) (जो १९१६ में बना था), कृषि तथा मीनकेत्र (Fisherries) मंत्रालय, और श्रम मंत्रालय (जो १९१४ में बना था) हैं। इसी सूची में ढाकघर विभाग को भी गिना जा सकता है।

जैसे राज्य के कार्य बढ़कर राजनैतिक क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र में भी फैल गये से ही सरकारी कार्य अन्य दिशाओं में भी बढ़ते गये। पूँजीवाद में जो बुराइयां हैं उनके कारण, तथा राज्य को अपने नागरिकों की भलाई के लिये अधिकाधिक चिन्ता करनी पड़ती है उसके कारण, और ज्ञान के विस्तार के कारण, विटिश सरकार को नये कार्य आरम्भ करने पड़े जिन्हें 'सामाजिक सेवाएँ' कहते हैं। उनमें अब सरकार की शक्ति का बहुत बड़ा भाग लगा रहता है, और उनके सम्बन्ध में कई विभाग स्थापित हो गये हैं। स्वास्थ्य-मंत्रालय तथा शिक्षा बोर्ड (Board of Education) उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं, और श्रम मंत्रालय उनके तथा आर्थिक विभागों के बीच कड़ी के समान है। श्रम मंत्रालय का काम पहले यह था कि वह नौकरों तथा मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखता था, किन्तु अब वह अपना काफी समय और शक्ति बेकारों को काम दिलाने के सामाजिक कर्तव्य में लगाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय १९१६ में बना था। वही स्वास्थ्य बीमे तथा बुद्धावस्था की पेन्शनों की व्यवस्था करता है। शिक्षा-बोर्ड (Board of Education) १९६६ में बनाया गया था। अब यह बात अच्छी तरह समझी जाती है कि स्वतंत्र सरकार को बुद्धिमान नागरिकों की आवश्यकता है अतः इस विभाग की महत्ता और आवश्यकता और भी बढ़ने की सम्भावना है।

मुख्य प्रशासकीय (Administrative) विभागों के इस संक्षिप्त सिंहावलोकन को समाप्त करने से पहले कुछ अन्य कार्यालयों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना

अभीष्ट प्रतीत होता है जिनके राजनैतिक प्रमुख व्यवस्था ही केविनेट के सदस्य होते हैं। वे विभाग हैं (१) चांसलर ऑफ दी डची ऑफ लकास्टर (उसे वैयक्तिक कारणों से केविनेट में रखा जाता है, प्रशासकीय कारणों से नहीं), (२) लार्ड चांसलर (वह लार्ड सभा का सभापतित्व करता है और न्यायपालिका का प्रमुख होता है), (३) लार्ड प्रिवी सील, और (४) लार्ड प्रेसीडेंट आफ दी काउन्सिल, जो प्रिवी परिषद् का सरकारी प्रमुख होता है और कभी वह कई महत्वपूर्ण काम किया करता था। ये पद न राजनैतिक हैं, न आर्थिक हैं और न सामाजिक ही हैं।

अध्याय ६

विधान-मंडल Legislature : लोकसभा^१

विषय-प्रवेश :—अब हम ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की महान शाखा, विधान-मंडल का अध्ययन आरंभ करते हैं। ब्रिटिश विधान-मंडल संसार में सबसे पुराना है; यह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भी है। ब्रिटिश संसद की प्राचीनता के विषय में यह चक्कि प्रसिद्ध है कि वह 'संसदों की जननी' है। उसकी सन्तान हमारे भूमंडल पर सब लगह फैल गई है, जहाँ भी लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं (Democratic institutions) की स्थापना हुई है। यह संसार का सबसे बड़ा विधायक निकाय (Legislative body) है; कहाँ भी संसद में इतने सदस्य नहीं होते जितने कि लोकसभा तथा लार्डसभा में अलग अलग, और मिल कर होते हैं। किन्तु उसका विशेष गुण उसका असीमित ज़ेत्राधिकार (Jurisdiction) तथा शक्ति है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उसे विधि बनाने की शक्ति न हो, कोई अन्य मानवीय शक्ति नहीं है जो उसकी विधान निर्माण की शक्ति को सीमित कर सकती हो। वह सब मामलों में सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है चाहे वे मामले वैधानिक हों या सांविधानिक, लौंकिक हों या धर्म संवंधी हों। कुछ वर्षों पहले तो वह सम्पूर्ण मानव जाति के लगभग चतुर्थांश के लिये विधियां बना सकती थी। अतः वह बहुत दिलचस्प आधुनिक विधान-मंडल है।

ब्रिटिश विधान-मंडल में वादशाह तथा संसद दोनों शामिल हैं और केवल संसद दी नहीं है जैसा कि कभी विद्यार्थी समझ घैठते हैं। ठीक ठीक स्थिति यह है कि वादशाह संसद का अंग नहीं है, दूसरी पक्षी प्रेट्रिटेन के विधान मंडल का

अभिन्न अंग है। कि संसद् द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक कि राजा उस पर अनुमति (Assent) न दे दे। यह बात और है कि उसकी अनुमति औपचारिक (Formal) होती है तथा उसे रोका नहीं जा सकता; चाहे औपचारिक ही हो, फिर भी वह आवश्यक है। राजा विधान-मंडल के अंग के रूप में संसद् द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देता है, किन्तु उस विषय में यहाँ अधिक कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। अभी हम संसद्, उसकी रचना, शक्तियों और कामों, तथा विधि-निर्माण के तरीके का ही उल्लेख करेंगे।

संसद् (Parliament)—ब्रिटिश संसद् में दो सदन हैं; लोकसभा (House of Commons) और लार्ड्सभा। संसद् के प्रादुर्भाव तथा उसके दो सभाओं में विभाजन होने का कुछ इतिहास अध्याय २ में दिया जा चुका है; यहाँ उस पर अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। यद्यपि लार्ड्सभा दोनों सदनों में प्राचीनतर है और वहूत समय नहीं हुआ जबकि वह एक शक्तिशाली निकाय थी, फिर भी हमु ब्रिटिश संसद् का अध्ययन लोकसभा के विवरण से आरम्भ करेंगे क्योंकि वह संसद् का प्रधान और अधिक शक्तिशाली अंग बन गया है। कई प्रयोजनों के लिये तो लोकसभा ही ब्रिटिश संसद् है। बालपोल ने इसी बात को अत्यन्त सुन्दर ढेग से कहा था कि 'जब कोई मंत्री संसद् से परामर्श करता है तो वास्तव में वह लोकसभा से ही परामर्श करता है; जब महारानी संसद् की विघटन (Dissolution) करती है तो वास्तव में वह लोकसभा का ही विघटन करती है। नई संसद् वास्तव में नई लोकसभा को ही कहते हैं।' १६१०—११ के संसद् अधिनियम से यह संभव हो गया है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को लार्ड्सभा की सहमति के बिना ही राजा की अनुमति (Assent) के लिये भेजा जा सकता है। जब ब्रिटिश संसद् को 'संसदों की जननी' कहा जाता है तब भी लोकसभा की ओर ही सदा निर्देश होता है; लोकसभा का ही वंश अन्य देशों में फैला है, लार्ड्सभा का नहीं। ब्रिटिश लोकसभा ने पहले निस प्रकार स्वतंत्रता के लिये और बाद में शक्ति के लिये संघर्ष किया था, वह ब्रिटिश इतिहास का स्मारक है, इसी कारण लोकसभा की विशेष महत्त्व हो जाती है। सिवनी लो ने ब्रिटिश सार्वजनिक और राजनैतिक लीबन में लोकसभा की महत्त्वपूर्ण स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है:—

'लोकसभा विश्व में सबसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। उसका आदरणीय प्राचीनता, उसका प्रेरणादायक इतिहास, उसकी महान परम्पराएं, उसकी

झुकुच लेखकों का मत है कि 'संसद् शब्द' में राजा समाविष्ट है। भारत में तो राष्ट्रपति समव का ग्रन्थ है ही।

अब भी नवयुवकों की सी भावना और शक्ति, संसदों के आदर्श के रूप में उसका अनन्य प्रभाव, निटिश राष्ट्र के जीवन से उसका अभिन्न संबंध, हमारे संविधान को चलाने वाले केन्द्रीय-चन्न के रूप में उसका स्थान ; ये सब मिलकर उसको संसार में अद्वितीय बना देती हैं। स्वयं राजपट से भी अधिक, केविनेट से भी कहीं अधिक, लोकसभा केवल अंग्रेजों का ही नहीं विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद-विवादों को चेन्नल के पार तथा सिंधु के पार भ पढ़ा जाता है।..... किसी व्यक्ति के लिये इस महान् सभा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना, उसके नेताओं, उसके विश्वस्त परामर्शदाताओं, उसके लोकप्रिय वकालों में गिना जाना, अपने द्युग के अग्रगण्य व्यक्तियों में आ जाना है।"

इस अध्याय में हम उसकी रचना, संघठन, शक्तियों तथा कामों और विधान-प्रक्रिया (Legislative Procedure) पर विचार करेंगे तथा लार्डसभा पर अगले अध्याय में विचार करेंगे।

सभा की रचना:-- १८३२ से पहले का तो कहना ही क्या है। गत एक सौ वर्षों में लोकसभा की रचना में जो अनेक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनका भी उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। हम उसकी आलक्षण्य की सदस्य संख्या और रचना पर ही अधिक ध्यान देंगे और गत कुछ वर्षों के परिवर्तनों का निर्देश कर देंगे।

लगभग १५ वर्ष पूर्व, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या ६१८ थी। १६४५ के सामान्य निर्वाचन में उसे घटा कर ६४० बना दिया गया था। १६४८ के लोकसभा-स्थान-पुनर्वितरण-अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या ६४० से घटा कर ६२५ कर दी गई और सब निर्वाचन-क्षेत्रों को समान बनाने के उद्देश्य से उनका फिर से बटवारा कर दिया गया। अतः फरवरी १६५० में जो सभा बनी थी उसमें ६२५ सदस्य थे। इस कमी का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों (Universities) के स्थानों (Seats) का हटाना था। विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व तथा व्यापार मतों की समाप्ति से दुहरे मतदान का अन्त हो गया जो ब्रिटेन में पहले प्रचलित था, और 'एक व्यक्ति, एक मत' को सिद्धान्त देश में पूरी तरह स्थापित हो गया।

लोकसभा पूरी तरह निर्वाचित सभा है, उसके ६२५ सदस्यों में से प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (Territorial Constituencies) से वयस्क (Adult) मताधिकार (Franchise) के आधार पर चुना जाना है। विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व की समाप्ति से जो थोड़ा खा वृत्तिक-प्रतिनिधित्व (Functional Representation) था वह भी समाप्त हो गया। अतः अब ब्रिटेन की प्रतिनिधित्व-व्यवस्था भौगोलिक है तथा कार्यों या वृत्तियों के अनुसार नहीं है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

एकल-मतीय हैं। १६५० के सामान्य निर्वाचन में मत देने के अधिकारी नर-नारियों की संख्या ३,४२,६६,४७७ थी जब कि वह संख्या १६४५ में ३,२८,३६,४१६ थी। १६५० में कुल २,८८,७१,३६२ मत ढाले गये जब कि १६४५ में २,४६,७८,६४४ मत ढाले गये थे।

प्राचीन काल में ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व मुख्यतः काम अथवा वृत्ति के अनुसार (Functional) होता था, और कभी घटनावश ही प्रादेशिक (Territorial) होता था। किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष में रहने के कारण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता था, वरन् जर्मांदार, व्यापारी और पादरी आदि वर्गों को प्राप्त होता था। वह भी बहुत सीमित था। वृत्तियों पर निर्भर मताधिकार से प्रादेशिक मताधिकार बनने में, और सम्पत्ति पर निर्भर मताधिकार के स्थान पर सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार स्थापित होने में लगभग सौ वर्षों से भी अधिक लग गये; यह परिवर्तन शनैः शनैः कई 'सुधार अधिनियमों' द्वारा पूरा हुआ। पहला सुधार १८३२ के सुधार अधिनियम द्वारा हुआ, जिससे पुरानी पद्धति की स्पष्ट त्रुटियों को दूर कर दिया गया, मताधिकार के नियमों का काया-कल्प कर दिया और लगभग ५ लाख अधिक व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया। इससे स्थानों (Seats) का फिर से बटवारा भी हुआ। १८३४ और १८३५ के अधि नियमों द्वारा काउंटियों के लिये वे ही सुधार कर दिये गये जो १८३२ के अधिनियम द्वारा शहरी हल्कों (Boroughs) के लिये किये थे। अगला महान् परिवर्तन १६१८ के जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा किया गया जिसने पुरुष मताधिकार पर लगे हुए सभी वंधनों को हटा दिया और मत देने का अधिकार लगभग ८५ लाख खियों को भी मिल गया। इस में खियों के मताधिकार पर कुछ प्रतिवन्धङ्ग थे अतः इससे व्यापक वयस्क मताधिकार स्थापित नहीं हुआ। १६२८ के जन-प्रतिनिधित्व-समान-मताधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि समस्त मतभेदों को समाप्त करके मत देने का अधिकार उन सब पुरुषों और दिलों को दे दिया जाये जो २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और निर्वाचन से पूर्ववर्ती पहली जून से उस निर्वाचन क्षेत्र में रह चुके हों। इस प्रकार लोकतन्त्रात्मक इङ्ग्लिस्तान को व्यापक वयस्क मताधिकार स्थापित करने में सौ वर्ष लग गये।^१

झुंडक स्त्री के लिये मतदात्री बनने के लिये यह अपेक्षित था कि वह संपत्ति की स्वामिनी हो अथवा संपत्ति के स्वामी की पत्नी हो और ३० वर्ष से कम न हो।

^१ यद्यपि उपर्युक्त विभिन्न सुधार अधिकार अधिनियमों के उपर्यन्त बहुत दिलचस्प हैं, तथापि उन्हें विस्तार से यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि वे हमारे प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं हैं। विद्यार्थी ओग्ग (Ogg) या बनरो पढ़ सकते हैं।

इस समय व्यस्क मताधिकार के अधीन लगभग ग्रेट ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में से ६० प्रतिशत को मत देने का अधिकार है। १८३१ में यह अधिकार ४४ प्रतिशत से अधिक लोगों को प्राप्त नहीं था। अन्य देशों के समान, इंग्लिस्तान में भी अनुन्मुक्त दिवालिये पागल, विदेशी, अपराधी आदि मत देने के अधिकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लार्डों को भी लोकसभा के लिये मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे लार्डसभा के सदस्य हैं। प्रत्येक विटिश प्रजाजन को, चाहे वह विटिश हो, कनाडियन हो, आस्ट्रेलियन हो, दक्षिणी अफ्रीकन हो अथवा न्यूजीलैंड वास हो मत देने का अधिकार है यदि वह निवास सम्बन्धी योग्यता को पूरा करता हो

१८५० में जो परिवर्तन हुए उनसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में लोकत्रास्मक मताधिकार का केवल एक ही सिद्धान्त, 'व्यापक-व्यस्क-मताधिकार' ही पूरी तरह अपनाया गया था; अभी दूसरे सिद्धान्त के विषय में वे अपने ध्येय तक नहीं पहुँचे थे, वह सिद्धांत था 'एक व्यक्ति, एक मत'। वहां दुहरा मतदान अभी शेष था यद्यपि वह बहुत सीमित था। उस समय के नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र में निवासी के रूप में मत दे सकता था तथा दूसरे क्षेत्र में भी मत दे सकता था यदि वह उस क्षेत्र में व्यापार अथवा व्यवसाय आदि के लिये १० पाउण्ड प्रति वर्ष किराये पर भवन लिये हुए हो। किन्तु किसी अवस्था में एक व्यक्ति दो निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिक में मत नहीं दे सकता था। विश्वविद्यालय के स्नातक (Graduate) के भी दो मन होते थे, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निवासी के रूप में और दूसर स्नातक के रूप में। इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन में दुहरा मतदान नहीं होता। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को एक ही निर्वाचन-क्षेत्र से एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, दुहरा मतदान समाप्त हो चुका है, पिछली श्रम सरकार ने विधि बनाकर व्यापार-मत तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया था।

निर्वाचन सम्बन्धी समस्यायों:—लोकसभा के निर्वाचनों के विषय में कई मिहत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला यह है कि देश को बहुत से निर्वाचन-गिलों अथवा निर्वाचन-क्षेत्रों में बॉटो जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका में एक विधि है कि प्रत्येकी दशवर्षीय जनगणना के पश्चात् जिलों का पुर्णनिर्माण होता है। ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी कोई विधि अथवा प्रथा नहीं है; वहां संसद जब भी चाहे निर्वाचन-क्षेत्र की पुनर्व्यवस्था (Rearrangement) कर सकती है; वह कम या ज्यादा समय के पश्चात् ऐसा करती रही है। जिले का पुर्णनिर्माण अथवा पुर्णप्रवन्ध अन्तिम बार १८५० में हुआ था, उससे पहले १८१८ में तथा १८८५ में हुआ था। जब भी स्थानों का फिर से बटवारा होता है उसमें किसी भी राजनैतिक पार्टी के हित या अहित का ध्यान नहीं रखा जाता; संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचनों में जो गढ़वड़ घोटाल

होता है वह ब्रिटिश राजनैतिक निर्वाचनों में कभी नहीं हो सकता। जिलों के पुनर्निर्माण मा केवल यही उद्देश्य होता है कि निर्वाचन-सम्बन्धी असंगतियों को तथा जनसंख्या के स्थानान्तरण आदि से उत्पन्न असमानताओं को दूर किया जा सके। प्रयत्न किया जाता है कि विविध निर्वाचन-क्षेत्रों को जनसंख्या तथा मतदाता संख्या के हिसाब से यथासंभव वरावर बना दिया जाये। निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या को वरावर करने का प्रश्न बहुमत दल द्वारा निश्चित नहीं होता है बरन् उसे निश्चित करने के लिये सर्वदस्त-सम्मेलन होता है जिसका सभापतित्व लोकसभा का अध्यक्ष करता है-

यह धात ध्यान में रखनी चाहिये कि ओट ब्रिटेन में ऐसी कोई विधि या प्रथा नहीं है कि संसद के लिये खड़ा होने वाला उम्मीदवार उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निवासा हो जहाँ से वह खड़ा हुआ है। यही काफी है कि उसका नाम किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचन-सूची में है; और यह खड़े होने के लिये अन्यथा नियोग्य नहीं होना चाहिये। लोकसभा की सदस्यता के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि यह ब्रिटिश प्रजाजन (Subject) होना चाहिये, उसकी आयु नियमानुकूल होनी चाहिये, तथा यह निष्ठा की शपथ (Oath of Allegiance) लेने के लिये तैयार होना चाहिये। किन्तु कुछ नवाचारात्मक योग्यताएँ हैं। ऐसे व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते जो पीयर हो, तीन महान् गिरजों के पादरी हों, काउन्टियों के शेरिफ हो या बॉरोज के मेयर हो, जिन्हें सरकार से ठेके मिले हुए हो या जो क्राउन के अधीन अराजनैतिक पदों पर लगे हुए हो। इनके अतिरिक्त अपराधी, पागल और विकृत-चित्त वाले व्यक्ति भी लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। खियों सदस्य बन सकती हैं; इस समय भी लोकसभा में कुछ स्त्री-सदस्य हैं।

उपरोक्त प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण एक और प्रश्न है—सामान्य निर्वाचन के समय का निर्धारण। सामान्य निर्वाचन संसद के विघटन (Dissolution) के पश्चात् ही हो सकता है; अतः यह प्रश्न उठता है कि संसद को कब और कैसे विघटित किया जा सकता। है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह ध्यान रखना चाहिये कि ओट ब्रिटेन में संसदीय अथवा केविनेट पद्धति की सरकार है, वहां अमरीका के समान राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। संसदीय प्रणाली में विधान-मंडल का विघटन उसकी पूर्ण कालावधि के समाप्त होने से पहले भी किया जा सकता है। यह बहुत दिलचस्प बात है कि गत ढेढ़ शताब्दी में केवल एक ही संसद, १८६७ से ७२ की संसद, अपनी पूरी कालावधि तक (जो उस समय सात वर्ष थी) पहुंच पाई थी, शेष सब समय से पूर्व विघटित हो गई थी। १९३४ परिणाम यह है कि ओट ब्रिटेन

४४ कुछ अन्य संसदें अवधि की समाप्ति के निकट पहुंची किन्तु उसे पूरा न कर सकी, जैसे १९३१-३५ की मिश्रित सरकार के अधीन संसद।

मेरे संसद के निर्वाचन नियमित अधिकारी पर नहीं होते, संयुक्त राज्य अमरीका मेरे निर्वाचन सदा नियमित अधिकारी पर होते हैं, फ्रांस मेरे भी एक अभिसमय (Convention) बन गया है कि विधान-मण्डल मेरे पराजय होने पर केविनेट देश से अपील नहीं कर सकता। ब्रेट ब्रिटेन मेरे कभी तीन चार वर्ष तक चुनाव नहीं होते, और कभी कभी एक वर्ष मेरे निर्वाचन हो जाते हैं तथा उसके बाद के वर्ष मेरे सामान्य निर्वाचन हो जाते हैं। एक बार लगातार तीन वर्ष तक निर्वाचन होते रहे— १९२२, १९२३ और १९२४ मेरे। १९१० मेरे दो बार निर्वाचन हुए। अतः ब्रिटिश लोकसभा को कोई नियत अधिकारी नहीं है। वह एक, दो, तीन, चार या पाँच वर्ष तक रह सकती है— यह सब परिस्थितियों पर निर्भर है। यह भी याद रखना चाहिये कि १९११ के संसद अधिनियम द्वारा संसद का अधिकतम कार्यकाल ५ वर्ष निर्धारित कर दिया गया है नथापि आपात (Emergency) मेरे संसद इस काल को बढ़ा सकती है। प्रथम विश्व युद्ध मेरे, १९१० को निर्वाचित सन्द १९१८ तक चलती रही, और द्वितीय विश्व युद्ध मेरे १९३५ मेरे निर्मित संसद १९४५ तक चलती रही। युद्धकाल मेरे संसद के सामान्य निर्वाचन करना अवांछित समझा गया था।

संसद का विघटन करने और देश से अपील करने का निर्णय सदा प्रधान मंत्री करना है और वह अपने केविनेट के साथियों से इस विषय मेरे परामर्श कर लेता है। किन्तु विघटन तभी होना है जब राजा उस आशय की उद्घोषणा (Proclamation) जारी करके 'अपनी जनता से मिलने और संसद मेरे उनकी मन्त्रणा प्राप्त करने को' इच्छा प्रकट करता है। दूसरे शब्दों मेरे हम कह सकते हैं कि केविनेट विघटन का निर्णय करती है तथा राजा उसका आदेश दे देता है। राजकीय उद्घोषणा से निर्वाचन सबन्धी व्यवस्था भी काम करने लगती है। इसके विस्तार मेरे जाना आवश्यक नहीं है।

अब हम यह विचार कर सकते हैं कि प्रवान मन्त्रों किन कारणों से संसद को पूरी अधिकारी के समान होने से पूर्व ही देश से अगोल करने के लिये राजा को अनुमति मांग सकता है। कभी कभी वह विघटन करने की मन्त्रणा ऐसी दशा मेरे दे देता है जबकि वह देखता है कि उसे निर्वाचन मेरे विजय की आशा है। ऐसा तब होता है जबकि संसद की अधिकारी समान होने वाली होती है। कई बार वह अपने हांवडोल मन्त्रिमण्डल को पराजय से बचाने के लिये विघटन करवा देता है। कभी कभी सरकार को किसी नये प्रश्न पर राष्ट्र का निर्णय जानना आवश्यक प्रतीत हो सकता

† १९६६ से पहले संसद की समाप्ति का कारण राजा की मृत्यु भी होता था। १९६७ के सुधार अधिनियम से यह बात नहीं रही। इस समय की पंचवर्षीय अधिकारी १९६१ मेरी ही निश्चित हुई थी। १७१६ से १९११ तक सप्तवर्षीय अधिकारी थी और १७१६ से पूर्व तीन वर्ष की अधिकारी थी।

है। केविनेट पद्धति का यह एक बड़ा लाभ है कि जब कभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को तय करना होता है तो निर्वाचन सरलता से किया जा सकता है। इससे एक हानि भी है कि वह शक्तिप्राप्त दल को विरोधी दल पर विजय प्राप्त करने का कूटनीतिक अवसर दे देता है। जब विरोधी दल तैयार न हो उस समय सरकार निर्वाचन का आदेश देकर उसके विरुद्ध अनुचित लाभ उठा सकती है।

विघटन की सरकारी घोषणा तथा उम्मीदवारों के नामनिर्देशन (nomination) की तारीख के बीच प्रायः बहुत कम समय होता है; केवल आठ दिन का समय होता है। अतः विधि राजनीतिक दल अपनी उम्मीदवार-सूचियों को पहले ही तैयार रखते हैं और उद्घोषणा की प्रतीक्षा में चुप नहीं बैठते। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय संस्था निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये अपने उम्मीदवारों की सूचियां स्थानीय शाखा की सिफारिशों पर तैयार करती है। ब्रेट ब्रिटेन में जो पद्धति है, लगभग उसी पद्धति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीय दल भी अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं और जिनके जीतने की संभावना होती है। नामनिर्देशन की प्रणाली साढ़ी है। उम्मीदवार को केवल इतना ही करना होता है कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र के दस मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर करवा कर अपना नामनिर्देशन पत्र (nomination paper) भेज देता है तथा १५० पाउण्ड की जमानत जमा कर देता है; यदि वह कुल ढाले गये बोटों में से आठवां भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी यह जमानत जब्त हो जाती है। हमारे देश में नामनिर्देशन पत्र पर केवल दो हस्ताक्षर होते हैं, एक प्रस्तावक का और दूसरा समर्थक का; अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं होती।

निर्वाचन भी नामनिर्देशन के पश्चात् नौवें दिन ही हो जाते हैं (इन दिनों में से रविवार तथा छुट्टियां कट जाती हैं)। अतः ब्रेट ब्रिटेन में निर्वाचन आन्दोलन बहुत छोटे होते हैं; यह 'मतों का युद्ध' लगभग आठारह उन्नीस दिन ही तक चलता है। हमारे देश में तथा संयुक्त राज्य अमरीका में यह समय बहुत लम्बा होता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि निर्वाचन आन्दोलन का समय वास्तव में डतना छोटा नहीं होता जितना कि वह दिखाई देता है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह आन्दोलन सदा ही चलता रहना है। सारे दल सदा निर्वाचन के लिये तैयार रहते हैं; कभी कभी ही ऐसा होता है कि वे सोये रह जायें और अचानक निर्वाचनों की घोषणा हो जाये। बीच बीच में उप-निर्वाचन (Bye-election) भी होते रहते हैं जिससे कि जोश बना रहता है। सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सदा प्रचार करते ही रहते हैं। किन्तु फिर भी यह बात तो सत्य है ही कि इङ्ग्लैंड में निर्वाचन आन्दोलन डतने लंबे नहीं होते जैसे कि संयुक्त राज्य अमरीका में होते हैं। अमरीका

की तुलना में वहां निर्वाचनों पर कम धन व्यय किया जाता है, व्यक्तिगत प्रचार भी कम होता है, भ्रष्टाचार तथा अवैध आचरण भी कम होता है। निर्वाचन के मामलों में ब्रेट ब्रिटेन संसार भर के लिये आदर्श राष्ट्र सा वन गया है। यह भी याद रखना चाहिये कि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य सब सदस्य एक ही प्रकार से, एक ही दिन और एक ही मताधिकार द्वारा चुने जाते थे। अब तो विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व समाप्त ही हो गया है।

पराजित उम्मीदवारों द्वारा पेश की हुई निर्वाचन-न्याचिकाओं (Election Petitions) पर न्यायालय विचार करते हैं। न्यायाधीश निर्वाचन का निराकरण तभी करते हैं जब यह सिद्ध हो जाये कि ऐसा भ्रष्टाचार अथवा अवैधता हुई है जिसका चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ा होगा, केवल टेक्नीकल त्रुटियों से उनके निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निर्वाचन का निराकरण बहुत कम किया जाता है।

अब हम लोकसभा की सदस्यता के विषय में एक विचित्र वात का निर्देश करते हैं। समुचित रूप से निर्वाचित सदस्य दिवालिया या पागल होने पर अपनी सदस्यता से हाथ धो देता है। देशद्रोह या महाप्रारथ पर उसे सभा उसके स्थान पर से हटा देती है। लार्ड वन जाने पर भी उसका स्थान छिन जाता है, किन्तु वह अपने स्थान का स्वेच्छा से पदत्याग नहीं कर सकता। यह प्रथा पुराने समय से चली आ रही है जबकि सभा की सदस्यता एक भार थी जिसे लोग टालना चाहते थे, वह समाज की ओर से उन पर थोपी जाती थी, और ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे उनका मान या प्रभाव बढ़ता हो। अब यदि कोई सदस्य अपना स्थान त्याग करना चाहे तो उसे जरा परोक्ष भार्ग अपनाना पड़ता है। सभा की सदस्यता तथा क्राउन के अधीन किसी पद का (राजनैतिक पद के अतिरिक्त) ग्रहण करना, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। अतः सदस्यता से छुट्टी पाने के लिये सदस्य ऐसा कोई पद प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिये प्रायः वर्किंगमशायर में वर्नहम, स्टोक और डॉसवोरो के तीन चिल्टन हंड्रेड्स के रुआर्ड पद का प्रयोग किया जाता है। इस पद के लिये सदस्य अर्जी देता है, उसे प्राप्त कर लेता है तथा सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है; तब वह इस पद से भी त्यागपत्र दे देता है। इस पद पर एक ही दिन में दो दो व्यक्ति क्रमशः आसीन हुए हैं। किसी सदस्य को सीधा त्यागपत्र नहीं देने दिया जाता तथा उसे इस परोक्ष (Indirect) तरीके से सदस्यता क्यों त्यागनी पड़ती है इसका स्पष्टीकरण सरल नहीं है। ब्रिटिश स्वभाव की रूढिवादिता का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। ब्रेट ब्रिटेन में चाहे कोई सदस्य अपने कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य किसी कारण से अपने मतदाताओं में कितना भी बद्नाम क्यों न हो जाये, कोई निर्वाचन चेत्र संसद के विघटन से पूर्व, अपने प्रतिनिधि से छुटकारा नहीं पा सकता।

ग्रेट ब्रिटेन की अन्य निर्वाचन-समस्याएँ— लोकसभा वास्तव में एक लोकनन्दनात्मक सदन है। वह पूरी तरह निर्वाचित संसथा है तथा व्यापक व्यस्क मताधिकार के आधार पर इसकी रचना होती है। निर्वाचन-जिले इतने छोटे होते हैं कि प्रतिनिधि अपने मतदाताओं की सेवा कर सकते हैं और उनसे समर्क बनाये रख सकते हैं, और निर्वाचन काफी न्यायपूर्ण होते हैं। दुहरा मतदान तथा विश्वविद्यालय-प्रतिनिधित्व भी अब समाप्त हो गये हैं; उनकी आलोचना में प्रायः यह बात कही जाती थी कि वे 'एक व्यक्ति, एक मत' के लोकनन्दनात्मक सिद्धान्त से मैल नहीं खाते। किन्तु फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कभी कभी आपत्ति की जाती है। ऐसे मजे म्होर जैसे लेखकों का कहना है कि रचना की वर्तमान प्रणाली के कारण सभा राष्ट्र का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाना, अतः वह लोकनंगतमक नहीं है। विधान-मण्डल को सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि सम्पद बनाने के लिये व्यापक मताधिकार से कुछ अधिक चाहिये, उसे 'जनमत के सब महत्वपूर्ण निकायों का, यथासम्भव उनको संख्या के अनुपात से' प्रतिनिधि होना चाहिये क्षा। ग्रेट ब्रिटेन की पद्धति में, जिसमें एकल-सदस्य (Single-member) निर्वाचन-क्षेत्र (Constituency) होते हैं तथा केवल वहुमन से निर्वाचन होते हैं यह आदर्श पूरा होना असम्भव हो जाता है। व्यापक मताधिकार के होते हुए भी जनमत के सब महत्वपूर्ण निकायों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना आवश्यक नहीं है और जिन्हे कुछ स्थान मिल पाते हैं उन्हें भी अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात से स्थान नहीं मिलते। गत अनेक निर्वाचनों के मतों के आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है।

वर्ष	रुद्धिवादी दल		उदार दल		श्रम दल	
	कितने मत मिले	कितने स्थान मिले	कितने मत मिले	कितने स्थान मिले	कितने मत मिले	कितने स्थान मिले
१९२२	३८.७%	५६.४%	२८.६%	१६.६%	२६.६%	२२.६%
१९२३	३८.३%	४८.२%	२३.४%	६.४%	३७.०%	४७.०%
१९२४	४७.८%	६७.४%	१७.६%	७.०%	३३.१%	२४.६%
१९२६	३८%	४१.१%	२३%	६.६%	३६%	४६.८%
	मिश्रित	दल				
१९३१	६७.१%	६०.०%	०.७%	०.७%	३०.६%	८.४%

* Ramsay Muir : *How Britain is Governed*, Page 156.

इन आंकड़ों के महत्व को एक और प्रकार से भी बताया जा सकता है। १९२२ के निर्वाचन में रुद्धिवादियों को १८,१८० मतों के पीछे एक स्थान मिला, उदार दल को ४८,५४० मतों के पीछे एक स्थान मिला, और अम दल को ३०,७०६ मतों के पीछे एक स्थान मिला। १९२६ के निर्वाचन में रुद्धिवादियों को एक स्थान के लिये ३४,००० मत प्राप्त करने पड़े, उदार दल वालों को ६०,००० तथा अम दल को २६,००० मत प्राप्त करने पड़े। १९३१ के निर्वाचन में सरकारी मिश्रित दल को २६,००० मतों पर एक स्थान मिला, अम दल को ४४,००० मतों पर तथा उदार दल को २५,००० मतों पर ही एक स्थान मिल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तथा पश्चात् के सामान्य निर्वाचनों के आंकड़ों से भी यही बात सिद्ध होती है। अम दल के मन १९३५ में ८३,२५,००० थे जो जुलाई १९४५ में १,२०,००,००० हो गये किन्तु उसे युद्ध के पश्चात् ३६३ स्थान मिल गये जब कि युद्ध से पूर्व १६३ ही मिले थे। रुद्धिदल के मत १९३५ में १,१७,६२,००० थे जो १९४५ में १,००,००,००० रह गये, किन्तु सभा में दल के सदस्यों की संख्या एकदम गिर कर ३५८ से १६७ रह गई। यह भी कहा जा सकता है कि अम दल को रुद्धिवादी दल से केवल २० प्रतिशत अधिक मत मिले किन्तु दुगने स्थान मिल गये। अम दल को ३०,००० मतों पर एक स्थान मिला, रुद्धिवादी दल को ४७,००० मतों पर तथा उदार दल को १,८७,००० मतों पर एक स्थान मिला। प्रतिनिधित्व की न्यायरूप प्रणाली होती तो अम दल को ३६३ के स्थान पर २६६ स्थान ही मिलते, रुद्धिवादी दल को १६७ के स्थान पर २४८ स्थान मिल जाते। १९१८ से १९४१ तक सभा में औसत के अनुसार, ६६ रुद्धिवादी अधिक थे, ६२ अम सदस्य कम थे नथा ३० उदार दल वाले कम थे। इन आंकड़ों से यह निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है कि एकल-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (Single-member Constituency) की प्रणाली कार्य रूप में बहुत ज्यादा अन्यायरूप है। इससे जैसे दल को विधान-मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है जिसे देश में आधे मन भी न मिले हैं। दूसरे दल अपने मतों के अनुपात से स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इससे निर्वाचन के परिणाम का पहिले अनुमान नहीं लगाया जा सकता और प्रत्येक निर्वाचन एक जुआ बन जाता है। इससे राष्ट्र के विचारों का पता नहीं लगता बल्कि वे छुप से जाते हैं, और इससे मतदाताओं के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस सबको समझता हमारे लिये लाभदायक होगा।

ब्रिटेन में जो एकल-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (Single-member Constituency) पद्धति है उसकी मुख्य विशेषता यह है कि जिस उम्मीदवार को अधिकतम संख्या में मत मिलते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसे कुल डाते गये मतों में से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ हो या नहीं। यदि केवल दो ही उम्मीदवार

हों तो जीतने वाले उम्मीदवार को अवश्य ही पूर्ण वहुमत प्राप्त हो जाएगा किन्तु यदि तीन या अधिक उम्मीदवार हो तो स्थिति भिन्न हो सकती है तथा शायद विजेता को अन्य उम्मीदवारों के मतों के जोड़ से कम मत मिले हों। मान लीजिये कि एक ही स्थान के लिये चार उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को १५,००० मत मिलते हैं, दूसरे को १४६६६, तीसरे को १४५०० तथा चौथे को ५,५०१ मत मिलते हैं; तो पहला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित हो जायेगा, क्योंकि उसे १ का वहुमत प्राप्त हो गया है और यह समझा जायेगा कि वह समस्त निर्वाचन चेत्र का प्रतिनिधि है जिसमें वे $35,000 [= 14666 + 14500 + 5501]$ मतदाता भी हैं जिन्होंने तीन पराजित उम्मीदवारों को मत दिये थे। ब्रिटिश विधि के अनुसार अन्तिम उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जायेगी। वहुमन द्वारा निर्वाचन के इस सिद्धान्त में कई खराबियां हैं। पहली बात तो यह है कि पराजित उम्मीदवारों के हक्क में जो मत ढाले गये हैं वे विलक्षण बेकार रहे, विधान मंडल की रचना पर या घटनाक्रम पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। इसका नतीजा यह होता है कि वहुत से मतदाताओं के मताधिकार का महत्त्व समाप्त हो जाता है और इस प्रकार व्यापक मताधिकार का अर्थ तथा महत्त्व कुछ नहीं रहता। इससे सद्गत में सब राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, और एक अर्थ में लोकसभा प्रतिनिधि संस्था नहीं रहती। इस प्रणाली में दूसरी महान् खराबी यह है कि इससे 'देश में अल्पसंख्यक मन वाला दल' राभा में स्थानों का वहुमत प्राप्त कर लेता है। कई बार रुद्धिवादी दल को कुल दाले गये मतों में से ४० प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त होने पर भी सभा में पूर्ण वहुमत प्राप्त हो गया। इसके विपरीत कई दलों को आनुपातिक आधार पर जितने स्थान मिलने चाहिये उससे कम मिल पाते हैं। उदार दल के साथ १६२२ से प्रायः यही होता आया है। अर्थात्, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस प्रणाली के अनुसार, सब दलों को एक स्थान के लिये समान संख्या में मत प्राप्त नहीं करने पड़ते; उदाहरण के लिये, १६२६ के निर्वाचन में उदार दल को ६०,००० मतों से एक स्थान मिला, किन्तु अम दल को केवल २६,००० मतों पर एक स्थान मिल गया। यह स्पष्ट ही अन्याय है तथा लोकतन्त्र के आदर्श के विरुद्ध है। इसी बात को एक और प्रकार से कहा जा सकता है। १६२६ के निर्वाचन में रुद्धिवादी दल को २५६ स्थान मिले जबकि प्राप्त मतों के अनुपात से उसे केवल २३२ मिलने चाहिये थे, अमंदल को २८८ स्थान मिले जब कि २५५ मिलने चाहिये थे और उदारदल को १४३ की वजाय केवल ५६ स्थान मिले। इसी प्रकार १६३१ के निर्वाचन में सरकारी मिश्रित दल को ३६८ की वजाय ४६३ स्थान मिले, अम दल को

१६८ की वजाय केवल ४६ स्थान मिले, स्वतंत्र उदार दल को ३ के बजाय ४ स्थान मिल गये और अन्य दलों को ६ को बजाय केवल ५ स्थान मिले। कुछ निर्वाचनों में विविध दलों को किनारा कम या अधिक प्रतिनिधित्व मिला, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :—

दल का नाम	१६८२	१६८३	१६८४	१६८६	१६८१	१६८५
रुदिवादी	+ ६२	+ १७	+ १२८	+ २२	+ १२०	+ २१
उदार	- ५८	- २२	- ६६	- ८८	+ १	- ६
श्रम	- ३६	+ ११	- ५३	+ ६२	- १२३	- ७८
स्वतंत्र	+ ७	- ६		- १	+ २	- ४

क्षेत्र की एकल-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से बहुमत द्वारा निर्वाचन की प्रणाली से जो अन्याय होता है उसे स्पष्ट समझने के लिये निम्नलिखित तालिका बहुत सहायक होगी जिसमें यह बताया गया है कि सामान्य निर्वाचनों में तीनों बड़े दलों को कुल कितने मत मिले तथा कितने स्थान मिले :—

वर्ष	रुदिवादी दल		उदार दल		श्रम दल	
	कुल मत	प्राप्त स्थान	कुल मत	प्राप्त स्थान	कुल मत	प्राप्त स्थान
१६८२	५५,००,३८८	३४४	१६,७३,२४० (राष्ट्रीय उदार दल)	५३	४२,४१,३८२	१४२
१६८३	५५,३८,८२४	२५८	४३,११,१४७	१५८	४४,३८,५०८	१६१
१६८४	७८,७४,५८३	३६६	२६,२८,७७४	३८	५४,८४,०७७	१४३
१६८६	८६,५६,६३६	२५६	५३,०६,४२६	५६	८३,८५,५०१	२८८
१६८५	१,०४,६६,०००	३७५	१४,३३,००३	१६	८४,६५,०००	१६८

यदि विभिन्न दलों को उनके मतों की संख्या के अनुपात से स्थान दिये जाते तो १६८१ में रुदिवादी दल को ४७३ की बजाय २७० स्थान मिलते, उदार दल को ६८ की बजाय ११० स्थान मिलते, और राष्ट्रीय श्रम दल को १३ की बजाय ५० स्थान मिलते। इन आंकड़ों से सिद्ध हो गया होगा कि एकल-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र से बहुमत के आधार पर निर्वाचन की विधिश प्रणाली कितनी अन्यायपूर्ण है। इस विषय में अधिक प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है।

इस व्यवस्था से बेवल ये ही दोष नहीं हैं ; उसमें कई दूसरी बड़ी खराबियां भी हैं। इससे नकारात्मक (negative) मतदान को प्रोत्साहन मिलता है : अर्थात् मतदाता ऐसे उम्मीदवार को मत नहीं देने जिन्हे वे पसंद करते हैं वरन् जिसे वे नापसंद करते हैं उनके विरुद्ध मत दे देते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिये, एक निर्वाचनक्षेत्र से तोन उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मतदाता 'ग' के पक्ष में मत देना चाहता है किन्तु वह जानता है कि उसके निर्वाचित होने की संभावना नहीं है क्योंकि परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं। अत वह उसे मत देकर अपने मत को बेकार नहीं दिया चाहता। अब वह मतदाता 'ख' को भी नहीं चाहता पर 'क' से तो उसे धृणा ही है अब वह 'क' को निर्वाचित होने से रोकने के लिये 'ख' को अपना मत दे देना है। इस प्रकार के नकारात्मक मतदान से राष्ट्र की इच्छा का ठीक पता नहीं लग पाता, सामान्य निर्वाचन से यह निश्चय से पता नहीं लगता कि देश ने निश्चय ही एक सिद्धान्त के पक्ष में मत दिये हैं और दूसरे सिद्धान्त के विपरीत। यह सभव है कि १९४५ के निर्वाचनों में श्रन दंल को जो महान् व्युत्पत्त प्राप्त हुआ था उसका कारण शायद रुद्धिवादी दल में अविश्वास था, समाजवाद से प्रेम नहीं। इसको दूसरी खराबा यह है कि इसमें उन निर्वाचकों के हाथ में शक्ति आ जानी है जो 'सबसे कम संगठित, सबसे कम शिक्षित तथा सबसे ज्यादा ढांचाढोल मन के होते हैं— अर्थात् जिन्हे अकस्मात् भय उपजा कर, अफवाहे फैलाकर, भूठी बढ़नामियां करके तथा बेतुके बायदं करके भड़काया जा सकता है।'^१ जब सुकावले के दलों की शक्तियों समान होती हैं तब ऐसे व्यक्तियों के मतों से प्रश्न का निश्चय हो जाता है जो कभी राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं लेते। ऐसे ढांचाढोल मतदाताओं को फांसने के लिये विभिन्न दल प्रायः सब प्रकार के उपाय अपनाते हैं और अपने सिद्धान्तों का भी वलिदान कर देते हैं। इस विषय पर अधिक लिखना व्यर्थ है। ब्रिटेन की निर्वाचन-प्रणाली की खराबियां कानूनी हड़ तक दिखाई जा चुकी हैं।

इन खराबियों को दूर करने के लिये कई उपाय सुझाये गये हैं। द्वितीय-शलाकादान (Second Ballot), एकत्रित-भत्त-पद्धति (Cumulative vote system) और सीमित मत योजना (Limited vote plan) आदि के सुझाव दिये गये हैं। किन्तु राजनीति-शास्त्र के लेखकों को सबसे अधिक आनुपातिक

* Ramsay Muir : *Ibid*, page 161.

¹ जो इम विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे Ramsay Muir की पुस्तक 'How Britain is Governed' के पांचवे अध्याय को पढ़ें।

प्रनिनिधित्व (Proportional Representation) की ही प्रणाली परसंद है। नीचे उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।^{३५}

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)— यह प्रतिनिधित्व की एक योजना है जिसका उद्देश्य उन गम्भीर चुटियों को दूर करना है जो एक सदस्य-निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव की प्रणाली में निहित हैं। इस योजना का विशेष गुण यह है कि देश में जिस राजनैतिक दल के पीछे काफी जनमत है उसे उसके समर्थक मतदाताओं की संख्या के अनुपात से निर्वाचित निकायों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस बात को आसानी से समझने के लिये भारत का एक उदाहरण काफी होगा। आज ऐसी स्थिति है कि साधारण निर्वाचन-क्षेत्र में किसी स्वतंत्र या हिन्दू-महासभाई उम्मीदवार के लिये, या रेडिकल डेमोक्रेटिक या साम्यवादी दल के अभ्यर्थी के लिये यह अत्यन्त कठिन है, शायद असम्भव ही हो, कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) के विरुद्ध सफलता से चुनाव लड़ सके। इसी प्रकार मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों में गैर-मुस्लिम-लीगियों के लिये मुस्लिम लीगियों का सामना करना कुछ वर्ष पूर्व सरल नहीं था। कांग्रेस के अतिरिक्त किसी दल के हिन्दुओं को १४४६ में निर्मित सभाओं और परिषदों में जरा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, और राष्ट्रीय मुस्लिमों को भी उतना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, जितना कि देश में उन्हें समर्थन प्राप्त था।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना के अन्तर्गत यह असम्भव है कि किसी वर्ग को कम प्रतिनिधित्व मिले और किसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिले; इस योजना के अनुसार प्रत्येक दल या हित को उसी अनुपात से स्थान मिल जाते हैं जिनमें संख्या में उनके पक्ष में मतदान होता है। दूसरी बात यह है कि इस योजना के अन्तर्गत कोई मत व्यर्थ नहीं जाता: प्रत्येक मत के आधार पर किसी न किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सहायता मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत यह असंभव है कि बहुत से मतदाता, जो कभी कभी ६० से ७० % तक होते हैं, क्रियात्मक रूप में मताधिकार से हीन हो जायें। इन दोनों विशेषताओं के कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व में यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि विधान-मंडल जनमत का सही सही प्रतिनिधि हो जाता है। इससे उन लोगों के हाथ में नियंत्रण-शक्ति नहीं रहती है जो अस्थिर और अपशिष्टित हो। अत्यसंख्यकों को ठीक ठीक प्रतिनिधित्व देने की इससे अधिक अच्छी प्रणाली अभी तक नहीं सुझाई गई है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी कई प्रकार का होता है। अधिक प्रयुक्त होने

^{३५} इसके विस्तृत विवरण के लिये लेखक को पुस्तक 'Elements of Political Science' के पृष्ठ ४०४ को पढ़ें।

बाली पद्धति को एकल सक्रमणीय मत (Single transferable vote) पद्धति कहते हैं। अन्य पद्धतियों के समान इसमें भी यह आवश्यक है कि वहु-सदस्य निर्वाचन चेत्र हो। इस विषय में कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है; तीन से लेकर पंद्रह वोस तक अभ्यर्थियों का साथ निर्वाचन हो सकता है। प्रायः चार से दस वारह तक स्थानों का संयुक्त निर्वाचन ठीक रहता है। किन्तु चाहे कितने ही स्थानों को भरना हो, फिर भी प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है। किन्तु वह मन-पत्र पर अभ्यर्थियों के अधिमान का क्रम (Order of preference) चताने के लिये उनके नामों के सामने १, २, ३, ४, आदि लिख सकता है। यदि किसी कारण से उसके प्रथम पसंद के अभ्यर्थी को उसके मन की आवश्यकता नहीं है तो वह मत द्वितीय पसंद के उम्मीदवार को मिल जायेगा; यदि द्वितीय पसंद के उम्मीदवार को भी उसको आवश्यकता नहीं है तो वह मत तीसरी पसंद वाले उम्मीदवार को मिल जायेगा, इस प्रकार क्रम चलना रहेगा। मतलब यह हुआ कि प्रत्येक मत को काम में ले लिया जायेगा, तथा व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा। केवल वही अभ्यर्थी निर्वाचित ममका जाता है जिसे न्यूनतम मत मिल जाये जिसे कोटा (Quota) कहते हैं। कोटा 'उस न्यूनतम मत संख्या को कहते हैं जो उतने ही अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सकते हैं जितने के स्थान रिक्त हैं, और अधिक को प्राप्त नहीं हो सकते।' इस न्यूनतम संख्या के निर्धारण के कई तरीके हैं। सबसे साधारण उपाय यह है कि कुल मतसंख्या में कुल स्थानों तथा एक का भाग दे दिया जाये और भागफल में १ जोड़ दिया जाये। इस सूत्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है :—

$$\text{कोटा (न्यूनतम मत)} = \frac{\text{जो मत दिये गये उनकी कुल संख्या} + 1}{\text{कुल स्थानों की संख्या} + 1}$$

यदि किसी निर्वाचन-चेत्र से ६ अभ्यर्थी चुने जाने हैं और कुल १,००,००० मत दिये गये हैं तो न्यूनतम मत अर्थात् कोटा १०,००१ हुआ। कोटा निश्चित हो जाने पर मतगणना आरम्भ होती है। पहली गणना में केवल प्रथम पसन्द या अधिमान के मतों को लिया जाता है, और जो अभ्यर्थी उन प्रथम अधिमान के मतों में ही अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। पहली गणना में सब स्थान नहीं भरते—ऐसा प्रायः होता है—अनः सफल अभ्यर्थियों को जिन मतों की आवश्यकता नहीं होती वे उन अभ्यर्थियों को दे दिये जाते हैं जिनका नाम इन मतों पर द्वितीय पसन्द के रूप में डॉगित होता है, और इन द्वितीय अधिमान के मतों से कुछ उम्मीदवार जो प्रथम पसन्द के मतों में अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर सके थे, सफल हो जाते हैं। यदि द्वितीय अधिमान के मतों से भी सब स्थान नहीं भर पाते तो तीसरे अधिमान के मतों का प्रयोग होता है। इस प्रकार सारे खाली थानों को भरने का प्रयत्न किया जाता है। यदि कोई

उम्मीदवार इतना पीछे रह जाये कि उसके निर्वाचित होने की कोई सम्भावना ही न रहे चाहे उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अधिमान के मतों को भी क्यों न ले लिया जाये, तो ऐसी दशा में उसके पक्ष में दिये गये प्रथम अधिमान के मतों को नहीं गिना जाता ; ऐसे मतदाताओं के मत उनके दूसरी पसन्द के अभ्यर्थियों को दे दिये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक मत का प्रयोग किसी न किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिये कर ही लिया जाए। इसमें गिनती का तरीका बहुत उलझा हुआ है ; यही इस योजना की मुख्य कठिनाई है। यह भी भय है कि इस योजना को अपनाने से दल बहुत हो जायेंगे और भिन्न भिन्न वर्गों को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुदलीय प्रणालों के अन्तर्गत किसी एक दल के लिये विधान-मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। सब सरकारें भिन्नता सरकारें (Coalition Governments) ही होंगी जो अस्थायी होती हैं। किन्तु यह त्रुटि तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रत्येक पद्धति में ही होती है। जो यह चाहते हैं कि उनके यहां स्थिर सरकारें हों जिनका विधान-मंडल में स्थायी बहुमत हो, वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किसी रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतएव ब्रेट ब्रिडेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना को लागू करने के प्रश्न पर विचार करते समय द्विदल प्रणाली और बहुदल प्रणाली के प्रश्न पर भी विचार करना होता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक और पद्धति 'सूची पद्धति' है। उसे जर्मनी में वायमर संविधान के अनुसार लागू किया गया था। समस्त देश को ३५ निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया गया था (जबकि इगलिस्तान को, जिसकी जन-संख्या बहुत कम है, ६०० निर्वाचन-क्षेत्रों में वांटा जाता है)। प्रत्येक सघटित दल ने योग्यता के क्रम से अपने अभ्यर्थियों की सूची पेश की थी, और मतदाताओं ने व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थियों को मत नहीं दिये, बरन् दलों को मत दिये। प्रत्येक दल को ६०,००० मतों पर एक स्थान मिला और दल की सूची में प्राथमिकता के क्रम में अभ्यर्थियों को स्थान दे दिये गये। विविध निर्वाचन-क्षेत्रों के बचे हुए मतों को डक्टा कर लिया गया, और उनका प्रयोग राष्ट्रीय दल की सूची के अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने के लिये किया गया, जो कि निर्वाचन मण्डलों से निर्वाचित नहीं हुए थे। यह योजना कुछ समय तक अच्छी तरह सफल हुई किन्तु बाद में उसका परित्याग कर दिया गया। इस प्रणाली में कई विशेष त्रुटियाँ हैं जिनके कारण ये हैं कि निर्वाचन क्षेत्र बहुत बहुद आकार के होते हैं और मतदाताओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों में कोई निकट सम्पर्क नहीं होता। इससे दलों के हाथों में अत्यधिक शक्ति भी आ जाती है।

यद्यपि आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किसी न किसी रूप में यूरोप के कई देशों

ने अपना लिया है, किन्तु ब्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमरीका में उसका अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। ब्रिटिश स्वभाव की परम्परागत खुदिवादिता इसके मार्ग में एक रोड़ा है, इसके अपनाने का अर्थ यह होगा कि विद्यमान एक-सदस्य-निर्वाचन-क्षेत्र-पद्धति मिट जायेगी और प्रधानतः द्विन्दल प्रणाली भी समाप्त हो जायेगी। क्योंकि इस समय दोनों मुख्य दलों को विद्यमान प्रणाली से लाभ उठाने की आशा होनी है, अतः कोई भी उसे हटाने के लिये आतुर नहीं है। दोनों वर्तमान स्थिति को बनाये रखने से ही संतुष्ट हैं।

जब तक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस समस्या पर वैयक्तिक या दलीय स्थार्थ की दृष्टि से विचार करेंगे, तब तक विद्यमान निर्वाचन पद्धति में सुधार होना कठिन है। ब्रेट ब्रिटेन में पहले कुछ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आनुपातिय प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता था।

सदन का संघटन—ब्रेट ब्रिटेन में कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे साधारण निर्वाचन और नई संसद के समवेत होने के बीच की अवधि निश्चित हो, किन्तु वास्तव में उसे छोटी से छोटी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नई सदन निर्वाचनों के पश्चात दो सप्ताहों में ही समवेत होती है और अपना कार्य आरम्भ कर देती है।

जब निर्वाचन के पश्चात सदन प्रथम बार समवेत होनी है, तब लार्डसभा का सरकारी सदनेशवाहक, लिंस^१ 'जेन्टिलमैन अशर आफ दी लैंक रॉड' कहते हैं, लोक-सभा के सदस्यों को आमन्त्रित करता है कि वे द्विनीय सदन में जायें, जहाँ लार्ड चान्सलर उन्हें सूचिन करता है कि क्राउन की इच्छा है कि वे किसी व्यक्ति को अपना स्पीकर अध्यवा अध्यक्ष चुनें। दूसरे शब्दों में नव-निर्मित सदन का प्रथम कार्य है अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष के अतिरिक्त, सदन के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, एक क्लर्क और उसके दो सहायक, एक सारलेट-एट-आर्म्स तथा उसके नायब, और एक चेप्लेन। क्लर्क और सारलेट-एट-आर्म्स तथा उनके सहायकों को राजा प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर नियुक्त करता है, और चेप्लेन को अध्यक्ष (स्पीकर) नियुक्त करता है। वे सब पदाधिकारी जीवन भर के लिये नियुक्त होते हैं और अध्यक्ष के समान संसद की कालाघवि के ही लिये नियुक्त नहीं होते। सदन के दो और मुख्य पदाधिकारियों का उल्लेख कर देना चाहिये, वे हैं— समूचे सदन की समिति का सभापति और उपसभापति। वे सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से नियुक्त किये जाते हैं और सरकार के बड़ल जाने पर पुनर्निर्वाचित नहीं होते। अतापि वे राजनैतिक पद हैं, अर्थात् सरकार के पदन्युत हो जाने पर उन पदों पर आमीन वर्गकि त्वागपत्र ढे देते हैं।

कलर्क के मुख्य कार्य ये हैं : सदन के सब आदेशों पर हस्ताहर करना, लार्ड-सभा के भेजे या लौटाये जाने वाले सब विधेयकों को पृष्ठांकित (endorse) करना, सदन की कार्यवाही का अभिलेख (record) तैयार करना, सब अभिलेखों तथा लेरेंस (documents) को सुरक्षित रखना, और 'आफीशल जनरल' (सरकारी पत्रिका) को (अध्यक्ष की सहायता से) तैयार करवाना। सारेण्ट-एण्ट-आम्स का मुख्य कार्य सभा में व्यवस्था बनाये रखना, द्वारपालों और सदेशवाहकों को निदेश देना, सदन के आदेशों को क्रियान्वित करना और अध्यक्ष द्वारा निकाले गये अधिपत्रों (Warrants) पर अमल करना है।

दूसरे पक्ष से अधिक प्रतिष्ठा, शक्ति तथा सम्मान अध्यक्ष के पद का होता है। यह पद इतना ही पुराना है जितना कि स्थाय सदन है। शायद 'सीकर' नाम इसलिये पढ़ गया था कि पुराने जमाने में सदन की ओर से राजा के साथ इस पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को बात (speak) करने का अधिकार था। पहले उसका काम सदन से प्रार्थना-पत्रों तथा प्रस्तावों को ले जा कर राजा के समक्ष रखना होता था। यद्यपि आज वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता— अब सदन की स्थिति बदल गई है और वह प्रार्थना-पत्र देने की बजाय विधि-निर्माण तथा विचार करने वाला सदन बन गया है— किन्तु पुराना नाम अब भी चल रहा है। जिन देशों ने अपनी प्रतिनिधि-संस्थाओं को नियंत्रण के अनुसार बनाया है। उन्होंने भी इसी नाम को अपना लिया है। यह स्मरण रखना चाहिये कि वह अब भी सदन और क्राउन के बीच सरकारी प्रवक्ता है, यद्यपि प्रधान मंत्री के पद के विकास के बाद उसके लिये ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रह गया है।

पहले राजा ही अध्यक्ष की नियुक्ति करता था, किन्तु शक्ति-सर्वप में सभा को ही यह अधिकार मिल गया कि वह अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुन सके। आज सभा ही अध्यक्ष को चुनती है तथा क्राउन उस पर अपनी स्वीकृति देता है। किन्तु दोनों ही वातें औपचारिक हैं। वास्तव में इस महान् पद के लिये व्यक्ति को प्रधान मंत्री ही चुनता है और इस मामले में वह अपने केविनेट से परामर्श करता है, और यह देख लेता है कि वह जिस व्यक्ति को चुनेगा वह समस्त सदन को त्वीकार्य होगा। जब सदन के सदस्य लार्डसभा से वापस आते हैं तब एक सदस्य यह प्रस्ताव पेश करता है कि श्री अमुक सभापति का आसन (chair) ग्रहण करे और दूसरा कोई सदस्य फूसका अनुमोदन करता है। फिर वह नामनिर्देशित सदस्य अपने स्थान पर उठना है और सदन की इच्छा को शिरोधार्य करता है और सदन इस पर करतल ध्वनि से उसका स्वागत करता है।

यद्यपि अध्यक्ष संसद की कालाधिकार के लिये ही चुना जाना है तथा नई संसद से संदेश कहा जाना है कि वह उपयुक्त व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुने, फिर भी

अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हो जाता है, जब तक कि पुराना अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न कर गया हो और उसके स्थान पर नया अध्यक्ष न चुना जाना हो। इसका कारण यह है कि वहां एक परम्परा वन गई है कि नया सदन भी पुराने अध्यक्ष को ही पुनः चुन लेता है चाहे दूसरा दल ही शक्ति आखड़ क्यों न हो गया हो। अतः यह बात अद्भुत नहीं है कि कोई स्फिदिवादी दल (Conservative) का व्यक्ति अध्यक्ष हो किन्तु उदार (Liberal) या श्रम दल की सरकार हो, या इससे विपरीत दशा हो। कोई सदस्य एक बार अध्यक्ष वन जाने पर सदा अध्यक्ष ही रहता है। इस परम्परा का कारण एक दूसरी परपरा है — कि यह पद पूर्णतः निष्पक्षता का है। ज्योही कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है वह किसी दल का सदस्य नहीं रहता तथा अपने पहले के दल से त्यागपत्र दे देता है। वह किसी दल की बैठक में या किसी राजनैतिक वाद्-विवाद में भाग नहीं लेना और किसी राजनैतिक मामले पर अपनी सम्मति भी नहीं देता। इस पद पर प्रतिष्ठित होते ही वह राजनीति से सन्यास ले लेता है। इसके फलस्वरूप, जब तक वह अध्यक्ष रहना चाहता है तब तक उसके स्थान (Seat) के लिये भी विरोध नहीं होता और उसे निर्विरोध चुन लिया जाता है। किन्तु हाल ही में एक श्रम सदस्य ने इस परपरा का उल्लंघन किया था और अध्यक्ष के निर्वाचन-क्षेत्र से खड़ा हो गया था। जनता ने उसके कार्य का या भावना का समर्थन नहीं किया। राजनीति से सन्यास आवश्यक समझा जाता है जिससे कि अध्यक्ष निश्चय ही निष्पक्ष रहे। उससे किसी दल के प्रति पक्षपात की प्रत्याशा नहीं की जाती। हमारे देश में भी समस्त विधान निकायों (Legislative bodies) के अध्यक्षों ने इस परंपरा का पालन किया है। केवल उच्चर प्रदेशोदय विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पुस्पोन्तम दास टण्डन ने इसका उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा कि यहां की परिस्थितियां डङ्गलिस्तान की परिस्थितियों से मिल हैं और अध्यक्ष को स्वतंत्रता के राष्ट्रीय सर्वर्प में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिये। अतएव वे कर्मठ कांग्रेसी भी रहे तथा अध्यक्ष का कर्तव्य भी पूर्ण न्याय तथा निष्पक्षता से पालन किया। निस्सदैह व्यक्ति के लिये यह संभव है कि वह दल से संबंध भी रखे, और सरकारी मामले में न्याय से भी काम ले। अध्यक्ष को योग्य, चेतन, समझदार, शान्त और सभा की प्रक्रिया (Procedure) में पारंगत होना चाहिये।

लोकसभा का अध्यक्ष विविध प्रकार के कार्य करता है। जब सदन सत्र (Session) में होता है तब वह सभापति के आसन पर बैठता है, वही निश्चित करता है कि कौन घोलेगा, शांति व्यवस्था बनाये रखता है, गड्ढवड़ करने वाले सदस्यों को चेतावनी देता है, और उन्हे अधिवेशन से निलम्बित (Suspend) कर देना है, सदन के नियमों की व्याख्या करता है, प्रश्नों पर मत लेना है तथा मनदान

के परिणाम को घोषित करता है, और वह सदन की प्रतिष्ठा तथा विशेषाधिकारों का सरक्षक होता है। वह सब नियम सवालों प्रश्नों (Points of Order) का फैसला करता है जो अंतिम होता है। वह मत नहीं देता जब तक कि मतसाम्य (Tie) न हो। और जब वह अपना निर्णयक मत देता है तो भी वह सदन के नियमों विनियमों के अनुसार ही देता है, अपनी व्यक्तिगत या राजनैतिक भावनाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि उन्हे तो वह समाप्त ही कर देता है। यह समझ लेना चाहिये कि उसकी अपनी कोई भरजी नहीं होती, जो वह सदन पर लाद सके; उसका मुख्य कार्य है सदन की इच्छा को जानना जो कि उसके नियमों आदि में संभिहित होती है। प्रायः ये ही कार्य हैं जो समस्त संसार में विधान-निकायों के अध्यक्ष करते हैं। किन्तु कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विशेषतः ब्रिटिश अध्यक्ष (Speaker) ही करता है। १८११ के संसद अधिनियम (Parliament Act) से उसे यह निश्चय करने की शक्ति मिल गई है कि कोई विधेयक (Bill), धन-विधेयक (Money Bill) है या नहीं। यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे उस विधेयक के भाग्य का ही निर्णय हो जाता है। कई अवसरों पर उसे बड़े बड़े सम्मेलनों (Conferences) और अध्योगों (Commissions) के सदस्यों को नियुक्त करना पड़ता है तथा बुल्ड सम्मेलनों का समाप्तित्व करना पड़ता है।

इसलिये अध्यक्ष का पद बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान वाला है। उसे प्रति वर्ष ५ हजार पाउंड वेतन के रूप में तथा वेस्टमिनिस्टर एवं मे सरकारी पदावास मिलता है। निवृत (retire) होने पर उसे पिंयर वना दिया जाता है तथा ४ हजार पाउंड वार्षिक निवृति वेतन (Pension) मिल जाता है। बिट्टेसे स्पीकर ने निवृत होने पर लार्ड वनने से इन्कार कर दिया था। ब्रिटिश अध्यक्ष की अमरीकी प्रतिनिधि सभा के तथा फ्रांसीसी नेशनल-असेम्ब्ली के अध्यक्षों से तुलना करना लाभदायक होगा। वे दोनों अध्यक्ष अपने दलीय संबन्धों को नहीं तोड़ते और अपने अपने दल के सदस्य वने रहते हैं। यहाँ तक कि सदन की कार्यवाही में भी उनसे आशा की जाती है कि वे अपने दल को कुछ लाभ पहुंचायें। फ्रांस के अध्यक्ष की तो यह बात प्रसिद्ध थी कि वह अपने आसन को छोड़कर घट्टों तक बक्कूना दिया करता था। किन्तु वहाँ भी अश्रेजों के समान परम्परा वनती जा रही है। उसका कार्य ही ऐसा है कि ब्रिटिश अध्यक्ष का उसके देशवासी जितना सम्मान करते हैं उतना अमरीका या फ्रांस के अध्यक्षों का नहीं होता।

सेशन (Session) कैसे आरम्भ होता है— अपने निर्वाचन के अगले दिन अध्यक्ष सभा के सदस्यों के साथ लार्डसभा में जाता है, अपने निर्वाचन की घोषणा करता है और लार्ड चांसलर के द्वारा राजा की स्वीकृति को प्राप्त करता है। वह

लोकसभा के प्राचीन विशेषाधिकारों, अर्थात् वास्तवातन्त्र्य, बन्दीकरण से खतनन्त्रना, अपनी प्रक्रिया (Procedure) के विनियमन (Regulation) का अधिकार, आदि की मांग करता है तथा उन्हें प्राप्त करता है। अपने कमरे में लौट कर अध्यन और सदस्य बफाड़ारी की शपथ (Oath of Allegiance) लेते हैं। अगले दिन सदस्यगण राजा का भाषण सुनने के लिये पुनः लार्डसभा में बुलाये जाते हैं और उस अभिभाषण को स्वयं राजा या उसकी अनुपस्थिति में लार्ड चांसलर पढ़ता है। यह सिंहासन-भाषण कहलाता है, किन्तु वास्तव में वह प्रधान मन्त्री द्वारा तैयार किया हुआ होता है और उसमें सरकार की विदेशी और गृह नीति की स्परेखा होती है तथा उस सत्र में पेश किये जाने वाले सुख्य प्रस्तावों के विषय में छुल होता है। भाषण की समाप्ति के पश्चात् लोक-सभासद् अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ उस भाषण का पुनर्पठन होता है और उस पर वान-विवाद होता है। उसके उत्तर में प्रत्येक सभा में एक समावेदन (Address) पर मतदान होता है जिसका आशय सरकार में वित्तास या अविश्वास होता है। यह वहस कई दिनों तक चल सकती है और विरोधी दल के सदस्य उस पर संशोधन भी पेश कर सकते हैं। इस कार्य वी समाप्ति पर सभा समिनियों आदि का निर्माण करती है तथा अपना नियमित कार्य आरम्भ कर देती है।

लोकसभा की समितियाँ— लोकसभा का प्रधान कार्य विधिनिर्माण (Legislation) है। इस कार्य को कुशलतापूर्वक तथा कम से कम समय में पूरा करने के लिये सब कई समिनियों का प्रयोग करती है। वास्तव में समस्त संमार में विधायक निकाय इसे आवश्यक और सुविधाजनक समझते हैं कि वहुत सा प्रारम्भिक कार्य समितियों को दे दिया जाये। किन्तु समिति-पद्धति भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। ब्रिटेन में उस पद्धति का जो रूप है वह संयुक्त राज्य अमरीका में नहीं है और फ्रांस में दोनों से ही भिन्न रूप है। हमारे देश में अभी कोई विशेष पद्धति का विकास नहीं हुआ है।

लोकसभा में पांच प्रकार की समितियाँ होती हैं। वे ये हैं: (१) समूचे सदन की समिति; (२) सार्वजनिक विधेयकों पर प्रवर समिनियाँ (Select Committees); (३) सार्वजनिक विधेयकों पर सत्र (Session) समिनियाँ; (४) सार्वजनिक विधेयकों पर स्थायी (Standing) समितियाँ; और (५) असार्वजनिक विधेयकों पर समितियाँ।

समूचे सदन की समिति में सभा के सारे सदस्य होते हैं। उसके सत्रों और सभा के सत्रों में निम्न अन्नर होते हैं: इसका सभापतित्व समितियों का सभापति करता है, सदन का अध्यक्ष नहीं करता: अध्यक्ष की शक्ति की प्रतीक 'गदा' (Mace)

को मेज पर नहीं रखा जाता, वल्कि उसके नीचे रखा जाता है ; वहां की प्रक्रिया कम औपचारिक होती है क्योंकि किसी प्रस्ताव के समर्थन (Seconding) की आवश्यकता नहीं है और कोई सदस्य जितनी बार चाहे बोल सकता है, और 'प्रीवियस क्वेश्चन' (Previous Question) का प्रस्ताव करके बाद-विवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। सब धन-विधेयकों को 'समूचे सदन की समिति' में अवश्यमेव भेजा जाता है। सरकार तो यही चाहती है कि उसके महत्वपूर्ण मामलों पर ऐसी ही समिति में विचार हो क्योंकि उसका अन्य समितियों की बजाए इस में अधिक नियन्त्रण रहता है। जब सभा अनुदानों (Grants) के लिये मांगों या विनियोगों (Appropriations) पर विचार करने के लिये बैठती है तब उसे 'हाउस-इन-स्प्लाई' या 'स्प्लाई समिति' कहते हैं। जब वह आवश्यक राजस्व की व्यवस्था करने के लिये बैठती है तब उसे 'विज़ एण्ड मीन्स' (Ways and Means) की समिति कहते हैं। यह याद रखना चाहिये कि समितियों का सभापति, जो समस्त सभा की समिति में सभापतित्व करता है, कट्टर दलीय व्यक्ति होता है। जब समिति में प्रस्तुत विषय पर विचार हो चुकता है तब वह उठ जाती है ; सभा का सत्र आरंभ हो जाता है, जिसमें अध्यक्ष सभापति होता है और समिति का सभापति अपनी रिपोर्ट उसे पेश करता है।

सार्वजनिक विधेयकों की प्रवर समिति में १५ सदस्य होते हैं और उस समिति का समय समय पर निर्माण किसी मामले पर विचार करने तथा रिपोर्ट देने के लिये होता है जिस पर विधान-निर्माण होना हो। उसका प्रयोजन प्रायः यह होता है कि वह विवेकशील विधि-निर्माण के लिये आवश्यक सूचना प्राप्त करती है और गवाहियां आदि भी लेती हैं। वह अपना सभापति स्वयं चुनती है जो कार्यवाही का विस्तृत विवरण रखता है और सभा को रिपोर्ट पेश करता है। समिति के सदस्यों के नामों का सुमाव भी वही सदस्य देता है जो उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव पेश करता है। कार्य समाप्त होने पर उस समिति का अस्तित्व नहीं रहता। प्रत्येक सत्र में लगभग वीस ऐसी समितियां नियुक्त होती हैं।

कुछ प्रवर समितियां समूचे सत्र के लिये बनाई जाती हैं और उन्हें विशिष्ट विषय सौंपे जाते हैं। वे सत्रीय समितियां (Sessional Committees) कहलाती हैं। लगभग आठ दस सत्रीय समितियां होती हैं, उनमें सुख्य ये हैं : सेलेक्शन समिति, स्थायी आदेशों (Standing Orders) की समिति, सार्वजनिक लेखा (Public Accounts) समिति और सार्वजनिक याचिका (Public Petitions) समिति।

प्रवर या सत्रीय समितियों से भी अधिक महत्वपूर्ण पांच स्थायी समितियां हैं जिनमें चार के नाम 'क', 'ख', 'ग', 'घ' हैं और पांचवीं रॉकफेलर एंड

सम्बन्धी समिति है। उन्हे प्रत्येक सत्र के आरम्भ मे चुना जाता है और जब तक ससद का सत्र खत्म न हो जाये तब तक वे रहनी हैं। उनमे से प्रत्येक मे ३० से ५० तक सदस्य होते हैं जिन्हे 'सेलेक्शन समिति' चुनती है। जो मामले समूची सभा की समिति मे भेजे जाते हैं उनके अतिरिक्त सत्र मामले अध्यक्ष के निदेशानुसार इनमे से किसी न किसी स्थायी समिति मे भेज दिये जाते हैं। 'सेलेक्शन समिति' किसी समिति मे किसी विधेयक विशेष पर विचार करने के लिये १० से ३५ तक अतिरिक्त और अस्थायी सदस्य जोड़ सकती है। वे सदस्य इत वात को ज्ञास तौर से ध्यान मे रख कर चुने जाते हैं कि उन्हे इस विषय का विशेष ज्ञान है और जब उस विषय पर विचार समाप्त हो जाता है तब वे सदस्य नहीं रहते हैं। स्थायी समिति को जानवृक्ष कर बड़ा बनाया जाता है जिससे कि वह 'छोटा सा विधान-मंडल' बन जाता है। यह आशा की जाती है कि उसके पास जो मामला भेजा जाये उस पर इतना पूरी तरह विचार किया जाये कि उस पर सभा को अधिक समय न देना पड़े। एक और भी वात है कि स्थायी समिति मे सदस्य मनोनीत करते समय 'सेलेक्शन समिति' इस वात का भी ध्यान रखती है कि उसमे विभिन्न दल उसी अनुपात से रखे जायें जिस अनुपात मे उनकी संख्या सभा में है। आधुनिक स्थायी समितियां नई चीज़ हैं; उन्हे सर्वप्रथम १८८३ मे प्रयोग रूप मे बनाया गया था। सेलेक्शन समिति मे, जो विभिन्न स्थायी समितियों के लिये सदस्य नियुक्त करती है, ११ सदस्य होते हैं। वे सब दलों के प्रतिनिधि होते हैं और सभा उन्हे प्रत्येक सत्र के आरम्भ मे नियुक्त करती है।

संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस मे भी स्थायी समितियां होती हैं किन्तु उनमे और ब्रिटिश समितियों मे बहुत अंतर है। ब्रिटेन मे केवल ५ स्थायी समितियां हैं जबकि अमरीका मे ४ दर्जन हैं, जिनमे कई व्यर्थ हैं। ब्रिटेन की बड़ी समिति मे ८५ सदस्य भी हो सकते हैं किन्तु अमरीकी सभा की समिति मे ३५ सदस्यो से अधिक नहीं होते। अमरीकी समितियां अलग अलग प्रशासकीय विभागो से सम्बद्ध होती हैं और अलग तरीके से बनती हैं। 'प्रतिनिधि सभा' मे घुस-संख्यक और अल्पसंख्यक दल प्रत्येक समिति के लिये अपनी अपनी सूची बना लेता है और फिर उन सूचियों को मिला कर उन पर सभा का मत ले लिया जाता है। वे दलों के आधार पर ही बनती हैं, जैसा ब्रिटिश लोकसभा मे नहीं होता। उनके सभापतियों का चुनाव भी दूसरी तरह होता है। इगलिस्तान मे प्रत्येक समिति के सभापति को 'सेलेक्शन समिति' द्वारा नामनिर्दिष्ट 'सभापति नामावली' (Panel) मे से चुना जाता है, अमरीका मे सभापति को सभा ही चुनती है। वह घुस-संख्यक दल का सबसे सुख्य सदस्य होता है। उनके कार्यों मे भी कई अन्तर हैं जिनका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे।

असार्वजनिक (Private) विधेयकों (Bills) की समितियां ब्रिटिश लोकसभा में ही होती हैं। वैसी समितियां संयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस में नहीं होतीं क्योंकि उन देशों में सार्वजनिक (Public) और असार्वजनिक (Private) विधेयकों में ऐसा कोई अन्तर नहीं है जैसा ग्रेट ब्रिटेन में है। सार्वजनिक विधेयक उसे कहते हैं जो सब जनता से सम्बद्ध हो और किसी स्थान विशेष से नहीं, यथा शिक्षा, सैनिक-सेवा राजस्व या वृद्धावस्था के निवृत्तिवेतन (pension) आदि के विधेयक। असार्वजनिक उसे कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी स्थान विशेष को विधि को बदलना हो या किन्हीं व्यक्तियों विशेष को कोई अधिकार प्रदान करना हो या उनके किसी दायित्व को हटाना हो, यथा किसी काउंटी कौंसिल को किसी रेलवे लाइन या ट्रामवे को बढ़ाने का अधिकार देने संबंधी विधेयक। यह असार्वजनिक विधेयक समिति में भेजा जाता है। उस समिति में चार व्यक्ति होते हैं जिनके नाम सेलेक्शन समिति निर्देशित करती है।

लार्डसभा में भी ऐसी ही समितियां होती हैं, समूचे सदन की समिति, स्थायी समितियां, सत्रीय और प्रवर समितियां। उनका विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

लोकसभा का कार्य— लोकसभा को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। उसमें विधियां बनती हैं, विविध कार्यों को चलाने के लिये सरकार को धन दिया जाता है, व्यय के लिये राजस्व एकत्र करने की स्वीकृति दी जाती है, राष्ट्र की ओर से सरकार के कामों का ध्यान रखा जाता है, देखभाल की जाती है, नियंत्रण रखा जाता है तथा आलोचना की जाती है, राजनीति पर ध्यान आकर्पित करने के लिये बादबिचार किया जाता है जिससे लोगों को यह स्पष्ट पता चल जाये कि उन्हें किन प्रश्नों का निर्णय करना है, और प्रश्नों, स्वर्गत-प्रभावों आदि के द्वारा शिकायतें पेश की जाती हैं। इससे अतिरिक्त भी वह कई कार्य करती है। सिफारी लो ने सेलेक्टिव और ऐलेक्टिव दो प्रकार के कार्य बनाये हैं। अभिसमयों द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है किन्तु वे बहुत दिलचस्पी की चीज़ें हैं। लास्को उसके कार्यों का यह महत्व-वताता है कि वह सरकार-निर्माता निकाय है। इन कार्यों का वर्णन करने से पूर्व प्रक्रिया के नियमों (Rules of Procedure) के विषय में, जिनके अनुसार नित्य प्रतिदिन का साधारण कार्य चलता है, कुछ शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है।

आलक्षण्य प्रक्रिया के जो नियम हैं वे शनैः शनैः विकास के फलस्वरूप बने हैं। यद्यपि उनमें से अनेकों को स्थायी आदेशों (Standing Orders) के रूप में लिख लिया गया है और वे तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि सदन उनका

निरसन या उनमे परिवर्तन न कर दे, फिर भी, प्रथा (Custom) से अब भी बहुत कुछ काम चलता है। आँग ने कहा है कि प्रक्रियात्मक प्रश्नों का निश्चय मुद्रित नियमों और आदेशों से नहीं होता वरन् सभा की अलिखित प्रथाओं और रुद्दियों द्वारा होता है। उन्हें पूर्ण रूप से सीख लेना किसी सदस्य के लिये सुगम कार्य नहीं है और पारनेल ने ठीक ही कहा है कि कोई सदस्य ठोकर द्याये त्रिना उन नियमों को सीख नहीं सकता। यह बात याद रखनी चाहिये कि आपनी प्रक्रिया के नियमों को निश्चित करने का सभा को पूरा अधिकार है। वह कभी किसी नियम का निलम्बन या निरसन साधारण बहुमत से कर सकती है।

संसद के जीवनकाल को कई सत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमें भी प्रत्येक सत्र प्रायः एक वर्ष का होता है। सत्र नवम्बर में आरम्भ होता है, थड़े दिनों (Christmas) की छुट्टी में स्थगित हो जाता है, जनवरी में पुनः समवेत होता है और ईस्टर तथा विहंटसन टाइड की छुट्टियों में थोड़े थोड़े दिन स्थगित होता है। अन्न में जुलाई में गरमी की छुट्टियां होती हैं और नवम्बर में थोड़े दिन की घैठकों के पश्चात् राजा सत्रावसान कर देता है। कुछ दिनों पश्चात् ही अगला अधिवेशन आरम्भ हो जाता है।

जब संसद का सत्र होता है तब उसकी वैक्रें सोमवार से बृहस्पतिवार तक पौने तीन बजे से रात के ११ बजे तक होती हैं। प्रतिदिन कार्य आरम्भ होने से पहले प्रार्थना होती है और उसके बाद असार्वजनिक विधेयकों पर विचार होता है तथा याचिकाये (Petitions) पेश की जाती हैं। इसमें अधिक समय नहीं लगता और इसके पश्चात् 'प्रश्नों का समय' आज्ञा है जिसमें गैर-सरकारी सदस्य मन्त्रियों से उनके विभागों के प्रशासन-संबन्धी तथा अन्य मामलों पर प्रश्नोत्तर करते हैं। इसी समय में सभा में शिकायतें पेश होती हैं तथा मंत्रियों के कारनामों को प्रकाश में लाया जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के भय से ही मंत्री नवाचों के समान प्रमाणी स्वभाव के नहीं बन पाते और जनता तथा समाचारपत्रों की ओर ध्यान देने के लिये वाध्य होते हैं। अतः यह प्रथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अमूल्य रक्षण-कवच है; इसी के कारण मन्त्री जन साधारण के प्रति उत्तरदायी बनता है। इससे दूसरे लाभ भी हैं। इससे यह पना लग जाना है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के काम को कितना सानमता है, इससे लोगों को कई ऐसी बानों का पता लग जाता है जो वैसे मालूम नहीं हो सकतीं थीं और सरकार को अवसर मिल जाता है कि वह अपनी नीति के विषय में संदेहों को मिटा सके। अमरीका की प्रतिनिधि सभा में ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं होते।

प्रश्नों के उत्तर के लिये प्रायः दो दिन पहले सूचना (notice) देनी होती है, किन्तु आकस्मिक प्रश्नों पर अध्यक्ष कुछ बन्दों की मूचना देने की ही अनुमति दे-

सकता है। यदि कोई प्रश्न अनुचित रूप में लंबा हो या उसमें तर्क अथवा व्यंग की वातें हों, या किसी ऐसे विषय पर हो जिस पर उसी सत्र में वाद-विवाद हो चुका हो, या केवल विचार अभिव्यक्त करने के लिये हो तो उस प्रश्न को अध्यक्ष रोक सकता है। यह आरंका हो सकती है कि शायद सदस्य लोग इस अमूल्य प्रणाली का दुरुपयोग करें। अतः अध्यक्ष को ही इस वात का एकमात्र निर्णायक घनाया गया है कि प्रश्न उचित है या नहीं।

फ्रांस के चेम्बर ऑफ डेपुटीज में (जिसे अब नेशनल अपेस्वली कहते हैं) एक सुनिश्चित प्रकार का प्रश्न होता है जिसे 'इन्टरप्रेशन' कहते हैं। उससे चेम्बर में वाद-विवाद के लिये रास्ता खुल जाता है और उस वाद-विवाद के अन्त में सरकार पर अविश्वास या विश्वास के प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। ब्रिटेन में प्रश्न के फल-स्वरूप वाद-विवाद कढ़ापि नहीं हो सकता। यदि प्रश्न का उत्तर संतोषजनक न हो तो सदस्य केवल यही कर सकता है कि स्थगन-प्रताव (Adjournment motion) पेश कर दे। यदि अध्यक्ष उसकी अनुमति दे दे और १०० सदस्य उसका समर्थन कर दें तो सड़े सात बजे सदन का कार्य निलम्बित करके उस पर वाद-विवाद होता है।

प्रश्नों का समय प्रायः पैने चार बजे समाप्त हो जाता है, तब कोई नया सदस्य हो तो उसका परिचय दिया जाता है। फिर सदन अपना विधि-निर्माण तथा धन पर नियंत्रण का कार्य आरम्भ करता है जिसमें सदन का अधिकांश समय लग जाता है। समय समय पर विरोधी दल की प्रार्थना पर कुछ दिन अलग रख दिये जाते हैं जब किसी महत्वपूर्ण मामले पर सरकार की नीति पर वाद-विवाद होता है। शुक्रवार को सभा का कार्य ११ बजे आरंभ होकर ४ बजे तक चलता है। यह समय इस लिये रखा जाता है कि सप्ताहांत में सदस्य-गण अपने निर्वाचन क्षेत्रों को या घरों को जा सकें। कई बार शुक्रवार का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये अलग रख दिया जाता है। किन्तु यदि सरकारी कार्य अधिक हो तो शुक्रवार को भी सरकारी विधेयकों के ही लिये रख दिया जाता है। यद्यपि सिद्धान्त के अनुसार सभा ही अपनी कार्यवली को निश्चित करती है किन्तु वास्तव में प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रधान मंत्री ही बताता है कि आगामी सप्ताह में क्या कार्य होगा। ज्यों ज्यों सत्र आगे बढ़ता है, त्यों त्यों गैर-सरकारी कार्य से अधिमान (preference) सरकारी कार्य को दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है कि गैर-सरकारी सदस्यों की महत्ता शनैः शनैः बहुत कम हो गई है। गैर-सरकारी सदस्यों को अपने विधेयकों के पारित करवाने के लिये बहुत कम अवसर दिये जाते हैं। उन्हें केवल आठ बुधवार तथा तेरह शुक्रवार ही मिलते हैं।

संसद (Parliament) का अर्थ है वातचीत या वाद-विवाद करने का स्थान। उसके प्रांगण में विधान-संवन्धी विषयों पर और सरकारी नीति पर जो वाद-विवाद

होते हैं उन्हें विश्व के विभिन्न भागों में लाखों लोग पढ़ते हैं। उनके विषय में यहाँ कुछ शब्द लिख देना असंगत नहीं होगा। लोक सभा में वक्तृताएं अध्यक्ष को संशोधन करके दी जाती हैं, और लार्ड सभा में सदस्यों को संवैधित किया जाता है। दोनों सभाओं में सदस्यों को लिखित भापण पढ़ने की अनुमति नहीं होती, किन्तु मुख्य-मुख्य संकेत लिखकर उनका प्रयोग किया जा सकता है। लोकसभा में भापण प्रायः छोटे होते हैं; एक घंटे से अधिक प्रायः कोई सदस्य नहीं बोलता, किन्तु कोई कालावधि भी नियत नहीं होती। किसी भी सदस्य को एक ही प्रश्न पर दो बार बोलने की अनुमति नहीं ही जाती, किन्तु यदि उसकी वक्तृता के किसी अंश को गलत समझ लिया गया हो तो वह स्पष्टीकरण सा दे सकता है। चुभने वाली अभिव्यक्तियों का प्रयोग मना है, और सदस्यों से सत्य वाद-विवाद के नियमों का पालन करने की आशा की जाती है। कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य का नाम लेकर नहीं बोलता किन्तु सदा 'अमुक निर्वाचन-नेत्र का माननीय सदस्य' ऐसा कह कर निर्देश करता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को अध्यक्ष शांत करता है, और यदि कोई उसकी अवहेलना करे या अनाचार करने की ही हठ करे तो उसका नाम लेकर उसे निलम्बित (Suspend) किया जा सकता है।

किसी प्रश्न पर वाद-विवाद को अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता; उसे कभी न कभी समाप्त करना ही होता है। लोकसभा में वाद-विवाद को समाप्त करने के कई उपाय हैं। एक तो सामान्य समाप्ति-प्रस्ताव (Closure) ही है। किसी समय वाद-विवाद के समय कोई सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव कर सकता है कि "अब प्रश्न पर मत ले लिये जायें।" यदि १०० सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें तथा अध्यक्ष को यह प्रतीत हो कि अल्पमतों के अधिकार का अथवा सभा के नियमों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो उस प्रश्न पर अधिक वाद-विवाद या संशोधन के बिना ही तत्काल मतदान तथा विनिश्चय हो जाता है। दूसरा उपाय अधिक कठोर है और उसे गिलोटिन (Guillotine) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी निश्चित दिवस को नियत समय पर किसी समूचे विधेयक पर मतदान होगा, चाहे उसके किसी भाग पर उस समय तक वाद-विवाद हुआ हो या न हुआ हो। दूसरे शब्दों में एक निश्चित कालावधि नियत कर दी जाती है जिसके भीतर उस विधेयक पर वाद-विवाद अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिये। इसी के कारण एक और उपाय जरूरी हो जाता है जिसे 'विभागशः समाप्ति' (Closure by Compartment) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विधेयक के भाग या खंड विशेष पर नियत कालावधि में वाद-विवाद समाप्त हो जाना चाहिये। तीसरी प्रकार के समाप्ति उपाय (Closure) को 'कंगारू' (Kangaroo) नाम से पुकारते हैं। इसका आशय यह है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के सब संशोधनों में से, अध्यासीन अधिकारी

(Presiding Officer) कुछ अधिक महत्वपूर्ण बाद-विवाद के लिये उन लेगा और शेष को छोड़ देगा। इससे समय की बहुत बचत हो जाती है। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष समाप्ति प्रस्ताव होने पर उसे स्वीकार ही करे; वह इनकार भी कर सकता है और कभी कभी कर भी देता है।

आजकल सभा की कार्यवाही शब्दशः लिखी जाती है तथा सरकारी तौर से प्रकाशित की जाती है। किन्तु बहुत लम्बे समय तक उनके प्रकाशन के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी।

विधि-निर्माण की प्रक्रिया (The Process of Law-making) : अब तक हमने यह बताया है कि लोकसभा में कार्यवाही कैसी चलती है, अब हम यह देखेंगे कि उनमें विविध कार्यों को करने का क्या तरीका है। हम सर्वप्रथम विधि-निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।

हमें इस समय यह बताने कि आवश्यकता नहीं है कि संसद, जो पहले याचिका निकाय (Petitioning body) थी किस प्रकार बाद में विधान-निर्मात्री निकाय बन गई। हम केवल यही बताकर संतोष कर लेंगे कि आज विधान-निर्माण की क्या प्रक्रिया है। सब से पहले विशेष प्रकार के विधेयकों (Bills) का अन्तर स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि उसे सभके बिना बहुत भ्रान्ति होना संभव है। पहले सार्वजनिक (Public) तथा असार्वजनिक (Private) विधेयकों में भेद समझना होगा। असार्वजनिक विधेयकों के विषय में जो प्रक्रिया (Procedure) काम आती है वह असार्वजनिक विधेयकों के लिये काम आने वाली प्रक्रिया से बहुत भिन्न है, अतः इनका भेद महत्वपूर्ण है; और इस प्रकार का अन्तर सयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस में नहीं पाया जाता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सार्वजनिक विधेयक उसे कहते हैं जिसका समान्यतः सब पर प्रभाव पड़े और जो समस्त नागरिकों या उनमें से अधिकांश से सम्बद्ध हो। भ्रान्तिकार में परिवर्तन करने या करारोपण (Taxation) करने या मद्यनिषेध (Prohibition) को लागू करने का विधेयक सार्वजनिक विधेयक कहलाता है। असार्वजनिक विधेयकों का प्रभाव समस्त समाज पर नहीं पड़ता; उसका सम्बन्ध किसी हित विशेष से होता है, जैसे किसी विशिष्ट स्थान या जनवर्ग का हित।

असार्वजनिक विधेयक का प्रयोजन प्राय किसी स्थानीय समवाय (Company) या स्थानीय प्राधिकारी को किसी ऐसे कार्य की अनुमति देना होता है जिससे जनता के सांपत्तिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता हो, जैसे किसी नगरपालिका को किसी ट्रामबै या गैस यंत्र बनाने का अधिकार देना। उसका आस्तम सदा किसी बाह्य हित के द्वारा, विशेषतः स्थानीय समितियों द्वारा या इसी

प्रकार की कानूनी समितियों द्वारा होता है और कभी भी सरकार की ओर से नहीं होता। यदि सरकार कोई सार्वजनिक विधेयक पेश करे जिसका प्रभाव विशेष व्यक्तियों पर पड़ता हो तो उसे दूसरे पठन (Reading) के पश्चात् असार्वजनिक विधेयक के रूप में माना जाता है। किसी सरकारी कारखाने के निर्माण के लिये भूमि अर्जित करने का विधेयक इसका उदाहरण है। यहां अस्थायी आदेशों के स्थायी बनाने के विधेयक (Provisional Orders Confirmation Bill) का भी उल्लेख किया जा सकता है, उसके विषय में अधिक विवरण अन्यत्र दिया जायेगा।

कई घार सार्वजनिक विधेयकों के दो उपभेद किये जाते हैं— सरकारी विधेयक तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक। सरकार की ओर से मंत्रिमंडल (Ministry) के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। ऐसे विधेयकों का आरम्भ सरकार करती है और उन्हें संसद् में से सफलतापूर्वक पारित करवाना भी सरकार का ही उत्तरदायित्व है। सभा का बहुत समय उन पर ही लग जाता है। मंत्री के अतिरिक्त सदन के किसी सदस्य द्वारा, अर्थात् गैर-सरकारी सदस्य द्वारा, प्रस्तावित विधेयक को 'गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक' कहते हैं। ऐसे विधेयक के पारित होने की बहुत ही कम संभावना होती है जब तक कि सरकार उसका समर्थन न करे, और सरकार बहुत कम मामलों में समर्थन करती है। ५३ उन पर जो समय खर्च किया जाता है वह लगभग बरचाद ही होता है, किन्तु फिर भी इस प्रथा को डसलिये जारी रखा जाता है कि इससे गैर-सरकारी सदस्य को अवसर मिलता है कि वह अपने आप को एक विधेयक का लेखक प्रसिद्ध कर सके। ऐसे विधेयक को पेश करने का अधिकार शलाका-पद्धति (Ballot) द्वारा निर्धारित होता है। यह बात याद रखनी चाहिये कि सरकारी विधेयकों तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को संसद् के अधिनियम बनाने के लिये एक ही प्रकार की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है, इस बात मैं उनमें कोई अंतर नहीं है, यद्यपि सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकों के विषय में प्रक्रिया का अंतर होता है। इससे पता लगता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विल (Private Member's Bill) और असार्वजनिक विल (Private Bill) में बहुत अन्तर है और अङ्गरेजी में नाम के सादृश्य से धोखा नहीं होना चाहिये।

विधियों को बनाने की समूची प्रक्रिया में दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो मसविदा बनाने का कार्य होता है जिससे संसद् का छुछ भी सम्बन्ध नहीं है; दूसरा कार्य तब आरम्भ होता है जब विधेयक को किसी सभा में पेश कर दिया जाता है।

क्र० १६२४ से २९ तक संसद में ऐसे ४३० विल पेश किये गये थे, जिनमें से केवल ६० ही पारित किये गये। उनमें से ३१ तो शुक्रवार को काम किये बिना ही पारित हो गये।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक का मसविदा वह स्थय तैयार करता है या किसी से करवाता है। सरकारी विधेयकों का मसविदा तैयार करने का कार्य दक्ष सरकारी लेखकों को सौंपा जाता है जो (Parliamentary Counsel to the Treasury) के कार्यालय में नियोजित होते हैं। जिस मन्त्री के विभाग से विधेयक का सम्बन्ध होता है वह मन्त्री पहले एक कच्ची रूपरेखा तैयार करता है जिस पर केविनेट भौंर करती है। केविनेट स्थानीय अधिकारियों, सिविल सर्विस तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य हितों से, जिन पर उस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा, परामर्श करके आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार मन्त्री द्वारा तैयार की हुई कच्ची रूपरेखा का विकास तथा स्पष्टीकरण करके उसके उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों का काफी ठीक ठीक विवरण तैयार कर दिया जाता है। फिर वह मसविदा-लेखक के पास भेजा जाता है जो इसे पूरी तरह विधेयक का रूप दे देता है जिसमें खड़ धाराएँ, उपधाराएँ आदि सब होती हैं। उस पर एक बार केविनेट में पुनः विचार होता है, और अब वह संसद में पेश होने के लिये तैयार है। यदि वह धन-विधेयक (Money Bill) नहीं है तो उसे किसी सदन में पेश किया जा सकता है। धन-विधेयक सदा लोकसभा में ही प्रारम्भ होते हैं। वास्तव में सारे ही महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही आरम्भ होते हैं। केवल ऐसे ही विधेयक लार्डसभा में पढ़ाए पेरा होते हैं जो विवादास्पद नहीं होते; किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं होनी।

प्रथम पठन— लोकसभा में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया बहुत सीधी है। मदस्य को केवल इतना ही करना पड़ता है कि वह विधेयक पेश करने की इच्छा की सूचना दे देता है, तथा जब अध्यक्ष उसका नाम पुकारता है तब वह उसकी एक प्रति सभा के कलर्क को दे देता है जो उसके शीर्षक तथा प्रयोजन आदि को जोर से पढ़ कर सुनाता है। यही उस विधेयक का प्रथम पठन हो गया। यह केवल औपचारिक बात है, सभा प्राय बाद-विवाद के बिना ही प्रथम पठन को स्थोकर कर लेती है, और आदेरा दे देनी है कि विधेयक को मुद्रित करा दिया जाये तथा सूची में रख दिया जाये, जिससे कि उसकी वारी आ जाये। तब वह पेश हो सके। कई बार विधेयक का शीर्षक मात्र ही तैयार होता है और कलर्क को नकली विधेयक ही दे दिया जाता है।

दूसरा पठन— एक पहले से तय की हुई तारीख को विधेयक का प्रस्तावक यह प्रस्ताव करता है कि उसे दूसरी बार पढ़ा जाये। इस दूसरे पठन के समय उसके उद्देश्यों, प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों पर व्यापक बाद-विवाद होता है। उसके समर्थक उसका समर्थन करते हैं तथा सफाई पेश करते हैं, और उसके विरोधी लम्बे लम्बे भापणों में उसकी आलोचना तथा निन्दा करते हैं। उस समय विचाराधीन

प्रश्न यह होता है कि क्या उस विधेयक की सचमुच आवश्यकता है; और सभा उसके उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों को स्वीकार करके उनका अनुमोदन करते हैं। यदि सभा प्रस्ताव को अस्वीकृत करदे तो विधेयक समाप्त हो जाता है, और यदि वह उसे स्वीकार कर ले तो विधेयक समुचित समिति को भेज दिया जाता है, और इस प्रकार 'समिति स्टेज' आरम्भ हो जाती है। यह घात ध्यान में रखनी चाहिये कि दूसरे पठन में विधेयक के विस्तृत उपबन्धों (Detailed provisions) पर विचार करने का अवसर नहीं होता; इस में संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। सरकारी विधेयक प्रायः इसमें से गुजर जाते हैं, किन्तु गौर सरकारी सदस्यों के विधेयक इसी स्टेज में समाप्त हो जाते हैं।

समिति स्टेज (Committee Stage) — यदि विधेयक धन-विधेयक है या महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक है तो वह समूची सभा की समिति में जायेगा, अन्यथा अध्यक्ष उसे किसी न किसी स्थायी समिति (Standing Committee) में भेज देगा। कभी कभी वह प्रत्र समिति (Select Committee) में भेज दिया जाता है। प्रत्र समिति में से लौटने के पश्चात् भी विधेयक को समूची समिति में या स्थायी समिति में जाना ही होता है। समिति में विधेयक पर विस्तार से तथा खंडशः विचार होता है और उसमें कई समाह लग जाते हैं। विरोधी दल के सदस्य सैकड़ों संशोधन पेश करते हैं जिनका उद्देश्य उस विधेयक को बहुत कुछ घटल देना या कम से कम उसके उपबन्धों के प्रभाव को कम कर देना होता है। लम्बे चौड़े वाद-विवाद को कम करने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से समाप्ति-प्रस्तावों (Closure Motions) का आश्रय लिया जाता है। इससे स्पष्ट होगा कि गौर-सरकारी सदस्य को सभा की बजाए समिति में अपनी योग्यता दिखाने का तथा विधान-कार्य में योग देने का अधिक अवसर मिलता है क्योंकि सभा में तो वाद-विवाद का आयोजन सचेतकों (Whips) द्वारा होता है और परिणाम पहले ही निश्चित होता है।

रिपोर्ट (Report) स्टेज— जब समिति अपना कार्य समाप्त कर लेती है तब विधेयक पर सभा में रिपोर्ट पेश करती है और उसे रिपोर्ट स्टेज कहते हैं।^{*} समिति में संशोधित विधेयक पर सामान्य वाद-विवाद होता है तथा नये संशोधन किये जा सकते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि अन्तिम रूप में विधेयक सभा की इच्छा का प्रतिनिधि होता है, समिति की इच्छा का नहीं। फिर विधेयक लोक-सभा में अन्तिम मेज अर्थात् तृतीय पठन के लिये पेरा होता है।

* जिस समिति को विधेयक भेजा जाये वह सभा में उसका प्रतिवेदन पेश करने के लिये वाध्य है। अमरीका के समान वह प्रतिवेदन न ढेकर उसे समाप्त नहीं कर सकती।

तीसरा पठन— इसमें विधेयक पर अन्तिम वहस होती है तथा विरोधी दल को उसे प्राप्त करने का अन्तिम अवसर मिलता है। इस स्टेज पर विधेयक प्रायः अस्वीकृत नहीं होता। भाषा सम्बन्धी संशोधन या औपचारिक (formal) से संशोधन पेश हो सकते हैं। आम बाद-विवाद पर अधिक समय नहीं लगता।

जब विधेयक को तीसरी बार पढ़ कर पास कर दिया जाता है तब वह दूसरी सभा में जाता है जहाँ प्रथम पठन, द्वितीय पठन, समिति स्टेज, प्रतिवेदन (Report) स्टेज, तथा तृतीय पठन, ये सब बातें होती हैं। यदि दूसरी सभा भी उसे उसी रूप में पास करदे जिस रूप में पहली सभा ने पास किया था तो विधेयक अनुमति (Assent) के लिये बादशाह के सामने पेश होता है और उसकी अनुमति मिलने पर वह विधि-पुस्तक (Statute Book) में रख दिया जाता है, देश की विधि बन-जाता है तथा न्यायालय उस पर अमल करते हैं।

१६११ के संसद अधिनियम में जो उपचर्य हैं उन्हें छोड़ कर, अन्य अवस्थाओं में यह आवश्यक है कि ब्रिटिश संसद की दोनों सभाएं किसी विधेयक पर सहमत हो जायें तभी वह अनुमति के लिये बादशाह के सामने पेश हो सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि दोनों सभाएं विधेयक को एक ही रूप में पारित करें। यदि एक सभा विधेयक को पास करदे और दूसरी सभा उसे रद्द करदे या ऐसे संशोधनों सहित पास करे जो अन्य सभा को स्वीकार्य न हों तो उसे बादशाह के सामने पेश नहीं किया जा सकता और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है। दोनों सभाओं में गतिरोध को मिटाने के लिए दो उपायों का आश्रय लिया जाता है। दोनों सभाओं के प्रतिनिधि मिल कर मतभेदों को मिटाने का प्रयत्न कर सकते हैं, या लिखित सन्देशों द्वारा वातचीत होती है। प्रायः दूसरे उपाय को अपनाया जाता है, सम्मिलित वैठक का उपाय पुराना पड़ गया है। किन्तु बास्तव में दोनों सभाओं के आपसी मतभेदों को दलों के नेताओं में अनौपचारिक (informal) वातचीत के द्वारा निवादा कर समझौता कर लिया जाता है और केवल लिखित सन्देशों से ही काम नहीं चल पाता।

संसद अधिनियम— इस समय हमारे लिये १६११ के संसद अधिनियम के मुख्य उपचर्यों का संक्षेप से वर्णन करना लाभदायक रहेगा क्योंकि उसी से लार्डसभा और लोकसभा के सम्बन्ध निश्चित होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि दोनों में से लार्ड सभा पुरानी है और कभी वह एक महान निकाय तथा शक्तिसम्पन्न थी। संसद अधिनियम के पारित होने से पूर्व उसे विधान-कार्य में समान शक्ति प्राप्त थी और लार्ड जिस विधेयक का विरोध करते वह कभी क्रान्तुर नहीं धन सकता था। किन्तु अब स्थिति बदल गयी है और संसद अधिनियम से यह

सम्भव हो गया है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को कई परिस्थितियों में लार्डसभा की सहमति के बिना भी राजकीय अनुमति के लिये पेश किया जा सकता है। इससे लार्डसभा की स्थिति गौण हो गई है और वह सचिवगृह द्वितीय सभा वन गई है। रैमजे म्योर ने ठीक ही कहा है कि 'लार्डसभा को बांध कर उसके नकेल ढाल दी गई है और उसे लगभग नपुंसक ही बना दिया गया है'। यह कहना तो शायद अतिशयोक्ति है कि लार्डसभा को नपुंसक बना दिया गया है, किन्तु इसमें दोई सन्देह नहीं है कि संसद अधिनियम से उसकी विधान-कार्य में बाबा ढालने को शक्ति पर गम्भीर सीमाएँ लगा दी गई हैं। सर्वेत्रम्, इसपे लार्ड-सभा की वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति को औपचारिक तथा वैदानिक रूप में समाप्त कर दिया गया है। वह ऐसे विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती जिसे लोकसभा का अध्यक्ष धन-विधेयक प्रभागित करदे। यदि ऐसे विधेयक को लार्डसभा प्राप्ति के पश्चात एक मास में ही उस रूप में पारित न करदे जिस रूप में निम्न सभा (लोकसभा) ने उसे वह भेजा है, तो उस विधेयक को सम्राट महोदय के सामने अनुमति (Assent) के लिये पेश कर दिया जायेगा। दूसरी बात, संसद अधिनियम में लिखा है कि लार्ड-सभा धन-विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक को दो बार तो रद कर सकती है किन्तु यदि वह विधेयक तीसरी बार भी उसी रूप में लोकसभा में पास हो जाये और पहली बार के दूसरे पठन और तीसरी बार के तीसरे पठन में कम से कम दो वर्ष का अन्तर हो तो वह लार्डसभा की स्वीकृति बिना ही सम्राट की अनुमति के लिये चला जायेगा। दूसरे शब्दों में, संसद अधिनियम के अनुसार लार्डसभा को लोकसभा पर पृण निपेधायिकार (Veto) प्राप्त नहीं है, केवल निलम्बनकारी (Suspensive) निपेवाधिकार प्राप्त है। यदि वह लोकसभा से किसी विषय पर असहमत हो तो उस विधान में दो वर्ष के लिये विलम्ब कर सकती है, किन्तु उसे विलम्ब रोक नहीं सकती। किन्तु संसद के जीवन-काल को पांच वर्ष में अधिक बढ़ाने का विधेयक इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, उस पर लार्डसभा की सहमति आवश्यक है।

इन उपवन्धों का प्रभाव यह है कि लोकसभा वैदानिक रूप में सर्वोच्च सत्ता वन गई है तथा लार्डसभा की स्थिति निश्चय ही अधीनस्थ के समान वन गई है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि लार्डसभा की समस्त शक्ति छिन गई है तथा वह लगभग नपुंसक ही वन गई है। कई अधिनियमों में दो वर्ष का विलम्ब होने से उनका महत्व ही बहुत कम रह जायेगा। संभव है कि सरकार अपने विधेयकों को दो वर्ष के लिये रोकने की बजाय यह विकल्प (Alternative) ज्यादा उचित समझे कि वह लार्डसभा के सशोधनों को स्वीकार कर ले। श्रम सरकार को १९२६-३१ तक अपने कई अधिनियमों में संशोधन स्वीकार करने पड़े थे। भारत में ऐसी

स्थिति थी कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक थी तथा दो वर्ष का विलम्ब सह्य नहीं होता। यदि लोकसभा द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम (१९४७) को लार्डसभा रद्द कर देती तो अत्यन्त उत्तमत तथा क्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती। लास्की ने ठीक ही कहा है कि अब भी लार्डसभा श्रम-सरकार के विरुद्ध पर्याप्त शरारत कर सकती है।^५ इसी बात को मान कर श्रम सरकार ने एक नया अधिनियम, १९४८ का संसद अधिनियम, बनाया है जिससे अब लार्डसभा अवित्तीय विवातों (Non-Money Legislation) को दो वर्ष के स्थान पर एक ही वर्ष के लिये रोक सकती है। इस अधिनियम को भी १९११ के संसद अधिनियम के अन्तर्गत ही पारित किया गया था, और लार्डसभा ने इसे दो वर्ष में तीन बार रद्द किया था।

असार्वजनिक विधेयक (Private bills) — जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ब्रेट ब्रिटेन में विधि-निर्माण की यह एक विशेषता है कि वहाँ सार्वजनिक (Public) तथा असार्वजनिक विधेयकों में भेद किया जाता है। क्योंकि असार्वजनिक विधेयक के उद्देश्य तथा प्रयोजन सार्वजनिक विधेयकों के उद्देश्य से विलक्षण भिन्न होते हैं अतः उनके पेश करने की प्रक्रिया भी सार्वजनिक विधेयकों की प्रक्रिया से भिन्न है। सर्वप्रथम ऐसे प्रत्येक विधेयक के साथ एक याचिका (Petition) होती है और उस याचिका से पूर्व उन लोगों को प्रकाशित सूचना दी जा चुकी होना चाहिये जिनके निजी हितों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी सूचनाओं की प्रतियां भी सम्बद्ध सरकारी विभाग को अग्रिम भेजनी चाहियें। जब तक ये प्रारम्भिक वाते पूर्ण न हों तब तक असार्वजनिक विधेयक के साथ आने वाली किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। दो संसदीय अधिकारी, जिन्हें 'असार्वजनिक विधेयकों सम्बन्धी याचिकाओं के परीक्षक' कहते हैं, यह देख लेते हैं कि सब आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं और वे उसका प्रमाण-पत्र दे देते हैं। उस प्रमाण-पत्र के मिलने के बाद ही वह विधेयक किसी सदन में पेश हो सकता है। सार्वजनिक विधेयक के लिये ऐसी कोई शर्त नहीं है, चाहे वह गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित हो, चाहे सरकारी सदस्य द्वारा।

पेश होने के पश्चात्, प्रत्येक असार्वजनिक विधेयक का प्रथम तथा द्वितीय पठन होता है। यदि दूसरे पठन में कोई विरोध न हो तो उसे निर्विरोध विधेयकों की समिति में भेज दिया जाता है। यदि निर्विरोध हो तो प्रत्येक विधेयक को असार्वजनिक विधेयकों संबंधी अनेक समितियों में से किसी समिति में भेज दिया जाता है। यह समिति स्टेज है जिसमें से प्रत्येक सार्वजनिक विधेयक भी गुजरता है, किन्तु असार्वजनिक (Private) विधेयकों की समिति उसे भेजे गये विधेयक पर जिस प्रकार से विचार

* आगे अध्याय ७ को देखिये।

करती है वह उस तरीके से विलकुल भिन्न है जिससे स्थायी (Standing) समिति किसी विधेयक पर विचार करती है। असार्वजनिक विधेयकों की समिति का कार्यवाही आर्ध-न्यायिक होती है। समिति का पहला काम यह है कि वह विधेयक का प्रस्तावना पर विचार करे जिसमें उसका उद्देश्य लिखा होता है, और उन लोगों का युक्तियों को सुने जो उसका समर्थन करते हैं तथा उनकी भी युक्तियों को सुने जाने उसका विरोध करते हैं। प्रत्येक पक्ष की ओर से भाड़े के बकील वाद-विवाद करते हैं। न्यायालयों के समान गवाहों को सुना जाता है, तथा सुनवाई न्याय-युक्त निष्पक्ष होती है। यदि समिति को विश्वास हो जाये कि प्रस्तावना सिद्ध हो चुकी है तो वह आगे बढ़ती है, अन्यथा विधेयक रह जाता है। जिन विधेयकों के पक्ष में समिति प्रतिवेदन (Report) दे देती है उन्हें सभा प्रायः निश्चय ही वाद-विवाद वे विना पारित कर देती है और फिर वे दूसरी सभा में भेज दिये जाते हैं। यह भी कल देना चाहिये कि असार्वजनिक विधेयकों पर विचार करने वाली समिति प्रायः सम्बद्ध सरकारी विभाग से सम्पर्क में रहती है तथा यह भी देख लेती है विचाराधीन विधेयक सरकार की सामान्य नीति के विपरीत तौ नहीं है और वह कोई अवांछित दृष्टान्त तौ नहीं बन जाएगा। समिति प्रायः छोटी होती है जिसमें चार ही सदस्य होते हैं; लार्डसभा की समिति में पाँच सदस्य होते हैं।

असार्वजनिक विधेयकों की प्रक्रिया में कुछ लाभ भी हैं तथा कुछ हानियाँ भी हैं। इसमें यह निश्चय रहता है कि सभा के समक्ष पेश विधेयक पर ध्यानपूर्वक न्याय-युक्त तथा निष्पक्ष रूप से विचार हो जाता है। इस पर दलवन्दी का ग्रभाव नहीं पड़ता। समस्त पद्धति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ऐसे विधेयकों का विनिश्चय वे ही लोग करें जो दोनों पक्षों को सुन चुके हों तथा किसी एक पक्ष वे प्रति अनुग्रह-निप्रह न करे। सरकार कार्यवाही में कभी भाग नहीं लेती या बहुत कम भाग लेती है।

उसका दूसरा गुण यह है कि इससे राष्ट्रीय संसद का समय घब जाता है दोनों सभाएँ बहस आदि पर समय व्यवाद किये विना समितियों की सिफारिशों के प्रायः स्वीकार कर लेती हैं। अमरीका में इसके विपरीत स्थिति है जहाँ विधेयक पन पक्षपातहीन विचार होता है और न कांग्रेस को कोई सहायता मिलती है। विटेन की इस व्यवस्था में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह खर्चाली है। बकीलों को वई बड़ी फीसे देनी पड़ती हैं। तथा गवाहों को बुलाने में भी खर्च होता है। किन्तु लाभ त्रुटियों से अधिक हैं। जो विशेषाधिकार मांगते हैं उन्हें उनके लिये खर्च भी करना चाहिये। कुल मिला कर यह शेजना अच्छी है और सफलतायुक्त चल रही है।

Confirmation Bill)— कोई निगम (Corporation) या समवाय (Company) जिस प्रयोजन के लिये असार्वजनिक विधेयक पारित करवाना चाहता है, उसके लिये कई बार सम्बद्ध सरकारी विभाग एक आदेश दे देता है कि उस काम को आरम्भ किया जा सकता है। संसद् ने स्वास्थ्य, रेल, सड़क रेल, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, दीन-सहायता, शिक्षा आदि के विषय में कई अधिनियम पारित कर दिये हैं जिनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह कार्यालय और शिक्षा बोर्ड आदि सरकारी विभागों को अधिकार दे दिया है कि वे कुछ व्यक्तियों को या संगठनों को कुछ शक्तियों प्रदान कर सकते हैं जहाँ उसके लिये उपयुक्त कारण हों। उदाहरण के लिये, कोई स्थानीय निकाय किसी हस्पताल को चलाने के लिये नगरपालिका-हुंडियां (Municipal Bonds) जारी करने का धन एकत्र करना चाहता है, तो वह उसके लिये स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मांगता है। मंत्रालय आवेदन-पत्र के गुणावगुण पर अपने प्रशासन अधिकारियों से पढ़ताल करवाता है, और उसकी सचाई का समाधान हो जाने पर आदेश जारी कर देता है कि आवेदक उस काम को कर सकता है। इस प्रकार यह आदेश असार्वजनिक विधेयक का स्थान लेता है; यह उन मामलों के विषयों में होता है जिन पर पहले असार्वजनिक विधेयक पेश होते थे। परिणाम यह है कि असार्वजनिक विधेयकों की आवश्यकता अब कम हो गई है तथा आदेश अधिक जारी होने लगे हैं। किन्तु वह आदेश अस्थायी होता है। उस पर तब तक अमल नहीं हो सकता जब तक कि उसका संसद् अनुमोदन न करदे। इसी कारण उसे अस्थायी कहते हैं। कई अस्थायी आदेशों को विधेयक के रूप में संकलित करके सरकार की ओर से संसद् में पेश कर दिया जाता है। इन आदेशों को स्थायी बनाने के लिये लो अधिनियम होता है उसे अस्थायी आदेश स्थायीकरण अधिनियम (Provisional Orders Confirmation Act) कहते हैं। प्रायः संसद् में उसका विरोध नहीं किया जाता। यदि कभी विरोध होता है तो उस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाता है। किन्तु उसके परामर्श होने की संभावना नगण्य है। यह याद रखना चाहिये कि इन विधेयकों पर संभद् यथेष्ट ध्यान नहीं देती। यह एक उदाहरण है कि संसद् ने ऐसा कार्य सम्भाला हुआ है जिसे वह समुचित रूप से पूरा नहीं करती।

विधि निर्माण में केविनेट का भाग : वेस्टमिनिस्टर में विधि-निर्माण की प्रक्रिया का उपरोक्त रूप तो वास्तविक विधेयक को दिखाई देता है, इससे ब्रिटिश पद्धति की एक अल्पन्त महत्वपूर्ण विशेषता स्पष्ट नहीं होती जो अमरीकी तथा फ्रांसीसी प्रणालियों में नहीं है। वह विशेषता है— विधि-निर्माण में केविनेट का स्थान। सिद्धान्त तथा नियम के अनुसार विधान-कार्य संसद् ही करती है, केविनेट का इसमें कोई हाथ नहीं है। किन्तु वास्तव में केविनेट ही विधि-निर्माण करती है; संसद् का

यही कार्य है कि केविनेट जो कुछ प्रस्थापना रखे उस पर अनुमति दे दे (हाँ, उमे केविनेट की प्रस्थापनाओं में रूपभेद करने का अधिकार है)। 'हम कहते हैं कि लोकसभा विधि वनाती है, वैधानिक सूत्र यह है कि प्रत्येक कानून राजा द्वारा संसद की मंत्रणा और अनुमति से बनाया जाता है। नई विधियों को मंत्रिमंडल लोकसभा में बहुमत की सहमति से नथा अल्पसंख्यकों के प्रबल विरोध के बावजूद बनाता है।' ^{३४} इससे स्पष्ट हो जाता है कि विधान-कार्य में ब्रिटिश केविनेट का किन्तु न प्रबल द्वारा होता है। केविनेट ने विधान-कार्य में नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। वही निर्वाचित करता है कि संसद में क्या महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जाये और किस क्रम से पेश किये जायें। जब उसका बहुमत होता है तो वह निश्चयपूर्वक कह सकता है कि उसने जिन विधियों का उत्तरदायित्व लिया है वे लगभग सभी लगभग उसी रूप में पारित हो जायेंगी जिस रूप में उसने उन्हें पेश किया है। संयुक्त राज्य अमरीका या फ्रांस में ऐसी बात कभी नहीं हो सकती।

केविनेट के आधिपत्य के कारण गैर-सरकारी सदस्य का मूल्य कम हो गया है। विधान-कार्य में उसका प्रभाव कुछ नहीं होता। उसे इन्तना ही अधिकार है कि वह अपना 'शैर-सरकारी सदस्य का विधेयक' पेश कर सकता है जिसके संसद में सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। संसद के समक्ष प्रस्तावित विधेयक के स्पष्टभेद के विषय में उसकी आवाज बहुत प्रभावहीन होती है जिसके कई कारण हैं— सभा के स्थायी आदेश, उसकी परंपराएं तथा मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त। ^{३५} इस प्रकार यह विचित्र बात है कि ग्रेट ब्रिटेन में विधान-मंडल (Legislature) के बहुत से सदस्य बाल्तव में विधायक (Legislators) नहीं हैं। ब्रिटिश पद्धति में यह बहुत बड़ा दोष है।

वित्त (Finance) पर संसद का नियंत्रण— संसद का दूसरा बड़ा काम यह है कि वह राष्ट्रीय धन पर अंकुश रखती है तथा उसके संरचनक का काग करती है। स्मरण रहे कि राजाओं को आवश्यकता पड़ने पर धन देने या न देने की शक्ति के कारण ही लोकसभा उनमें शक्ति छीन सकी थी तथा अपनी स्थिति को प्रबल बना सकी थी। आज भी संसद की प्रमुखता का एक आधार यही है कि थेली

*Sidney Low : op. cit. pages 59-60.

^{३४} यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक लोकसभा में कभी भी परास्त या सारस्प में रुक्षोधित नहीं हो सकता। हाँ, सरकारी विधेयक को सीधा रह प्रायः नहीं किया जाता है; क्योंकि इससे केविनेट पदत्याग कर देगा, विशेषतः यदि वह विधेयक महत्वपूर्ण हो, किन्तु कई विधेयकों में दानों सभाओं में सारदान रूपभेद अवश्य हो जाता है।

पर उसका अंकुशा है। किसी ने महान् सत्य कहा है कि 'जिसके पास थैली है उसी के पास शक्ति भी है'। ब्रिटिश संविधान का यह मूल सिद्धान्त है कि क्राउन को कर लगाने की शक्ति नहीं है जब तक कि संसद मंजूरी न दे दे और उसकी मंजूरी विना एक पाई भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। केवल संसद ही यह फैसला करती है कि क्या कर लगाये जायेंगे और उनसे प्राप्त राजस्व (Revenue) को कैसे खर्च किया जायेगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि यहां संसद का मतलब लोकसभा है। धन पर अंकुशा का लोकसभा को अनन्य अधिकार है और इसमें लाईसभा का भी कोई भाग नहीं है। १९११ के संसद अधिनियम से लाईसभा का धन-विधेयकों को संशोधित करने का अधिकार औपचारिक रूप में छिन गया है।

धन के विषय में लोकसभा को चार मुख्य काम करने पड़ते हैं। सर्वप्रथम, उसे सरकारी विभागों द्वारा तैयार किये हुए प्राक्कलनों (Estimates) की जांच करनी पड़ती है और प्रत्येक अनुदान को पृथक पृथक पारित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में वह सरकार को धन देती है तथा उन्हें विविध विभागों में बांटती है। दूसरी बात यह है कि उसे इस काम के लिये धन प्राप्त करने के साधनों पर विचार करना पड़ता है और यह भी निर्णय करना होता है कि क्या नये नये कर लगाये जायें तथा किन पुराने करों को घटाया या बढ़ाया जाये। तीसरी बात, उसे यह भी देखना पड़ता है कि उसने जो रूपया भजूर किया था वह कैसे खर्च किया गया है। अन्त में उसे यह भी देखना होता है कि खर्च करने वाले विभागों के हिसाबों की परीक्षा ठीक प्रकार होनी चाहिये। अंतिम दो कामों को करने में वह राष्ट्र को समूची आर्थिक स्थिति को देख लेती है। हम अब यह देखेंगे कि ये अत्यन्त महत्वपूर्ण काम कैसे किये जाते हैं।

अभी हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि खर्च करने वाले विविध विभाग प्राक्कलनों (Estimates) को कैसे तैयार करते हैं। हम समझ लेते हैं कि यह काम तो हो गया। यही कहना पर्याप्त है कि अक्तूबर से ही सारे सरकारी विभाग खजाने को प्राक्कलनें भेजकर उससे बातचीत में लग जाते हैं। विभाग यह विचार करते हैं कि गत वर्ष उन्होंने कितना धन खर्च किया था और सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण या जनसंख्या बढ़ने आदि के प्राकृतिक कारणों से अगले वर्ष के आंकड़ों में क्या परिवर्तन होगा। नये खर्च के सुझावों पर खजाने का अनुमोदन आवश्यक है। जिस मद पर खजाना आपत्ति करे उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। खजाने द्वारा स्वीकृत रूप में इन प्राक्कलनों (Estimates) का जोड़ और संचित निधि सेवाओं (Consolidated Fund Services) के लिये आवश्यक राशियाँ—ये ही कुल व्यय हैं जिन्हें पूरा करने के लिये राजस्व (Revenue) उगाहना पड़ेगा। यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ मदों को जैसे राष्ट्रीय ऋण,

सिविल लिस्ट (राज परिवार का व्यय), न्यायाधीशों के घेतन और पेन्शन, संसदीय निर्वाचनों का व्यय और संचित निधि पर अन्य भार (Charges), आदि को वार्षिक प्राक्कलनों में समाविष्ट नहीं किया जाता; उन्हें अलग दिखाया जाता है और उन पर संसद में प्रति वर्ष भत्तान नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा व्यय संसद के नियंत्रण से परे है और वह उसमें हेर पेर नहीं कर सकती। वह भी संसद के अधिनियमों (Acts) द्वारा ही प्राधिकृत होता है, और इस लिये आवश्यकना पड़ने पर वह उसमें परिवर्तन कर सकती है; किन्तु उसे अन्य व्यय की भद्रों के समान वार्षिक भंजूरी के लिये संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के भत्तान से मुक्त व्यय कुल राष्ट्रीय व्यय का एक तिहाई भाग होता है। एक और वात भी याद रखनी चाहिये। समस्त प्राक्कलनों के तैयार होने और खजाने में भेजे जाने के पश्चात् भी, कभी कभी चांसलर ऑफ एक्सचेकर आगामी वर्ष की प्राक्कलित आय को ध्यान में रखते हुए खर्च में व्यापक कटौती की माँग कर सकता है। सोच विचार के पश्चात् वह अपनी सिफारिशें केविनेट में पेश करता है जो पूरे विचार विमर्श के पश्चात् उसे अधिकार दे देता है कि वह संसद के समक्ष प्राक्कलनों को पेश करते समय ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो आपस में तय हो जायें। इस प्रकार प्राक्कलनों का अनित्म उत्तरदायित्व केविनेट पर होता है, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर पर नहीं होता। लोकसभा के समक्ष जब वे पेश होते हैं तो सरकार की ओर से ही पेश होते हैं।

यह लोकसभा का एक स्थायी आदेश है नथा ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था का भूल सिद्धान्त है कि सब अनुदानों की माँगें, और सार्वजनिक राजस्व पर भार के लिये प्रस्ताव (तथा समस्त करारोपण के सुझाव) सरकार की ओर से ही आने चाहिये। कोई गैर-सरकारी सदस्य व्यय को नई मद की प्रस्थापना नहीं कर सकता, किसी शीर्षक में व्यय को बढ़ा नहीं सकता और किसी माँग के आशय में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वह तो केल डितना ही कर सकता है कि सरकार को सुझाव मात्र दे दे कि किसी विशेष कार्य के लिये धन की व्यवस्था की जाये, अथवा किसी मद के अनुदान को बढ़ा दे। सरकार की इच्छा है कि उसके सुझाव पर ध्यान दे या न दे और ग्रायः वह ध्यान नहीं देनी। चाहे गैर-सरकारी सदस्य किसी मद को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर सकता अथवा नई माँग की प्रस्थापना नहीं रख सकता, किन्तु समूची सभा को यह अधिकार है कि वह सरकार की किसी माँग को कम कर सकती है या विलुप्त इनकार कर सकती है। सिद्धान्त के अनुसार तो लोकसभा की शक्ति इसी वात में है कि वह धन देने से इनकार करके किसी मंत्री या सरकार को त्यागपत्र देने के लिये वाद्य कर सकती है। किन्तु दूस का संगठन ऐसे काम करता है कि उसने धन देने से इनकार करने के दूस अधिकार को भी

नाममात्र का ही बना दिया है। केविनेट का लोकसभा में बहुमत होता है। अतः यदि सभा किसी अनुदान को कम करना या इनकार करना चाहे तो केविनेट उस प्रस्थापना को अस्वीकार कर सकती है। व्यवहार में, व्यय पर सभा का नियंत्रण प्रभावी नहीं है। इसके कई कारण हैं जो आगे चलकर स्पष्ट हो जायेगे।

जनवरी के अन्त में अथवा फरवरी के आरम्भ में जब चांसलर ऑफ एक्सचेकर अपने प्राकलनों को पेश कर चुकता है तब पूर्वनिश्चित दिवस पर सभा उन पर विचार करने के लिये समूची सभा की समिति का रूप धारण कर लेती है जिसे प्रायः सप्लाई की समिति कहते हैं। उनके परीक्षण और उन पर मतदा न लिये सारे सत्र में २० दिन ही दिये जाते हैं। सप्लाई की समिति द्वारा पारित प्रस्ताव सभा को भेज दिये जाते हैं जिनके आधार पर विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) नैयार होता है। इस अधिनियम में सविस्तार यह उल्लेख होता है कि वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विभाग विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितना धन व्यय कर सकता है।

सप्लाई की समिति में, (इसे कई बार हाउस-इन-सप्लाई भी कह देते हैं) सरकार द्वारा पेश की गई अनुदानों (grants) की मांगों (demands) पर जो वाद-विवाद होता है उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह प्रयोजन हो सकता है कि समस्त प्रशासन पर दृष्टि ढाली जाये और निश्चित किया जाये कि वह कार्यक्रमता के साथ तथा मितव्यता (Economy) के साथ काम कर रहा है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में, इस अवसर से लाभ उठाकर प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सकता है और उसमें भिनव्ययन का प्रवेरा किया जा सकता है। किन्तु यह उद्देश्य पूरा होना अत्यन्त कठिन हो जाना है क्योंकि वाद-विवाद के लिये बहुत कम समय मिलता है—केवल २० दिन, वहस में व्यापक भावना भी दूसरी होती है, और सब तो बड़ी बात यह है कि विविध विभागों के हिसाव-किताब रखने का तरीका तथा उनके प्राकलनों को नैयार करने का तरीका ऐसा होता है कि उक्त उद्देश्य पूरा होना कठिन हो जा ता है। प्रशासन का अन्तिम उत्तरदायित्व केविनेट का होता है, अतः जब सभा प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है तो केविनेट अपने घुमन की सहायता से उसका विरोध करती है। खजाने के एक स्थायी सचिव ने स्वीकार किया था कि ‘विविध सरकारी सेवाओं को उचित व्यय पर कुशलता से चलाने के अर्थ में व्यय पर नियंत्रण करने का उद्देश्य वे (संसदीय अनुदानों की योजना के निर्माता) अपने सामने नहीं रखते।’^{१३८} विरोधी दल आय-व्ययक (Budget) के वाद-विवादों से लाभ उठाकर सरकारी नीति का विस्तार से सिंहावलोकन तथा उसकी व्यापक आलोचना करता है और शिकायतें पेश करता है,

^{१३८} रैमनो न्योर के *How Britain is Governed*, page 227 पर उद्धृत ।

इन वातों को ही उनका मुख्य उद्देश्य समझा जा सकता है। यदि किसी विद्यार्थी ने हमारे अपने देश की संसद के आयव्ययक (Budget) सम्बन्धी वाद-विवाद को पढ़ा हो तो उसकी समझ में सुगमता से आ जायेगा कि ब्रेट ब्रिटेन में क्या होता है। जो संदर्भ किसी मंत्री के वेतन में कटौती का प्रस्ताव करता है उसका उद्देश्य वास्तव में वचत करना या कार्य-कुशलता को बढ़ाना नहीं होता, वह तो उस प्रस्ताव को मंत्री की नीति की आलोचना करने के लिये आधार बनाता है। ऐ प्रस्ताव रखेंगे कि अपनिवेशिक सचिव का वेतन १०० पाउण्ड कम कर दिया जाये और केन्या (Kenya) में जिस नीति का अनुसरण हो रहा है उसकी आलोचना करेंगे; वे अपनिवेशिक कार्यालय के कार्यों पर विचार नहीं करेंगे।† ऐसे वाद-विवादों से भी लाभ होता है, उनसे पता लग जाता है कि सरकार और विरोधी दल में क्या अन्तर है, और सरकार को अपनी नीति की व्याख्या करनी तथा सफाई देनी पड़ती है। विरोधी दल को यह तो पता होता ही है कि मतदान में वह अवश्य हार जायेगा; फिर भी वाद-विवाद होता है, क्योंकि असल में वाद-विवाद का महत्व मतदान से भी अधिक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विरोधी दल आलोचना करता है किन्तु सरकार के विरुद्ध मतदान नहीं करता।

यदि-आयव्ययक के वाद-विवाद का प्रयोजन वचत करना हो, प्रशासन की कार्यक्रमता को बढ़ाना हो और उसे संसद के प्रभावी नियंत्रण में लाना हो, तो प्राक्लनो (Estimates) तथा हिसाब को भिन्न तरीके से ही तैयार करना होगा तथा सूप्लाइ समिति की रचना में परिवर्तन करना पड़ेगा। समिति में से उतनी ही उप-समितियां बन जायेगी जितने कि प्रशासन विभाग हैं और प्रत्येक उप-समिति पाक ही-विभाग के प्राक्लनों पर विचार करेगी। समूची सभा की समिति, जो पूरे सत्र (Session) में २० दिन के लिये बैठनी है, इस प्रयोजन के लिये टीक साधन नहीं है।

प्राक्लनों-पर विचार करने के साथ ही साथ सभा को व्यय के लिये पर्याप्त राजस्व- (Revenue) उगाहने के सरकारी मुकाबों पर भी विचार करना होता है। और जैसे खजाने (Treasury) का यह कर्त्तव्य है कि वह विभिन्न व्ययकर्ता (Spending) विभागों द्वारा भेजे गये प्राक्लनों (Estimates) के आधार पर कुल व्यय का प्राक्कलन तयार करे, उसी प्रकार उसका यह भी काम है कि वह आगामी वर्ष की सम्भावित आय का भी प्राक्कलन तैयार करे। अपितु खजाना राजस्व के प्राक्कलनों के लिये अधिक प्रत्यक्ष रूप में तथा पूर्णतया उत्तरदायी है, जिनमा वह व्यय के लिये नहीं है, क्योंकि व्ययकर्ता विभाग उसके अंतर्गत नहीं होते किन्तु राजस्व विभाग होते हैं। जब चांसलर और एक्सचेकर सब भागों के पूरा करने

† Ramsay Muir . *Ibid*, page 229.

के लिये पर्याप्त राजस्व उगाहने की अपनी योजनाओं को तैयार कर चुकता है जिससे कि वे नये कर लगाकर तथा मंत्रिमण्डल की नीति के अनुसार पुराने करों में अद्वितीय करके लगाभग एक सतुरित आयव्ययक पेश कर सकें, तब वह 'वेज एण्ड मीन्स की समिति' के रूप में समवेत सभा में अपना आयव्ययक एक लम्बे भाषण के साथ प्रस्तुत करता है। सभा में जो भाषण होते हैं उनमें सबसे बड़ा यही भाषण होता है। यह भाषण सदा दिलचस्प होता है तथा कभी कभी आश्चर्योत्पादक भी होता है, विशेषत जबकि वित्त (Finance) सम्बन्धी निश्चित परम्पराओं में परिवर्तन की घोषणा की जाती है। इसमें केवल आगामी वित्त वर्ष के लिये सरकारी योजनाओं का उद्घाटन ही नहीं होता, बरन् पिछले वर्ष के आय तथा व्यय, घटे तथा नफे का भी सिंहावलोकन होता है। इसमें वताया जाता है कि प्राक्कलित आय (Estimated Income) में अन्तर क्यों पड़ा है, और कभी कभी इसमें राष्ट्रीय वैभव पर संक्षिप्त टिप्पणी भी होती है।

'आयव्ययक भाषण' के कुछ दिन पश्चात् सभा 'वेज एण्ड मीन्स की समिति' के रूप में समवेत होती है तथा सरकार की विभिन्न करारोपण प्रस्थापनाओं (Taxation proposals) पर वहस करती है। जैसे कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी विनियोग (Appropriation) को बड़ा नहीं सकता तथा नये का सुझाव नहीं दे सकता, इसी प्रकार स्थायी नियमों के आधीन उसे यह अधिकार नहीं है कि नये कर की प्रस्थापना रखे अथवा सरकार द्वारा प्रस्थापित कर की दर को बढ़ाये। कर लगाने के सब सुझाव सरकार की ही ओर से आने चाहिये। सभा केवल यही कर सकती है कि वह सरकारी सुझावों को स्वीकार कर ले, कम कर दे या ठुकरा दे। यद्यपि सरकार प्राय अपने वहुमत की सहायता से सभा में अपने सुझावों को मनवा लेती है, फिर भी कभी कभी उसे सभा की इच्छाओं का आदर करके उसमें सुझाये गये परिवर्तनों को मानना पड़ता है। ऐसे न्योर का कथन है कि लोकसभा करों पर नियन्त्रण अवश्य करती है किन्तु उसी सीमा तक जिस तक कि केविनेट उसे ऐसा करने देती है। कई बार सभा ने दुरे तथा अलोकप्रिय करों को वापस लेने के लिये केविनेट को बाध्य भी किया है। वेज एण्ड मीन्स की समिति द्वारा स्वीकृत तथा लोकसभा में भेजे गये प्रस्तावों के ही आधार पर वित्त विधेयक (Finance Bill) तैयार किया जाता है। उसमें यह निश्चित होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर कौन से लगाये जायें, और उन्हें किस दर पर उगाहा जायें, और उसमें राजस्व के नये साधनों का भी उल्लेख होना है। जैसे कि समस्त विनियोगों को संसद में प्रति वर्ष पारित करना आवश्यक नहीं होता, उसी प्रकार समस्त लागू करों को प्रति वर्ष प्राधिकृत करना अपेक्षित नहीं है। मृत्यु शुल्क (Death duties), मुद्रांक शुल्क (Stamp duties) और कुछ सीमान्त शुल्क

(Customs duties) स्थायी अधिनियमों पर आधारित हैं और वर्ष प्रतिवर्ष लागू रहते हैं, जब तक कि नये अधिनियम द्वारा उनमें परिवर्तन न किया जाये।

ये दो महान् अधिनियम (Acts), विनियोग अधिनियम तथा वित्त अधिनियम, जो क्रमशः 'सप्लाई की समिति' तथा 'वेज एंड भीन्स की समिति' द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर आधारित होते हैं, लोकसभा में सब स्थितियों में से गुजरने तथा उसमें पारित होने के पश्चात् लार्डसभा में भेजे जाते हैं। लार्डसभा को उन पर विचार करने का तो अधिकार है किन्तु उनमें संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। चाहे लार्डसभा उन्हें स्वीकर करे या न करे, वे राजा के पास अनुमति के लिये भेज दिये जाते हैं तथा उसकी अनुमति मिलने पर विधि बन जाते हैं।

हमारे अपने देश में वार्षिक आयव्ययक केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधानमंडलों में जनवरी अथवा फरवरी में पेश कर दिये जाते हैं और पहली अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पहले पारित कर दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकार को कर उगाहने तथा धन व्यय करने का अधिकार विधि द्वारा मिल जाता है। किन्तु ब्रेट ब्रिटेन में प्राक्कलनों तथा राजस्व की प्रस्थापनाओं पर विचार नये वित्ती वर्ष के आरम्भ होने से पहले कभी समाप्त नहीं होता; स्थायी आदेश १५ के अनुसार यह आवश्यक है कि प्राक्कलनों पर विचार ५ अगस्त से पूर्व समाप्त हो जाना चाहिये। किन्तु शासन कार्य तो चलाना ही पड़ता है। इस कारण सभा सब से पहले विभिन्न लेखानुदान (Votes on account) पारित करके सरकार को अस्थायी अधिकार दे देती है कि वह सचित निधि (Consolidated Fund) से उतनी राशि निकाल ले जिससे कि आयव्ययक के पारित होने तक उसका काम चल सके। समस्त लेखानुदान एक विधेयक में एकत्र कर दिये जाते हैं जो सब के आरम्भ में पारित कर दिया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था की विशेषताएँ : अब पाठक का ध्यान विटिश आयव्ययक व्यवस्था की छुल्ह विशेषताओं की ओर आकृष्ट करना अभीष्ट प्रतीत होता है। उसका बड़ा गुण यह है कि समस्त वित्तीय कार्यक्रम एक इकाई के रूप में तैयार किया गया है, जिसका पूरा उत्तरदायित्व अकेले केंद्रित पर है। व्यवस्था की इस एकता के कई कारण हैं। आयव्ययक के दोनों भागों— विनियोग प्राक्कलनों और राजस्व प्राक्कलनों— का अन्तिम उत्तरदायित्व चांसलर ऑफ इक्सचेकर पर होता है जो उन दोनों का समन्वय करके एक आर्थिक योजना बनाता है। फिर दोनों भागों पर

बी १६५१ के आयव्ययक से भारतीय संसद ने भी विटिश प्रणाली को अपना लिया है। अतः अब यहाँ भी 'लेखानुदान' (Votes on account) पारित किये जाते हैं।

क ही प्राधिकारी-लोकसभा विचार करती है और वह दो विभिन्न नामों से समूची सभा की समिति के रूप में वैठनी है। आयव्ययक की अपेक्षित एकता को बनाये रखने के लिये यह मूल सिद्धान्त लागू है कि अनुदानों (Grants) की सब मार्गों प्रौर राजस्व उगाहने की सब प्रस्थापनाएं सरकार की ओर से ही पेश होती चाहिये तथा सरकार की सहमति के बिना आयव्ययक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं केया जा सकता। ब्रिटिश संसद के लिये यह सभव नहीं है कि वह आयव्ययक में प्रामूलचूल परिवर्तन कर दे और उसका रूप ही वैसा न छोड़े जैसा कि कार्यपालिका ने निर्धारित किया था। फ्रांसीसी संसद तथा संयुक्त राज्य कांग्रेस ऐसा कर सकती हैं। जिन मंत्रियों के वित्तीय कार्य-क्रम पर संसद में विचार हो रहा होता है वे उसकी व्याख्या करने और सफाई देने के लिये सदा वहां उपस्थित हते हैं। उसका भी यही परिणाम होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी यह मांग हो रही है कि कांग्रेस की वित्तीय प्रक्रिया बहुत कुछ ब्रिटिश योजना के संशिकट आ जाये जिसका अनुकरण संसार के कई देशों ने किया है तथा उसके प्रशंसकों ने जिसे आदर्श माना है। किन्तु उसमें भी दोष हैं। उसकी सुसंगठितता तथा एकता का कारण बहुत कुछ हद तक यह है कि लोकसभा ने वित्त के विषय में अपना नियंत्रण बहुत अंश तक केविनेट को सौंप दिया है; थैली (Purse) पर उसका अधिकार अब रसम ही बन गई है, वास्तविकता नहीं रही है। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि विनियोगों पर बहस का उद्देश्य बचत करना या प्रशासन की कार्यक्रमता को बढ़ाना नहीं होता; बाद-विवाद वित्तीय प्रस्थापनाओं (Financial Proposals) के गुणावगुण पर नहीं होता, अपेक्षु सरकार की नीति की सामान्य आलोचना का रूप धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि अपव्यय को रोकने का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर आ पड़ता है, विधान-मंडल पर नहीं। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि करोड़ों पाउंड के विनियोग प्राक्कलनों पर विचार करने के लिये केवल २० दिन का समय भी अपर्याप्त है। अंतिम दिन बड़ी बड़ी धनराशियों पर विचार किये बिना ही भलदान हो जाता है। व्यय पर नियंत्रण के विषय में जॉच करने के लिये जो समिति नियुक्त हुई थी उसने ब्रिटिश पद्धति की इस महान त्रुटि के विषय में लिखा था, “गत २५ वर्षों का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कि लोकसभा ने, अपनी सीधी कार्यवाही द्वारा, किसी पेश किये हुए प्राक्कलन को, वित्तीय आधार पर घटा दिया हो। . . . व्यय की प्रस्थापनाओं के सीधे प्रभावी नियंत्रण का जहां तक सम्बन्ध है, यह कहना ठीक है कि यदि प्राक्कलन कभी पेश नहीं किये जाते और सम्पूर्ण समिति का कभी निर्माण नहीं होता तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।”*

* Ramsay Muir, Ibid, page 229 पर उद्धृत।

इस पद्धति में सुधार की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जाती रही है, और एक दो बार विशिष्ट समितियाँ भी नियुक्त की गईं थीं जो इन सुधारों के विपक्ष में अपने सुकाव देने के लिये चाहीं थीं। किन्तु उनके प्रयत्नों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और अब भी पहले जैसी ही स्थिति है। एक अत्यन्त युक्तियुक्त प्रस्थापना को भी स्वीकार नहीं किया गया जिसका आशय यह था कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्थापित कटौतियाँ को मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रत्यावत् समझा जाये तथा उनके गुणावगुण पर विचार किया जाये।

धन के व्यय पर संसदीय नियंत्रण— संसद का काम विनियोग अधिनियम तथा वित्त अधिनियम पारित करके ही समाप्त नहीं हो जाता। उसे यह भी देखना होता है कि खजाना विविध अधिनियमों के अन्तर्गत जो राशियाँ प्राप्त करे उन्हें वह उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च करे जो संसद ने स्वीकार किये हैं। यह उद्देश्य निम्न उपाय से पूरा होता है। सब राष्ट्रीय राजस्व चाहे वे वित्त अधिनियम के अधीन उगाहे जायें, चाहे स्थायी अधिनियमों के अधीन उगाहे जायें, वैकं आफ इङ्लॉड में संचित निधि (Consolidated Fund) में जमा करवा दिये जाते हैं। उसमें से केवल प्राधिकृत अभिकरण (Authorised Agencies) ही धन निकाल सकते हैं और वे भी केवल प्राधिकृत प्रयोजनों के लिये ही निकाल सकते हैं। विनियोग अधिनियम के ही अधिकार से खजाना या पेमास्टर जनरल धन निकाल सकता है। पेमास्टर जनरल को कोई धन देने से पहले उसका अनुमोदन नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक (Comptroller and Auditor General) द्वारा होना चाहिये। इस उच्च पदाधिकारी का कर्तव्य यह देखना है कि धन के हस्तांतरण तथा प्रयोग विपक्ष सब नियमों का, जो बहुत उलझे हुए होते हैं, समुचित रूप से पालन होना चाहिये। वह प्रतिवर्ष संसद को एक लेखा-परीक्षा अपनी रिपोर्ट के साथ भेजता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि संसद द्वारा पारित राशियाँ उल्लिखित प्रयोजनों के लिये ही व्यय की गई हैं, अथवा नहीं। रिपोर्ट पेश करने में पहले उसका समाधान हो जाना चाहिये कि उसने जो रूपया देना मंजूर किया था वह संसद की इच्छा के अनुरूप ही था और वह उसी चीज पर खर्च हुआ है जो विनियोग में है। उसे अपनी रिपोर्ट तयार करने में दो वर्ष लगते हैं। उसकी रिपोर्ट संसद में पेश होती है तथा लेखा समिति (Account Committee) उस पर विचार करती है।

सभा वाद-विवाद का स्थान है— लोकसभा का काम केवल विधि-निर्माण तथा वित्त पर नियंत्रण ही नहीं है। वह अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी करती है। 'पार्लियामेंट' (संसद) शब्द का अर्थ वार्तालाप अथवा वाद-विवाद का स्थान है। अनग्य वाद-विवाद तथा वहस संसद का आवश्यक और महत्त्वपूर्ण कार्य है। एक प्रकार में नो यह काम विधि-निर्माण तथा विज्ञीय नियंत्रण से भी अधिक महत्त्वपूर्ण

है क्योंकि इन दोनों चेत्रों में तो सारा उत्तरदायित्व तथा शक्ति केविनेट के हाथ में चली गई है, किन्तु सभा को अब भी सरकार की प्रत्येक कार्यवाही पर विचार तथा बाद-विवाद करने का अधिकार रोप है। इस कार्य को संसद् वहुत कुशलता से पूरा करती है।

सभा के पास वहस छेड़ देने के बहुत अवसर हैं। कैसा कि पहले बताया जा चुका है, विनियोग तथा राजस्व संबन्धी सरकारी प्रस्तावों के अवसर पर सरकारी नीतियों की व्यापक आलोचना होती है। कभी रात को सदन में 'स्थगन प्रस्ताव' या 'काम रोको' (Adjournment Motion) द्वारा आवश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर वहस आरम्भ की जा सकती है। मंगलवार या बुधवार को सायकाल का समय सरवार को नहीं चाहिये तो कोई सदस्य उस समय कोई सकल्प (Resolution) पेश करने के लिये नाम भेज सकता है। सत्र (Session) के आरम्भ में राजा के भाषण पर जो एड़ेस पेश होता है उसमें वह सशोधन पेश कर सकता है। यदि बाद-विवाद और वहस के लिये संसद् में पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते तो निसदेह वहाँ पर रोचकता भी न होती।

संसद् के बाद-विवादों से भी एक लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होता है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश में बाद-विवाद ही लोकतंत्र के प्राण हैं। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि संसद् में बाद-विवाद की स्वतंत्रता नहीं होती तो उस देश में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता था। संसद् के बाद-विवाद से सरकार अपनी नीति को जनता के समक्ष रखने के लिये वाध्य हो जाती है, उनके कारण ही सरकार को अपनी नीतियों की व्याख्या करने तथा सफाई देने का अवसर मिल जाता है। जब प्रत्येक सरकार को पता होता है कि उसे अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जनता के समक्ष सर्फार्ड देनी होगी तो इससे उसकी नीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनका प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होता, उन बाद-विवादों का प्रभाव संसद् के बाहर जनमत पर भी पड़ता है। 'उनके विषय में सहस्रों लेखों तथा सहस्रों भाषणों में जो कुछ कहा जाता है या लिखा जाता है उसी को पढ़ कर मतदाना अपना निर्णय करते हैं।'¹

विदेशी तथा साम्राज्य संबन्धी मामलों के विषय में जो बाद-विवाद होते हैं वे अन्य बाद-विवादों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चेत्रों में सभा विधि-निर्माण अध्ययन प्राक्कलनों द्वारा ऐसा नियन्त्रण नहीं कर सकती जैसा कि वह आंतरिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं विषयक विभागों के विषय में कर सकती है। उनका सम्बन्ध सामरिक समस्याओं तथा नीति विषयक प्रश्नों से है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन समस्याओं पर लार्ड सभा के बाद-विवाद भी इतने ही ध्यान

* Laski Parliamentary Government in England, page 156.

के योग्य है जितने कि लोकसभा के वाद-विवाद है। वित्त पर नियंत्रण चाहे प्रथम सदन का ही अनन्य विशेषाधिकार हो, पर विचार तथा आलोचना के विषय में यह बात नहीं है।

सभा परीक्षण-क्षेत्र— सिडनी लो ने लोकसभा के एक और कार्य का उल्लेख किया है जो भिन्न द्वारा मान्य नहीं है, किंतु अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा रोचक है। सभा ऐसा 'क्षेत्र है जहाँ लोगों की व्यावहारिक नीति-कुशलता का परीक्षण होता है, उन्हें चुना और पसन्द किया जाना है।' इस काम को समझने के लिये हमें लोकसभा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तुलना करनी चाहिये। सब प्रकार के व्यक्ति तथा सब प्रकार की बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के व्यक्ति कांग्रेस में आते हैं, किंतु उनमें से सब ही समान रूप से शक्ति और प्रभाव का स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। जो विशेष चरित्र-बल तथा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं वे नाम पा जाते हैं— सर्वप्रथम नगर या जिला क्षेत्र में और वाद में प्रांतीय क्षेत्र में भी। यदि उनमें अपेक्षित योग्यता और चमत्ता हो तो वे अखिल भारतीय स्थाति प्राप्त करके राष्ट्र के नेता भी बन सकते हैं। कांग्रेस में एक क्रिया चलती रहती है जिससे कि नेतृत्व के गुणों वाले व्यक्ति ऊपर चढ़ जाते हैं तथा छोटे व्यक्ति नीचे ढकेल दिये जाते हैं। इसों प्रकार लोकसभा भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलना है तथा परीक्षण होता है। ऐसा स्थाति प्राप्त शायद ही कोई भारतीय नेता होगा जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस में नाम न कमाया हो। इसी प्रकार कोई महान् अंग्रेज राजनीतिज्ञ तथा नेता नहीं है जो लोकसभा में प्रसिद्ध और शक्ति न प्राप्त कर चुका हो। लोकसभा का प्रांगण एक रणक्षेत्र है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपना बल आजमा सकना है तथा पुरस्कार पा सकना है।

हाँ, जिन योग्यताओं के कारण कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नाम पा सकना है, उन्हीं के आधार पर वह लोकसभा में नहीं चमक सकना; परिभ्यनियों और राष्ट्रीय स्वभाव के अतर के कारण कुछ अंनर होगा ही। किंतु यह कहा जा सकना है कि दृढ़ चरित्र और सबल व्यक्तित्व की हर स्थान पर आवश्यकगा होती है। केवल भाषण देने और वाद-विवाद करने को योग्यना हो पर्याप्त नहीं है, सभा किसी प्रश्नीण वक्ता की बजाय, जो अपना नाम जनता में चमकाने की इच्छा से ही बोलना है, ऐसे साधारण वक्ता की बात मुनना अधिक पसंद करेगी जो ऐसी बात कहता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है और जिसके विषय में उसकी भावना प्रवल है। कोई चतुर व्यक्ति जो वहस में विजय प्राप्त करना चाहता है चमक नहीं पाता। अधिक महत्वपूर्ण गुण वह है कि वक्ता विश्वास की वह भावना उत्पन्न करे जो दलीय विभाजनों से ऊपर होती है। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में होते हैं, और वे ही केविनेट मंत्री नथा प्रधान मंत्री पद को प्राप्त करते हैं।

सर जॉन सीली ने लोकसभा को सरकार-निर्माणा वताया है। प्रोफेर सर लास्की का भी यही विचार है कि सभा का मुख्य कार्य 'सरकार का निर्माण करना है जिसे वह तब तक पढ़ पर रखती है जब तक कि उसे उस पर विश्वास बना रहे।' सभा को सरकार-निर्माता निकाय बताना भी सर्वथा ठीक नहीं है; वास्तव में देखा जाये तो वह सरकार का निर्माण नहीं करती। उसे किसी सरकार को पढ़ से हटाने की शक्ति है किन्तु वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करती। लास्की का कथन अधिक ठीक है; इस समय छिड़ल पद्धति के अन्तर्गत सभा एक सरकार को शक्ति में रखती है और सब कार्य उसे ही सौंप देती है। किन्तु चाहे लोकसभा के वर्तमान कार्य का यह कैसा ही अच्छा वर्णन हो, पर इसका यह अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सभा का यही कार्य होना चाहिये। सभा को, रैमजे म्योर के शब्दों में, मुख्यतः एक अभिकरण (Agency) मानना चाहिये जो राष्ट्र की ओर से सरकार पर नियंत्रण रखता है। हाँ, यह विचार विमर्श करने वाला सदन भी है जहाँ राष्ट्रीय नीतियों पर विचार किया जाता है तथा विनिश्चय किये जाते हैं। यह शिकायती सदन भी है जहाँ कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ण किया जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह राष्ट्र की ओर से सरकार पर नियंत्रण रखने के लिये अभिकरण नहीं है या नहीं होना चाहिये। वह उस नियंत्रण को ठीक प्रकार नहीं रख पाना, केवल इसी आधार पर इस कथन को गलत नहीं बताया जा सकता।

प्रशासनात्मक विधान (Administrative legislation) . लोकसभा की शक्तियों तथा उसके विधि-निर्माण सबंधी और वित्तीय प्रक्रिया सबंधी विवरण के साथ साथ कुछ शब्द 'प्रशासनात्मक विधान' के विषय में भी कहना आवश्यक हैं। यह परंपरा यूरोप में आरंभ हुई थी किन्तु अब वह शीघ्रता से एट्रेट ब्रिटेन में भी बढ़ती जा रही है। आधुनिक समाज में इतनी उलझने हैं कि उसका विकास अनिवार्य है। यह बहुत कठिन बात हो गई है कि कोई विधान-मंडल, चाहे वह कितना भी दक्ष क्यों न हो, इतना समय पा सके कि वह परिस्थितियों के अनुकूल सब विस्तृत विधान बना सके। कुछ ऐसे उलझे हुए तथा टेक्नीकल मामले भी हैं जिन पर अनुभवी प्रशासक ही विवेकपूर्वक निर्णय कर सकते हैं। अतः विधियों को सामान्य भाषा में रखने का तथा उनके स्पष्टीकरण का कार्य प्रशासकीय प्राधिकारियों पर छोड़ देने को प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। संसद प्रशासकीय विभागों को जो शक्ति दे देती है कि वे किसी अधिनियम के प्रयोजनों से संगत कोई नियम बना सकते हैं जो उस अधिनियम की किसी धारा के अधीन होते हैं, उसे प्रशासनात्मक विधान कहते हैं। इस प्रकार की शक्ति देने वाले अधिनियमों की संख्या, जिन्हे संसद पारित करती है, शीघ्रता से बढ़ती जा रही है। एक वर्ष विशेष में १०२ अधिनियमों में से २६ में ऐसे खंड थे जिनके द्वारा ऐसी

शक्ति के विभागों को दी गई थी। निर्धनभाष्यता, मार्त्तिनिः शास्त्र, और लक्षणों का लिंगोचन, जनायात नथा शिक्षा ऐसे चेत्र हैं जिनमें इस प्रकार के विभान एवं कठिन प्रयोग होता है।

इम शक्ति के प्रयोग पर कुछ समार्थ भी हैं। इसी अधिनियम के अप्रीति निराला गवा कोई आदेश उम अधिनियम के द्वारा मे परं नहीं जा सकता तथा उस उद्देश्यों मे अवश्यक नहीं होना चाहिये। किन्तु विभाग नभी कभी अपने नियाम हुए आदेशों के आनियत को निष्ठ करने के लिये अधिनियम के गंटों को नोः मरण लेने हैं तथा गंटों का अर्थविमार कर लेने हैं। विभाग द्वारा इम शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये दो रक्षण-क्रबच रखे गये हैं। पहली धारा नो यह है कि सा आदेशों और विनियमों को एक निर्धारित अवधि के लिये सभा की मंज पर रखा जाना है। बद सदस्यों को अधिकार है कि वे उन पर आपत्ति कर सकते हैं नथा वहम आरंभ कर सकते हैं। सदन उन्हें परिवर्तित अवधा समाप्त कर सकता है। इम प्रकार अब भी लोकसभा ही सर्वोश मत्ता है। किन्तु उनसी ओर कोई ध्यान नहीं देना नथा कोई आपत्ति उठाये विना ही निर्धारित अवधि समाप्त हो जानी है। कुछ मामलों में आदेश एकदम लागू हो जाते हैं, किन्तु यदि याद मे उम पर कोई आपत्ति उठाई जाय तथा सभा उम स्वीकार करने तो वह आदेश अवै-नानिह हो जाना है। दूसरी धारा यह है कि कोई न्यायालय उम अवैधानिक ठारा सकता है, यदि कोई व्यक्ति शिकायत ले कर उमके पास जाये तथा न्यायालय यह देखे कि उम आदेश विशेष को निकालने वाले प्राथिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। पहले एक स्थान पर हमने अध्यायी आदेशों (Provisional Orders) का नो निर्देश किया था वे भी प्रशासनात्मक विधान की श्रेणी मे ही आयं हैं।

अध्याय ७

विषय-प्रवेश— अब हम विद्युत समार के दूसरे मदन—लाईम्बा का अध्ययन करेंगे। यह समार का प्राचीनतम विधायक निकाय है, वास्तव में यह लोकसमाज ने भी अधिक प्राचीन है, यथापि अब लोकसमाज सम्मान, गणक तथा प्रभाव ने लाईम्बा ने अधिक बढ़ गयी है। लाईम्बा नारमन गजाओं वीं महाराष्ट्र में वर्ती है जो इन पुरानी आंल-सम्मन गिनागमाड (Witenagemot) में वर्ती थी। इस प्रकार इस १००० वर्ष में भी अधिक ने जल छोड़ी है और इस कालावधि

में थोड़े से समय को छोड़ शेष समय लगातार उसका अस्तित्व रहा है। इसमें अनेक परिवर्तन किये गये हैं। एक समय ऐसा था जबकि संसद की सब शक्तियां इसी के पास थीं और राजा सब सामयिक मामलों पर उससे ही परामर्श लेते थे; किन्तु अब यह सभा अपने अतीत की छाया मात्र है और उसकी स्थिति गौण सदृश जैसी हो गई है, यद्यपि उसके सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ गई है। यह कहानी बहुत दिलचस्प है, किन्तु उसके विकास तथा इतिहास का सविस्तार वर्णन इस अध्याय में करना अभीष्ट न होगा। हम केवल यही देखेंगे कि उसकी क्षमताएँ रचना, शक्तियां तथा कार्य क्या हैं, उसका लोकसभा से क्या सम्बन्ध है, और संक्षेप में उन सुमारों पर भी विचार करेंगे जो उसके सुधार के लिये रखे जा रहे हैं।

इसकी रचना— लार्डसभा संसार का सब से बड़ा विधायी निकाय है तथा वंशपरम्परा से यही सब से अधिक चलता है। आज इसमें लोकसभा से भी अधिक सदस्य हैं, उनकी संख्या ७८० के लगभग है और घटती बढ़ती रहती है, यद्यपि दो शताब्दियों पूर्व यह ३३६ थी। इसके अधिकांश सदस्य तो केवल इसी आधार पर बने हैं कि वे पीयरों के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इसकी यही वंशगत सदस्यता लोकतन्त्रात्मक संविधान में एक असंगति है।

सदस्यता पिता से ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है तथा इस पैतृक संपत्ति को त्यागने का पुत्र के पास कोई उपाय नहीं है। पुराने पीयर-वश कभी कभी ही समाप्त होते हैं तथा प्रति वर्ष नए पीयर बनते जाते हैं, लगभग दस पन्द्रह तो बन ही जाते हैं। इसी कारण लार्डसभा की सदस्य-संख्या बढ़ती जाती है और वास्तव में उसकी कुल सदस्य-संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की गई है। राजा का यह परमाधिकार है कि वह अपने प्रधान मंत्री की मंत्रणा से नये पीयर बनाता जाये। १६२२ से पूर्व की शताब्दी में जिस उदारता से पीयर-पद लुटाये गये उस पर विरोध भी हुआ, तथा यह भी कहा गया कि दल को चन्दा देने वाले धनी व्यक्तियों को पढ़ दिये जा रहे हैं। इन पढ़ों के विषय में पड़ताल करने के लिये एक राजकीय आयोग (Royal Commission) भी नियुक्त हुआ किन्तु उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। किन्तु १६२५ में एक अधिनियम बना दिया गया जिसके अनुसार कोई पढ़ अथवा सम्मान प्राप्त करने या कराने के लिये प्रलोभन के रूप में कोई उपहार या धन देना या लेना या मांगना दुराचार घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अब भी राजा प्रधान मंत्री की मंत्रणा पर नये पीयर बना संकेता है। हाँ, प्रधान मंत्री अपनी सिफारिश करने से पूर्व अपने केविनेट से मंत्रणा कर लेता है। खियां अब भी वैदानिक रूप से इस सदन की सदस्य बनने के अयोग्य मानी गई हैं।

लार्ड सभा के सदस्यों को ६ वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग तो राजवंश के राजकुमारों का है। वे एक समय में तीन चार से अधिक नहीं होते तथा

उनका कोई व्यापारिक महत्त्व नहीं होना चाहिए उसकी पैठारी में रक्षण का आवंत है नया उनके वाद-विवाद में कभी भाग नहीं लेने। इनके वर्ग में यूनाइटेड गिर्डरम के वंशगत पीयर हैं। वे सभा में नवं प्रतिशत ३ और इस सभा उनकी संख्या ७५० के लगभग है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, इस वर्ग की सभा नवे पीयरों के कलने से बढ़नी रहती है। इस वर्ग के इनका यह जाते या भी पीयर कारण है कि गत भी वर्षों में उदारता से पीयर पद प्राप्त किये गये हैं। वे सभे पीयर वंशगत हैं। नीमरं सदस्य-वर्ग में स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर होते हैं। वे संग्राम में १६४५ में और भर्टिलैंड के मध्य पीयरों द्वारा चुने जाने हैं जो निर्वाचन मंटप के स्थान में अप्रवेश होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रोट ग्रिटेन के गवर्नर पीयर नो लार्टमभा के गवर्नर सदस्य होते हैं, किन्तु स्कॉटलैंड के पीयरों के १६ प्रतिनिधि ही होते हैं। वे संग्राम की कालायधि के लिये अर्णान ५ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। १७०७ में कोई स्कॉटलैंड का नया पीयर नहीं बनाया गया है। इस समय पुराने पीयरों में ये भी ५० से ज्यादा शेष रह गये हैं। जब वे भी गवर्नर जायेंगे तब लार्टमभा के लिये प्रतिनिधि चुनने याना कोई स्कॉट पीयर बचेगा ही नहीं, और वह वर्ग भी समाप्त हो जायेगा।

चौथे वर्ग में आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर हैं। १८०८ में जब आयरलैंड इंडिलैंड में समुक्त था तब कुनै ने आगरिग पीयर भी देते। कुनै अधिकार दिया गया था कि वे अपने गो से २८ को चुन कर समान वर्ग के प्रतिनिधियों के भग्न में आजीपन लार्टमभा में भेज सकते थे। १८८२ में आयर स्वतंत्र राज्य बन गया था, तब में कोई निर्वाचन नहीं हुआ। अन. इस समय आयर के पीयरों की संख्या १५ में अधिक नहीं है। लार्टमभा में आयर के पीयर भी स्कॉटलैंड के पीयरों के समान शर्तें शर्तें समाप्त हो जायेंगे। यह याद रखना चाहिये कि इन दोनों प्रदेशों के पीयर लार्टमभा में वंशगत सदस्य नहीं होते; उनकी सदस्यता निर्वाचन गंग प्राप्त होती है। पांचवें वर्ग में २६ आयरिकल लार्ड (Lord Spiritual) हैं। वे पीयर नहीं होते, वे धार्मिक (Ecclesiastical) सदस्य होते हैं। याकू तया केन्द्रवर्ती के आर्द्धविषय, नशा लन्डन, ट्रस्ट और विन्केंटर के विषय द्वन् २६ 'आयरिकल लार्ड' में अवश्य समाविष्ट होते हैं। शेष २५ स्थानों को शेष अद्वितीय में ये उनकी स्थिति (Seniority) के अनुसार भरा जाता है। जब किसी विषय को लार्टमभा में चुनाया जाता है तो वह तब तक सदस्य रहता है जब तक कि वह अपने पद पर रहता है। स्वभावतः विषय की सदस्यता भी वंशगत नहीं होती। लार्ड वर्ग में ३ विधि लार्ड (Law Lords) हैं जिन्हें अपील के लार्ट भी कहा जाता है। वे संसदीय के नवोन्नत स्वायत्तेजाओं में से चुने जाते हैं और लार्टमभा के अन्य सदस्यों के समान वे अवैतनिक नहीं होते, वरन् वार्षिक वेतन पाते हैं। वे डंगलिस्नान, स्कॉटलैंड तथा इनके आयरलैंड के उच्चतर न्यायालयों के निर्गतीयों की अपीलें

सुनते हैं तथा अपना सारा समय न्याय-कार्य को ही देते हैं। इसका कारण यह है कि लार्डसभा केवल विधायी निकाय ही नहीं है, बरन् उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण न्याय-सम्बन्धी काम भी करने पड़ते हैं। उन कार्यों का भार विधि-लार्डों को सोंप दिया जाता है। वे सभा के आजीन-सदस्य होते हैं।

इससे यह पता लग गया होगा कि लार्डसभा के ६० प्रतिशत सदस्य वशगत होते हैं, किन्तु शेष मे से कुछ पीयरों के निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और कुछ अपनी टेक्नीकल योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं।

सभा का संघटन— लार्डसभा के संघटन के विषय में अधिक कुछ कहना अपेक्षित नहीं है। लोकसभा के समान उनके अपने पदाधिकारी होते हैं तथा उनकी अपनी समितियाँ होती हैं। उनका सभापति लार्ड चान्सलर है जो सदा केविनेट का सदस्य होता है। उसकी नियुक्ति मे सभा का कोई हाथ नहीं होता। उसकी शक्तियाँ लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों से कम होती हैं; उसके पास अनुशासन सम्बन्धी शक्तियाँ भी नहीं होती और यह यह भी निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सा पीयर पहले बोलेगा। लार्ड लोग अपनी वक्तुनाओं मे सभापति को सम्बोधित नहीं करते वरन् 'मेरे लार्डों' (My Lords) कह कर सदस्यों को सम्बोधित करते हैं उसके सब भी लोकसभा के सब्रों के समय ही होते हैं, और उसको बैठके मगल बुध तथा बृहस्पतिवार को होती हैं, कभी कभी सोमवार को भी हो जाती हैं किन्तु शुक्रवार को नहीं होती; उसकी बैठके लोकसभा के समान लम्बी नहीं होती बहुत से पीयर प्राय बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तथा कभी कभी ही बाद-विवाद मे भाग लेते हैं। दो सौ से अधिक तो शायद ही कभी आते हो, प्रायः ८० ही उपस्थित होते हैं। किन्तु वे बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं जो राजदूत, गवर्नर जनरल, जनरल आदि उच्च राजपदों पर प्रतिष्ठित रह चुके होते हैं अथवा जो उद्योग, वित्त, साहित्य, पत्रकारिता, अथवा अन्य क्षेत्रों मे लब्धताप्रतिष्ठ होते हैं। इसके फलस्वरूप उसके बाद-विवाद प्राय बहुत उच्च कोटि के होते हैं और कभी प्रथम सभा से भी उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बाद-विवाद के नियम बहुत ढींगे हैं। प्रश्न तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं।

सभा की शक्तियाँ तथा कार्य— यद्यपि लार्डसभा की शक्ति गत कुछ शतांश्यों मे बहुत घट गई है, तथापि उसके कार्यों मे वैसी कमी नहीं हुई है। लोकसभा के समान लार्डसभा भी विधायक, विचारात्मक तथा आलोचनात्मक कार्यों मे अब भी भाग लेती है। पहले उसे वित्त-क्षेत्र मे भी शक्ति प्राप्त थी किन्तु १८११ के ससद अधिनियम से वह सभापति हो गई है। उसका न्यायिक काय अनन्य है जो लोकसभा के पास नहीं है। अत हम इसके कार्यों को निम्नलिखित तीन शीर्षकों मे वांटेंगे— विधायक, विचारात्मक तथा न्यायिक।

१. विधायक कार्य (Legislative functions)— कोई समय था जब लार्डसभा को ही विधि-निर्माण के कार्य में राजा को परामर्श देने का अनन्य अधिकार प्राप्त था, किन्तु बाद में विधि कार्य के लिये दोनों सभाओं की सहमति आवश्यक समझी जाती थी। १६११ के ससद अधिनियम से यह स्थिति भी बदल गई, उस समय तक लार्डसभा को सब विधान-कार्य में चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे असार्वजनिक, लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त थे और वहाँ विधेयक आरंभ भी हो सकते थे, संशोधित भी हो सकते थे तथा रह भी हो सकते थे। वह धन-विधेयकों पर भी विचार कर सकती थी, उन्हें संशोधित अथवा अस्वीकृत भी कर सकती थी। किन्तु वास्तविक स्थिति यह धन गई थी कि लार्डसभा में विधेयक प्रायः आरंभ नहीं होते थे क्योंकि शक्तिकेंद्र लोकसभा वन चुकी थी, और यह भी अभिसमय (Convention) वन चला था कि वह धन-विधेयकों पर केवल विचार-मात्र कर सकती थी और किसी संशोधन या परिवर्तन के बिना ही उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता था। धन-विधेयक को अस्वीकार करने के अधिकार का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता था।

इस समय धन-विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के विषय में भी लार्डसभा का मुख्य कार्य केवल दोहराना, आलोचना करना तथा संशोधन करना ही रह गया है। उसमें विधेयकों का ग्राम्य ग्राम्य नहीं होता। लोकसभा अब अधिकाधिक केविनेट की 'जो हज़र' वनतो जा रही है तथा वहाँ बादः-विवादः को समाप्त करने के लिये 'गिलोटिन' का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है, अतः उसके द्वारा पारित विधेयकों पर ध्यान से पुनर्विचार करना और आलोचना करना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। लार्डसभा पुनर्निरीदण (Revision) का बहुत अच्छा साधन है क्योंकि वहाँ दलीय सचेतकों (Whips) का भय कम रहता है। किन्तु इस समय उसका सघटन ऐसा है कि उसमें रूढ़िद्रव का अधिकांश वहुमत है और उसमें समस्त विधेयक सत्र के अन्त में ही इकट्ठे पहुँचते हैं, इस कारण उसके लिये ठीक प्रकार कार्य करना कठिन सा बन गया है। सभा अपने कार्यों को कुशलता से तथा सफलता से तभी पूरा कर सकती है जबकि उसमें सुधार हो, तथा उसके सत्रों की व्यवस्था ऐसी की जाये कि उसे लोकसभा द्वारा भेजे गये विधेयकों पर विचार करने के लिये काफ़ी सनय मिल सके। (पाठकों को यह तो स्मरण होगा ही कि धन-विधेयकों को आरम्भ करना तो लोकसभा का अनन्य अधिकार है। उन्हें संसद अधिनियम के उपचारों को भी याद रखना चाहिये जो पहले समझाये जा चुके हैं।)

(२) विचारात्मक (Deliberative) तथा आलोचनात्मक (Critical) कार्य— इस समय स्थिति ऐसी है कि लार्डसभा शायद विधायक निकाय के

रूप मे इतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि विचारक निकाय के रूप में है। लार्डसभा मे ख्यातिप्राप्त तथा अनुभवशील व्यक्ति होते हैं, जो विदेशी तथा साम्राज्य-सम्बन्धी विषयों मे पारंगत होते हैं, अत राष्ट्रीय नीति पर उसके वाद-विवाद प्रायः उस कोटि के ही होते हैं जैसे प्रथम सभा के सर्वोच्चम भाषण हो सकते हैं, कभी कभी उनसे भी उच्च स्तर के होते हैं। वहाँ प्रायः शान्तिपूर्ण वातावरण होता है तथा आराम के साथ वाद-विवाद होते हैं, वहाँ लोग अस्थायी जोश में कम वहते हैं। सभा प्रस्तावों पर अधिक वाद-विवाद करती है, विधेयको पर कम।

यदि लोकसभा का कार्य जनता की ओर से शासन पर नियंत्रण रखना है, तो यह भी कहना उचित ही होगा कि लार्डसभा का कार्य 'उच्चबर्ग के लोगों' की ओर से ऐसा ही नियंत्रण रखना होना चाहिये। किन्तु वह सफलता के साथ इस कार्य को नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वित्त के विषय में कोई शक्ति नहीं है तथा सरकार उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। 'किन्तु वह सरकार की आलोचना कर सकती है और उसके कार्यक्रम मे वाधा ढाल सकती है क्योंकि दो वर्ष के लिये तो वह विधेयको को खटाई मे ढाल सकती है और वाद मे दो वर्ष के लिये स्थगित कर सकती है, जिससे कि अन्ततः नये निर्वाचनों मे जनमत के कारण वे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो सकते हैं।'

(३) न्यायिक कार्य (Judicial Functions) — विधायक निकाय होने के अतिरिक्त लार्डसभा विधि-न्यायालय भी है। वह ग्रेट ब्रिटेन मे सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अन्तिम अपील-न्यायालय है। किन्तु यह वात याद रखनी चाहिये कि समूचा सदन इस कार्य मे भाग नहीं लेता। इस काम को लार्ड चांसलर तथा सात 'विधित्तार्ड' करते हैं जिनका अलग ही एक वर्ग है, जो उन छ. वर्गों में से हैं जिनमे उसके सदस्यों को बॉटा जा सकता है। उसके न्यायिक कार्य मे वे ही सदस्य भाग ले सकते हैं जो उच्च न्यायिक पद पर हो या रह चुके हों। इससे पता लगेगा कि लार्डसभा उच्चतम न्यायालय के रूप मे तथा लार्ड-सभा विधायिका सभा के रूप मे विल्कुल भिन्न भिन्न हैं। उच्चतम न्यायालय के रूप में वह प्रात काल बैठनी है तथा विधायिका के रूप मे वह वाद मे कार्य आरम्भ करती है। इन दो कार्यों को एक साथ रखना युक्तियुक्त नहीं है, किन्तु ब्रिटेन मे वे माथ साथ हैं। सदन अधिनियम द्वारा भी उसका न्यायिक कार्य छीना नहीं गया।

लार्डसभा का न्यायिक कार्य अंशतः अपील सम्बन्धी है और अशतः प्रारम्भिक (Original) है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में लार्डसभा इंग्लिस्तान, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरणों (Tribunals)

के व्यवहार विपयक तथा आपराधिक मामलों की अपीलें सुनती है। प्रारम्भिक द्वेषाधिकार वाले न्यायालय के रूप में उसे अपने सदस्यों पर मुकदमा चलाने का अधिकार था, किन्तु उसका यह अधिकार छिन गया है। किन्तु अब भी वह उन पीयरों का मुकदमा सुन सकती है जिस पर भयंकर अपराध अथवा राजद्रोह के अभियोग हों। उसे यह भी शक्ति है कि वह लोकसभा द्वारा महाभियोग लगाये जाये (Impeached) व्यक्तियों के मुकदमों पर विचार कर सकती है, किन्तु अब यह प्रथा समाप्त सी हो गई है।

सदस्यों के विशेषाधिकार तथा कर्तव्य : लार्डसभा के सदस्यों को वाक् स्वतंत्र्य (Freedom of Speech) है तथा जब सभा सत्र में हो तब उन्हें गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है और डग्गुरी-कार्य से भी स्वतन्त्रता है। जिस सदस्य को एक चार यूनाइटेड क्रिंगडम के पीयर के रूप में सभा में आने का निमंत्रण मिल जाता है उसे सदा आमत्रित होने का अधिकार मिल जाता है। उसका अधिकार उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिल जाता है। प्रत्येक पीयर को राजा से व्यक्तिगत रूप में मिलने का अधिकार है, पर अब उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है प्रत्येक पीयर यह मांग कर सकना था कि उसके अपराधों का मुकदमा उसके समान स्तर वाले ही सुनें— अर्थात् लार्डसभा ही सुने— किन्तु इस अधिकार का दुर्सप्त्योग किया गया था और अब उस अधिकार को छीन लिया गया है। आयर तथा स्कॉटलैंड के पीयरों को, जो लार्डसभा के सदस्य नहीं होते, छोड़ कर किसी पीयर को लोकसभा के लिये खड़ा होने का अधिकार नहीं है और वह उसके लिये मत भी नहीं दे सकता।

दोनों सभाओं के संबंध : दोनों सभाओं का सम्बन्ध सदा एक मा नहीं रहा है, वह समय समय पर बदलना रहा है। जब वे दो विभिन्न सभाओं के रूप में बैठना शुरू हुईं थीं तब, विधि अनुसार, उनकी शक्तियां समान थीं। शीघ्र ही यह स्वीकार किया गया था कि वित्त के विषय में लोकसभा को मुख्य शक्ति मिल जानी चाहिये जिससे वह लार्डसभा से अधिक शक्तिशाली बन जाये। किन्तु इस लाभ को वित्त के वातनूद भी अठारहवीं शनाव्दी के आखिर तक लोक-सभा निम्न सभा ही रही। 'शासन के प्रत्येक कार्य में— विधायी कार्य में, नीति की आलोचना में अथवा मन्त्रिमंडलों के निर्माण में— लार्डसभा लोकसभा से उच्चतर रही।' ^५ इसके दो मुख्य कारण थे। पहली बात यह थी कि लार्डसभा में राज्य के जर्मानी द्वारा सामन्त भरे थे और राज्य के अधिकांश उच्च पदों पर भी पीयर ही होते थे।

* Finer : *The Theory & Practice of Modern Government*, page 438.

दूसरी बात यह थी कि लोकसभा की तरफ से कोई वैधानिक चुनौती नहीं थी, क्योंकि उसमें एक तिहाई सदस्य तो पीयर लोगों के समर्थक थे जो उन्हीं की सहायता से निर्वाचनों में जीत कर सदस्य बनते थे। दोनों सभाओं में एक ही सामाजिक वर्ग की प्रधानता थी इसलिये दोनों में कभी शक्ति का संघर्ष नहीं होता था। असली राजनैतिक संघर्ष तो बादशाह और संसद के बीच था और मूक देश तथा संसद के मध्य था, लार्डसभा तथा लोकसभा के बीच नहीं था। १८३२ में स्थिति बदली, और महान् 'सुधार अधिनियम' (Reform Act) पेश हुआ जिस पर दोनों सभाओं में संघर्ष हुआ तथा अन्त में लोकसभा की विजय हुई। उस समय के बाद, और लोकसभा के उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण के साथ साथ, लोकसभा का प्रमुख लार्डसभा से अधिक होता गया और लार्डसभा सच्चे अर्थ में द्वितीय सदन सा बनता गया।

"लार्डसभा को छ्यू क ऑफ वैलिंगटन से यह कड़वा पाठ पढ़ना पड़ा था कि जब 'जनता की इच्छा' स्पष्ट हो तो उसे लोकमत का विरोध नहीं करना चाहिये, किन्तु आपत्तिजनक बातों में संशोधन या विलम्ब ही करना चाहिये, और केवल उन्हीं विधेयकों को रह करना चाहिये जिनमें अंग्रेज निर्वाचकों ने अधिक दिलचस्पी न ली हो, जैसे कि आयर की शिकायतों के हटाने के विधेयक हैं।" ४३ फिर भी सिद्धान्त में लार्डसभा १८११ तक लोकसभा के साथ साथ समान शक्ति का प्रयोग करती रही, आखिर उसका लोकसभा से संघर्ष हो गया और उसे सिद्धान्त के अनुसार भी गौण तथा द्वितीय सभा बना दिया गया, जो वह वास्तव में तो बहुत पहले ही बन चुकी थी। १८११ के संसद अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियों का यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा क्योंकि उस से यह पता लग जायेगा कि दोनों सभाओं के आपसी सम्बन्ध कैसे रहे हैं।

उपर यह बताया जा चुका है कि यद्यपि लार्डसभा में सिद्धान्त के अनुसार लोकसभा के समान ही शक्ति थी, फिर भी वास्तव में वह द्वितीय सदन का रूप धारण कर चुकी थी और लोक-प्रिय सभा (लोकसभा) द्वारा पारित विधेयकों से व्यक्त जनमत का विरोध नहीं कर सकती थी। यह लोकसभा के साथ अपनी राजनैतिक समानता पर बहुत कम जोर देती थी अन. उसे चलने दिया गया। उसे सिद्धान्त में जो शक्तियां प्राप्त थीं उनको प्रयोग करने का वह साहस करती तो वह कभी की मिट चुकी होती। अन. उसकी शक्ति यही थी कि वह बहुत निर्वल थी। जब उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया तथा उदार द्वितीय सरकारों के काम में रोड़े अटकाने आरम्भ किये तभी उसकी शक्तियों को कम करने का आन्दोलन आरम्भ हो गया और अन्त में १८११ का महान संसद अधिनियम पारित हो गया १८०६ में श्री एस्क्रिवर की

उदार सरकार ने जब भूमि तथा अन्य 'प्रकार की सम्पत्ति पर अधिक कर लगाने चाहे तो लार्ड-सभा ने उन कर-प्रस्तावों को रद्द करने का दुस्साहस किया। एस्ट्रिवथ सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया, देश से अपील की और पुनः शक्ति प्राप्त करली। इस पर लार्ड भुक गये तथा उस वित्त-विधेयक को पारित कर दिया जिसे वे पहले रद्द कर चुके थे। पर उदार सरकार ऐसी घटनाओं को दुचारा होने देना नहीं चाहती थी, इसलिये उसने लार्डसभा की शक्ति को कम करने के लिये अपना असित्त्व ही बाजी पर लगा दिया। दूसरा साधारण निर्वाचन १८१० में हुआ जिसमें मुख्य प्रश्न यही था कि क्या लार्डसभा की शक्तियों को कम किया जाये। देश ने एक बार फिर उदारदल का समर्थन किया। १८११ का संसद अधिनियम उदार दल की विजय का ही परिणाम था। इस अधिनियम द्वारा लार्डसभा की धन-विधेयकों को संशोधित करने की शक्ति छीन ली गई और विधि-निर्माण में लोकसभा के साथ उसकी समानता समाप्त कर दी गई, जो उसे सिद्धान्त में प्राप्त थी, इन बातों के अतिरिक्त लोकसभा का अधिकतम जीवनकाल भी ७ वर्ष से घटाकर ५ वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम से लार्डसभा की रचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उसकी न्यायिक (Judicial) शक्तियों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया। इस प्रकार लार्डसभा में सुधार करने के प्रश्न का कोई समुचित हल नहीं निकला।

१८११ के संसद अधिनियम का महत्त्व— इस अधिनियम का ब्रिटेन के सांविधानिक विकास के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है; इससे ब्रिटिश इतिहास में ऐसा महान् परिवर्तन हो गया जैसा और कभी जातवूक कर, विधि द्वारा नहीं किया गया था। अतः यह जानना अभीष्ट है कि इस से वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ है। कभी कभी यह कह दिया जाता है कि इस से लोकसभा को पूर्ण विधायिका प्रमुखता (Full legislative supremacy) मिल गई है। इसमें सन्देह नहीं है कि अब लोकसभा के लिये यह विधि-रूप में सम्भव हो गया है कि वह लार्डसभा की सहमति के बिना सब प्रकार का कानून बना सकती है। धन-विधेयक को लार्डसभा में भेजने के एक मास पश्चात् राजा की अनुमति के लिये भेज दिया जाता है चाहे लार्डसभा उसे स्वीकार करे या रद्द करे। अन्य विधेयकों के विषय में सभा को पहले के समान पूर्ण-निपेधाधिकार (Absolute veto) प्राप्त नहीं है वरन् निलम्बनकारी निपेधाधिकार (Suspensive veto) दिया गया है, वह उनके पारित होने में हद से हद दो वर्ष का (जो अब एक वर्ष ही रह गया है) विलम्ब कर सकती है। यदि लोकसभा किसी विधेयक को दो वर्ष की अवधि के भीतर तीन बार उसी रूप में पास करदे तो उसे लार्ड्स की सहमति के बिना ही राजा की अनुमति के लिये पेश कर दिया जायगा। इन उपवन्यों से यद्यपि लार्डसभा की लोकसभा के साथ विधायी

समानता (Legislative parity) छिन गई किन्तु फिर भी इस से लोकसभा पूरी तरह सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign) नहीं बन सकी है। यह नतीजा निकालना गलत होगा कि लोकसभा सदा अपनी इच्छानुसार ही कार्य करती है। संसद अधिनियम की शर्तों को पूरा करना सदा आसान काम नहीं है। लार्डसभा किसी विधेयक को बार बार रह करके उसके विरुद्ध जनसत् को भड़का सकती है अथवा अन्य प्रकार से केविनेट को बाध्य कर सकती है कि वह उसमें ऐसे परिवर्तन कर दे जो लार्डसभा को स्वीकार्य हों।

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है लार्डसभा आपात के कामों (Emergency Measures) को तो विलकुल रोक ही सकती है। उन्हें दो वर्ष तक पारित होने से रोक कर वह ऐसे काम का महत्व तथा मूल्य समाप्त कर सकती है। लास्की ने कहा है कि 'किसी अम सरकार के विरुद्ध शरारत करने का उसमें अब भी बहुत सामर्थ्य है'। अब भी उच्च सभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में परिवर्तन करती रहती है और लोकसभा को परिस्थितियों के बश होकर उन्हें मानना ही पड़ता है। विशेषतः उन विधेयकों के सबंध में यह बात लागू होती है जिन्हें लोकसभा अपनी अवधि के अंतिम वर्ष में पारित करती है क्योंकि उन्हें लार्डसभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर सकती है। अब भी दोनों सभाओं के बीच के मतभेद समझौते से निवटाये जाते हैं जिसमें दोनों को मुकना पड़ता है। संसद अधिनियम के पारित होने से काफी अन्तर नहीं पड़ा है। इससे तो वही बात सिद्धान्त रूप में प्रकट हुई है जो पहले भी तथ्य रूप में थी। यद्यपि इससे लोकसभा सर्वोच्च सत्ता बन गई है फिर भी लार्डसभा में काफी शक्ति शेष रह गई है। १९४६ के अधिनियम द्वारा अवित्तीय-विधेयकों (Non-Money Bills) के विषय में भी लार्डसभा के नित्यन्वनकारी निषेधाधिकार (Suspensive Veto) को दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दिया है।

लार्डसभा के विरोध के कारण : १९११ तथा १९४६ के संसद अधिनियमों द्वारा लार्डसभा की शक्ति कम कर देने पर भी उसके आलोचक सत्यष्ट नहीं हुए हैं। उसके आलोचक अभी यह कहते हैं कि उसका लोकतंत्र से मेल नहीं है। यह माना जा सकता है कि एक दूसरी सभा की आवश्यकता है (१) जो लोकसभा में पारित विधेयकों का पुनर्निरीक्षण (Revision) और परीक्षण कर सके, क्योंकि लोकसभा को ऐसे विशेष नियमों के अधीन कार्य करना पड़ता है कि उस में बादः-विवाद सिमिलर्सी होता है, (२) जो किसी विधेयक को पारित करने में इतना विलम्ब कर सके कि राष्ट्र को पर्याप्त रूप में अपना मत प्रकट करने का समय मिल जाये, (३) जो अविवादात्मक विधेयकों को आरंभ कर सके, और जिससे कि विदेशी नीति आदि महान् और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पूर्ण और स्वतंत्र बादः-विवाद

हो सके ; इन प्रयोजनों को पूरा करने के लिये ऐसी सभा कमी ठीक नहीं हो सकती जिसमें कि ७५० से भी अधिक सदस्य हों और उनमें से भी ६० प्रतिशत सदस्य वंशगत हों।

वंशगत परंपरा के ही कारण उसे लोकतंत्रात्मक राज्य में एक विसंगति (anomaly) समझा जाता है ; उसी से कई बार यह व्यंग-चाक्र्य कह दिया जाता है कि 'लोकसभा तो सब का प्रतिनिधित्व करती है किन्तु लार्ड्सभा किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती'। दूसरी बात यह है कि जर्मांडारों तथा बड़े व्यवसायी लोगों के तो उसमें काफी से ज्यादा प्रतिनिधि हैं किन्तु समाज के अन्य अंगों—मध्यवर्ग आदि—के प्रतिनिधि उसमें हैं ही नहीं या बहुत कम हैं। इससे यही स्पष्ट है कि लार्ड्सभा—'संपत्ति का गढ़' बन गई है। कोई ऐसा महान् राष्ट्रीय उद्योग (national industry) नहीं जिसके राजनैतिक नेताओं को उसमें प्रतिनिधित्व न मिला हो। तीसरी बात यह है कि सभा में अब दो दल नहीं रहे हैं ; वह मुख्यतः एक ही राजनैतिक दल के सिद्धान्तों पर दृढ़ है। व्यवहार में वह 'रुद्धिवादी दल का अड्डा' है। जब कोई रुद्धिवादी सरकार होती है तब तो लार्ड्सभा अपना दोहराने तथा आलोचना करने का कार्य ठीक प्रकार करती रहती है, किन्तु जब उदार दल या श्रम दल शक्ति प्राप्त कर लेता है "तब यह सभा 'संपत्ति का सामान्य गढ़' के रूप में प्रकट हो जाती है वह रुद्धिवादी दल की रिजर्व शक्ति बन जाती है जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि निर्वाचनों में प्रगतिशील दलों की विजय के परिमाणों को, यथाशक्ति, असफल बना दिया जाये।"^{५४} शायद इसके विरुद्ध यह सब से बड़ा आरोप है। चौथी बात यह है कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत कुछ इसी कारण कम हो गई है कि उसके बहुत से सदस्य अपने कार्य की चिन्ता नहीं करते। उनमें से अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं, उसमें साधारणतः लगभग ३५ सदस्य उपस्थित रहते हैं, और गत बीस वर्ष में ऐसे केवल १३ अवसर आये हैं जब कि उसमें २०० से अधिक संख्या थी। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि अधिकांश नये पीयुर दल के कोष में धन देकर पीयुर बने थे। यह ध्यान रखना चाहिये कि जब लोकसभा का लोकतंत्रीकरण (Democratisation) हुआ, तब लार्ड्सभा चुप रही और अपना वंशगत (hereditary) तथा कुलीनतत्रीय (aristocratic) रूप बनाये रखा। इसी के फलस्वरूप वह रुद्धिवाद का गढ़ बन गई, उन शक्तियों का सदा विरोध करती रही जो समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और उनका साथ देती रही जो कुलीनतत्र (Aristocracy) को सदा बनाये रखना चाहते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति के विषय में लोकतंत्रीय लोग सदा आलोचना ही करेंगे।

सुधार के सुभाव— १८३२, १८६७ और १८८४ के महान् सुधार

* Laski : op. cit., page 114.

अधिनियमों के परिणामों के व्यक्त होने के समय से ही लार्डसभा को सुधारने के प्रश्न पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का ध्यान लगा रहा है। समय समय पर सुझाव रखे गये हैं जिनमें मुख्यतः दो वातों के सकेत मिलते हैं— (१) वशगत पीयरो को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, और (२) प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त ही ठीक है। सुधार का प्रथम प्रयत्न १८६६ में हुआ था जब लार्ड रसेल ने यह विवेयक रखा था कि 'आजीवन पीयर' वनाये जायें जिनकी सख्त्या २८ से अधिक न हो। वह विवेयक अस्वीकृत हो गया। लार्ड रोजवरी ने १८७४ में सुवरार का प्रयत्न किया और रोजवरी तथा सेलिसवरी ने भिलकर १८८८ में फिर सुधार का प्रयत्न किया किन्तु उनका कुछ भी फल नहीं निकला। इसके बाद एस्क्रिय सरकार ने प्रयत्न किया जिसके परिणामस्वरूप १८११ का संसद अधिनियम बना। इसमें केवल उसी समय की समस्याओं को सुलझाया गया तथा यह मूल सुधारों की ओर एक कदम के रूप में घोषित किया गया। इसकी प्रस्तावना में यह लिखा था, "उद्देश्य तो यह है कि वर्तमान लार्डसभा के स्थान पर एक ऐसा द्वितीय सदन बनाया जाये जो वशगत न होकर लोकप्रिय हो, किन्तु यह परिवर्तन एकदम नहीं किया जा सकता ..."। प्रस्तावना को इस मंशा को पूरी करने के लिये, १८१७ में एक समिति लार्ड ब्राइट्स के सभापतित्व में सुधारों का सुझाव देने के लिये बनाई गई। समिति ने खूब विचार करने के पश्चात् १८१८ में अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति ने पुरानी सभा और सुधार के पश्चात् की लार्डसभा में शृङ्खला बनाये रखने, वडे राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देने तथा सब नागरिकों के लिये उसमें आने का रास्ता सुगम बनाने के उद्देश्यों से, निम्न उपाय सुझाये : (१) उसकी सदस्य सख्त्या घटाकर ३२७ कर दी जाये; (२) सब पीयरों में से ८१ सदस्य चुने जायें जिन्हे दोनों सभाओं की स्थायी सयुक्त समिति चुने, (३) शेष २४६ सदस्यों को लोकसभा १३ वर्गों में विभाजित होकर चुने, प्रत्येक वर्ग को अपने प्रतिनिधि समुचित सख्त्या में चुनने का अधिकार हो। सब सदस्य १२ वर्ष के लिये चुने जायें, दोनों मुख्य वर्गों (८१ पीयर और २४६ सदस्य जो १३ निर्वाचन-मंडलों द्वारा चुने जायेंगे) के एक तिहाई सदस्य प्रति चार वर्ष में निवृत्त हो जायें। कोई भी एक लोकसभा २४६ में से एक तिहाई से अधिक सदस्यों को न चुने। इस प्रकार समस्त योजना पर शनै शनै अमल होना था। किन्तु ऐसा कभी किया ही न जा सका। १८२२ में श्री लायट जार्ज ने लार्डसभा में बहुत से प्रस्ताव पेश किये जिनमें ब्राइट्स समिति की रिपोर्ट को कुछ सिक्कारिशे भी शामिल थीं, किन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। १८२६ में लार्ड केब ने लार्डसभा के सुधार के लिये एक और योजना पेश की जिससे कि उसे लोकसभा की हुल्ला में शाक्तिशाली बनाया जा सके। उसका सब और से घोर विरोध हुआ। उसी वर्ष लार्ड क्लेरेनडन ने एक और योजना पेश की किन्तु उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। दिसम्बर १८३३ में लार्ड सेलिसवरी ने एक

विवेयक (B.II) पेश किया जिसमें ये उपचाह थे कि लार्डसभा के सदस्यों की सख्त्या को घटा कर ३८६ कर दिया जाये, जिसमें १५० वंशगत पीयर हों; १५० पीयरों के अतिरिक्त चुने हुए सदस्य हों; और शेष राजपरिवार के पीयर, विधि-लार्ड तथा कुछ धार्भिक अधिकारी भी हों। इससे लार्डसभा को काफी शक्तियां देने का प्रस्ताव भी था कि यदि समस्त लार्डसभा के पूर्ण वहुमत से किसी योजना को तीन बार अस्वीकृत कर दिया जाये, तो उस पर निर्णय करने का अधिकार नई लोकसभा को ही होना चाहिये। यह विवेयक पास नहीं हो सका।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इतने प्रयत्नों के बावजूद भी लार्डसभा का अभी तक सुधार नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण यही है कि अलग अलग दलों में आपस में कभी पूरा समझौता नहीं हो सका कि उसका सुधार किन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाये। लगभग सभी अंग्रेज मानते हैं कि लार्डसभा में सुधार होना चाहिये, किन्तु ज्योंही यह प्रश्न सामने आता है कि क्या सुधार किये जाये, मतभेद प्रकट हो जाते हैं। रुढ़िवादी चाहते हैं कि १६११ के अधिनियम द्वारा उससे जो शक्ति छीन ली गई थी, वह उसे वापस भिल जाये, क्योंकि लार्डसभा ही ऐसा सफल शस्त्र है जिससे वे समाजवादी सरकार का सामना कर सकते हैं। रुढ़िवादी दल समाजवाद को वहुत भयानक चीज समझता है और इसलिये वह चाहता है कि एक शक्तिशाली द्वितीय सभा हो जो समाजवादी विवेयकों को पारित होने से रोक सके। अमदल उसे विलकूल समाप्त ही कर देना चाहता है। वह समझता है कि लार्डसभा प्रतिक्रियावादी सदन है, वह 'सम्पत्ति का गढ़' है, अतः वह अमदल के मार्ग में एक महान रोड़ा है। १६३४ में अमदल के सम्मेलन ने लार्डसभा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। एक सदस्य ने अपने भाषण में कहा था, लार्डसभा का सुधार या संशोधन नहीं हो सकता, उसका तो अन्त ही हो सकता है और वही होना भी चाहिये। उदार दल का, जो अब छोटा रह गया है, यह उद्देश्य है कि (१) लार्डसभा की सदस्यता में सुधार किया जाये जिससे कि वह वंशगत न रहे; और (२) संसद अधिनियम द्वारा उस पर जो निवर्धन (Restrictions) लगाये गये हैं वे जारी रहें। अतः लार्डसभा अब तक इसीलिये बनी हुई है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ अभी तक सहमत नहीं हो सके कि उसके स्थान पर क्या हो। किन्तु जब भी अमदल यह अनुभव करेगा कि देश में उसकी स्थिति मजबूत है, वह देश से यह मांग कर सकता है कि सभा को समाप्त किया जाये तथा लोकसभा की प्रक्रिया में सुधार किया जाये। हम यहां इस बाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि लार्डसभा को समाप्त करना ठीक होगा या नहीं। हमें केवल यही ध्यान रखना चाहिये कि लार्डसभा की ब्रिटिश इतिहास में ऐसी जड़ जमी हुई है तथा उनके स्वभाव में वह ऐसी समा गई है कि उसे समाप्त

करना आसान बात नहीं होगी। 'सीनेट' के रूप में उसके कार्य, सिफारी लो के अनुसार, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं; यदि उसे समाप्त किया जायेगा तो उसके स्थान पर कुछ और बनाना पड़ेगा। ब्रिटिश परम्परा के अनुसार यह अधिक ठीक होगा कि उसमे सुधार कर दिया जाये जिससे वह अत्यन्त चशागत तथा रुद्धिवादी न रहे।

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यद्यपि श्रमदल गत चालीस पचास वर्ष से लार्डसभा के सुधार का आन्दोलन करना रहा था, फिर भी जब उसने १९४६ का संसद् अधिनियम पारित किया तब उसने उच्च सभा की रचना मे कोई परिवर्तन नहीं किया, जबकि उसमे ऐसा करने की शक्ति मौजूद थी। श्रमदल का विचार अब बदल गया प्रतीत होता है, वह अब लार्डसभा को समाप्त नहीं करना चाहता। लार्डसभा ने उसके विधायी मामलों मे अधिक वाधा भी नहीं ढाली, अतः श्रमदल ने निश्चय किया कि इस विषय में कोई बड़ा वाद-विवाद खड़ा करना जिचित नहीं है।

अध्याय ८

संसद् और सरकार

विषय-प्रवेश—पिछले कुछ अध्यायों में हमने ब्रिटिश संविधान के दो महत्वपूर्ण अंगों—कार्यपालिका (Executive) तथा विधान-मंडल (Legislature)—की रचना तथा कार्यों का विवरण दिया है, और उनके बीच के संबन्ध का भी थोड़ा सा हाल बना दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है अतः अब हम इस पर अधिक विस्तार से विचार करना चाहते हैं, चाहे इससे कुछ पुनरावृत्ति ही हो जाये।

संसद् की सैद्धान्तिक प्रभुता—ब्रिटिश संविधान मे विधान-मंडल तथा कार्यपालिका की स्थिति समान नहीं है कैसी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है। ब्रिटेन मे विधान-मंडल की स्थिति निश्चित रूप से उच्चतर है। संसद् की सर्वोच्च प्रभुता (Supremacy) ब्रिटिश सांविधानिक व्यवस्था का मूलभूत तथा आधारभूत सिद्धान्त है। सर एडवर्ड कोक के अनुसार इसका यह मतलब है कि संसद् की शक्ति और देशाधिकार को किसी व्यक्ति या उद्देश्य के लिये सीमा में नहीं रखा जा सकता। संसद् का प्राधिकार (authority) ब्रिटिश साम्राज्य में सब व्यक्तियों पर, सब स्थानों पर तथा सब घटनाओं पर है। किन्तु श्री एडवर्ड के उक्त कथन के पश्चात् वेस्टमिनिस्ट का कानून (स्टेट्यूट) बना था जिसमे यह उपबन्ध

था कि संसद् का कोई भी अधिनियम किसी अधिराज्य (Dominion) पर लाग नहीं होगा जब तक कि उसमें यह स्पष्ट उल्लेख न हो कि वह अधिराज्य उसके लिये सहमत हो गया है। उक्त कानून के पारित होने से पहले भी संसद् का सर्वोच्चाधीनता पूर्ण प्राधिकार नाम में ही था, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। हमें यहाँ इस सिद्धान्त के निर्वचन से कोई मतलब नहीं है; हमें तो उसका दूसरा आशाधीनता समझना है कि संसद् प्रेट ब्रिटेन में शासन का सर्वोच्च अंग है। सिद्धान्त के अनुसार संसद् को सम्पूर्ण प्रमुखता की शक्तियां प्राप्त हैं।^{५४} सर्वोच्च निकाय के रूप में उसे समस्त विधि-कार्य और करारोगण (Taxation) तथा खर्च पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का अधिकार है, और वह अपने सेवक तथा साधन केविनेट द्वारा समस्त प्रशासन पर नियन्त्रण रखती है। संसद् इसलिये सर्वोच्च सत्ता है कि सरकार को अपने सब कामों का हिसाब उसे ही देना पड़ता है; क्योंकि वह धन देने से इनकार करके केविनेट को त्यागपत्र देने के लिये वाध्य कर सकती है। केविनेट प्रणाली ये संसदीय शासन-प्रणाली में सदा ही कार्यरात्रिका पर संसद् को सर्वोच्चता होती है। ह्युक ऑफ डेवनशायर ने संसद् की सर्वोच्चता के इस सिद्धान्त को निम्न शब्दों में समझाया है, “संसद् हमारे मंत्रिमंडलों को बनाती और विगाड़ती है, वह उनवें कामों का पुनर्निरीक्षण करती है। मंत्री युद्ध या शांति की घोपणा कर सकते हैं, किंतु उन्हें ऐसा करते समय यह जोखम रहता है कि उन्हें उनके पद पर से तत्काल हटाया जा सकता है, और आंतरिक प्रशासन के मामलों में भी संसद् की शक्ति इतनी ही स्पष्ट है। यदि कोई मन्त्रिमण्डल अत्यधिक अपव्ययी या मितव्ययी हो तो संसद् उसे हटा सकता है।”

चयवहार में संसद् का प्राधिकार : संसद् को सर्वोच्च सत्ता सिद्धान्त में इस प्रकार की है। किन्तु सच्चाई यह नहीं है। वास्तव में व्यवहार में संसद् कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं थी, अब तो वह सर्वशक्तिमान है ही नहीं उसकी शक्तिमत्ता के समय में भी उसकी सत्ता सम्पूर्ण नहीं थी; उसे यथेष्ट कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। उसके हाथ उसके बाहर की शक्तियों से विद्युत हुए थे एक समय था जब कि उसकी शक्ति शामकराजा की सत्ता के कारण सीमित थी और इस समय वह केविनेट के अधीन हो गई है। केविनेट ने ऐसी बहुत सी शक्तियों को हथिया लिया है जो नाममात्र के लिये संसद् के हाथ में हैं। संसद् अपने ही पूर्व निश्चयों तथा परम्पराओं से भी वाध्य रहती रही है, और

* संसद् इस अर्थ में सम्पूर्ण प्रमुख सम्बन्ध है कि उसके यथेष्ट विधियां बनाने के अधिकार पर कोई वैधानिक सौमा नहीं है। कोई ऐसा सर्वोच्च संविधान नहीं है जिसके उपबंधों का पालन करना उसके लिये आवश्यक हो, और कोई ऐसी उच्चतम् शक्ति नहीं है जो उसके अधिनियमों को अमांविधानिक बता सके।

लोकमत का द्वाव सदा उसकी कार्यवाही को रोकता रहा है। उसने अपने सिर पर घुट प्रकार के विविध-रूप कार्य ले लिये हैं। इसी से उस पर एक सीमा तथा बन्धन लग गया है कि वह उन्हें कुशलता से करने में असमर्थ है। संसद् की पूर्ण प्रस्तुता तो अब केवल कुछ पाठ्य पुस्तकों में ही रह गई है जो कई वर्षों पूर्व लिखी गई थीं। पिछले अध्याय में बताया गया है कि संसद् किस प्रकार विधियों बनाती है तथा राष्ट्रीय धन पर नियन्त्रण रखती है, उसी से पाठकों को काफी पता लगा होगा कि इन दोनों चेत्रों में भी उसका कार्य कितना सीमित है, यद्यपि यह प्रायः कहा जाता है कि उन दोनों चेत्रों में उसकी सर्वोच्च सत्ता है। विधि-निर्माण में पहल करने की शक्ति तथा नेतृत्व पूर्णतया केविनेट के हाथ में चला गया है। केविनेट केवल यही निश्चय नहीं करती कि संसद् में क्या चीजें पेश की जायेंगी तथा किस क्रम से उन पर विचार होगा, वरन् वह उनके भासविदे भी तैयार करती है। केविनेट ही विधेयकों की संसद् में व्यापार करती है, सफाई पेश करती है तथा उन्हें पारित करवाती है। गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के लिये संसद् में पारत होकर कानून बन जाने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक कि सरकार उसका समर्थन न करदे। अतएव यह कथन ठीक ही है कि संसद् विधियों को आरम्भ नहीं करती, अथवा उनका निर्माण भी नहीं करती, उसका काम तो केवल यही है कि केविनेट जो कुछ सुभाव रखे उसका अनुमोदन कर दे (हाँ, वह ऐसे परिवर्तन भी कर सकती है जिन्हें केविनेट स्वीकार कर ले)। यह भी दिलचस्पी की बात है कि अच्छे या बुरे कानूनों का श्रेय या घड़नामी भी केविनेट को ही भिलाना है, संसद् को नहीं। जनता को दृष्टि में भी विधि-निर्माण का उत्तरदायित्व केविनेट का है, संसद् का नहीं। वित्त के चेत्र में सरकार का नियन्त्रण और भी अधिक होता है; केविनेट की ओर से जो वित्तीय प्रस्थापनाएं पेश होती हैं उनमें केविनेट की इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन करने से सरकार कीं पराजय हो जाती है जो प्रायः असंभव बात होती है। धन देने से इनकार करके मंत्रिमंडल को हटाने की लोकसभा की शक्ति भी सविधान में नाममात्र के लिये ही रह गई है।

संसद् ने केवल विधि-निर्माण तथा वित्त के विषय में ही नहीं, वरन् सब प्रकार से अपनी शक्ति केविनेट को सौंप दी है। वह राष्ट्र की ओर से शासन पर समुचित नियन्त्रण रखने में असमर्थ है। स्मरण रहे कि संसद् का काम यह नहीं है कि वह देश पर शासन करे तथा प्रशासन के लिये प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ले, यह तो केविनेट के ही कार्य हैं। संसद् यह निर्णय नहीं करती कि विभिन्न विभागों का संगठन कैसे होगा और उनके कर्मचारी कितने होंगे, और संसद् नियुक्तियों पर या पदों के हटाने पर नियन्त्रण नहीं रखती। किन्तु उससे आशा की जाती है कि वह प्रशासन के कार्य का परीक्षण करे और यह देख ले कि प्रशासनकार्य कुशलता से

तथा मितव्ययता से चल रहा है, और संसद द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से विभागों द्वारा निकाले गये आदेश तथा विनियम उपयुक्त और वैध हैं। केविनेट के बढ़ते हुए 'आधिपत्य' (Dictatorship) के कारण, नौकरशाही के बढ़ने से, और कई अन्य कारणों से, जिनमें हिसाब किताब रखने की प्रणाली तथा प्राक्कलनों के पेश होने की और उन पर लोकसभा में वाद-विवाद की प्रणालियां भी शामिल हैं, संसद के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण काम में वाधा पड़ती है। प्रशासन पर उनका नियन्त्रण अत्यन्त प्रभावहीन है। मन्त्रियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को ठीक रखने के लिये इस समय संसद के पास निम्न उपाय हैं: प्रश्न, सरकारी सङ्कल्पों (Resolutions) पर वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श, कामरोको-प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। दुर्भाग्य से इन उपायों से इतनी छानबीन नशा आलोचना नहीं होती जो प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये जरूरी है। केविनेट लोकसभा की शक्ति को हड्डप कर शक्तिशाली बना है।

एक और तरीके से यह सिद्ध किया जा सकता है कि समृद्धि की शक्ति वर्तमान परिस्थितियों में पूर्ण नहीं हो सकती, तथा उसकी सर्वोच्चता वास्तविक नहीं है, केवल सैद्धान्तिक है। जैसा कि अध्याय ६ में बताया गया है, वास्तव में लोकसभा ही संसद है, अतः संसद की शक्ति और अधिकार लोकसभा से अधिक नहीं हो सकते। लोकसभा जिस प्रकार अपना काम चलाती है उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि जब भी उसमें किसी सरकार का बहुमत होना है, लोकसभा की शक्ति सरकार की शक्ति होती है। सरकार की शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती अतः लोकसभा की शक्ति भी उतनी ही सीमित होगी। सरकार और लोकसभा दोनों की शक्ति और कार्यवाही को सीमित करने तथा उन पर प्रतिवंध लगाने के लिये जनमत सदा मौजूद रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज संसद की घटती हुई तथा सीमित शक्ति और महत्ता की चर्चा करना अधिक सत्य है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता तथा प्रभुता और शक्ति का उल्लेख करना शलत होगा। १६८८ की क्रांति के पश्चात् यह प्रधान परिवर्तन हुआ था कि 'राज्य का केन्द्र तथा शक्ति क्राउन के स्थान पर लोकसभा बन गई थी'। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि १८३२ के पश्चात् ब्रिटिश संविधान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि 'यह केन्द्र नशा शक्ति संसद के स्थान पर केविनेट बनती जा रही है और केविनेट सीधे निर्वाचकों के नियन्त्रण के अधीन होती है, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियन्त्रण के अधीन नहीं होती'।⁴⁸ केविनेट का बढ़ता हुआ अधिपत्य शायद गत अर्धशताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना है। उसके बहुत से परिणाम हुए हैं जिन में से अधिक महत्वपूर्ण परिणामों का वर्णन नीचे किया जायेगा।

* Sidney Low : op. cit., page 53.

संसद् पर केविनेट के आधिपत्य से लाभ तथा हानियाँ— पहली बात तो यह है कि विधि-कार्य में इसके कारण संसद् को अखण्ड नेतृत्व प्राप्त हो गया है, जिसकी तुलना यूरोप तथा अमरीकी राज्यों के विभाजित तथा अस्थिर नेतृत्व से की जा सकती है। संसद् का विधान-कार्यक्रम प्रत्येक सत्र में केविनेट बनाती है और वहुमत की सहायता से पारित करवाती है। यूरोप तथा अमरीका के समान उसे रोका नहीं जा सकता तथा उसमें परिवर्तन करके उसे विगाड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस से ब्रिटेन के वित्तीय कार्यक्रम में सुसङ्गठितता तथा एकता आ गई है। इस विषय पर पहले ही कानूनी बताया जा चुका है। तीसरी बात यह है कि इसी के कारण ब्रिटेन में भन्निमण्डल काफी स्थिर होते हैं जिसकी तुलना भी फ्रांस की शीघ्र बदलने वाली सरकारों से की जा सकती है। निस्सन्देह ब्रिटेन में केविनेट प्रणाली जिस प्रकार चल रही है उससे उस देश को बहुत लाभ है। किन्तु उसके साथ ही साथ कई हानियाँ भी हैं। पहली हानि तो यह है कि इससे विधायी तथा अन्य कार्यों में संसद् की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान में कमी हो गई है। केविनेट की सता ज्यों ज्यों बढ़ी है उतनी ही संसद् की घटी है। दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों के अतिरिक्त जो आगे बैठते हैं अन्य साधारण सदस्य, जो पीछे बैठते हैं, संसद् की कार्यवाही में वैसी दिलचस्पी नहीं लेते जैसी वे पहले लेते थे; उनको दिलचस्पी सभा के कार्य में दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। इसके कई कारण हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे समझने लगे हैं कि वाद-विवाद व्यर्थ है, उसका विचाराधीन विधेयक के रूप पर अथवा भाग्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। औसत सदस्य को यहो भावना है कि विधान-कार्य में उसका प्रभाव उतना ही है जितना बाहर के किसी व्यक्ति का। इस बात में फ्रांस के चेम्बर आफ डेपुटीज या अमरीका की प्रतिनिधि सभा के सदस्य का लोकसभा के सदस्य से कहीं अधिक प्रभाव होता है। फ्रांस तथा अमरीका का सदस्य अधिक स्वतंत्र होता है तथा अपने स्वतंत्र कार्य द्वारा वहस में या मतदान में पाँसा पलटने में सहायक हो सकता है। ब्रिटेन की लोकसभा में गैर-सरकारों सदस्य की कार्यस्वतंत्रता जिननी कम हो गई है वह आश्चर्यजनक है; वैसा उदाहरण तानाशाही बाले देशों के अतिरिक्त कहीं भी मिलना कठिन है। केविनेट के आधिपत्य का एक परिणाम यह है कि विधि-निर्माण में ले दे कर समझौता नहीं किया जाता, बरन् वहुमत दल के सचेतक (Whip) के बल पर सब निर्णय किये जाते हैं। चाहे विरोधी दलों के विचार कितने ही उम्र या दृढ़ क्यों न हो वे सरकार को उन्हे स्वीकार करने के लिये तनिक भी वाध्य नहीं कर सकते। चाहे श्रम दल कितना ही धोर विरोध करे, रुद्धिवादी सरकार फिर भी ऐसा नियम बना सकती है कि हड्डताले करना अवैध है, और चाहे रुद्धिवादी कितना ही विरोध क्यों न करें श्रम सरकार उद्योगों

का समाजीकरण कर सकती है। केवल वहुमत की शक्ति से विधि-निर्माण में कई दोप आ जाते हैं, और प्रेट ब्रिटेन में उनका कोई इलाज नहीं है तथा कोई रोक थाम नहीं है। केविनेट के बड़े हुए आधिकार्य पर एक ही रोक है, वह है जनमत।

इस महत्वपूर्ण राजनैतिक विकास का एक और परिणाम है जिसे हम न गुण ही कह सकते हैं और न अवगुण ही। वह यह है कि राजनैतिक प्रश्नों की मुख्य चर्चा संसद की बजाय पत्र-पत्रिकाओं में होती है। पत्र-पत्रिकाओं में केविनेट की नीतियों और कार्यों की कटु आलोचना होती है तो उसका केविनेट पर जितना जल्दी प्रभाव पड़ता है उतना लोकसभा में विरोधी दल के सदस्यों की वक्तव्याओं का नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में संसद के नियन्त्रण का स्थान अब जनमत ने ले लिया है। इससे यह भी भावना उत्पन्न हो गई है कि नीति के मुख्य निर्णय करने से पहले राष्ट्र को अवसर मिलना चाहिये कि वह साधारण निर्वाचन में अपने मत को प्रकट कर सके।

इस परिवर्तन के कारण — लोकसभा के स्थान पर राज्य का केन्द्र और शक्ति केविनेट वन जाने का प्रधान कारण यह है कि दृज का अनुशासन अधिक पूर्ण तथा कठोर हो गया है जो सुधार अधिनियमों के फलस्वरूप मताधिकार विस्तृत हो जाने से आवश्यक हुआ है। ब्रिटेन में राजनैतिक दल तो गत शताब्दी के आरंभ में भी थे और उससे पहले भी थे किन्तु उनका कोई पूर्ण और सुगठित सगठन नहीं था। उम्मीदवार अपने गुणों के आधार पर ही खड़े होते थे, अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाते थे, अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते थे तथा अपना खर्च आप करते थे। वे इस बात के लिये बचन-बद्ध नहीं होते थे कि सब परिस्थितियों में एक सरकार का ही समर्थन करेंगे तथा दूसरी की आलोचना ही करेंगे। लोकसभा में काफी भद्रस्य स्वतंत्र रूप से मत देते थे और कभी इधर तो कभी उधर भी मत दे देते थे। उन दिनों सरकारों का अधिकार बहुत नहीं होता था अतः बहुत कुछ वाद-विवाद पर निर्भर होता था और सरकार को लोकसभा का निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। किन्तु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। विभिन्न राजनैतिक दल ही उम्मीदवारों को चुनते हैं, वे ही मतदाताओं के सामने अपने सिद्धान्तों तथा कार्य-क्रम को पेश करते हैं, और मतदाता भी उम्मीदवारों के नाम पर मत नहीं देते बरन् उन दलों के नाम पर मत देते हैं जिनका समर्थन वे उम्मीदवार हर हालत में करेंगे। दल का अनुशासन इतना कठोर वन गया है कि कोई सदस्य अपने दल के विस्त्र मत नहीं दे सकता चाहे वह किसी प्रश्न पर किन्तु भी मतभेद क्यों न रखता हो। उसे सचेतक (Whip) के निदेश अनुसार मत देना होना है अथवा उस दल से त्यागवत्र देना होना है जिसका अर्थ है कि वह

या तो राजनैतिक जीवन से संन्यास लेले या किसी अन्य दल में जा मिने। अन्य आजकल सद्व्य स्वतन्त्र रूप से या समय समय पर भिन्न भिन्न दलों को मत नहीं देते जैसा कि राजनैतिक दलों के सुसंगठित होने से पहले होता था। सरकार अपने बहुमत के भरोसे संसद् की वात को उकरा देती है। इसका परिणाम यह है कि एक दल के बहुमत पर निर्भर केविनेट को सभा से ढरने की ज़रूरत नहीं है, वह मंत्रिमंडल सुरक्षित है।

लोकसभा पर केविनेट के नियंत्रण का दूसरा मुख्य कारण यह है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मामले पर दोनों में मतभेद हो जाये, तभी केविनेट लोकसभा का विघटन करके देश से अपील कर सकती है। सरकार सदा अपने दल के हठी सदस्यों से कह सकती है, “या तो हमारे विचारों को स्वीकार करो या विघटन के लिये तेवर हो जाओ”। फ्रांस में केविनेट की तानाशाही नहीं है क्योंकि वहाँ के केविनेट को इतनी शक्ति नहीं है कि वह चेम्बर ऑफ डेपुटीज के जीवन-मरण का निर्णय कर सके और वहाँ दल का अनुशासन इतना कठोर नहीं है। जब तक केविनेट के पास यह विघटन का शक्ति है तब तक संसदीय नियंत्रण बेकार रहेगा।

केविनेट के आधिपत्य के एक और कारण का भी निर्देश किया जा सकता है। केविनेट ने प्रशासन की छोटी से छोटी वात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है, और प्रशासन या वित्त-नीति की प्रत्येक आलोचना को वह विश्वास का प्रश्न बना लेती है और अपने दल की पूरी शक्ति से उसका विरोध करती है। इससे स्वतंत्र रूप से कोई चर्चा नहीं हो सकती। सभा प्रशासन पर उचित नियंत्रण नहीं रख सकती। आखिर यह भी वात है कि लोकसभा को जो काम करना पड़ता है वह भी बहुत भारी है; सभा के पास अपने औपचारिक कर्तव्य, विविध प्रकार के काम ही बहुत हैं। प्रायः काम इकट्ठा हो जाता है और सभा को कई वातें मन्त्रियों पर छोड़नी पड़ जाती हैं।

केविनेट का लोकसभा पर जो विनृत नियंत्रण है वह अवांछित तथा हानिकर है। इससे थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में अस्विध शक्ति आ जाती है और वहुमत का स्वेच्छाचार (Despotism) स्थापित हो जाता है। सभा सरकार पर वह नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाती है जो प्रशासन को कुशलता तथा सफलता के ही लिये आवश्यक नहीं है वरन् देश में सज्जी स्वतंत्रता और लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिये भी आवश्यक है। यह कथन सत्य से दूर नहीं है कि ब्रेट ब्रिटेन में केविनेट की तानाशाही है जिसे केवल जरा प्रचार का भय है तथा जिस पर जरा जनमत का दबाव है।

विरोधी दल का कार्य— ब्रिटिश संसद् के उपरोक्त वर्णन को पूर्ण बनाने

के लिये यह वताना भी आवश्यक है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विरोधी दल का क्या स्थान है। केविनेट के या संसदीय शासन-व्यवस्था के समुचित रूप से कार्य करने के लिये 'विरोधी दल' आवश्यक है। विरोधी दल जितना शक्तिशाली होता है उतनी ही शासन पर रोकथाम रहती है और प्रशासन उतनी ही कुशलना से चलता है। ऊपर वताना जा चुका है कि संसद का एक प्रधान कार्य यह भी है कि वह पूछताछ तथा आलोचना करती रहे, जिससे कि मंत्रियों की योग्यता का पता लगता रहे और वे तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी ठीक कार्य करते रहे। यह कार्य मुख्यतः विरोधी दल करता है। विरोधी दल इस काम को जितनी अच्छी तरह से पूरा कर पाता है, उतनी ही अच्छी तरह उस देश में लोकतन्त्र सफल रहता है। संसदीय प्रणाली के शासन के सफल कार्य करने के लिये सरकार बनाने वाला वहुमत दल जितना आवश्यक है उतना ही विरोधी दल भी है। फासिज्म तथा नात्सीवाद को और साम्यवाद को भी लोकतन्त्र इसीलिये नहीं समझा जाता कि उनमें विरोधी दल नहीं होता ।^{३४} ब्रिटिश संविधान के सिद्धान्त तथा व्यवस्था में यह सुन्दर परम्परा है कि अल्पसंख्यक वह सत्य स्वीकार करते हैं कि वहुसंख्यकों को शासन करने का अधिकार है और वहुसंख्यक स्वीकार करते हैं कि अल्पसंख्यकों को आलोचना करने का अधिकार है। यह वात मनोरंजक है कि संसद में अल्पमतों को सरकार का शत्रु नहीं समझा जाता वरन् उन्हें राजा महोदय का निष्ठावान् विरोधी दल माना जाता है। निष्ठावान् (Loyal) शब्द से पता लगता है कि विरोधी दल को ब्रिटिश पद्धति का अभिन्न अङ्ग माना जाता है।

अब क्योंकि विरोधी दल का ब्रिटिश पद्धति में एक महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य स्थान है, अतः उसके कर्मों को स्पष्टतः समझना भी आवश्यक है। कभी कभी यह कहा जाता है कि उसका काम सरकार का विरोध करना तथा उसे हटा देना है। इसका प्रायः यही आशय समझा जाता है कि उसे सब संभव अवसरों पर सरकार का विरोध करना चाहिये, यथाशक्ति उसके कान में वाधा ढालनी चाहिये जिससे कि वह वडनाम हो जाये और हट जाये। यह गलत और हानिकारक सिद्धान्त है। इसका असली काम सरकार के काम में वाधा ढालना नहीं है वरन् उसे वाध्य करना है कि वह अपनी नीति का स्पष्ट निर्माण करे, और उनके परिणामों की ठीक ठीक व्याख्या करे, और उसे ऐसा अवसर देना है कि वह विरोधी आलोचना के उत्तर में अपनी

^{३४} जेनिरल अपने 'ब्रिटिश संविधान' के पृष्ठ द२ पर लिखते हैं : 'इम स्वतन्त्र इसलिये हैं कि इम स्वतन्त्र रूप से आलोचना कर सकते हैं और यदि इमारी आलोचना का प्रभाव पड़ जाये तो सरकार को हटाने के लिये वाध्य कर सकते हैं यदि यह पता लगाना हो कि कोई लोग स्वतन्त्र हैं या नहीं तो केवल यही पूछिये कि क्या वहां कोई विरोधी दल है और है तो कहाँ है।'

सफाई पेश करे और युक्तिपूर्वक सब वातों को समझाये। दूसरे शब्दों में, विरोधी दल से ऐसी आलोचना करने की आशा की जाती है जिससे सरकार सचेत रहे तथा उसका परीक्षण हो जाये। यह प्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जबकि सरकार सब आलोचनाओं का उत्तर युक्तियों से दे, शक्ति-प्रदर्शन तथा गुप्त पुलिस से नहीं। विरोधी दल का सच्चा काम तब समझ में आता है जब उसे वैकल्पिक (Alternative) सरकार समझा जाये। जब किसी कारण से वहुसंख्यक दल पद स्वीकार न कर सके, तब विरोधी दल को सरकार बनाने का काम सौंपा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की छिद्द दल पद्धति में तो ऐसा तभी होता है जब निर्वाचकगण पिछली सरकार में विश्वास प्रकट न करें। ऐसा बहुत कम होता है कि विरोधी दल इतना सबल हो जाये कि वह सरकार को लोकसभा के प्रांगण में ही हंरा स़के। अतः उसके सब प्रयत्नों का उद्देश्य मतदाताओं के विचारों में परिवर्तन करना ही रहता है। अगले निर्वाचनों में थोड़े से मतों के हेरफेर से ही विरोधी दल को शक्ति मिल सकती है। वह सरकार को प्रायः उस समय तक हटाने की आशा नहीं कर सकता जब तक कि उसका घड़मत है। सरकार भी यही प्रयत्न करती है कि ढांचाडोल मतदाताओं को अपने साथ ले ले। अतः अल्पसंख्यक दल तथा वहुसंख्यक दल के मध्य संघर्ष संसद में नहीं होता वरन् देशव्यापी अल्पसंख्यक दल के अस्तित्व के कारण वहुसंख्यक दल को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है कि जनमत उसके विरुद्ध न हो जाये। विरोधी दल की अनुपस्थिति में ऐसी अच्छी रोक थाम नहीं रहेगी और लोकतन्त्र जोखम में पड़ जायेगा। अतः ग्रेट ब्रिटेन में विरोधी दल को व्यर्थ की आफत समझ कर सहन नहीं किया जाता है, वरन् वह संविधान का सुनिश्चित तथा आवश्यक अङ्ग है। इसी कारण उसे “राजा महोदय का विरोधी दल” कहते हैं और विरोधी दल के नेता को २००० पाउंड का वेतन मिलता है, जो सार्वजनिक कोष में से दिया जाता है, जिससे कि ‘वह अपनी आजीविका कमाने के भंगट में न पड़कर अपने सार्वजनिक कार्य को कर सके।’^{४३}

अध्याय ६

राजनैतिक दल तथा दलीय व्यवस्था

विषय प्रवेश — यद्यपि सांविधानिक विधि में राजनैतिक दलों को शासन से पृथक तथा स्वतंत्र अंग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी ग्रेट ब्रिटेन में शासन व्यवस्था के काम से उनका ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि उन पर विचार करना

* Jennings : *The British Constitution*, 3rd Edition, Page 81.

अत्यावश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि गत सत्र अंसी वर्षों में दलों के अनुशासन के ही कारण लोकसभा पर केविनेट का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। दलों के अनुशासन के कारण ही संसद और सरकार के सम्बन्ध में तथा जनता और संसद के सम्बन्ध में ऐसा भारी परिवर्तन हो गया है, अतः उस पर ध्यान से विचार करना आवश्यक है।

दलीय प्रणाली का प्रभाव — एक लेखक ने एक बार लिखा था कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पूर्ण दलीय शासन है। उसने शायद इस विशेषण 'पूर्ण' का प्रयोग ओट ब्रिटेन तथा अन्य देशों की दलीय व्यवस्था में अन्तर को समझाने के लिये किया था। ब्रिटेन में दल का शासन इतना कड़ा होता है जितना फ्रांस, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका तक में नहीं होता। ओट ब्रिटेन में शासन किस प्रकार का होगा वह भी दलीय व्यवस्था से ही निर्धारित होता है तथा कई सांविधानिक अभिसमय भी उसी पर निर्भर हैं। 'दल का नेता होने' के कारण ही प्रधान मन्त्री को इतनी शक्ति प्राप्त होती है; दल की समान सङ्स्थाता के कारण ही केविनेट में एकता तथा उद्देश्य की एकता होती है; लोकसभा में समर्थन करने वाले सङ्गठित दल के कारण ही केविनेट अपना काम चलाती है तथा (जब दल का बहुमत होता है) वह अपना पूर्ण आधिपत्य जमाये रखती है, और इस तानाशाही पर एकमात्र यह भय नियन्त्रण रखता है कि किसी भयानक भूल के कारण कहीं दल कमज़ोर होकर अगले निर्वाचनों में गिरन जाये। यदि ब्रिटेन में दो के स्थान पर तीन या अधिक दल हों और उनके कारण मिश्रित सरकारें बनानी पड़ें तो ब्रिटेन की सारी शासन-व्यवस्था की रूपरेखा ही बदल जायेगी। इस समय ऐसी स्थिति है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह अपने ही समर्थकों की सरकार बनाता है तथा अन्य दलों के सदस्यों को जरा भी शामिल नहीं करता। अल्पसंख्यक दल (या दलों) का सदा यही काम रहता है कि वह लोकसभा में तथा समस्त देश में इस आशा से संघर्ष करता रहे कि कभी वह बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना सकेगा। दलों के संवर्प का ही प्रभाव देश के समस्त राजनैतिक जीवन पर दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक दल अपने सम्पूर्ण साधनों से विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं का संगठन करता है और उनकी सहानुभूति तथा समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मंचों, पत्र-पत्रिकाओं, जलसों आदि का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। ओट ब्रिटेन में ही ये बांने सदा चलती रहती हैं, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड आदि देशों में वे सदा नज़र नहीं आतीं।

१८३२ से पूर्व राजनैतिक दल — राजनैतिक दल कोई नई वस्तु नहीं हैं,

* Ramsay Muir : *How Britain is Governed*, page 116.

वे तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। जिन व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता है तथा एक ही विचारधारा होती है, वे अपने समान उद्देश्य को पूरा करने के लिये स्वभावतः मिल कर एक हो जाते हैं। अतः राजनैतिक दल सब देशों में और सदा ही होते थे— प्राचीन रोम में पेट्रीशियन तथा प्लेबियन दल थे, मध्यकालीन जर्मन में ग्यूल्फ तथा धिवेलाइन दल थे। इन्हिस्तान में वे लेनकेस्ट्रियन तथा यारकिस्टों के नाम से मध्यकाल में वर्तमान थे, फिर स्ट्रॉट काल में वे केवेलियर तथा राउंडहैट कहलाये, तत्पश्चात् वे उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विहग तथा टोरी दल के नामों से प्रसिद्ध हुए और उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके नाम उदार तथा रुद्धिवादी पड़ गये। हमें उनके पूरे प्रारम्भिक इतिहास को नहीं लेना है वरन् उनके विषय में दो बातों की ओर ध्यान देना है। १८३२ के सुधार अधिनियम के पारित होने तक दलों की स्थिति आज से विलुप्त भिन्न थी। १८३२ से पहले उन दो प्रकार के 'वर्गों' में विरोध था जिनमें से एक तो क्राउन के परमाधिकार (Prerogative) का समर्थन करता था और दूसरा संसद के प्राधिकार और सत्ता को बनाये रखना चाहता था। वे दल आर्थिक आधार पर नहीं बने थे, उनकी नीतियां भिन्न भिन्न नहीं थीं, और वे उन्हे पूरा करने के लिये मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि १८६७ से पहले, वे आज के समान सुसङ्गठित नहीं थे, उनको कोई केन्द्रीय संस्था नहीं थी जो उम्मीदवारों को चुनती या उनकी सहायता करतो और उन पर संसद में नियन्त्रण रखती। उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर खड़े होते थे अपने लिये प्रचार करते थे, अपना खर्च स्वयं करते थे, और लोकसभा में किसी प्रश्न पर वाद-विवाद होता तो उन्हे स्वतंत्रता थी कि वे किसी भी और मिल सकते थे। अतः स्वतंत्र मतदान बहुत होता था और ऐसा भी बहुत होता था कि कोई सदस्य कभी इधर तो कभी उधर मत दे दे। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को अपने कार्य की स्वतंत्रता थी। किन्तु अब समस्त स्थिति बदल गई है। दल की संस्थाएँ ही उम्मीदवारों को छांट कर खड़ा करती हैं, उनके लिये प्रचार-कार्य करती हैं और मतदाताओं को मतदान-स्थान पर लाने का प्रबन्ध करती हैं। जो उम्मीदवार किसी दल के नाम पर खड़ा नहीं होता उसके सफल होने की बहुत कम सम्भावना होती है। निर्वाचन में सफलता के लिये दलीय संगठन पर इतने निर्भर होने के कारण ही, संसद में चुने जाने पर सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ता है और दल के अनुशासन को मानना पड़ता है, जो बहुत कठोर बन गया है। इस महान् परिवर्तन के कारणों पर विचार करना रुचिकर होगा तथा महत्वपूर्ण भी है।

पूर्ण दलीय सगठनों के विकास तथा उनके अनुशासन की ओर चढ़ती हुई कठोरता के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि १८३२ तथा १८६७ के सुधार

अधिनियमों द्वारा मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरा कारण यह है कि १८६७ के सुधार अधिनियम द्वारा जब लगभग १० लाख शहरी अमिकों को मताधिकार मिला, ठीक उसी समय दो महान् व्यक्ति, ग्लैड्सटन तथा डिजरायली राजनैतिक क्षेत्र में आये और वे सम्पूर्ण राजनीति पर छा गये।

यह आसानी से समझा जा सकता है कि निर्वाचकों के बढ़ने पर किस प्रकार दलीय संगठन अधिक सुसंगठित होता जाता है तथा निर्वाचित सदस्यों पर दल का अधिकाधिक नियंत्रण होता जाता है। मताधिकार के विस्तार होने के साथ साथ नए व्यक्तियों के नामों को निर्वाचन नामावली में लिखवाने का काम, उनमें प्रचार करके उन्हें मत देने के लिये बुलवाने का काम, निर्वाचन आनंदोलन तथा उसका व्यय अवश्य ही बढ़ जायेगा। व्यक्तिगत उम्मीदवार देखते हैं कि वे बाहरी सहायता के बिना सब कार्य नहीं कर सकते। एक दल की केन्द्रीय संस्था विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में अपने वैतनिक नौकरों द्वारा यह सब कार्य अधिक अच्छी तरह करवा सकती है। वह उनके लिये साहित्य देती है, वक्ताओं का प्रवन्ध करती है और उस प्रयोजन के लिये अधिक आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। वह दल की केन्द्रीय संस्था उनके लिये धन देती है तथा उम्मीदवारों की सहायता करती है अतः उम्मीदवारों को पसंद करने के विषय में भी उसका काफी हाथ होता है तथा वह सभा में भी उनके कामों पर अधिक नियंत्रण रख सकती है। इस प्रकार दल का संगठन अधिकाधिक सुसंगठित होता जाता है तथा उसका अनुशासन अधिक कठोर बनना जाता है। इस प्रवृत्ति का एक अच्छा उदाहरण हमें अपने देश में ही मिल सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुसंगठित केन्द्रीय तथा प्रांतीय संस्थाएं थीं और वह अपने सदस्यों को कठोर अनुशासन में रखती थीं (यद्यपि अभी हाल में उसका संगठन कुछ कमज़ोर पड़ गया है)। इंग्लैंड में यह संगठन बहुत धीरे धीरे स्थापित हुआ, जो अदृश्य सा था। इसका विस्तार से वर्णन करना जरूरी है।^{१३} इसके विकास में इस बात से सहायता मिली कि उपयुक्त समय पर दो महान् व्यक्ति ग्लैड्सटन तथा डिजरायली राजनैतिक-क्षेत्र में आये। मतदाताओं ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिये मत देने की बजाय उन उम्मीदवारों के लिये मत देना आसान समझा जिनसे आशा की जा सकती थी कि वे सब परिस्थितियों में किसी नेता विशेष का समर्थन करेंगे। हमारे देश में भी स्वतंत्रता मिलने से पहले करोड़ों मतदाताओं ने किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को देख कर मत नहीं दिये बरन् महात्मा गांधी तथा जवाहर लाल नेहरू के नाम पर उन्हें मत दिये। यह स्वाभाविक है कि निर्वाचनों के समय दल के नेता का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

*जो इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं वे Ramsay Muir के *How Britain is Governed* का अध्याय ४ पढ़ें।

ब्रिटिश राजनैतिक दल— ब्रेट ब्रिटेन में ही आधुनिक समय में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी, वही राजनैतिक दलों का प्राचीन सदन है। राजनैतिक दल का अर्थ आज है “ऐसे लोगों का वर्ग जो सार्वजनिक कल्याण के अपने विचारों को अमल में लाना चाहते हैं।” संसदीय प्रणाली के लिये यह आवश्यक है कि कम से कम दो मुख्य राजनैतिक दल हो, वहमत दल की सरकार बन जाती है तथा अल्पमत दल विरोधी दल का रूप ले लेता है। यदि किसी देश में केवल दो ही प्रधान राजनैतिक दल हो तो वह पद्धति द्विदल प्रणाली कहलाती है। इंग्लिस्तान में परम्परा से द्विदल पद्धति है, यद्यपि यूरोप के अनेक देशों में वहुदल प्रणाली प्रचलित है।

ब्रेट ब्रिटेन में श्रमदल के उत्थान से पहले, रूढिवादियों तथा उदार दल वालों में ही शक्ति के लिये संघर्ष होता था; रूढिवादी जरा सुधरे हुए रूप में ‘टोरी’ परम्परा को बनाये रखते थे तथा उदारदल वाले ‘चिहग’ परम्परा को सुधरे हुए रूप में निवाहते थे। कभी एक दल को शक्ति मिल जाती थी तो कभी दूसरे दल को। जब श्रम दल का उत्थान हुआ तथा उसे १६२२ में १४२ स्थान, १६२३ में १६१ स्थान, और १६२४ में १५१ स्थान मिल गये तो द्विदल पद्धति समाप्त हो गई। १६२३ में लोकसभा में तीन दल थे और किसी का पूर्ण वहुमत नहीं था। देश को एक नया अनुभव हुआ कि श्रम दल की सरकार बन गई यद्यपि उसका वहुमत नहीं था। वह तभी तक रह सकती थी जब तक कि उदार दल उसका समर्थन करने के लिये तैयार था। दूसरे शब्दों में द्विदल प्रणाली के समाप्त होने से अल्पमत सरकार बन गई थी। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि अगले सामान्य निर्वाचन में रूढिवादी दल को वहुमत प्राप्त हो गया और वह स्थिर सरकार बनाने में समर्थ हो गया। उसे जो अधिक स्थान मिले थे, उतने उदारों को कम मिले थे। १६२६ के निर्वाचनों में १६२२ की ही स्थिति फिर उत्तर हो गई; किसी दल को पूर्ण वहुमत नहीं मिला। फिर श्रम दल की सरकार बन गई और उदार दल के हाथ में शक्ति-संतुलन था। वह सरकार थोड़े ही समय तक रह सकी, १६३१ में उसके स्थान पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई। उसके पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के नाम से रूढिवादी ही शासन करते रहे। १६४५ के सामान्य निर्वाचन में पुरानी द्विदल पद्धति फिर उभर आई, श्रमदल की सरकार बन गई और रूढिवादियों का विरोधी दल बन गया। उदार दल बहुत छोटा सा रह गया और यह कहा जा सकता है कि उसके लिये फिर एक प्रधान दल की स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन काम होगा। अतएव, व्यवहार में, ब्रेट ब्रिटेन में दो ही राजनैतिक दल हैं जिनकी सरकार बन सकती है। १६५० के निर्वाचनों में ये दोनों दल लगभग वरावर शक्ति में रहे। उदार दल तथा रूढिवादी दोनों मिल कर श्रम दल से पांच

सात स्थान कम प्राप्त कर सके, अतः अमदल को ही सरकार बनी रही, तथा रुद्धिवादी विरोधी दल बन गया। उदार दल को इस बार भी नगरेय स्थान मिले, किन्तु उदार दल का ऐतिहासिक महत्व है। अतः ब्रिटेन के राजनैतिक दलों के इतिहास में उसका भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। अब हम तीनों दलों के मुख्य सिद्धान्तों का विवरण देंगे। यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश राजनैतिक दल उन विचारों पर आधारित हैं जो वहल सकते हैं; धर्म, जाति, भाषा या वंश आदि वातों पर नहीं, जो सामान्यतः वहलते नहीं। वे दल 'केथोलिक' हैं क्योंकि वे धर्म, आर्थिक स्थिति, अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी सदस्यता से नहीं रोकते।

रुद्धिवादी दल :— यह दल गत शताब्दी के प्रथम २५ वर्षों में तथा उनसे पूर्व 'टोरी' दल कहलाता था, अब वह रुद्धिवादी दल कहलाता है जो शब्द उसके गुणों का ठीक ठीक परिचायक है। इसका अर्थ यह है कि वह दल उन संस्थाओं, प्रथाओं तथा विचारधाराओं को बनाये रखना चाहता है जो बहुत समय से प्रचलित हैं तथा आदर पाती रही हैं। स्वभावतः इस दल को वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगता और वह उसका सदा विरोध करता रहा है। किन्तु परिवर्तन तो जीवन का नियम ही है और कोई भी वस्तु सियर नहीं रह सकती, अतः रुद्धिवाद का यह अर्थ है कि परिवर्तन शनैः शनैः तथा सावधानी से होना चाहिये, और केवल तभी होना चाहिए जबकि उसकी आवश्यकता पूर्णतः सिद्ध हो जाये। यह उन लोगों का दृष्टिकोण है जो परम्पराओं का बहुत सम्मान करते हैं और निहित स्थायों तथा विशेषाधिकारों को स्थापित व्यवस्था का अङ्ग मानकर स्वीकार करते हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति और किस प्रकार के सामाजिक वर्ग रुद्धिवादी दल का समर्थन करते होंगे, और इस दल के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। उद्देश्य के विषय में यह कहा जा सकता है कि रुद्धिवादी पूर्जीवाद के ढाँचे को बनाये रखना चाहते हैं। दूसरी वस्तु जिसे वे बनाये रखना चाहते हैं वह ब्रिटिश साम्राज्य है। वे जिन राजनैतिक संस्थाओं को बनाये रखना चाहते हैं उनमें मुख्य ये हैं : क्राउन के परमाधिकार (Prerogative), लार्डसभा की स्वतंत्रता, इक्कलिस्तान के गिरजे (Church) की विशेष स्थिति, शक्तिशाली शासक वर्ग, राष्ट्रीय एकता, गैर-सरकारी सम्पत्ति की राज्य के हस्तक्षेप से विमुक्ति, वडे जर्मांदारों तथा उद्योगपतियों के स्वार्थ। रुद्धिवादियों के हृदय में क्राउन तथा राजपरिवार का जो सम्मान है वह बहुत ज्यादा है। वे उन्हें राष्ट्रीय एकता तथा दूरस्थ साम्राज्य का प्रतीक समझते हैं। उदार दल ने आयर को स्वशासन दिया तब रुद्धिवादियों ने उसका बहुत विरोध किया था तथा भारत और उपनिवेशों (Colonies) में स्वायत्ता (Autonomy) की स्थापना का भी वे विरोध करते रहे थे। वे

राजनैतिक दल तथा दलीय व्यवस्था

अपनी विदेश नीति मे कठुर साम्राज्यवादी हैं तथा साम्राज्य के अन्तर्गत आ अधिभानों (Preference) तथा संयुक्त शासीकरण का वे प्रबल समर्थन करते उनका यह विश्वास तथा सिद्धान्त है कि प्रबल विटिरा साम्राज्य विश्व-श के लिये सर्वोत्तम प्रत्यापूर्ति (Guarantee) है। उनका यह पूर्ण विश्वास है एक शक्तिशाली तथा विशेषाधिकार-प्राप्त शासक वर्ग होना चाहिये क्योंकि उन्हें यह योग्यता तथा अधिकार प्राप्त है कि जनता की इच्छा से स्वतन्त्र होकर श कर सकें। यह भी एक कारण है कि रुद्धिवादी सदा यह कहते रहे हैं कि लार्ड को वे शक्तियां वापस दे दी जायें जो संसद अधिनियम द्वारा उससे छीन गई थीं।

उपर के विवरण से यह समझना आसान है कि रुद्धिवादी दल के सम तंथा भक्त धनी-मानी, पदवीप्राप्त और सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त लोगों मे ही मिलेंगे। उस सदस्यों मे वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि समाजवाद से उनके हितों को पहुँचेगी, जैसे र्द्दिस, जमीदार, उद्योगपति, धनी, साहूकार, आंगल-गिरजे के सद विश्वविद्यालयों के अधिकांश स्नातक (Graduates), समृद्धिशील व्यापारी व्यवसायी। किन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि उसमे सब पूँजीपति ही हैं, दू हैं ही नहीं। रुद्धिवादियों का पत्र-पत्रिकाओं पर यहुत नियंत्रण है अतः उनका जन पर जितना प्रभाव होता है उतना अन्य दलों का नहीं।

यद्यपि रुद्धिवादी दल ने स्थापित व्यवस्था का समर्थन किया था तथा उदार द्वारा समय समय पर किये गये सुधारों का प्रायः विरोध किया था, फिर भी ध्यान रहे कि कई बार उन्होंने सार्वजनिक मामलों में उदार दल से भी आर्द्धारता दिखाई थी और कुछ सुधार के विधेयक पारित किये थे। १८६७ के मध्य सुधार अधिनियम को तथा १८८८ में काउन्टी शासन की पुनर्चना करने वालोंकरण करने के विधेयकों को रुद्धिवादी दल ने ही पारित किया था। दू वात, यह दाद रखना चाहिये कि दल में समस्त सदस्य एक से ही नहीं हैं जैसा प्रायः सोचा जाता है; रुद्धिवादी कहलाने वाले सब व्यक्ति परिवर्तन का स विरोध नहीं करते। रुद्धिवादी दल में ही वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष तथा केन्द्रीय पक्ष जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे पहले थे। 'वामपक्षी', जो प्रायः 'शुक्रक रुद्धिवा कहलाते हैं, दक्षिणपक्षियों से अधिक उदार होते हैं, दक्षिणपक्षी प्रायः 'डाइह अथवा 'अल्ट्रा-कन्चरवेटिव' कहलाते हैं। वामपक्षी कभी कभी श्रमदल वालों समान हो जाते हैं। केवल यही अन्तर रह जाता है कि वामपक्षी-रुद्धिवादी पूँजीव को तो बनाये रखना चाहते हैं परन्तु उस पर राज्य का अधिक नियंत्रण चाहते जब कि श्रमदल उसको पूर्णतः समाप्त कर देना चाहता है। अधिकांश रुद्धिव मध्य की विचारधारा के हैं जो वामपक्षी या दक्षिणपक्षी नहीं हैं। अब रुद्धिव

समय के साथ प्रगतिशील बनते जा रहे हैं तथा उन्होंने उन्नत सामाजिक विद्यान बनाये हैं।

उदार दलः— प्रधान दल के रूप में अम दल के आने से पहले, उदार दल ही रुदिवादी दल का ऐतिहासिक विरोधी था, और जब रुदिवादी सरकार नहीं बनती थी तब उसकी ही सरकार बनती थी। उनके सिद्धान्तों तथा सामान्य दृष्टिकोणों में भी बहुत अन्तर था। रुदिवादी प्राचीनकाल से जमीं हुई व्यवस्था का समर्थन करते थे तथा उन प्रथाओं तथा विचारों को छोड़ना नहीं चाहते थे जो परंपरागत हो गये थे, किन्तु उदार दल वाले मनमाने शासन का विरोध करते थे। उदार दल का आरम्भ तब हुआ जब सुधारवादियों ने धार्मिक संघर्ष आरम्भ किये थे और वह दावा किया था कि धर्म में भी वैयक्तिक निर्णय तथा विचार-स्वातन्त्र्य को स्थान मिलना चाहिये, और वह संघर्ष “राज्य के गिरजे” तथा मनमाने शासन के विरुद्ध आन्दोलन के रूप में परिणत हो गया। ये ही इस दल के मूल्य सिद्धान्त रहे हैं। उदारवाद की भावना यह है कि ‘नये अनुभव को स्वीकार किया जाय तथा स्वतन्त्र विकास का समर्थन किया जाये’ अतः इस ‘वाद’ को समझना इतना सुगम नहीं है जितना रुदिवाद को समझना है। किन्तु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि उदारदल व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्व देता है, और उसका यह ख्याल है कि राज्य का उद्देश्य यही है कि वह अधिक सख्त्या में पूर्ण मानवों का स्वजन करे। इस प्रकार उसने निहित अधिकारों पर अधिक ज़ोर न देकर मानव के अधिकारों पर अधिक वल दिया है। उदार वादी लोग परम्परा पर कम अड़ते हैं तथा वे जीवन की बदलती हुई स्थितियों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिये अधिक तैयार हैं। अतः वे शासन तथा उद्योग में वर्तमान स्थिति का बदलना चाहते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में उदारदल की नीति यह थी कि उद्योग तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर जनसाधारण को अधिकाधिक अवसर दिये जायें। वह स्वतन्त्र व्यापार तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता (Free Competition) के पक्ष में था। उदार दल छोटे पैमाने के कृषि तथा व्यापार की अधिक चिंता करता था, और औद्योगिक श्रमिकों की हालत को सुधारना चाहता था। विदेशी मामलों के क्षेत्र में वह साम्राज्य में रहते हुए लोगों को अधिक अधिकार देना चाहता था। एक उदार दल के ही मंत्रिमंडल ने आयरलैंड को स्वशासन देने की प्रस्थापना की थी जिसका रुदिवादियों ने घोर विरोध किया था। उदारदल को ‘व्यक्तिवाद, प्रगति तथा उन्नति का दल’ कहा जा सकता है, और इसके विपरीत रुदिवादी लोग अपने आप को उन अधिकारों के संरक्षक समझते थे जो परंपरा के कारण पवित्र बन गये हैं।

किन्तु रुद्धिवाद तथा उदारवाद के मतभेद पर अधिक बल नहीं देना चाहिये। श्रमदल के उत्थान से उनके मतभेद बहुत कम हो गये हैं। आयर के प्रश्न पर ग्लेड्स्टन दल को अपने साथ नहीं लाला सका। लगभग १०० उदार सदस्य उसका साथ छोड़ कर रुद्धिवादियों से मिल गये तथा स्वशासन विधेयक (Home Rule Bill) को परात्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। उस समय रुद्धिवादियों तथा विद्रोही उदारों में जो भिन्नता हुई थी वह स्थायी बन गई, और उस समय से रुद्धिवादी दल का नाम रुद्धिवादी तथा एकतावादी दल रख दिया गया। पूँजीवाद तथा समाजवाद के संघर्ष में, उदार दल का मुकाबल पूँजीवाद की ही ओर अधिक होता है। वे समाजवाद को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये बहुत भयानक समझते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका ऐतिहासिक धर्म है। किन्तु समाजवाद का विरोध करते हुए भी वे पूँजीवाद में काफी सुधार आवश्यक बताते हैं। वे कुछ उद्योगों का समाजीकरण भी करने के लिये तैयार हैं यदि यह सिद्ध हो जाये कि ऐसा करने से कार्यकुशलता बढ़ जायेगी। उनका कहना यह है कि सार्वजनिक उद्योगों तथा गैर-सरकारी उद्योगों के मध्य कोई नियन रेखा स्थिर नहीं है; वह रेखा पहले सरकती रही है और आगे भी सरक सकती है। यह तो व्यवहार और सुविधा का प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं। इस दृष्टिकोण के कारण वे रुद्धिवादियों के अधिक निकट हैं, समाजवादियों के नहीं।

अपनी उत्तरि के शिखर पर उदार दल में कई प्रकार के सदस्य थे; उसमें वृत्ति वाले (Professional) तथा वाणिज्य वाले भी थे, नागरिक मध्यवर्ग, छोटे दुकानदार तथा व्यापारी, नगर के श्रमवर्ग वाले तथा कुछ कृषि श्रमिक भी थे। पादरी लोग कभी उसमें शामिल नहीं हुए। अब उसके सदस्य ढांचादोल हो गये हैं, उसके बहुत से समर्थकों ने श्रम दल की या रुद्धिवादी दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है। इस दल के पतन का मुख्य कारण यह है कि उसके पास कोई स्पष्ट तथा सीधा कार्यक्रम नहीं है। वह पूँजीवाद तथा समाजवाद के बीच का मार्ग पकड़ता है, धनियों के लिये व्यक्तिवाद का तथा निर्धनों के लिये सङ्गठन का समर्थन करता है। ऐसी नीति कई लोगों को पसन्द नहीं आती। इस दल को बहुत कुछ नुकसान नेताओं के मतभेद से भी उठाना पड़ा है। बहुत समय तक उसके नेता सङ्घठित नहीं रहे। ब्रिटेन में प्रचलित निर्वाचन-पद्धति से भी उसे बहुत हानि पहुंची है; उसके कारण इस दल को देश में जितने मत भिले उस अनुपात से स्थान नहीं मिले।

श्रम दल — ब्रेट ब्रिटेन में रुद्धिवादी तथा उदार दल तो इतने ही पुराने हैं जितना कि वहां संसदीय शासन है, वे पहले क्रमशः टोरी तथा बिहग कहलाते थे और उस से भी प्राचीन काल में केवलियर और राउण्डहैड कहलाते थे; किन्तु श्रमदल नया दल है तथा इन दोनों पुराने दलों के विरोध में बना है। यद्यपि १६००

से पहले भी लोकसभा में कुछ श्रम सदस्य थे, तथापि वे किसी सुसङ्गठित दल में नहीं थे और उनकी संख्या बहुत नगण्य थी। १६०० में श्रम दल का निर्माण हुआ तथा उसने ५० वर्ष में बहुत उन्नति की है। १६०६ में उसे २६ स्थान मिले थे, १६१० में ४०, १६१८ में ५७, १६२२ में १४२, १६२३ में १६१, १६२४ में १५१ तथा १६२६ में २८८। १६३१ तथा १६३५ के निर्वाचनों में उसके नेताओं में मतभेद होने के कारण उसे बहुत कम स्थान मिले। किन्तु १६४५ में उसने सब कसर पूरी करली तथा पूर्ण बहुमत प्राप्त करके किसी अन्य दल की सहायता के बिना ही सरकार बनाली, जो इसके लिये इस प्रकार का पहला ही अवसर था। १६५० के निर्वाचनों में भी उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया यद्यपि विरोधी दल और श्रम दल के स्थानों का अन्वर नगण्य रह गया; फिर भी केवल पांच सात के बहुमत से उसका मंत्रिमंडल चलता रहा।

एक और श्रम दल के कार्यक्रम तथा नीतियों में और दूसरी और सुदिवादी तथा उदाहर दलों की नीतियों तथा कार्यक्रम में बहुत अंतर है। दोनों प्राचीन दल तो पूंजीवादी समाज के ढाँचे में ही अपने कार्यक्रम चलाते हैं, किन्तु श्रम दल समाजवाद पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें यातायात (Transportation) तथा खान आदि मूल उद्योगों में गैर-सरकारी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाये। वह मनदाता को यह निश्चय करने का अवसर देता है कि वह प्राचीन पूंजीवाद की व्यवस्था को बनाये रखना चाहता है या उसके स्थान पर विलुप्त नई सामाजिक व्यवस्था चाहता है। गरीबी तथा वेकारी को तत्काल दूर करना इस दल के कार्यक्रम में है; ठीक है, उनका स्थायी इलाज केवल समाजवाद ही तो है। इस प्रकार हम श्रम दल के कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं— एक तो इन्डिस्ट्रियल स्थान को पूंजीवादी राज्य के स्थान पर समाजवादी राज्य बनाना है, दूसरा समाजिक सेवाओं का विस्तार करना है। धन का अधिक न्यायपूर्ण वितरण तथा जनसाधारण के जीवनस्तर का उत्थान ये ही समाजवाद के स्वाभाविक परिणाम हैं। आर्थिक दृष्टि से समाज के पुनर्निर्माण के साथ साथ राजनैतिक दृष्टि से भी समाज का पुनर्निर्माण होना आवश्यक है। लार्ड सभा तथा दुहरे मतदान की समाप्ति, वर्तमान राजनैतिक संसद अर्थात् लोकसभा के साथ साथ एक सामाजिक संसद का निर्वाचन जिसका करारोपण (Taxation), शिक्षा, निर्धन-सहायता तथा अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूरा नियन्त्रण हो, ये उसकी राजनैतिक पुनर्निर्माण योजना की कुछ विशेषताएं हैं। उसे राजन्त्र के जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं मालूम होती।

विदेशी सम्बन्धों तथा साम्राज्य की राजनीति के क्षेत्र में, श्रम दल चाहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आर्थिक कारणों को हटाया जाये, शत्रांगों को

कम किया जाये, शत्रास्त्रों के निर्माण का राष्ट्रीयकरण किया जाये, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाया जाये तथा विश्व सहृदय (पहले लोग आँफ नेशन तथा अब सयुक्त राष्ट्र सहृदय) को मजावूत बनाया जाये। साम्राज्य सम्बन्धी नीति में श्रम दल सदा भारत के लिये स्वशासन का समर्थन करता रहा है (और अन्त में श्रम सरकार के समय में ही भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई), वह उपनिवेशों (Colonies) में ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को लागू करने तथा वहां स्वशासन का विकास करने की नीति का समर्थन करता है, और यूरोपीय पूँजीवाद के शोषण से आदि-वासी लोगों को बचाने के लिये पर्याप्त संरक्षण रखना चाहता है।

ओट ब्रिटेन के अन्य दलों के समान, श्रम दल में भी मतभेद तथा गुटवंदियां हैं। वहां भी वामपक्ष तथा दक्षिणपक्ष हैं। मतभेद मुख्यतः इस बात पर है कि समाजवाद लागू करने के लिये जो कदम उठाये जायें उनमें कितनी जल्दी की जाये। समस्त श्रमदल सहमत है कि वर्तमान व्यवस्था से नई सामाजिक व्यवस्था लाने का परिवर्तन शांतिपूर्ण तथा सांविधानिक साधनों द्वारा हो, रक्तपूर्ण क्रांति से न हो। किन्तु वामपक्षी चाहते हैं कि 'हमारे जीवनकाल में ही सनाजवाद' आ जाये। नरम दल का विश्वास है कि 'धीरे चलना अनिवार्य है'। दक्षिणपक्षी सामाजिक सेवाओं के विकास पर जोर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि सामाजिक सुधारों में सफलता मिलने से उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त होगा। वामपक्षियों के विचार में, सामाजिक सुधार तभी स्थायी हो सकते हैं जब कि उद्योग का समाजीकरण किया जाये।

पहले श्रम दल को मुख्य समर्थन द्वेष यूनियनों (श्रम-संघों) से प्राप्त होता था। मुख्यतः निम्नतर सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों से ही उसे सदस्य मिलते थे। गत बीस तीस वर्ष में उसका सामाजिक आधार बहुत विस्तृत हो गया है। उसके सदस्यों में अब विभिन्न सामाजिक वर्गों की जनता शामिल है। १९२८ के अधिनियम द्वारा जिन महिलाओं को मनाधिकार मिला है वे इसका बहुत समर्थन करती हैं। किन्तु इम दल के नेता मुख्यतः उच्च मध्यवर्ग में से हैं। यद्यपि प्रधान दलों में यह दल सबसे नया है, फिर भी इसका संगठन तथा अनुशासन सब दलों से अच्छा है। इसके वार्षिक सम्मेलन में प्रत्येक सहायक संस्था तथा शाखा के सदस्य अते हैं और उसमें जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनमें ही दल की नीति का निर्धारण होता है।

अन्य दलों— इन तीन प्रधान दलों के अतिरिक्त (जो अब व्यवहार में दो ही रह गये हैं) कुछ छोटे छोटे दल भी हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण साम्यवादी (Communist) दल, फासिस्ट दल तथा स्वतंत्र श्रम-दल हैं। साम्यवादी दल छोटा सा है किन्तु उन्नति की ओर अग्रसर है। उसका रूस से सम्बन्ध होने के कारण जनता उसे पसन्द नहीं करती। उसने कई बार श्रम-दल से मिलना चाहा,

किन्तु अंसफल रहा। फासिस्टों के नेता सर ओस्वाल्ड मोसले हैं। १९३१ के उप-निर्वाचन से पता लग गया था कि इस दल का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। स्वतंत्र श्रम-दल तो श्रम-दल से भी प्राचीनतर है और वास्तव में उसी से श्रम-दल की उत्पत्ति हुई है। १९३१ में स्वतंत्र श्रम-दल 'श्रम-दल' से अलग हो गया क्योंकि उसके विचार में श्रम-दल काफी प्रगतिशील तथा उप्र नहीं था। इस दल के मुख्य सदस्य श्री मेक्सटन तवा श्री फेनर ब्रोकवे थे।

दलों की वर्तमान व्यवस्था—— ब्रेट ब्रिटेन में दलों की स्थिति का जो सिंहावलोकन ऊपर किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि शक्ति के लिये मुख्य संघर्ष रुद्धिवादियों तथा श्रम-दल में है। तीनों छोटे दलों— साम्यवादी, फासिस्ट तथा स्वतंत्र श्रम-दल— में से किसी का भी ब्रिटिश मतदाताओं में प्रिय होना सम्भव नहीं जान पड़ता। पुराना उदार-दल भी अब अपनी पहले वाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकेगा, इसका कोई चिह्न दिखाई नहीं देता। जो उदार सदस्य रुद्धिवाद को पसंद करते थे वे रुद्धिवादी दल में चले गये हैं तथा उप्र विचारों वाले सदस्य श्रम-दल में चले गये हैं। अतः हम कह सकते हैं कि श्रम-दल के उत्थान से द्विदल प्रणाली की समाप्ति अस्थायी ही थी, और ब्रिटेन में अब पुनः यही प्रणाली स्थापित हो गई है जो उसकी परम्परा के अनुकूल है।

रैम्जे न्यौर जैसे कुछ व्यक्तियों के विचार में यह द्विदल प्रणाली अच्छी चीज़ नहीं है, उनके विचार में ब्रिटेन प्रणाली अधिक स्वाभाविक तथा लाभप्रद है। उनका कहना है कि द्विदल प्रणाली में साधारण निर्वाचन में राष्ट्र का निर्णय ठीक प्रकार प्रकट नहीं होता। कोई मतदाता रुद्धिवादी नीति का विरोधी होने के कारण श्रम-दल को मत दे सकता है, चाहे वह समाजवादी न हो। इसी प्रकार रुद्धिवादी दल का मत देने वाला शायद उस दल से प्रेम के कारण नहीं, अपितु श्रम-दल से घृणा के कारण ऐसा कर सकता है। ब्रिटेन प्रणाली में डक्टिण, वाम तथा मध्यम-वर्ग होते हैं जो मानव-प्रकृति के अधिक अनुकूल हैं और जिनसे मतदाताओं को अपने विचार ठीक प्रकार अभिव्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। द्विदल प्रणाली में एक और गम्भीर त्रुटि है। संसदीय शासन-पद्धति में इससे केविनेट की तानाशाही स्थापित हो सकती है। जब किसी मंत्रिमंडल को विधान-मंडल में ठोस तथा पूर्ण व्युत्तम प्राप्त हो जाता है तब वह विधि-निर्माण में, वित्त के विषय में, तथा प्रशासन में सर्वोच्च सत्ताधारी बन जाता है जैसा कि ब्रेट ब्रिटेन में हुआ है। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त तथा द्विदल प्रणाली— इन दोनों के मिल जाने से सरकार अत्यधिक शक्तिशाली तथा शीघ्रगामी बन जाती है और उसमें 'समझौते की वह भावना नहीं रहती जो सच्ची प्रतिनिधि सरकार के लिये आवश्यक है।'

उधर, त्रिदल प्रणाली अथवा बहुदल प्रणाली के विरुद्ध मुख्य युक्ति यह है कि इससे मिश्रित सरकारें बनेगी जो अवश्यमेव शक्तिहीन तथा अस्थिर होती हैं। जब मंत्रिमंडल को विधान-मंडल में अनेक दलों अथवा वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता है तब वह सचेतक के बल पर काम नहीं कर सकती, वरन् उसे विधि-निर्माण में समुचित मध्य-मार्ग ढूँढ़ने पड़ते हैं तथा सब वातों पर विचार करना पड़ता है। यह ठीक नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता; इसके विपरीत, उचित परिस्थितियों में यह वात एक गुण है। कई वर्गों पर आश्रित होने के कारण शक्ति पर आवश्यक रोक-थाम तथा नियंत्रण लग जाता है, जो द्विदल प्रणाली में नहीं होता। इस विषय पर अधिक विस्तार करने की यहां आवश्यकता नहीं है; जो पाठक इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं वे रैमज़े स्प्रोर तथा लास्की की रचनाओं को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बाद-विवाद में वे विरोधी विचारों के प्रतिनिधि-लेखक हैं।

दलीय संगठन— जैसा कि पहले अनेक बार बताया जा चुका है, ग्रेट ब्रिटेन में दलीय संगठन बहुत पूर्ण बन गया है (यही स्थिति आजकल संसार के अन्य कई देशों में भी है)। सारे दल लगभग एक ही प्रकार से संगठित होते हैं। प्रत्येक दल में दो अंग होते हैं—एक संसद में काम करता है तथा दूसरा संसद के बाहर काम करता है। संसद में काम करने वाले अंग में उस दल के समस्त संसद सदस्य होते हैं और उसे प्रायः ‘संसदीय दल’ कहा जाता है। वह अपने नेता, उप-नेता तथा दलीय सचेतकों (Party Whips) को स्वयं चुनता है। संसद के बाहर के अंग में केन्द्रीय संस्था तथा स्थानीय संस्थायें होती हैं जिन्हें शाखायें कहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस दल के उदाहरण से विद्यार्थी को यह बात समझने में आसानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय संसद में ‘संसदीय दल’ है जिसके नेता श्रो जबादरलाल नेहरू हैं। इसी प्रकार प्रांतीय विधान-मंडलों में भी उसके ‘संसदीय दल’ हैं यथा उत्तर प्रदेश के ‘कांग्रेस संसदीय दल’ के नेता श्री गोविन्द वल्लभ पंत हैं। प्रत्येक संसदीय दल अलग अलग इकाई के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की केन्द्रीय संस्था, जो संसद के बाहर काम करती है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (A. I. C. C.) कहलाती है तथा उसकी एक कार्यकारिणी समिति (Working Committee) भी है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में ‘राज्य कांग्रेस समितियां’ जिनके अधीन जिला तथा नगर अथवा ग्राम कांग्रेस समितियां हैं। कांग्रेस के किसी संसदीय दल के सदस्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी उक्त समिति का भी सदस्य हो। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें अगामी वर्ष के लिये नोटिं और कार्यक्रम का निर्वारण होता है। संसदीय दल बाहर की संस्था के अधीन नहीं होता, किन्तु दोनों के बीच सहयोग होता है (यद्यपि अब कई बार दोनों प्रकार के दलों के बीच संवर्ज के बीज दृष्टिगोचर

होते हैं)। ग्रेट ब्रिटेन में भी सब दलों की व्यवस्था प्रायः ऐसी ही होती है। जैसे हमारे देश में प्रत्येक दल में कुछ वैतनिक तथा कुछ अवैतनिक, कुछ पूरे समय के लिये तथा कुछ आंशिक समय के लिये, सब प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक ब्रिटिश राजनैतिक दल प्रत्येक निर्वाचन द्वेष में वैतनिक तथा पूरे समय के लिये कर्मचारी रखता है। हाँ, कई अवैतनिक (Honorary) कार्यकर्ता भी होते हैं जो दल के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। अतः वे उसके लिये मेहनत से कार्य करते हैं। प्रत्येक दल का एक कोप होता है जिसमें सदस्य तथा समर्थक चन्द्रा देते हैं। कोप एकत्र करने के अन्य कई साधन भी हैं किन्तु उन पर यहाँ टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है।

ग्रेट ब्रिटेन में लोकतंत्र — ऊपर ग्रेट ब्रिटेन के विधान-मंडल तथा केन्द्रीय कार्यपालिका और उनके सम्बन्धों का जो विवरण दिया गया है, उससे हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि “वहाँ लोकतंत्र का आदर्श व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ है?” यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र के विषय में एक ओर तो सोवियत रूस का साम्यवादी दृष्टिकोण है और दूसरी ओर आंग्ल-अमरीकी अथवा पूंजीवादी दृष्टिकोण है और इन दोनों में समझौता असम्भव सा है।

लिंकन की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ ‘जनता का, जनता के लिये तथा जनता द्वारा शासन’ है। आंग्ल अनरंगी विवारधारा में जनता द्वारा शासन पर अधिक वल दिया जाता है कि जनता स्थय अभ्यास शासन चलाये। व्यवहार में इसका अर्थ वहुमत का शासन हो जाता है। इसके विपरीत रूसी विचार धारा यह है कि लोकतंत्र का अर्थ है ‘वहुमत के हितार्थ शासन’, और उन हितों का निर्धारण मानस के दर्शन के अनुसार किया जाता है। हम यहाँ इस विषय पर विचार नहीं करेंगे कि इनमें से कौनसा दृष्टिकोण ठीक है; हम केवल यही देखेंगे कि ब्रिटेन में ‘जनता द्वारा शासन’ का सिद्धान्त कहाँ तक सफल है, और इसी से ब्रिटिश और रूसी सिद्धान्तों के मुख्य मतभेदों पर कुछ प्रकाश पड़ जायगा।

दिसी देश में लोकतंत्र है या नहीं उसका पता लगाने की कई कसौटियाँ हैं। पहली तो यह है कि सब वयस्तों को उन लोगों के चुनने में समानाधिकार मिलना चाहिये जो शासन कार्य चलायेंगे। व्यापक वयस्क मताधिकार के होते हुए भी, ग्रेट ब्रिटेन में यह आदर्श पूरा नहीं होता। जैसा कि पिछले एक अध्याय में बताया जा चुका है, एक-सदस्य निर्वाचन-द्वेष (Single-member Constituency) में वहुमत द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था से व्यवहार में वहुन से मतदाताओं का मताधिकार, छिन जाता है। इस अर्थ में लोकसभा जनता की प्रतिनिधि नहीं रहती। जब तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू नहीं किया जायेगा तब तक वह बुराई दूर नहीं

हो सकती। प्रधानत वंशगत सदस्यो वाली लार्डसभा से भी ब्रिटेन की व्यवस्था कम लोकतंत्रात्मक बन जाती है, क्योंकि लार्डसभा के विषय में कहा जाता है कि वह किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, किन्तु फिर भी वह प्रगतिशील सरकार द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विधानों को अनन्त काल के लिये और कम से कम एक वर्ष के लिये तो अवश्य ही खटाई में डाल सकती है। इस प्रकार लार्डसभा लोकसभा में अधिव्यक्त जनमत पर रोक लगा सकती है; ऐसी कोई सभा रूस में नहीं है, अन् इस अर्थ में रूस ब्रेट ब्रिटेन से अधिक लोकतंत्रवादी कहा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि सच्चा लोकतंत्रात्मक शासन सदा जनता की सहमति के आधार पर चलता है। जनता की इच्छानुसार चलने का यह अर्थ नहीं है कि सरकार के समस्त कार्यों का समर्थन प्रत्येक नागरिक करे और जो व्यक्ति सरकार की विधियों को स्वीकार न करके उनका उल्लंघन करे उसके विरुद्ध सरकार कोई क्रदम भी न उठाये; इसका तो अर्थ केवल इतना ही है कि जनता पर सरकार को प्रत्येक बात वलपूर्वक नहीं लाइनी चाहिये, यदि अधिकांश नागरिक उसकी नीतियों को बुरा बतायें तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये। इसका यह आशय है कि नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएँ मिलनी चाहियें कि वे सरकार के कामों को जान सके तथा उनकी आलोचना कर सकें, और उन सब को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिये जो वर्तमान सरकार को हटा कर उसके स्थान पर, शान्तिपूर्ण तथा सांविधानिक साधनों से, नई सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर प्रचार करना चाहे तथा संगठन बनाना चाहे। दूसरे शब्दों में सच्चे लोकतंत्रात्मक शासन में विरोधी दल अवश्य होता है जो सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करता है तथा उसे स्वतंत्रता होती है कि मनदृताओं को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रम के पक्ष में करके अपना वहुमत ब्रना ले। ब्रिटिश शासन व्यवस्था इस कसौटी पर पूरी उत्तरती है, पर रूसी व्यवस्था में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, अतः इस बात में रूस कम लोकतंत्रात्मक है। ब्रेट ब्रिटेन में सरकार अपने आलोचकों का मुँह बन्द नहीं करती और शक्ति से उनका दमन नहीं करती, वह उन्हे आलोचना करने का अधिकार देती है तथा युक्तियों और तर्कों से उनका उत्तर देती है। रूस में पत्र-पत्रिकाओं पर, मंच पर तथा अन्य प्रचार-साधनों पर सरकार का नियत्रण है और वहाँ विरोधी दल को नहीं रहने दिया जाता। वहाँ सरकार की त्रुटियों, कुकमाँ या भूल-चूक को स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं हो सकती। अतः इस कसौटी पर कसने से ब्रेट ब्रिटेन लोकतंत्र ठहरता है, रूस नहीं।

एक और भी कसौटी है कि सच्चे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जितना चाहे है उसका उतना ही मूल्य आंका जायेगा, और प्रत्येक को आत्म-अभिव्यक्ति (Self-expression) की पूर्ण-स्वतंत्रता दी जायेगी। “व्यक्ति किसी एक व्यक्तित्व के

चित्रमात्र नहीं वन जायेगे वल्कि उनका अपना अनन्य व्यक्तित्व होगा।” ये आदर्श, विशेषतः अन्तिम आदर्श, सोवियत समाजवादी गणराज्य-सघ (U. S. S. R.) की वजाय विट्रेन में अधिक पूरे हुए प्रतीत होते हैं।

किन्तु विट्रेन में वहुमत का शासन तथा जनना की सहमति और स्वतंत्र आलोचना भी सच्चे रूप में उपस्थित नहीं है। इनके लिये पहली आवश्यकना यह है कि समाज का आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचा ऐसा हो कि राज्य के मामलों में सब नागरिक सच्चे अर्थ में भाग ले सकें और आलोचना कर सकें। जब तक समाज में पूँजीवाद का बोलचाला है तब तक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले पूँजीपतियों का ही आधिपत्य देश के शौद्धोगिक तथा आर्थिक जीवन पर भी रहेगा और वे ही राजनीतिक चेत्र में भी अत्यन्त शक्तिशाली रहेंगे। चाहे लोकतंत्र का कोई रूप क्यों न हो, फिर भी वास्तविक शक्ति विट्रेन के एक छोटे से धनी वर्ग के हाथ में हो है; क्योंकि धन की सहायता से वे ही शक्ति प्राप्त कर पाते हैं, वे ही सिविल सर्विस में उच्च पद प्राप्त कर पाते हैं, निर्बाचनों में भी वे असंख्य धन खर्च करके स्थान प्राप्त कर पाते हैं, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रचार-साधनों पर भी उनका ही एकाधिकार है। सम्पत्तिहीन मजदूर उनकी तुलना में सफल हो कर शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रम सरकार के आने से भी इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। दूसरी ओर रूस में उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होने से नथा लाभाकांक्षा (Profit motive) भिट जाने से धनियों का आधिपत्य नहीं रहा है। इस अर्थ में रूस इङ्लिसान से अधिक लोकन्नात्मक है।

अध्याय १०

न्यायपालिका

विषय-प्रवेश — लोकतंत्र को बनाये रखने के लिये केवल वहुमत का शासन, स्वतन्त्र सहमति तथा स्वतन्त्र वाद-विवाद ही आवश्यक नहीं है, वरन् विधि-न्यायालयों का न्यायपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक काम करना भी जरूरी है। न्यायालय नागरिकों को केवल यहीं नहीं बताते कि उन पर किन विधियों के अनुसार शासन होगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में ही सहायता नहीं करते, वरन् अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नागरिकों को स्पष्ट सुझाते हैं कि वे विधि-शासन (Rule of-Law) के अधीन हैं और निरंकुश शासन के अधीन नहीं हैं। वे एक और भी महत्वपूर्ण काम करते हैं; वे शक्ति-प्रयोग को, जिसके विना किसी सरकार का

अस्तित्व नहीं है और न रह ही सकता है, विधि के अधीन ले आते हैं। अतः अच्छी विधि-व्यवस्था और देश की विधियों का न्यायपूर्ण निर्वचन (Interpretation) तथा उनका समुचित रूप से लागू होना लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें हैं। अतः हम देखना है कि यह शर्त ग्रेट ब्रिटेन में कहाँ तक पूरी होती है। इस अध्याय में हम ब्रिटेन की न्याय-व्यवस्था तथा उसकी कार्य-प्रणाली पर विचार करेंगे।

विधि के प्रकार—ब्रिटेन की विधि-व्यवस्था इस समय विश्व की सबसे अग्रतम व्यवस्थाओं में से है—अन्य दो व्यवस्थाएं रोमन तथा मुस्लिम हैं। यह भी वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था के समान लम्बे विकास से बनी है तथा मुख्यतः देशी व्यवस्था ही है। उस पर विदेशी न्याय-व्यवस्थाओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता यही है कि उसमें सुसंगठितता, नियमितता तथा औपचारिक संगतता नहीं है, जो रोमन व्यवस्था में विशेषतः पाई जाती हैं। इसी कमी के कारण ब्रिटिश व्यवस्था को चीनी, जापानी, तुर्की आदि राष्ट्रों ने पसंद नहीं किया और उन्होंने रोमन व्यवस्था पर आधारित फ्रांसीसी व्यवस्था को अपनाया। ब्रिटिश व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें तीन विभिन्न स्रोतों से सामग्री ली गई है, (विशेषतः इङ्गलिस्तान में ऐसी वात है; स्कॉटलैण्ड की विधि, सिद्धान्त प्रथा प्रक्रिया (Procedure) दोनों में इङ्गलिश विधि से भिन्न है)। इङ्गलिस्तान में तीन प्रकार की विधियाँ लागू हैं—कॉमन ला, स्टेट्यूट ला तथा ईक्विटी। कॉमन ला (सामान्यविधि) की व्युत्पत्ति तथा विस्तार का इतिहास घटुत रोचक है किन्तु यहाँ उसका संक्षिप्त विवरण ही दिया जायेगा। नॉर्मन तथा प्लेनटज़ेनेट कालों में ब्रिटेन के लोग राजा के न्यायाधीशों से यह आशा करते थे कि वे उन परम्पराओं के अनुसार न्याय करें जो देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न थीं। न्यायाधीशों का यह काम हो गया था कि वे इन परम्पराओं में से ऐसी 'नियमावली' तैयार करें जो समस्त देश में 'कॉमन' हो, सामान्य रूप से प्रचलित हो। वे ही नियम विकसित होकर 'कॉमन ला' कहलाये। अतः 'कॉमन विधि (ला)' का अर्थ है वे प्रथाएं तथा रीति-रिवाज जो न्यायाधीशों द्वारा निर्वाचित होकर व्यवस्थित रूप में आ गये। कॉमन विधि का निर्माण न राजाओं ने किया और न संसद् ने ही किया, वे अलिखित रूप में बढ़ते गये और आज तक भी उन्हे संहिता (Code) का रूप नहीं मिला। किसी पुस्तक में उनका व्यापक तथा प्राधिकृत संग्रह नहीं मिलता। कॉमन विधि तो न्यायाधीशों के उन निर्णयों में समिहित है जो गत शताब्दियों में किये गये थे। हाँ, लेखकों ने समय समय पर उसका सङ्कलन करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वे उसके निर्माता नहीं हैं केवल व्याख्या करने वाले हैं। यदि कॉमन विधि का निर्माण किसी ने किया है तो केवल न्यायाधीशों ने ही किया है। उनके अभिलिखित (Recorded) निर्णयों से ही कॉमन विधि बनी है अतः उसे

न्यायाधीश-निर्मित विधि कह सकते हैं। किन्तु उस विधि का बल तथा उसकी वैधता 'स्टेट्यूट-ला' के समान ही है। ब्रिटिश लोग अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य अधिराज्यों में जहाँ भी गये, कॉमन विधि को अपने साथ ले गये तथा अपने राष्ट्र धर्ज के समान उस का सम्मान तथा उसकी रक्षा की।

इंगलिस्तान के न्यायालयों में प्रशासित दूसरी प्रकार की विधि को स्टेट्यूट ला कहते हैं। इसका भी प्रारम्भ कॉमन विधि के समान बहुत प्राचीन है, किन्तु कॉमन विधि का तो विकास हुआ है और स्टेट्यूट विधि अधिनियमित हुई है। आरम्भ में इसका निर्माण शासक राजाओं ने, पहले महापरिपदों में तथा बाद में संसदों में किया था। ज्यों ज्यों संसद की शक्ति बढ़ती गई, त्यों त्यां विधि-निर्माण में राजा का हाथ कम होता गया, अब उसका काम केवल अनुमति (Assent) देना ही रह गया है। अब विधि-निर्माता 'संसद-संहित-राजा' (King-in-Parliament) है, जो उन विधियों पर विधियों बनाता है जिन पर कॉमन विधि लागू नहीं है। वह कॉमन विधि के भी किसी नियम को बदल सकता है, उसमें परिवर्तन, रूप-भेद या विस्तार कर सकता है, और उसे संहिता-चद्द (Codify) भी कर सकता है। जहाँ कॉमन विधि तथा स्टेट्यूट विधि में विरोध होता है वहाँ स्टेट्यूट को ही माना जाता है। यद्यपि स्टेट्यूट विधि से कॉमन विधि कम होती जा रही है, फिर भी ब्रिटिश न्यायालयों में अब भी अधिकांश कॉमन विधि की ही मान्यता है। इसका कारण यह है कि इंगलिस्तान में अधिकांश व्यक्तिगत अधिकार कॉमन विधि पर आधारित हैं। कई स्टेट्यूटों में कॉमन विधि के अस्तित्व का आश्रय लिया गया है तथा कॉमन विधि के बिना उन स्टेट्यूटों का अर्थ ही कुछ नहीं रहता।

इंगलिश विधि की तीसरी महान् शाखा को ईक्विटी (न्यायगता) कहते हैं। ईक्विटी का इतिहास देखने से हमें पता लग जायेगा कि यह क्या है और अन्य प्रकार की विधियों से इसका क्या सम्बन्ध है। प्राचीन काल में जब राजा वास्तव में 'न्याय का स्रोत' था, तब वे लोग जो न्यायाधीशों के न्याय से सन्तुष्ट नहीं होते थे, राजा से याचना करते थे, 'ईश्वर के नाम पर और देया करके, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे दूर कीजिये।' राजा उन सब याचिकाओं को निवाने में असमर्थ था। अतः उसने उन्हें नियटाने के लिये अपने 'चान्सलर' को नियुक्त कर दिया। जब काम बढ़ता गया तो चान्सलर की सहायता के लिये कुछ सहायक (असिस्टेट) रखे गये और कुछ समय में एक पूरा न्यायालय बन गया जिसे 'चान्सरी का न्यायालय' कहते थे। वह न्यायालय जिन सिद्धान्तों तथा नियमों के अनुसार फैसले करता था वे ही 'ईक्विटी विधि' के आधार बन गये। जैसे राजा के न्यायाधीशों के निर्णयों से कॉमन विधि बन गई थी, उसी प्रकार चान्सरी न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों, परम्पराओं और सिद्धान्तों द्वारा ईक्विटी विधि का

निर्माण कर डाला। इस प्रकार ईक्विटी भी पूर्व-निर्णीत मामलों (Case-law) पर ही आधारित है और उसे कॉमन विधि का ही एक प्रकार माना जा सकता है। ईक्विटी का जन्म कॉमन विधि की त्रुटियों को दूर करने के लिये हुआ था और उन धोखेवाजियों को रोकने के लिये हुआ था जो कॉमन विधि का आश्रय लेकर लोग करते थे। अब ईक्विटी की विधि बहुत उलझी हुई बन गई है। उसका आपराधी से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो कुछ प्रकार के व्यवहार वादों (Civil Cases) से ही सम्बद्ध है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ईक्विटी की प्रक्रिया (Procedure) अलग ही है, फिर भी अब उसके अलग न्यायालय नहीं हैं। आज कॉमन विधि, स्टेट-गृष्ठ विधि (लिंगित विधि) तथा ईक्विटी (न्याय्यता) के लिये एक ही प्रकार के न्यायालय होते हैं।

व्यवहार विधि (Civil Law) तथा आपराधिक अथवा दर्ढ विधि (Criminal Law) के अन्तर का भी यहाँ निर्देश कर देना ठीक रहेगा। व्यवहार विधि के प्रशासन के लिये व्यवहार-न्यायालय (Civil Courts) तथा आपराधिक विधियों के लिये दर्ढ-न्यायालय (Criminal Courts) होते हैं। दोनों प्रकार के न्यायालयों में निरन्तर तथा उच्चतर न्यायालय होते हैं जिनमें क्रमशः कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण मामले जाते हैं। ब्रिटेन में साधारण विधि (Ordinary Law) तथा प्रशासकीय विधि (Administrative Law) में कोई अन्तर नहीं है जैसा कि फ्रांस आदि अन्य कुछ यूरोपीय देशों में होता है। सभी नागरिकों पर उन्हीं न्यायालयों में और उन्हीं विधियों के अन्तर्गत मुकदमे चलते हैं चाहे वे नागरिक ऊँचे हो या नीचे, गैर-सरकारी लोग हो या सरकारी अफसर हों। यह बात 'विधि-शासन' (Rule of Law) की विरोपताओं में से है जिस पर अंग्रेजों को गर्व है।

विधि-न्यायालय— समस्त ब्रेट ब्रिटेन में विधि-न्यायालयों का संगठन एक सा नहीं है। इन्हलैंड और वेल्स के लिये अलग व्यवस्था है, स्कॉटलैंड की व्यवस्था अलग है, तथा उत्तरी आयरलैंड की पद्धति इन सबसे निराली है। हम यहाँ पर केवल इन्हलैंड और वेल्स की व्यवस्था का सक्षिप्त विवरण देंगे।

न्यायालयों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: (१) केन्द्रीय अथवा उच्चतर न्यायालय जो अधिकांश में लंडन में स्थित हैं, और (२) स्थानीय या निम्नतर न्यायालय जो देश भर में विखरे हुए हैं। उन्हें व्यवहार-न्यायालयों तथा दर्ढ-न्यायालयों में भी विभक्त किया जा सकता है। व्यवहार-न्यायालयों में नागरिकों के आपसी मामलों और विवादों को निवटाया जाता है। व्यवहार वाद (Civil Suit) का उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को जिसे वादी (Plaintiff) कहते हैं प्रतिवादी (Defendant) ने हानि पहुंचाई है, उसका प्रतिकार किया

जाये। वह ज़ति अपमान, अनधिकार प्रवेश (Trespass), संविदा-भग (Breach of Contract) आदि के रूप में हो सकती है। दण्ड न्यायालय में सर्वजनिक विधि के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाती है। आपराधिक मुकदमे में सब कार्यवाही प्रायः क्राउन की ओर से की जाती है; दूसरे शब्दों में क्राउन मुकदमे में एक पक्ष बनता है। हस्ता, चोरी, अनिकांड, डांका, नकली पत्र-लेखन आदि आपराधों की श्रेणी में आते हैं जिन पर दंड-न्यायालय कार्यवाही करते हैं। उनका काम आपराधी को दण्ड देना होता है, किसी की हानि को पूरा करवाना नहीं।

ब्रिटेन की न्याय-व्यवस्था के विषय में यह बात याद रखनी चाहिये कि १८७३ तक वह बहुत त्रुटिपूर्ण तथा अव्यवस्थित थी। बहुत से न्यायाधिकरण (Tribunals) थे, कभी कभी उनके क्षेत्राधिकार एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और सबके अपने अपने तरीके और प्रक्रियाएँ थीं। सुशिक्षित वकील के लिये भी उस भूलमूलैया में से गुजरना सुगम नहीं था। १८७३ तथा १८८४ के बीच कई सुधार किये गये जिनसं समूची व्यवस्था का ही काया-कल्प हो गया; उच्चतर न्यायालयों को एक ही व्यवस्था में लाया गया है तथा प्रक्रिया (Procedure) को बहुत सरल बना दिया गया है।

पहले हम दंड-न्यायालयों को लेते हैं। उनकी एक शृंखला है जिसमें सबसे नीचे 'जस्टिसेज ऑफ पीस' के न्यायालय हैं और चोटी पर दंड अपीलों का न्यायालय तथा लार्डसभा (न्यायालय के रूप में) हैं। दोनों के बीच में स्टाइपेंडरी (वैतनिक) दंडाधीश (Magistrates), कोर्ट्स ऑफ एसाइजेज और कोर्ट्स ऑफ क्वार्टर सेशन होते हैं, जिनका संचित परिचय देना ही यहां पर्याप्त होगा।

जस्टिसेज ऑफ पीस के न्यायालय छोटे नगरों में तथा ग्रामों आदि में होते हैं तथा स्टाइपेंडरी दंडाधीशों के न्यायालय बड़े नगरों में होते हैं। दोनों दंड-विधिक मामलों के लिये निम्नतम न्यायालय हैं। जस्टिसेज ऑफ पीस को लार्ड चांसलर नियुक्त करता है और वे सब अवैतनिक होते हैं। उन्हें उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि वे अपने काम को करने में अयोग्य सिद्ध हो जाये। ऐसे पदाधिकारी लगभग २० हजार हैं, किन्तु इनमें से आधे ऐसे हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली अतः वे न्याय कार्य नहीं कर सकते। यह व्यवस्था १४वीं शताब्दी से चली आती है तथा इससे स्थानीय प्रशासन तथा न्याय के विकास में अच्छी सहायता मिली है। जस्टिस ऑफ पीस के बल छोटे छोटे मामलों को सुन सकता है, जैसे बिना वक्ती साइकिल चलाना आदि, और वह १४ दिन से अधिक कारावास नहीं दे सकता तथा १४ शिलिंग से अधिक जुर्माना नहीं कर सकता। वडे नगरों में यही कार्य स्टाइपेंडरी दंडाधीश करते हैं।

इससे अगला उच्चतर न्यायालय 'कोर्ट ऑफ समरी ज्यूरिस्टिक्शन' है। उसमें

अधिक गम्भीर मामलों के मुकद्दमे सुने जाते हैं जैसे चौरी या हमला। इस न्यायालय में मुकद्दमे की सुनाई शीघ्रता के साथ तथा ज्यूरी की सहायता के बिना ही होती है, और यदि अपराधी का दोप सिद्ध हो जाता है तो उसे तुरन्त दण्ड दे दिया जाता है। दण्ड ६ मास कारावास और ५० शिलिंग जुरमाने से अधिक नहीं होता।

उससे भी अधिक गम्भीर मामले, जिनमे 'आरोप' (Indictment) लगाया जाता है, कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन्स या कोर्ट ऑफ एसाइजेज मे जाते हैं। क्वार्टर सेशन को ज्यूरी की सहायता से सब मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है किन्तु हत्या, देश-द्वेष, कपट-ज्ञापन आदि गम्भीर अपराध उसके द्वेषाधिकार मे नहीं आते। इस न्यायालय मे उस काउन्टी के बे सब जस्टिसेज ऑफ पीस शामिल होते हैं जिन्होंने शपथ ली हो अर्थात् जो न्याय कार्य के योग्य हो, और यह न्यायालय तीन मास मे समवेत होता है। सब जस्टिसों के लिये आवश्यक नहीं है कि बे इस न्यायालय के सत्र (Session) मे भाग लें; केवल दो से ही गणपूर्ति (Quorum) हो जाती है। वडे वडे बॉरो में अलग अलग कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन होते हैं। उसकी प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) की है। उसे व्यवहार बाटों मे भी द्वेषाधिकार प्राप्त है, और वह कोर्ट ऑफ समरी ज्यूरस्टिक्शन से अपीले सुनता है।

कोर्ट ऑफ एसाइजेज भ्रमणशील न्यायालय होते हैं। उनके न्यायाधीश समस्त काउन्टी और एसाइज नगरों मे जाकर व्यवहार सम्बन्धी और अपराध सम्बन्धी सब मामलों को सुनते हैं। इस प्रयोजन के लिये समस्त देश को द भागों या जिलों मे बॉटा गया है। एसाइज न्यायालय गम्भीर अपराधों के मुकद्दमे सुनते हैं, और प्रत्येक ग्राम-समूह मे वर्ष में दो बार तथा कुछ शहरों मे चार बार उनका सत्र होता है। अभियुक्त (Accused) को ज्यूरी द्वारा सुनवाई करवाने का अधिकार है।

१६०७ तक आपराधिक मुकद्दमों की अपीलें नहीं होती थीं, यद्यपि कुछ मामलों मे लार्डसभा मे अपील की जाती थी। १६०७ मे दृढ़-अपीलों का एक न्यायालय स्थापित किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय के तीन से कम न्यायाधीश नहीं होते थे। अब दृढ़-प्राप्त व्यक्ति इस न्यायालय मे अपील कर सकता है चाहे वह अपील विधि के प्रश्न पर हो, या तथ्य (Fact) के प्रश्न पर हो, या दोनों के मिश्रित प्रश्न पर हो। इस दृढ़-अपील के न्यायालय के ऊपर अपील नहीं होती, केवल कुछ अपीले लार्डसभा को जाती हैं। अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लार्डसभा के कामों पर बाद में प्रकाश डाला जायगा।

व्यवहार-न्यायालयों के विषय में भी ऐसा ही संगठन है। सबसे नीचे काउटी-न्यायालय होते हैं जो १८४६ के अधिनियम द्वारा बने थे। व्यवहार-न्याय (Civil-justice) के प्रयोजन के लिये नमस्त इंडिलैंड तथा वेल्स को लगभग ५०० जिलों

(काउंटियों) में विभाजित किया गया है, जिनकी सीमाएं वे ही नहीं हैं जो ऐतिहासिक या प्रशासकीय काउंटियों की हैं। इनमें से प्रत्येक काउंटी में एक काउंटी न्यायालय होता है जो १०० पाउंड से कम के दावों (Claims) को सुन सकता है। वे न्यायालय बहुत लोकप्रिय हैं; उनमें सत्ता शीघ्रता तथा कुशलता से न्याय होता है। १६०५ में एक क्रान्ति बना था जिससे उनका क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) बढ़ गया है। काउंटी न्यायालय भी निश्चित स्थान पर नहीं रहता, वह भी अमण्डील होता है। ५०० काउंटियों को ५५ भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक के लिये लार्ड चांसनर एक न्यायाधीश नियुक्त करता है। वह न्यायाधीश अपने क्षेत्र के प्रत्येक जिले में समय समय पर अपना न्यायालय लगाता है। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग दस काउंटियों होती हैं। काउंटी न्यायालय में जितने मामले आते हैं उन सब को वह न्यायाधीश नहीं सुनता; क्योंकि उनमें से कई मामलों में तो उस न्यायालय का एक अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं दोनों पक्षों में समझौते करवा देता है। काउंटी न्यायालय के निर्णयों की अपीलें उच्च न्यायालय को तथा लार्डसभा को जाती हैं।

१०० पाउंड से अधिक के व्यवहार-बाद उच्च न्यायालय के समुचित विभाग (Division) में जाते हैं—चान्सरी डिवीजन में सन्नाट की बैंच डिवीजन में, या प्रोब्रेट में, एडमिरेल्टी या डायवोर्स डिवीजन में। यदि कोई पक्ष वहाँ के निर्णय से सन्तुष्ट न हो, तो वह अपील-न्यायालय में अर्जी देकर दुवारा सुनवाई का आदेश प्राप्त कर सकता है। अपील-न्यायालय के पश्चात् विधि के प्रश्न पर लार्डसभा में अपील की जाती है। अपील-न्यायालय में अपील के आठ लार्ड जस्टिस होते हैं।

एक अन्य विधि-न्यायालय का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसे 'कोरोनर' का न्यायालय कहते हैं। कोरोनर प्रायः कोई डाक्टर या बकोल होता है जिसे काउंटी या वॉरो परिषद् नियुक्त करती है, वह उस समय पड़ताल करता है जब स्पष्ट कारण के बिना कोई मृत्यु हो गई हो। इसमें प्रक्रिया के नियम छीले हैं और कोरोनर के काम करने के तरीके की आलोचना काफी बढ़ती जा रही है।

न्याय का उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court of Judicature)— उच्चतम न्यायालय इंग्लिस्तान की समस्त न्याय-व्यवस्था का केन्द्र है। वह १८७३ में स्थापित हुआ था तथा उसे व्यवहार तथा दण्ड—दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके दो भाग हैं (१) न्याय का उच्च न्यायालय (High Court of Justice), और (२) अपील का न्यायालय। उच्च न्यायालय के भी तीन अंत होते हैं (क) सन्नाट की न्याय-मंडली (King's Bench) जिसका सभापति लार्ड मुख्य-न्यायाधिकारी (Lord Chief Justice) होता है तथा उसमें १६ अन्य न्यायाधीश होते हैं; (ख) चान्सरी डिवीजन जिसका सभापति लार्ड

चान्सलर होता है तथा उसमें ६ अन्य छोटे न्यायाधीश होते हैं, और (ग) प्रोवेट, तलाक तथा एडमिरेल्टी डिवीजन जिसमें एक सभापति तथा ४ अन्य न्यायाधीश होते हैं। दण्ड विषयक मामले सम्राट की न्याय-मंडली में जाते हैं और व्यवहार-वाद सम्राट की न्याय-मंडली में या चान्सरी में जाते हैं। ईक्विटी के नियमों का प्रयोग जहाँ आवश्यक होता है वे मामले चान्सरी को ही जाते हैं। प्रोवेट, तलाक तथा एडमिरेल्टी डिवीजन में कई प्रकार के मिले जुले मामले जाते हैं। सम्राट की न्याय-मंडली के न्यायाधीश देश में लगातार भ्रमण करते हैं, कुछ नगरों में न्यायालय लगाकर दण्ड तथा व्यवहार सम्बन्धी ऐसी अपीले सुनते हैं, जो लन्दन में न गई हो।

उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपीले अपील-न्यायालय को जाती हैं लार्ड चान्सलर, लार्ड मुख्य-न्यायाधिपति तथा प्रोवेट, तलाक और एडमिरेल्टी डिवीजन का सभापति इस न्यायालय के सदस्य होते हैं, यद्यपि इसमें वे प्रायः भाग नहीं लेते। इसका सब काम 'मास्टर आफ रोल्स' (Master of Rolls) तथा अपीलों के ५ लार्ड न्यायाधिपति करते हैं जो या तो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं या १५ वर्ष तक वकालत किये हुए वैरिस्टर होते हैं। तीन या चार सदस्य अपील को सुन सकते हैं दण्ड-विषयों की अपीलों को दण्ड अपील का न्यायालय सुनता है। उसका सभापतित्व लार्ड मुख्य-न्यायाधिपति तथा सम्राट की न्याय-मंडली के कई सदस्य, जिनकी संख्या बदलती रहती है, करते हैं। उसमें अपीलों के बीच विधि के प्रश्न पर ही जा सकती है।

अपील का सर्वोच्च न्यायालय लार्डसभा है, जो इस प्रयोजन के लिये सारी सभा नहीं है, बरन् लार्ड चान्सलर, अपील लार्ड या विधि लार्ड तथा ऐसे अन्य पीयर हैं जो पहले किसी उच्च न्यायपद पर रह चुके हो। यदि महान्यायवादी (Attorney General) यह प्रमाणपत्र दे दे कि सार्वजनिक महत्व का कोई विधि-प्रश्न उस मामले में अंतर्गत है तो वह अपील-न्यायालय तथा दण्ड-अपील के न्यायालय से अपील सुनता है। उसकी कार्यवाही अर्ध-न्यायिक होती है, प्रक्रिया मुख्यतः विधान-मंडल के समान होती है, और सब कार्यवाही सदन की कार्यवाही के अग के रूप में प्रकाशित होती है।

एक और महत्वपूर्ण तथा उच्च न्यायाधिकरण की भी यहाँ चर्चा की जानी चाहिये। वह है— प्रीवी परिषद् की न्यायिक समिति। यह समिति भारत, उपनिवेशों तथा अधिराज्यों से आने वाले मामलों के लिये अपील का उच्चतम न्यायालय थी। इसमें इङ्लिस्तान के धार्मिक (ecclesiastical) न्यायालयों से भी अपीलें आती हैं। उसमें भी लगभग वे ही व्यक्ति होते हैं जो वहाँ के उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में वैठते समय लार्डसभा में होते हैं। इसमें लार्ड चान्सलर, भूतपूर्व लार्ड चान्सलर, विधि-लार्ड, प्रीवी परिषद् के लार्ड प्रधान तथा

अनेक ऐसे न्यायाधीश भी होते हैं जो भारत तथा अधिराज्यों (Dominions) के उच्चतर न्यायालयों से लिये जाते हैं। अधिराज्यों के पारस्परिक झगड़े भी डसी में जा सकते हैं। इस प्रकार यह ब्रिटिश 'साम्राज्य' के लिये सर्वोच्च न्यायालय है। किन्तु बेस्टमिनिस्टर के कानून के अनुसार अधिराज्यों को यह अधिकार है कि वे न्यायिक समिति को अपीलें भेजना बन्द कर सकते हैं। इसी के अनुसार भारत तथा कुछ अधिराज्यों ने उसमें अपीलें भेजना बन्द कर भी दिया था। भारत के गणराज्य घोषित होने से भारत की लम्बित (Pending) अपीलें भी प्रिवी परिपद् से भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) में आ गई। एक बात याद रखनी चाहिये कि यद्यपि न्यायिक समिति न्यायिक निकाय है फिर भी वह अपने निर्णयों को न्यायालयों के समान नहीं निकालती बरन् उन्हें क्राउन को मन्त्रणा के रूप में देती है और उन्हे सम्राट द्वारा सदा स्वीकार करके, 'सपरिपद आदेश' के रूप में निकाला जाता है।

न्यायपालिका का अन्य अङ्गों से सम्बन्ध—इंग्लिस्तान की न्यायपालिका का विवरण समाप्त करने से पूर्व हम कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल से उसके संस्करणों पर विचार करेंगे।

एक समय था जब कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होती थी। राजा न्याय का स्रोत होता था; नागरिकों का न्याय करने वाले न्यायाधीश सिद्धान्त में और वास्तव में राजा के न्यायाधीश होते थे; राजा ही उन्हें नियुक्त करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। स्टूअर्ट काल में न्यायाधीश कार्यपालिका के दास से बन गये थे। किन्तु आज स्थिति बदल चुकी है; न्यायपालिका से कार्यपालिका लगभग स्वतन्त्र हो गई है। सेटिलमेन्ट अधिनियम से न्यायाधीशों की पदावधि स्थायी बन गई, वे अब दोनों सभाओं द्वारा एड़ेस पेश होने पर ही हटाये जा सकते हैं, किसी और प्रकार नहीं। हाँ, न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतन्त्र करने की दिशा में कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका था, इस दिशा में पहला कदम १६४१ में लांग संसद (Long Parliament) ने उठाया था जबकि उसने परमाधिकार (Prerogative) न्यायालयों को समाप्त कर दिया था। उसके पूरे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात से भतलव है कि इंग्लिस्तान में कार्यपालिका के नियंत्रण से न्यायपालिका को स्वतन्त्र करके वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अत्यन्त प्रभावी रक्षण-कब्ज़ (Safeguard) रख दिया गया है।

न्यायपालिका तथा विधान-मण्डल के बीच जो संबंध है उस पर अधिक विस्तार से विचार करना आवश्यक है। पहली बात यह है कि दोनों लगभग पूर्णतः पृथक् हैं। निम्नसंदेह यह सच है कि लार्डसभा ब्रेट विटेन में अन्तिम तथा उच्चतम अपील न्यायालय है, किन्तु यह याद रखना चाहिये कि उसका यह न्यायकार्य उसके

विधान-कार्य से विलकुल भिन्न है। अपील के अन्तिम न्यायालय के रूप में लार्डसभा उस लार्डसभा से कार्य रूप में विलकुल पृथक् तथा भिन्न है जो विधायी निकाय के रूप में वैठती है। अतः कार्यरूप में सब प्रयोजनों के लिये ग्रेट ब्रिटेन में न्यायपालिका तथा विधान-मंडल में पूर्ण पार्थक्य है। किन्तु विधान-मण्डल न्यायपालिका पर दो प्रकार से अपनी प्रभुता प्राधिकार का अब भी प्रयोग करता है। वह किसी न्यायाधीश को अनाचार के कारण पदच्युत कर सकता है, और वह विधी का संशोधन करके न्यायालय के निर्णय को वेकार कर सकता है। एक महत्वपूर्ण मामले में संसद् ने व्यापार विवाद् अधिनियम, १९०६ में पारित करके एक विशेष निर्णय की पुनरावृत्ति (Repetition) असम्भव बना दी थी। एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिये। ब्रिटिश न्यायालयों का न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का वैसा अधिकार नहीं है जैसा संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालयों को है। अमरीकी न्यायालय विधि का निर्वचन भी करते हैं और यह भी निर्धारित करते हैं कि कोई विधि ठीक है या नहीं, अर्थात् जिस विधान-मण्डल ने उसे बनाया है उसे उसको पारित करने का अधिकार भी था या नहीं। यदि न्यायालय यह देखे कि विधान-मण्डल किसी विधि को पारित करने से अपने प्राधिकार से आगे बढ़ गया तो वह न्यायालय उस विधि को असांविधानिक (Unconstitutional) घोषित कर सकता है। इस प्रकार अमरीकी न्यायालय संविधान के सरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ब्रिटिश न्यायालय ऐसा नहीं कर सकते। वे केवल विधि का निर्वचन कर सकते हैं, किन्तु वे सविधान का निर्वचन तथा संरक्षण नहीं कर सकते। उन्हे इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार नहीं है कि क्या संसद् को उस विधि विशेष के निर्माण का अधिकार था इस अन्तर का कारण यह है कि अमरीका में संघीय (Federal) सरकार है जिसमें लिखित सविधान ही सर्वोच्च होता है। ब्रिटेन में कोई लिखित या सर्वोच्च संविधान नहीं है जिसका निर्वचन या संरक्षण करना न्यायालयों का कर्तव्य हो।

ब्रिटिश न्याय का उच्च स्तर— ब्रिटिश न्याय व्यवस्था अपनी अच्छाई, निष्पक्षता, शीघ्रता तथा स्वतंत्रता के लिये देश विदेश में प्रसिद्ध है। उसकी अच्छाई उस बात से सिद्ध हो जाती है कि उसकी प्रक्रिया तथा हगों को अन्य देशों ने बहुत कुछ अपना लिया है। उनका भी ससार में उतना ही प्रभाव है जितना ब्रिटिश सांविधानिक परम्पराओं का है।

उसकी अच्छाई तथा कुशलता के कई कारण हैं। पहला कारण तो वे मोटे सिद्धान्त हैं जिन पर ब्रिटिश न्याय-प्रशासन आधारित है। मुक़दमे सदा ऊँले न्यायालयों में होते हैं जहां जनता की पहुंच होती है, दावे में प्रत्येक पक्ष को वकील पेश करने का अधिकार होता है, दोष सिद्ध करने का भार सदा अभियोजक

(accuser) पर होता है ; अपराध तथा निर्दोषिता का निर्धारण करने के लिये कुछ मान्य नियम तथा सिद्धान्त हैं ; गम्भीर आपराधिक मामलों में अभियुक्त पर ज्यूरी की सहायता से ही मुकदमा चलता है ; न्यायाधीश खुले न्यायालय में अपना निर्णय सुनाते हैं तथा उसके लिये कारण भी बताते हैं ; इसके अतिरिक्त विधि के प्रश्न पर उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती है । एक और भी बात है कि ब्रिटिश न्यायालयों में जो प्रक्रिया-नियम (Rules-of Procedure) प्रयुक्त होते हैं उन्हें बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति होती है जिसमें लार्ड चान्सलर, ७ अन्य बड़े न्यायाधीश और ४ बकील होते हैं ; वहाँ सयुक्त राज्य अमरीका के समान विधान-मंडल प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता । प्रक्रिया-नियमों का उद्देश्य यह है कि न्याय शीघ्र तथा सुनिश्चित हो । प्रक्रिया के विषय में अपीले देखने में नहीं आती, २०० में एक से अधिक नहीं होती । न्यायाधीशों की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता, बकीलों की दक्षता, मुकदमों की सुनवाई में न्यायिता, गवाहों पर दबाव न ढालना आदि अन्य कारण हैं जिनसे ब्रिटिश व्यवस्था आदरणीय, स्थिर तथा अच्छी और संसार की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं में से है ।

अध्याय ११

स्थानीय शासन तथा प्रशासन

विषय-प्रवेश— स्थानीय शासन एक सुव्यवस्थित राज्य के राजनैतिक ढांचे से पृथक् बस्तु नहीं है वह तो उसका ही एक अभिन्न अङ्ग है । उसे कई बार शासन का एक अङ्ग मान लिया जाता है । चाहे हम इस विचार को स्वीकार करें या नहीं, यह तो बात ठीक ही है कि स्थानीय निकाय प्रत्येक सभ्य राज्य में होते हैं और वे लोगों में स्वाधीनता की भावना को जागृत करने में तथा स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के सफल रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं । जैसा कि हेनरी सिजियिक ने कहा है, प्रतिनिधि संस्थाओं का जो भी शैक्षणिक मूल्य होता है वह मुख्यतः स्थानीय संस्थाओं के विकास पर निर्भर होता है । अतः यह आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार के अङ्गों का वर्णन करने के पश्चात् अत में देश के स्थानीय शासन और प्रशासन का वर्णन भी कर दिया जाये ।

उसका इतिहास— इंग्लैंड का म्थानीय शासन केन्द्रीय शासन से अधिक पुराना भी है और अधिक नया भी है । ब्रिटेन में प्रवल केन्द्रीय शासन तो सर्वप्रथम

विलियम विजेता ने ही स्थापित किया था और उससे भी बहुत पहले अंग्रेज लोग अपने पैरिशों, हँड्रेडो तथा शायरों में अपने स्थानीय मामलों को स्वयं संभालते थे। पैरिश तो नॉरमन विजय से पहले भी होते थे, और काउंटी तथा वॉरो भी संसद के निर्माण से पहले वर्तमान थे। सेक्सन तथा नॉरमन कालों में इन्हिस्तान स्थानीय संस्थाओं का देश था; लोग अपने ही मामलों में व्यस्त थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनके स्थानीय ज़ेत्र से बाहर क्या होता था। किन्तु एक दूसरे अर्थ में स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार से नया ही है। वर्तमान स्थानीय शासन उन सुधार अधिनियमों द्वारा स्थापित हुए हैं जो गत एक सौ वर्षों में पारित हुए थे। १८३५, १८८८, १८४४, १८२६ तथा १८३३ के अधिनियमों द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था का पूर्णतः पुनर्निर्माण हो गया है। १८३५ के नगरपालिका नियम अधिनियम में वॉरो के लिये स्थानीय शासन की व्यापक योजना थी और वही व्यवस्था अब तक कायम है। १८८८ के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा काउंटियों के लिये भी वही व्यवस्था लागू कर दी गई जो १८३५ के अधिनियम द्वारा वॉरो में कायम की गई थी। इससे काउंटियों के प्रशासन की पुनर्रचना हुई। १८४४ के ज़िला तथा पैरिश परिपद अधिनियम द्वारा पैरिशों में वर्तमान प्रशासन-व्यवस्था लागू करदी गई। उससे पहले कई प्रकार के विशेष ज़िले थे, जैसे वरियल, सेनीटरी, और स्थानीय सुधार ज़िले आदि, किन्तु उक्त अधिनियम से नगर तथा ग्राम ज़िले बनाये गये। १८२६ के अधिनियम द्वारा उन सब ज़िलों को समाप्त कर दिया गया या मिला दिया गया जो १८४४ के अधिनियम द्वारा बनाये गये थे, और स्थानीय निकायों को सामाजिक सेवाओं के लिये धन-सहायता देने के लिये नया प्रबंध किया गया। इससे स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रीय नियंत्रण चढ़ गया। अन्त में १८३६ के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा विभिन्न स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख एक ही कानून में कर दिया गया।

इन पांच अधिनियमों के परिणामस्वरूप, जिनसे इन्हैं देश के स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार हो गये, अब वहां स्थानीय स्वशासन के पांच प्रमुख ज़ेत्र हैं—
 (१) काउंटी (२) वॉरो, (३) नगर-ज़िला, (४) ग्राम-ज़िला, और (५) पैरिश। देश के प्रशासन को पहले तो काउंटियों में घाँटा गया है (जैसे भारत में राज्यों को ज़िलों में घाँटा जाता है)। काउंटी में आधिक गहरी आवादी वाले ज़ेत्र नगर-ज़िले बना दिये जाते हैं तथा कम आवादी वाले ज़ेत्र ग्राम-ज़िले बना दिये जाते हैं। इन ज़िलों का फिर विभाजन करके नगर पैरिश तथा ग्राम पैरिश बनाये जाते हैं। काउंटी में जिस ज़ेत्र को म्युनिसिपल चार्टर मिलता है उसे वॉरो कहते हैं। लन्डन का अपना विशेष शासन है। अब हम इन ज़ेत्रों में स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था का हाल लिखेंगे।

काउंटी— काउंटी ही स्थानीय प्रशासन का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अतः हम पहले उसे ही ले लेते हैं। उसका पूरा नामकरण ‘प्रशासकीय काउंटी’ है और उसमें तथा ऐतिहासिक काउंटी में अन्तर है। ६२ प्रशासकीय काउंटियाँ हैं तथा ५२ ऐतिहासिक काउंटियाँ हैं। ऐतिहासिक काउंटियाँ न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र हैं और उनमें से प्रत्येक में एक ज़िल्स ऑफ पीस होता है। तथा लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिये वे ही निर्वाचन-क्षेत्र भी हैं; इस समय उनका स्थानीय प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः उनमें काउंटी परिषद् या कोई स्थानीय निकाय नहीं है जो उनके मामलों का प्रबन्ध करे। प्रत्येक ऐतिहासिक काउंटी में एक लार्ड लेफ्टीनेंट होता है जो एक अवैतनिक अफसर होता है, तथा एक शेरिफ भी होता है। स्थानीय शासन तथा प्रशासन की दृष्टि से ऐतिहासिक काउंटियों का कोई महत्व नहीं है।

१८८८ के अधिनियम द्वारा वर्तमान ६२ प्रशासकीय काउंटियों की सीमाएँ निश्चित की गई थीं। ऐसा करते समय प्राधिकारियों ने अधिकार प्राप्तीन काउंटियों को ही रहने दिया किन्तु कुछ काउंटियों में परिवर्तन करना पड़ा जहां कि स्थानीय प्रशासन के लिये उपयुक्त बनाने की दृष्टि से उन्हे विभाजित करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि दोनों प्रकार की काउंटियाँ भिन्न भिन्न हैं और उनमें अन्तर भी है, फिर भी अधिकांश में उनके क्षेत्र एक ही हैं, किन्तु सभी काउंटियों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिये लैंडन की काउंटी किसी एक ऐतिहासिक काउंटी से सबद्ध नहीं है; वह चार प्राचीन काउंटियों में फैली हुई है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सब काउंटियों के क्षेत्रफल या जनसंख्या बराबर नहीं हैं।

प्रत्येक प्रशासकीय काउंटी में एक काउंटी-परिषद् होती है जो वहां का शासक निकाय होता है। उसकी सदस्य संख्या उस काउंटी की जनसंख्या के अनुसार कम ज्यादा होती है। उसमें पारिपंडो (काउंसिलरों) तथा ऐलटरमैनों में यह अन्तर होता है कि ऐलटरमैन मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि पारिपंड (काउंसिलर) अग्रे में से या बाहर वालों में से एक तिहाई को ऐलटरमैन चुनते हैं अथात यदि ३० काउंसिलर हैं तो वे १० ऐलटरमैनों को चुनते हैं। काउंसिलर वी कार्यवाधि ३ वर्ष है तथा ऐलटरमैन की ६ वर्ष है। काउंसिलरों के निर्वाचन के लिये समस्त काउंटी को कई निर्वाचन-ज़िलों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन ज़िले से एक सदस्य चुना जाता है। जब कोई काउंसिलर ऐलटरमैन चुन लिया जाता है, तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिये पारिपंड (काउंसिलर) का चुनाव होता है। ऐलटरमैन की पदावधि पारिपंड (काउंसिलर) से अधिक होते हुए भी उसकी शक्ति या कार्य अधिक नहीं होते; हाँ, उसकी प्रानिष्ठा अवश्य अधिक हो जाती है। ऐलटरमैनों में से आधे प्रति तीसरे वर्ष,

अर्थात् परिपद् के निर्वाचन के समय, निवृत्त (Retire) हो जाते हैं। ऐलटर्मैनों की संस्था से दो लाभ हैं; इससे कुछ सदस्य परिपद् कार्य में अधिक अनुभवशील बन जाते हैं, काउन्टी को ऐसे योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं जो विशेष ज्ञान वाले होते हैं किन्तु निर्वाचन के भलाड़े में नहीं पड़ना चाहिते। परिपद् (काउंसिलर) तथा ऐलटर्मैन एक साथ समवेत होकर एक सभापति चुनते हैं, जो प्रायः उनमें से ही होता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह उनमें से ही हो। परिपद् अपने सभापति को बेतन दे सकती है तथा अपने सदस्यों को परिपद्-कार्य करने के लिये सफर-भत्ता दे सकती है।

परिषदों के निर्वाचन प्रति तीन वर्ष में होते हैं। यह मार्च के आरम्भ में हुआ करते हैं। परिषदों के विषय में व्यापक वयस्क मताधिकार नहीं है, जैसा कि लोकसभा के लिये है। यह विचित्र वात है कि जो व्यक्ति संसदीय निर्वाचनों में मत दे सकता है वह नागरिक निर्वाचनों में मत नहीं दे सकता। इसके विपरीत पीयर आदि लोकसभा के लिये मत नहीं दे सकते, पर नगर परिपद् के लिये मत दे सकते हैं। परिपद् में वही मतदाता वन सकता है जो किसी भकान का स्वामी हो या उसमें रहता हो या ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी हो, या कुछ निश्चित राशि कर के रूप में देता हो।

परिपद् वर्ष भर में कम से कम चार बार समवेत होती है। उसे पर्याप्त तथा विविध शक्तियाँ हैं, और वह उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य करती है। वह उस काउन्टी की छोटी स्थानीय संस्थाओं के कार्य की देखभाल और नियंत्रण करती है और स्वयं भी प्रत्यक्ष कई कार्य करती है। परिषदों के कार्यों में निम्न कार्य समाविष्ट किये जा सकते हैं: बजट को तैयार करना, कुछ करों को लगाना, काउन्टी में मुख्य मढ़कों तथा पुलों को बनाना एवं उनकी मरम्मत कराना, पागलखाने, सुधारालय तथा औद्योगिक शिक्षालयों का प्रबन्ध। काउन्टी में मुख्य शिक्षा-प्राधिकारी भी परिपद् ही होती है, वही पैरिश के पुस्तकालयों आदि की देखभाल, व्यवस्था आदि करती है, और ग्राम्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होती है। वह समय समय पर काउन्टी का व्यापक परिमाप (Survey) करती है और स्थानीय प्राधिकारियों की सीमाओं में परिवर्तन संघी सिफारिश करती है। हाउसिंग एक्ट (ग्रुह-अधिनियम) का कार्य प्रायः काउन्टी परिपद् के अधीन जिले तथा वर्गों ही कर लेते हैं, फिर भी परिपद् यह देखती है कि कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं और वह स्वयं भी उस कार्य को संभाल सकती है। परिपद् खेती के विकास तथा उद्योगों की उन्नति की ओर भी ध्यान देतो है। वह कृषि की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करती है तथा श्रमिकों के बच्चों को उससे लाभ उठाने का प्रोत्साहन देती है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि काउन्टी परिपद् का उद्देश्य यह है कि

ग्राम्य जीवन को अधिक आकर्षक तथा मनोरंजक बनाये और कृषि-श्रमिक के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाये। इन सामाजिक कामों के अतिरिक्त परिषद् को काउन्टी में पुलिस व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं।

परिषद् इन सब कार्यों को स्वयं नहीं करती। वह तो नीति निर्धारित करती है; दिन प्रति दिन का प्रशासन-कार्य तो स्थायी कर्मचारी वर्ग (Permanent Staff) करता है। उसमें काउन्टी कलर्क, कोषाध्यक्ष, परिमापक (Surveyor), स्वास्थ्य अधिकारी तथा कई अन्य कर्मचारी होते हैं, उन सब को योग्यता के आधार पर रखा जाता है और राजनैतिक कारणों से उन्हे हटाया नहीं जा सकता। इंगलैण्ड में स्थानीय प्रशासन की कुशलता का प्रधान कारण यही है कि स्थानीय कर्मचारी वर्ग योग्यता के आधार पर नियुक्त होता है तथा अपने पद पर स्थित रहने के लिये उसे राजनीति को शरण में भाग नहीं लेना पड़ता। यह भी याद रखना चाहिये कि परिषद् भी समितियों से काफी लाभ उठाती है। कानून से यह अनिवार्य है कि प्रत्येक परिषद् को कम से कम निम्न नौ समितियां तो रखनी ही पड़ती हैं— वित्त, शिक्षा, निर्धन-साहाय्य, लोक-स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, कृषि, तथा प्रसूता और शिशु-कल्याण समितियां। उन्हें समूची परिषद् चुनती है और वे समितियां परिषद् के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं।

ग्राम्य ज़िले— काउन्टी परिषद् के लिये सभव नहीं है कि वह अपने सारे पैरिशों की सब आवश्यकताओं पर, जैसे स्वच्छ वायु, जल-व्यवस्था, और लोक-स्वास्थ्य, पर ध्यान दे सके। इनके तथा स्थानीय महत्त्व के अन्य विषयों के कुशल प्रशासन के लिये वह कई पैरिशों का वर्ग बना देती है। उन वर्गों को ग्राम्य ज़िले कहते हैं और उसके प्रबन्ध के लिये एक ज़िला परिषद् होती है। एक काउन्टी में कई ग्राम्य ज़िले होते हैं। उनको कुल संख्या ६०० है।

ज़िला परिषद् में कई निर्वाचित पारिषद् (Councillors) होते हैं जिनकी संख्या काउन्टी परिषद् निर्धारित करती है और वह संख्या प्रत्येक ज़िले की जन-संख्या पर निर्भर होती है। प्रत्येक पैरिश को, जिसकी जनसंख्या ३०० से कम न हो, ज़िला परिषद् में एक सदस्य चुन कर भेजने का अधिकार होता है। केन्द्रीय सरकार ज़िला परिषदों को गृह-निर्माण अधिनियम (Housing Act) के प्रयोजनों के लिये अपने अभिकर्ताओं (Agents) के रूप में रखती है। अतः इन परिषदों को भूमि अर्जित (acquire) करने का तथा उस पर भवन-निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखने वाले प्राधिकारी के रूप में उन्हें जल-व्यवस्था, सड़के साफ करवाना और पटरियों को साफ रखना, नालियों, तथा गन्दगी को साफ करवाना आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। जिन सड़कों का ध्यान केन्द्रीय सरकार या काउन्टी परिषद् नहीं रखनी उन्हें प्रायः ग्राम्य ज़िला परिषद् ही संभालती हैं। काउन्टी परिषद् के नमान, ज़िला परिषद् भी स्थायी कर्मचारी वर्ग रखती है।

ग्राम्य जिला परिपद् के निर्वाचन अप्रैल में होते हैं। पारिपद् तीन वर्षों के लिये चुने जाते हैं, और उनसे से एक तिहाई प्रतिवर्ष निवृत हो जाते हैं, इस प्रकार जिला परिपद् के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है।

नगर ज़िला परिषदें— जब उद्योग के विकास के कारण किसी काउन्टी का कोई भाग गहरी आवादी वाला बन जाता है तब काउन्टी परिपद् उसे नगर-जिला घना सकती है और वहाँ एक निर्वाचित परिपद् बना देती है जो उसकी जल-व्यवस्था, स्वच्छता, लोक-स्वास्थ्य के अतिरिक्त उसकी अन्य समस्याओं जैसे गैस, विजली या ट्रामवे को भी संभालती है। यदि शहरी जिले की जनसंख्या २०,००० से अधिक हो तो उसकी परिषद् को उसकी प्रारम्भिक पाठशालाओं पर नियन्त्रण रखने का भी अधिकार मिल जाता है। यदि आवादी २५ हजार से बढ़ जाती है तो एक स्टाइपेंटरी (वैतनिक) दंडाधीश (Magistrate) भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार शहरी जिला-परिपद् की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं और अन्त में वे वॉरो परिपद के घरावर हो जाती हैं। इन्हिस्तान तथा वेल्स में लगभग ७०० नगर-जिला परिषदें हैं।

ज़िला-परिषदें— चाहे वे शहरी हो या ग्राम्य हो— अपना सभापति अपने आप चुनती हैं, या नो अपने सदस्यों में से या बाहर से। उनकी बैठकें एक मास में एक बार होती हैं और काउटी परिषदों के समान वे भी अपना काम समितियों तथा स्थायी कर्मचारी वर्ग की सहायता से चलाती हैं। प्रत्येक परिपद् अपने लिये एक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक (Sanitary Inspector), परिमापक (Surveyor), क्लर्क, कोपाध्यक्ष, कर उगाहने वाला अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करती है।

पैरिश— पैरिश ग्राम्य क्षेत्रों के लिये स्थानीय शासन की सबसे छोटी डकाई है। उसकी जनसंख्या तीन सौ या उससे अधिक हो तभी उसमें परिपद् बन सकती है। उसमें पांच से पंद्रह तक सदस्य हो सकते हैं, जो प्रायः सामान्य सभा में हाथ उठा कर चुने जाते हैं। वह परिपद् तीन वर्ष तक रहती है। जिस पैरिश में ३०० से कम व्यक्ति होते हैं, उसका प्रबंध करने के लिये पैरिश की बैठक होती है जिसमें सारे करदाता बुलाये जाते हैं। पैरिश को बैठकों और पैरिश परिषदों के काम बहुत हल्के होते हैं। उन्हें प्रायः पैरिश के 'हॉल' (Hall) तथा पुस्तकालय, बाग तथा ग्राम-मार्गों आदि का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी उन्हें जल-व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है और पटरियों की मरम्मत का काम भी मिल जाता है। यदि पैरिश परिपद् के लिये योग्य व्यक्ति पैरिश में नहीं होते तो दूसरे पैरिश से किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है। पैरिश परिपद् में क्लर्क के अतिरिक्त कोई वैनिक अधिकारी नहीं हो सकता।

बॉरो— स्थानीय शासन के प्रयोजन के लिये बॉरो का महत्व ग्राम्य या शहरी ज़िलों से या पैरिशों से कहीं अधिक है, उनमें वहुत अधिक जनसंख्या रहती है। इंग्लिस्तान तथा वेल्स में गत छह शताब्दी में वहुत ज्यादा शहरी प्रदेश हो गये हैं। नगर-शासन की समस्या इंग्लिस्तान में जितनी महत्वपूर्ण है उतनी भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में तो ७५% आवादी गाँवों में रहती है।

प्रायः तीन प्रकार के बॉरो माने गये हैं— संसदीय बॉरो, म्युनिसिपल बॉरो तथा काउंटी-बॉरो। संसदीय बॉरो लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये केन्द्र तथा द्विकाल्यां होते हैं, उनका भी ऐतिहासिक बॉरो के समान स्थानीय शासन से कोई संबन्ध नहीं होता। म्युनिसिपल तथा काउंटी बॉरो अपने ढांचे या कार्यों के विषय में मूल रूप से भिन्न नहीं हैं; उनका निर्माण एक ही प्रकार होता है तथा उनको शक्तिय भी एक सी ही होती हैं। उनमें अन्तर यह है कि म्युनिसिपल बॉरो उस प्रशासकों का उन्नीस का अङ्ग होता है जिसमें कि वह स्थित होता है और उसके केन्द्राधिकार अधीन भी होता है। किन्तु काउंटी बॉरो को काउंटी की शक्तियां दे दी जाती हैं अतः उस काउंटी के नियंत्रण से मुक्त होता है जिसमें वह स्थित होता है। जब किस बॉरो की जनसंख्या बढ़कर ७५ हजार हो जाती है तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय को अज दे सकता है कि उसे काउंटी बॉरो का पढ़ दे दिया जाये। हां, यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसा करे ही। कई बॉरो उस पढ़ के लिये याचना नहीं करते।

बॉरो (म्युनिसिपल या काउंटी बॉरो) शहरी केन्द्र होता है जिसे म्युनिसिपल चार्टर मिल चुका हो तथा उसे १८८२ के म्युनिसिपल निगम एकीकरण अधिनियम (Municipal Corporation Consolidation Act) के उपवन्धो के अधीन संगठित तथा शासित किया जाता है। म्युनिसिपल चार्टर प्राप्त करने का तरीका जलस्था है। इसके लिये याचिका (Petition) राजा के नाम जाती है, फिर प्रिपरिपद् उस पर पड़ताल करवा कर रिपोर्ट पेश करती है। यदि उसकी पड़ताल परिणाम उसके पक्ष में हों, और यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उस केन्द्र वहुत से मतदाताओं द्वारा कोई आपत्ति न उठाई गई हो, तो सपरिपद् आंनिकाल कर चार्टर दे दिया जाता है और नये बॉरो की सीमाएँ निश्चित करदी जाती हैं। बॉरो छोटे बड़े होते हैं तथा उनकी शक्तियाँ भी कम ज्यादा होती हैं। उन शक्तियों के कई स्रोत होते हैं— उन्हें शक्ति म्युनिसिपल निगम अधिनियम संसद के स्थानीय तथा असार्वजनिक अधिनियमों (Local and Private Acts) से, और केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों के आदेशों से प्राप्त होती है। इन विभिन्न स्रोतों के कारण बॉरो की शक्तियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं।

बॉरो की शासक-सत्ता बॉरो परिपद् है जिसमें मेयर, पारिपद-गण (Councillors) नथा ऐलडरमैन होते हैं। परिपद की सदस्य-संख्या भी जनसंख्या के अ-

पर चार्टर में ही निश्चित कर दी जाती है^१, कम से कम संख्या ६ तथा अधिकतम ४२ होती है। पारिषदों को तीन वर्ष के लिये जनता द्वारा चुना जाना है, उनमें से एक तिहाई प्रतिवर्ष निवृत्त हो जाते हैं, और ऐलटरमैनों को पारिषद्, अपने में से या वाहर वालों में से, ६ वर्ष के लिये चुनते हैं। ऐलटरमैन पारिषदों से एक तिहाई होते हैं और उनमें से आधे प्रति तीन वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। पारिषदों और ऐलटरमैनों की शक्तियां और कार्य समान ही होते हैं; ऐलटरमैनों का सम्मान और प्रतिष्ठा कुछ अधिक होती हैं क्योंकि उनकी पदावधि अधिक होती है और उनका अनुभव अधिक होता है, समय के कारण उनका प्रभाव भी अधिक हो जाता है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक वॉरो को वार्डों में वॉटा जाता है, प्रत्येक वार्ड तीन या उसकी गुणित संख्या में पारिषद् चुनता है। निर्वाचन प्रतिवर्ष प्रथम नवम्बर को होता है।

पारिषद् तथा ऐलटरमैन अपने आप में से या वाहर से एक मेयर चुनते हैं। मेयर का पद् वहुत प्रतिष्ठा तथा प्राचीनता का घोतक है; उस पर प्रतिष्ठित सज्जन वॉरो का प्रथम नागरिक होता है और सब महत्त्वपूर्ण समारोहों पर उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह एक वर्ष के लिये अपने पद् पर रहता है किन्तु उसका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। वह परिषद् की घैंठकों में सभापति होता है और सब प्रश्नों पर मत भी दे सकता है। किन्तु उसकी कोई कार्यपालिका सत्ता नहीं होती। वह नियुक्तियां नहीं करता, और परिषद् के संकल्पों पर उसके अनुसोदन की आवश्यकता नहीं होती। उसका पद् वैतनिक नहीं होता किन्तु कर्ड वॉरो अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके उसे वैतन दे देते हैं क्योंकि उसके पद् के सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने में व्यय होता रहता है। मेयर की पत्नी के वैधानिक कर्तव्य कुछ भी नहीं होते किन्तु उससे सामाजिक कार्यवाहियों में भाग लेने की आशा की जाती है। यदि मेयर के पत्नी नहीं होती है तो कोई अन्य स्त्री, जो उसकी रिस्टेदार हो, 'मेयरेस' का काम करती है, और यदि कोई महिला ही मेयर निर्वाचित हो जाये तो कोई अन्य स्त्री 'मेयरेस' का काम करती है।

वॉरो परिषद् कार्यपालिका तथा विधायी दोनों प्रकार के कार्य करती है। वह सब अधिकारियों को नियुक्त करती है तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की देखभाल करती है, वह जल-च्यवस्था, स्वच्छता, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें तथा गलियां, पुलिस और अग्नि से रक्षा आदि कामों को भी करती है। वह उन मध्य शक्तियों का प्रयोग करती है जो वॉरो को कॉमन विधि से, संसद् के सामान्य तथा विशेष अधिनियमों से, और केन्द्रीय सरकार के विभागों के अस्थायी आदेशों से प्राप्त होती हैं। अधिकांश कार्य समितियों के द्वारा होता है। विधि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक वॉरो परिषद् को निम्न विषयों पर समितियां अवश्य रखनी होंगी: वित्त, शिक्षा, निर्धन-साहाय्य, बुद्धावस्था पेन्शन, अग्नि से रक्षा, तथा पुलिस के सञ्चय में

देखभाल समिति। कभी कभी समितियों की संख्या पच्चीस तीस तक हो जाती है। परिपद् की बैठकें नगर के 'हॉल' में प्रतिमास, प्रति पक्ष या आवश्यकता हो तो प्रति सप्ताह होती हैं, और उसके काम के नियम वह स्वयं ही बनाती है। परिपद् का विधायी कार्य यह है कि वह सब प्रकार की उपचिधियां बनाती है, किन्तु स्वास्थ्य मन्त्रालय को अधिकार है कि वह उसके किसी नियम को रद्द कर सकता है यदि वह राष्ट्रीय विधि के विपरीत हो। परिपद् बजट को भी तैयार करती है, सब विनियोग करती है तथा कर आदि लगा कर खर्च पूरा करती है। लन्दन में स्थित केन्द्रीय खजाना जहां तक उन्हें अनुमति देता है उस हद तक वे धन उधार भी ले लेती हैं। परिपद् वॉरो का शासन-कार्य चलाने के लिये एक कर्लर्क, एक कोपाध्यक्ष, इजीनियर, पब्लिक एनेलिस्ट, चीफ कान्सटेबल तथा स्वास्थ्य अधिकारी (Health Officer), इन स्थायी वैतनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। उनकी सहायता के लिये छोटे कर्मचारी भी होते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उनके काम की देखभाल करना परिपद् का कार्य है।

जैसा कि काउंटियों में होता है, उसी प्रकार वॉरो में भी सब प्रशासन संबंधी नियुक्तियां सभा द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं होनीं, किन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि केवल योग्य तथा दक्ष लोग ही लिये जायें। यद्यपि परिपद् अपने कर्मचारियों को कभी भी पदच्युत कर सकती है, फिर भी जब तक कि उनका कार्य सन्तोषजनक हो, उनके पद स्थायी ही होते हैं। उनके पद की सुरक्षिता परम्परा के कारण है, विधि के कारण नहीं। नियुक्तियों में राजनीतिक और वैयक्तिक कारणों पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता और उनकी पदावधि सुरक्षित होती है। इन्हीं कारणों से नगर का प्रशासन बहुत कुशल बन जाता है।

स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण— ऊपर स्थानीय शासन का जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट हो जायगा कि अंग्रेजों को अपने स्थानीय मामलों के प्रबन्ध-कार्य में बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है। चाहे काउंटी हो, चाहे वॉरो हो, चाहे शहरी या ग्राम्य ज़िला हो, या पैरिश हो, प्रत्येक क्षेत्र में एक निर्वाचित परिपद् होती है जिसे स्थानीय मामलों के प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त होता है। वह परिपद् अपने सभापति को चुनती है, 'अपने' कर्मचारियों को नियुक्त करती है, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर कर उगाहती है, और उसे स्वीकृत मदों पर व्यय करती है। वही अपनी नीतियों को आरम्भ करती है तथा क्रियान्वित भी करती है। या हम यों कह सकते हैं कि अंग्रेजों का स्थानीय स्वशासन प्राप्त है। उन्हें म्युनिसिपल (नागरिक) स्वराज्य प्राप्त है। स्थानीय संस्थाएं शासन व्यवस्था के अधीनस्थ अंग नहीं हैं;

वे अपनी इच्छानुसार चलते हैं तथा साधिकार काम करते हैं। वे मानो एक अलग व्यवस्था के अंग हैं।

किन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिये कि उन्हें लंदन की केन्द्रीय सरकार से नियंत्रण या हस्तक्षेप विना अपने मार्ग पर चलने दिया जाना है। ऊपर से कुछ नियंत्रण तो सदा ही रहता है, किन्तु सुधार से पूर्व वह बहुत कम था। एक शताब्दी पूर्व केन्द्रीय सरकार पूर्णतः स्थायी मामलों की चिन्ता नहीं किया करनी थी। काउंटी तथा वॉरो कर लगाते थे, व्यय करते थे, सड़के बनाते थे और अपनी इच्छानुसार सब कुछ करते थे, तथा केन्द्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। किन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ गया है तथा बढ़ता जा रहा है, किन्तु फ्रांस, यूरोप के अन्य देशों तथा भारत से अब भी कम है।

स्थानीय निकायों पर केन्द्रीय नियंत्रण कर्ड प्रकार से होता है। संसद विधि पारित करके नये स्थानीय शासन-क्षेत्रों का निर्माण तथा पुरानों की समाप्ति कर देती है और यह भी उपवन्ध बना देती है कि स्थानीय प्राधिकारी कुछ काम लंदन सरकार के उपयुक्त विभाग की स्वीकृति से कर सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित विधियों में स्थानीय प्राधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये नियम-विनियम (Rules and Regulations) भी दिये होते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ते जाते हैं और सरकार के कामों का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे ही स्थानीय निकायों को भी नये काम करने के लिये कहा जाता है। इसी से एकरूपता और अधिकाधिक केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय प्राधिकारियों को अधिक नियंत्रण तथा हस्तक्षेप की शक्ति मिलने का कारण यह भी है कि स्थानीय निकायों को केन्द्रीय कोप में से सहायता के रूप में अनुदान (Grants) दिये जाते हैं। इसी मुख्य साधन द्वारा इंग्लिस्तान में स्थानीय सरकारों पर केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ता जाता है। सरकार स्थायी निकायों को शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं की सहायता के लिये धन देती है और फिर यह निरीक्षण (Inspection) का अधिकार मांगती है कि उसने जो धन राशियां दी थीं उनसे अधिकाधिक लाभ उठाया जा रहा है या नहीं। सरकारी सहायता के पीछे पीछे सरकारी निरीक्षक भी पहुंच जाते हैं। वे राष्ट्रीय सरकार की ओर से केवल देखने तथा सुनने के लिये ही नहीं आते वरन् बोलने और करने के लिये भी आते हैं। यदि वे देखते हैं कि स्थानीय निकाय का काम ठीक नहीं है या वह सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम-विनियमों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रीय प्राधिकारियों को सूचना दे देते हैं, जो कि धमकी देते हैं कि स्थिति में सुधार नहीं होगा तो सहायक-अनुदान बढ़ कर दिये जायेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अपने निरीक्षकों के द्वारा लगातार दबाव ढालनी रहती है। वह अन्यथा को रोक भी सकती है तथा सुनी के लिये ढूँढ़ भी दे सकती है। यदि कोई स्थानीय निकाय अपने

काम को करने में लगातार असफल रहता है तो सरकार उसकी शक्तियाँ आयुक्तों (Commissioners) को दे देती है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिये नियुक्त होते हैं।

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि १९२६ के स्थानीय शासन अधिनियम से पहले केन्द्रीय सरकार विविध सेवाओं के लिये विभिन्न सहायक अनुदान दिया करती थी, जैसे शिक्षा के लिये एक निश्चित राशि, गृह-निर्माण के लिये भी कुछ धन-राशि तथा पुलिस के लिये भी निश्चित राशि दी जाती थी। यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये दी गई राशि का सदृप्योग न हो तो केवल उसे ही कम किया या रोका जा सकता था। उसका अन्य अनुदानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किन्तु उक्त अधिनियम द्वारा पृथक् पृथक् अनुदान समाप्त कर दिये गये और यह उपचर्व कर दिया गया कि एक बड़ी राशि दे दी जाये जिसे वह निकाय इच्छानुसार व्यव कर सकता है। इस व्यवस्था से यह संभव हो गया है कि सरकार समत्त अनुदान को या उसके भाग को रोक सकती है, यदि वह स्थानीय प्रशासन के किसी अंग से भी असंतुष्ट हो। इससे यह पता लगेगा कि वित्त के साधन से ही केन्द्रीय सरकार स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण प्रशासकीय (Administrative) अधिक है, विधायी (Legislative) कम। ब्रिटिश संसद् विधायी उपायों द्वारा स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करती; वह तो केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को अधिकार दे देती है कि वही यह निर्धारित करे कि स्थानीय शासन को कोई कार्य करना चाहिये या नहीं, और फिर वही यह भी देखे कि समत्त कार्य कुशलता से हो रहा है या नहीं। यह भूलना नहीं चाहिये संसद् विधि पारित करके यह निश्चय करती है कि स्थानीय शासन के ज्ञेत्र क्या होंगे तथा वहाँ किस प्रकार का शासन होगा; संसद् यह भी निर्धारित कर देती है कि वह क्या क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा। इस हृद तक नियंत्रण विधायी (Legislative) होता है। किन्तु यह नियंत्रण इससे अधिक नहीं होता तथा उसका प्रशासन पर प्रभाव नहीं पड़ता। विविध विभाग सहायक-अनुदानों और निरीक्षण तथा मंत्रणा की शक्ति द्वारा ही प्रशासकीय नियंत्रण रखते हैं। इस मामले में ब्रिटिश प्रणाली अमरीकी प्रणाली से भिन्न है।

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केन्द्रीय नियंत्रण कई विभागों के द्वारा रखा जाता है, फ्रांस के समान एक विभाग द्वारा नहीं रखा जाता, अतः इंग्लिस्तान में फ्रांस से कम नियंत्रण है। स्थानीय प्रशासन का सम्बन्ध मुख्यतः स्वास्थ्य-मंत्रालय, गृह कार्यालय, शिक्षा-बोर्ड, यातायान-मंत्रालय, व्यापार-बोर्ड तथा कृषि-मंत्रालय से होता है और वे ही उन पर देख-भाल रखते हैं। स्वास्थ्य-मंत्रालय निर्धन-साहाय्य, जल-व्यवस्था, स्वच्छता और लोक-स्वास्थ्य पर सामान्य नियन्त्रण

रखता है। गृह-कार्यालय पुलिस की देख-रेख करता है तथा कारखानों और खानों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होता है। शिक्षा-बोर्ड प्रारम्भिक, माध्यमिक, टेक्नीकल तथा कालेजियेट स्कूलों का ध्यान रखता है। यातायात-मन्त्रालय का ट्रामवे, सड़कों की रेलों, बन्दरगाहों आदि पर क्षेत्राधिकार होता है। कृषि-मन्त्रालय मणिधर्यों, खाद्य पदार्थों, औपधियों, पशु-चिकित्सा, आदि विषयों से सम्बद्ध विधियों के पालन की देख-भाल करता है। विभाग स्थानीय शासन की व्यवस्था को स्वयं नहीं चलाते (केवल लन्दन पुलिस की व्यवस्था गृह-मन्त्रालय चलाता है); प्रत्येक क्षेत्र में परिपद् तथा उसके द्वारा नियुक्त स्थायी कर्मचारी वर्ग ही व्यवस्था को चलाते हैं। केन्द्रीय विभागों का काम तो यही है कि देख-भाल करें और सूचना तथा मन्त्रणा देते रहें। वे शिकायतें भी सुनते हैं, जॉच पड़ताल करते हैं और विवादों को भी निवटते हैं। वे स्थानीय संस्थाओं के सङ्गठन और प्रक्रिया आदि विषयों पर नियम-विनियम बना देते हैं जिन पर उम्हे चलना होता है। वे एक बात को करने की अनुमति दे सकते हैं तथा दूसरे के लिये मना कर सकते हैं। वे ये सब काम कर सकते हैं और इन से भी अधिक करते हैं, किन्तु फिर भी उनका यह काम नहीं है कि स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले किसी काम को करने का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लें। वे नो केवल ध्यान ही रखते हैं कि स्थानीय निकाय ठीक प्रकार कार्य करें।

ब्रिटिश योजना में बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। उससे स्थानीय स्वायत्ता (Autonomy) भी बनी रहती है और प्रबल केन्द्रीय नियंत्रण भी रहता है। स्थानीय स्वशासन बहुत प्राचीन वर्स्तु हैं; इगलिस्तान में स्थानीय शासन की पद्धति एलो-सेक्सन लोगों ने आरम्भ की थी और उनमें स्थानीय स्वायत्ता की आदत ढाल दी थी जो अब तक है। केन्द्रीय नियंत्रण तो बहुत प्राचीन चीज नहीं है, और वह तो धीरे धीरे स्थापित हुआ है, उसके लिये कोई निश्चित योजना या सिद्धान्त नहीं बना। वह परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ा और उससे बहुत लाभ हुआ है। उससे एकलूपता, व्यवस्था तथा कुशलता आ गई है, जिनकी बहुत आवश्यकता थी, और लोगों की अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करने की स्वनन्त्रता को हानि नहीं पहुंची है। केन्द्रीय नियंत्रण कठोर नहीं है और स्थानीय प्राधिकारियों को अपनी समस्याओं के निवारने के लिये काफी ढील देता है। फिर भी कई आलोचक वहाँ हुये केन्द्रीय नियंत्रण से स्थानीय स्वशासन के भविष्य को खतरा समझते हैं। कुछ यह भी आश्चर्य करते हैं कि “क्या काउंटी और बॉरो सरकार अपने बढ़ते हुये कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के भार से दूट नहीं जायेगी या कम से कम अपनी वर्तमान कार्यक्रमता को नहीं खो देगी।”^{५४} केन्द्रीय नियंत्रण लचकदार है तथा ब्रिटिश लोगों को स्थानीय स्वायत्ता से बहुत प्रेम है, अतः ऐसे भीषण परिणाम तो

नहीं होगे। किन्तु स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के ढाँचे में सुधार करने की काफी गुव्जाइश है। स्थानीय शासन के बहुत से क्षेत्र हैं जिनके क्षेत्राधिकार एक दूसरे से टकरा जाते हैं।

लन्डन का शासन— इंग्लिस्तान के म्युनिसिपल नगरों तथा घोरों में जैसा स्थानीय शासन है, लन्डन में उन से भिन्न प्रकार की व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था संसार की अन्य महान राजधानियों पेरिस, वर्लिन, रोम, टोकियो और वाशिंगटन के समान ही है। बहुत प्राचीन काल से लन्डन को देश के अन्य भागों से भिन्न प्रकार समझा गया है। सद्ग्राय लन्डन के लिये विशेष विधियाँ बनाती हैं। १८३५ का म्युनिसिपल नियम अधिनियम ब्रेट ब्रिटेन के आधुनिक म्युनिसिपल शासन का आधार था, किन्तु लन्डन को उसमेंछोड़ दिया गया था। उसके लिये १८५५ तथा १८६६ में विशेष विधान बनाये गये थे। लन्डन के लिये अलग ही लोक स्वास्थ्य अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, मकान अधिनियम आदि हैं।

स्थानीय शासन के प्रयोजन के लिये लन्डन को तीन विभिन्न भागों में अथवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनके भिन्न भिन्न शासक निकाय हैं। वे हैं—
 (१) लन्डन शहर; (२) लन्डन काउन्टी; (३) लन्डन मेट्रोपोलिटन ज़िला। लन्डन शहर कहलाने वाला क्षेत्र तो वर्तमान राजधानी का छोटा सा अङ्ग है और एतिहासिक केन्द्रीय क्षेत्र है। उसका क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग मील है (पूरे लन्डन का क्षेत्रफल लगभग ७०० वर्ग मील है)। और उसकी सीमाएं पुरानी हैं, सङ्कों के नाम भी पुराने ही हैं तथा शासन के तरीके भी पुराने ही हैं। उसमें अब रहने के मकान बहुत कम हैं और वह राजधानी का व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्र बन गया है। वहाँ केवल पहरेदार आदि के निवासस्थान हैं जो लगभग १४,००० ही हैं। उसका शासन लार्ड मेयर तथा तीन परिपदों द्वारा होता है— वे तीन परिपदें निम्नलिखित हैं— (१) कोर्ट ऑफ ऐलटरमैन, (२) कोर्ट ऑफ कामन काउन्सिल, (३) कोर्ट ऑफ कामन हाल। कोर्ट ऑफ ऐलटरमैन में लार्ड मेयर तथा २६ ऐलटरमैन होते हैं जो जीवन भर के लिये चुने जाते हैं। किसी और स्थान पर ऐलटरमैन जीवन भर के लिये नहीं चुने जाते। कोर्ट ऑफ ऐलटरमैन को बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त हैं— वे दलालों को लायसेंस देते हैं तथा शहर के अभिलेख (Record) रखते हैं। कोर्ट ऑफ कामन हाल में कोर्ट ऑफ ऐलटरमैन से सदस्य नथा सिटी कम्पनियों के तिवरीमैन होते हैं। ये कम्पनियाँ कारीगरां तथा व्यापारियों की मध्ययुगीय संस्थाओं (Guilds) के स्थान पर चल रही हैं। यह कोर्ट प्रति वर्ष शोरिफ़ को चुनता है और दो ऐलटरमैनों को चुनता है जिनमें से कोर्ट ऑफ ऐलटरमैन एक को लार्ड मेयर नियुक्त करता है। कामन हाल के कोर्ट को भी शक्तियाँ महस्त्वरूप नहीं हैं। शहर का शासन करने वाला असली निकाय कोर्ट

ऑफ कामन काउन्सिल है। उसमे २०० पारिपद (Councillors) तो प्रति वर्ष चुने जाते हैं और कोर्ट ऑफ ऐलडरमैन के २६ ऐलडरमैन होते हैं। यह कोर्ट शहर के लिये उप-विधियां बनाता है, शहर के पुलों का ध्यान रखता है, और अग्रिन से रक्षा, जल-व्यवस्था, निर्धन-साहाय्य, लोक-स्वास्थ्य, सड़कों की रेलों और मुख्य नालियों को छोड़ कर अन्य सब कार्य करता है। उसकी अपनी पुलिस होती है, व्यवहार-न्यायालय तथा शीघ्र निर्णय करने के न्यूत्राधिकार वाले दंड-न्यायालय होते हैं। उसके विभिन्न कार्यों की देखभाल करने के लिये वह अलग अलग समितियां नियुक्त करता है।

लन्डन काउंटी प्रशासकीय काउंटी है। १८५५ के काउंटी परिपद अधिनियम द्वारा उसकी सीमाएं निश्चित की गईं थीं और वहाँ एक निर्वाचित परिपद भी स्थापित की गई थी। १८६८ में लन्डन काउंटी मे २८ मेट्रोपोलिटन वॉरों बनाये गये जिनकी शक्तियां काउंटी परिपद के अधीन हैं और परिपद उन पर शासन करती है। इस परिपद में १२४ निर्वाचित पारिषद हैं तथा २० ऐलडरमैन हैं जिन्हें उक्त परिपद अपने आप मे से या बाहर से चुनते हैं। पारिपद तीन वर्षों के लिये तथा ऐलडरमैन छँव वर्षों के लिये चुने जाते हैं। आधे ऐलडरमैन तीन वर्षों के बाद बदल जाते हैं। पारिपद और ऐलडरमैन मिल कर एक सभापति चुनते हैं। वह बाहर से भी चुना जा सकता है। १८३८ से वह सभापति भी लार्ड मेयर के समान 'राइट आनरेवल' की पदवी से विमूलित होता है। लन्डन काउंटी परिपद की शक्तियां अन्यत्र की काउंटी परिषदों के समान ही होती हैं; किन्तु कुछ वातों मे इसकी शक्तियां कम भी हैं क्योंकि राजधानी होने के कारण पुलिस आदि के कई कार्य स्थान केन्द्रीय सरकार ही करती है। परिपद में १८ स्थायी समितियां होती हैं तथा एक कार्यपालिका समिति होती है जिसमे उन अठारह समितियों के सभापति होते हैं। यह परिपद देश भर की परिषदों में सबसे अधिक कार्यशील है और उसने शिक्षा, भवन निर्माण कार्यों तथा स्वच्छता आदि मे कई प्रसिद्ध कार्य सम्पन्न किये हैं। उसके प्रशासन में ११७ वर्ग मील क्षेत्र है जिसमे लगभग ४० लाख व्यक्ति हैं। वही कूड़ा करकट, नालियों, सड़कों, सुरंगों, घाटों, पुलों, अग्रिन-रक्षण, स्वच्छता, लोक-स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, शिक्षा, मनोरजन-स्थानों और सावर्जनिक मेलों के सम्बन्ध में प्रधान प्राधिकारी है। वही द्रामवे चलवाती है और टेम्स पर यातायात के लिये नावों का बेड़ा रखती है। जल-व्यवस्था के लिये एक अलग मेट्रोपोलिटन जल-वोर्ड है। इस परिपद की वार्षिक आय ४ करोड़ पाउण्ड है।

१८६८ के अधिनियम द्वारा जो २८ मेट्रोपोलिटन वॉरों बने हैं, उनमें से प्रत्येक में एक स्थानीय शासक प्राधिकारी है जिसमें एक मेयर, निर्वाचित पारिपद, तथा ऐलडरमैन हैं। इन परिषदों की शक्तियां अन्य वॉरों परिषदों की शक्तियों से कम

विस्तृत हैं। वे मुख्य मार्गों का निर्माण करती हैं, सड़कों के बनाना, पटरियों बनाना, सड़कों को साफ करवाना तथा उन पर प्रकाश का प्रबन्ध करना, और लोक स्वास्थ्य अधिनियम को क्रियान्वित करना भी उनका ही काम है। वे सार्वजनिक स्नानागारों, धोबी घाटों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, स्थानीय कन्विस्टानों और श्रमिकों के निवासस्थानों का भी प्रबन्ध करती हैं। वे वाटिकाओं (Parks) तथा मनोरंजन के स्थानों की व्यवस्था करके लंदन काउंटी परिषद् के कार्य में भी हाथ बढ़ाती हैं। मेट्रोपोलिटन वॉरो परिषदों के लिये कहा जा सकता है कि वे स्थानीय शासन के अन्तर्गत स्थानीय शासन हैं।

स्थानीय शासन की ब्रिटिश तथा भारतीय पद्धतियों की तुलना— इस अध्याय को तथा इस पुस्तक को भी समाप्त करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि स्थानीय स्वशासन की ब्रिटिश तथा भारतीय पद्धतियों का तुलनात्मक विवेचन दे दिया जाये। हमारे स्थानीय निकाय ब्रिटेन के नमूने पर ही बने हैं, वास्तव में हमारा संविधान ही अधिकांशतः ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। अतः उनकी रचना तथा कार्य इंगलिस्तान की काउंटी तथा वॉरो परिषदों के समान ही हैं। उनके समान ही भारतीय स्थानीय समिनियां जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं। हाल ही में वयस्क मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन भी आरम्भ कर दिये गये हैं, जबकि ब्रिटेन की अधिकांश स्थानीय संस्थानों में अब तक भी सम्पत्ति पर आधारित मताधिकार है। उनको अपने ज्ञेत्राधिकार में वसने वाले लोगों की बैसी ही सेवा करनी पड़ती है जैसी कि ब्रिटिश स्थानीय निकाय करते हैं। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय निकाय उतने कार्य-कुशल नहीं बन पाये हैं जितने ब्रिटिश निकाय हैं। सामाजिक कार्य में हमारे स्युनिसिपल नंथा ज़िला बोर्ड इंग्लैण्ड की काउंटी तथा वॉरो परिषदों से बहुत पीछे हैं। इस बात को समझने से पहले हम यह देखेंगे कि ब्रिटिश निकाय किस प्रकार के कार्य करते हैं, और फिर हम यह देखेंगे कि भारतीय निकाय उन कामों को किस हद तक कर पाते हैं।

इंगलिस्तान में स्थानीय निकायों के सामाजिक कार्यों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है: लोक-स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह-निर्माण, योजनाकरण तथा जनता की सहायता। लोक-स्वास्थ्य के कार्यों को भी निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: (१) रोग की रोकथाम तथा स्वास्थ्य की वृद्धि, (२) रोगियों का इलाज, और (३) माताओं तथा बालकों की चिन्ता। (१) के अधीन ये कार्य आ जाते हैं: प्रत्येक घर तथा पाठशाला के लिये जल की समुचित व्यवस्था, पीने के जल को सड़ने से रोकना, कूड़े के छिह्नों में से कूड़ा हड्डवाना, और ध्यान रखना कि नाले आदि के पास अस्वास्थ्यग्रद स्थान पर कोई भवन न बने। वड़े शहरों में परिषद् प्रायः म्नानागार और सरकारी धोबी घाट भी बनानी हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्वच्छता

निरीक्षक नियुक्त करते हैं जो दुकानों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि अगुद्ध भोजन जनता को स्विलाया या बेचा न जाये। हमारे म्युनिसिपल बोर्ड प्राय ऐसे काम करते हैं किन्तु उस हड़तक नहीं करते, किन्तु जिला बोर्ड तो बहुत ही कम करते हैं। जिन आमों का प्रवर्णन उनके पास होता है वे प्राय बहुत गन्ढ होते हैं और उनमें नालियों आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती।

इंगलिस्तान में स्थानीय प्राधिकारी रोगियों की चिकित्सा के लिये जो व्यवस्था करते हैं वह हमारे देश की व्यवस्था से बहुत उत्तम होती है। वहाँ जिस घर में डिप्टीरिया, स्कारलेट फीवर, टायफस और माना जैसे भयानक छूट रोग हो, उस घर के रहने वालों का यह कर्तव्य है कि उस रोग की मूर्चना स्वास्थ्य अधिकारी को दें, और वह अधिकारी उस रोगी को अलग किसी हस्पताल में भिजवायेगा, घर में कीटाणु-नाशक दवा छिड़कवायेगा और उस रोग को फैलने से रोकने के लिये अन्य सब कदम उठायेगा। यह सेवा कार्य धर्मार्थ औपधालयों के सहयोग से होता है। हमारे म्युनिसिपल बोर्ड छूट रोग के रोगियों को अलग करने की व्यवस्था नहीं करते। हमारे यहाँ प्रसूता तथा शिशु के कल्याणार्थ जो प्रवर्ण है वह भी ब्रिटिश ६. व्यवस्था से बहुत कम है। १६३६ में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम द्वारा शिशा सर्वधी स्थानीय प्राधिकारी को प्रसूता तथा शिशु के कल्याण का कार्य भी दे दिया है। कई स्थानों पर उन्होंने अपने हस्पताल तथा प्रसूतागृह बनाये हैं जिन के फलम्भूत शिशु-मृत्युओं की संख्या इर्गलिस्तान में बहुत घट गई है। बहुत सी मानां तथा छोटे बच्चे 'कल्याण-केन्द्रों' से लाभ उठाते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा ब्रेट ब्रिटेन में नि शुल्क तथा अनिवार्य है। स्थानीय प्राधिकारियों के लिये वाध्यता है कि वे पॉच वर्प से चौड़ह वर्प की आयु तक के बच्चों के लिये शिक्षा का प्रवर्ण करें, और ऐसे अधिकारी नियुक्त करें जो यह देखे कि प्रत्येक मानांपिता अपने बच्चों को पाठशाला में भेजते हैं या नहीं। शारीरिक तथा मानसिक दोषों वाले बच्चों के लिये विशेष पाठशालाएँ हैं। हमारे देश में ऐसी पाठशालाएँ बहुत कम हैं और नि शुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बहुत कम स्थानों पर है। हमारे स्थानीय निकाय इस समस्या पर बहुत कम ध्यान देते हैं, प्राय पाठशालाओं की कमी के कारण पढ़ने के दृच्छुक विद्यार्थी भी नहीं पढ़ पाते, फिर अनिवार्य शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

अझरेज जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिये अच्छा भोजन जितना आवश्यक है उनना ही अच्छा मकान भी है। १६३६ के अधिनियम में पिछले मध्य अधिनियमों का सार दे दिया है कि मकान का निरीक्षण किस प्रकार किया जाये कि वे निवास के योग्य हैं या नहीं। अस्वास्थ्यप्रद मकानों में लोगों को रहने नहीं दिया जाना है, यानो उन मकानों को सुधारा जाता है या उन्हे तुड़वा दिया जाता है। स्वास्थ्य

अधिकारी को गन्दे मौहल्लों पर भी ध्यान देना होता है। पुराने गन्दे मौहल्लों ठीक करने का तथा नयों को बनाने से रोकने का प्रयत्न होता रहता है। जब भी मौहल्लों को मनुष्यों के रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब वहाँ निवासियों के लिये और वहाँ हुई जनमरणों के लिये स्थानीय प्राधिकारी नई वार्तिय वसाते रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ३० लाख से अधिक मकान बनाये जा चुके हैं और एक तिहाई जनता को नये मकानों में वसाया जा चुका है। इस में भी भारत के म्युनिसिपल बोर्डों का काम बहुत नगरण है और कई स्थानों पर तो वास्तव में गन्दगी बढ़ती जाती है।

हमारे देश में योजनाकरण भी कहीं नहीं है; केवल कहीं कहीं पर जहाँ सुधार दृस्ट है और वे उचित रूप से काम करते हैं, वहाँ ही कुछ योजनावद्ध नगरविकास होता है। ब्रिटेन में १६३२ में संसद ने एक नगर तथा आम योजनाकरण अधिनियम पारित किया था जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी अपने स्थान के स्वास्थ्य तथा सौंदर्य को बनाये रखने का प्रयास करते हैं और नये मकान आदि बनाने के लिये योजनाएं तैयार करते हैं। स्थानीय प्राधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वे वृद्ध लोगों, अपंग तथा वेकार व्यक्तियों को सहायता देने की व्यवस्था करें। हमारी म्युनिसिपलटियाँ और जिला बोर्ड निर्धन, अपंग आदि की सहायता करना अपना कर्तव्य ही नहीं समझते।

दोनों देशों के स्थानीय निकायों के कार्यों में एक महान् अन्तर यह भी है कि इंगलिस्तान में स्थानीय निकाय जिले में पुलिस का प्रबन्ध भी करते हैं। प्रत्येक काउन्टी का अपना पुलिस-चल होता है जो उसमें सब पुलिस-कार्य करता है। प्रति वर्ष काउन्टी पुलिस का निरीक्षण गृह-कार्यालय की ओर से होता है, और यदि पुलिस-व्यवस्था संतोषजनक हो तो उसका आधा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है। हमारे देश में जिला और म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा कोई कार्य नहीं करते; उन्हें इसके लिये विधि द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे यह पता लगेगा कि यद्यपि दोनों देशों में स्थानीय शासन निकाय एक ही प्रकार से बने हैं फिर भी उनके कामों में बहुत अन्तर है। किसी हड्ड तक उसका कारण यह भी है कि भारत में उन्हें बने एक शताब्दी भी नहीं हुई और उनकी पूरी तरह जड़ नहीं जमी है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि भारत में स्थानीय निकायों पर केन्द्रीय नियंत्रण इंगलिस्तान से अधिक है और वह सीधा पत्तन स्व में है। हमारे यहाँ जिलों में पैरिश और शहरी तथा ग्राम्य जिला परिपदे आदि नहीं हैं। ग्राम पंचायतें, जो नई ही बनी हैं, किसी हड्ड तक पैरिश परिपदों के समान हैं पर उनकी शक्तियों तथा कार्य बहुत कम हैं और उन पर राज्यों की सरकारों का नियंत्रण भी अधिक है।

